खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभागः राजस्थान के कोटा जिले के विशेष संदर्भ में एक अध्ययन

Food, Civil Supplies and Consumer Affairs Department: A Study with Special Reference to Kota District of Rajasthan

कोटा विश्वविद्यालय, कोटा की

सामाजिक विज्ञान (लोक प्रशासन) में

पी–एच.डी. उपाधि हेतु प्रस्तुत शोध प्रबन्ध

शोध पर्यवेक्षकः

डॉ. राज कुमार गर्ग

व्याख्याता, लोक प्रशासन विभाग

राजकीय कला महाविद्यालय, कोटा

शोधकर्त्रीः

एकता मीणा

कोटा विश्वविद्यालय, कोटा (राज.)

2016–17

प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शोधार्थी एकता मीणा, लोक प्रशासन विभाग, राजकीय कला महाविद्यालय, कोटा के द्वारा **"खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभागः कोटा जिले के विशेष संदर्भ में एक अध्ययन"** विषय पर पी–एच.डी. की उपाधि हेतु प्रस्तुत किया गया शोध–कार्य मेरे निर्देशन में किया गया है।

प्रस्तुत शोध–प्रबन्ध एकता मीणा की मौलिक कृति है इन्होने दो सौं दिन से अधिक अवधि तक निरन्तर मेरे सम्पर्क में रहकर यह अनुसंधान कार्य सम्पन्न किया है। मैं इस शोध–प्रबन्ध को पी–एच.डी. की उपाधि हेतु मूल्यांकन के लिए संस्तुत करता हूँ।

शोध पर्यवेक्षक

डॉ. राज कुमार गर्ग
व्याख्याता, लोक प्रशासन
राजकीय कला महाविद्यालय, कोटा

दिनांकः

प्राक्कथन

खाद्य सुरक्षा हर एक नागरिक के लिए मूलभूत अधिकार है। हमारा संविधान भी भारत के नागरिकों को मानवीय मूल्यों की गारंटी देता है और नागरिक को समान रूप से आत्मसम्मान के साथ जीने का अधिकार भी प्रदान करता है। घनघोर दारिद्रय की स्थिति में, खाद्यान्न के उत्पादन और उत्पादकता के अनिश्चितता के दौर में संविधान में दिये गये जीने के अधिकार की कैसे हिफाजत की जाये, यह मूल सवाल है। पिछले कुछ दशकों में हमारे देश में खाद्य समस्या व्यापक रूप में उभरी है। वर्तमान में पोषण एवं खाद्य सुरक्षा का मामला एक अहम एवं ज्वलंत प्रश्न बन गया है और इस पर काफी चर्चा व बहस हो रही है। आज खाद्य और पोषण सुरक्षा के सामने कई तरह की चुनौतियां मौजूद हैं। खास तौर पर पिछडे इलाकों में यह ज्यादा भयावह रूप धारण कर रही हैं। कुपोषण एवं खाद्य असुरक्षा की समस्या को हल करने के लिए सुधारात्मक उपाय के अंतर्गत केन्द्र ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 पास किया, इसमें सस्ती दर पर अनाज उपलब्ध कराया जाता है। इसके अतिरिक्त खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केन्द्र सरकार के द्वारा विभिन्न संवैधानिक प्रावधान, विधिक प्रयत्न तथा संस्थानिक निकायों की स्थापना भी की गयी थी जिससे लोगों का सामाजिक एवं आर्थिक विकास किया जा सकें।

राजस्थान राज्य के परिपेक्ष्य में भी स्थिति लगभग समान रूप से विकट, गम्भीर तथा विभेदकारी रही है। राज्य के विभिन्न जिलों में खाद्य पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नही है जिससे लोग मौत का शिकार हो रहे है तथा अनेकानेक सरकारी एवं गैर–सरकारी प्रयासों के उपरान्त भी कोई क्रान्तिकारी परिवर्तन दृष्टिगोचर नही हुआ है। वैसे राजस्थान राज्य द्वारा पूर्व में खाद्य एवं सहायता विभाग के माध्यम से अनेकानेक कार्यक्रम और योजनायें संचालित की गई। बाद में 2001 में विभाग को खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलें विभाग का देकर विभिन्न क्षेत्र के लोगों जैसे अल्पंसख्यको, वृद्धों, विकलांग इत्यादि के लिए कार्यक्रम संचालित किए जाते रहे हैं।

राजस्थान राज्य के कोटा जिले में भी खाद्यान्नों के वितरण से सम्बन्धित कई कार्यक्रम एवं योजनाऐं चलाई जा रही है। जिले में खाद्यान्नों की आपूर्ति एवं योंजनाओं का क्रियान्वयन कोटा रसद कार्यालय द्वारा किया जाता है। राजस्थान राज्य के खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग के द्वारा भी कोटा रसद कार्यालय के माध्यम से कई प्रयास किये जा रहे है जैसे अनेकानेक योजनायें संचालित की गई है और आर्थिक सहायता एवं विभिन्न प्रकार का सम्बलन प्रदान किया जा रहा है, जिससे खाद्य असुरक्षा और कुपोषण की स्थिति को परिवर्तित किया जा सके।

खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए, स्थानीय ज्ञान व तरीकों पर नियंत्रण और पकड़ बनाने की जरूरत है। अतः इसके लिए आवश्यक है कि हम उन कारणों को समझें जो खाद्य सुरक्षा को प्रभावित करते हैं और उसे निश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। साथ ही वर्तमान नीतियां किस तरह इसे प्रभावित करती है। इन सभी पहलुओं के साथ खाद्य सुरक्षा का ऐतिहासिक संदर्भ क्या है, इसके वर्तमान स्वरूप की स्थिति क्या है और इसके क्षरण/पतन के कारण क्या हैं? अतः इन मुद्दों को व्यापक परिप्रेक्ष्य में अध्ययन करना हमारा मुख्य उद्देश्य है। प्रस्तुत अध्ययन में इस बात पर भी बल दिया गया है कि वर्तमान में स्थानीय स्तर पर खाद्य सुरक्षा को स्थापित करने के लिए विकल्प क्या है। इसी स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए इस शोध का केन्द्र राज्य का खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग और उसकी कोटा जिले की योजनाओं को बनाया गया है ताकि प्रयत्नों की पर्याप्तता, प्रांसगिकता एंव महत्ता को नये दृष्टिकोण से देखा जा सके।

इस शोधकार्य के लिए सर्वप्रथम मैं अपने शोध निदेशक डॉ. राज कुमार गर्ग, व्याख्याता लोक प्रशासन, राजकीय कला महाविद्यालय, कोटा में प्रति असीम श्रद्धा और आदर भाव के साथ हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ जिनके मार्ग–दर्शन, उनकी वैज्ञानिक तकनीक एवं सुझावों से यह अनुसंधान कार्य सम्पन्न हुआ। शोध की क्रियाविधियों में उनके गहन चिन्तन और प्रेरणा ने मुझे कार्य के लिए आधार प्रदान किया एवं साथ ही मैं श्रीमति बीना गर्ग एवं हर्षित गर्ग की भी हृदय से आभारी हूँ ।

मैं डॉ. बाबू लाल शर्मा, प्राचार्य, राजकीय कला महाविद्यालय, कोटा के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ जिन्होंने मेरे शोध कार्य में मेरा सहयोग दिया। साथ ही मैं डॉ. राजकौर

औला, विभागाध्यक्ष, लोक प्रशासन विभाग, राजकीय कला महाविद्यालय का भी हृदय से आभर व्यक्त करती हूँ। जिन्होंने शोध कार्य में मुझे मार्गदर्शित किया। इसके अतिरिक्त मैं इन्द्रकला भण्डारी (सेवानिवृत व्याख्याता), जानकी देवी बजाज कन्या महाविद्यालय, कोटा का भी आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होने सूचनाओं के एकत्रण में मेरा सहयोग दिया। साथ ही जानकी देवी बजाज कन्या महाविद्यालय के स्टॉफ गण, लक्ष्मीचन्द, आदि का भी आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होने मुझे पर्याप्त सहयोग प्रदान किया। साथ ही मै अपने सभी मित्रगणों, मीना अग्रवाल, कविता कच्छावा, डॉ. डी. सुधीर, डॉ रितिका गर्ग, हंसा चौधरी आदि का आभार व्यक्त करती हूँ जिनकी प्रेरणा और सहयोग ने मुझे उत्साहित रखा।

मैं कोटा जिले के जिला रसद कार्यालय के जिला रसद अधिकारी टी. आर. भाटी, अशोक सांगवा और एस. डी. मीणा एवं अन्य स्टाफगण का आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होने समय–समय पर विभागीय सूचनाऐं उपलब्ध करायी एवं उचित मूल्य की दुकान के डीलर गजानन्द शर्मा, राजेश मीणा जी एवं अमर सिंह चौधरी जी, का भी आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होने शोध कार्य का मूल आधार, अनुसूची के उत्तरदाताओं, के द्वारा जानकारियाँ उपलब्ध करवाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया।

मैं पूजनीय पिताजी श्री हरि सिंह मीणा (सेवानिवृत प्राचार्य) और पूजनीय माताजी श्रीमती पार्वती मीणा को हृदय से नमन करती हूँ जिनके आशीर्वाद से यह कार्य सम्पन्न हुआ। मै अपने भाई अक्षय कुमार, आशुतोष मीणा और भाभी सपना मीणा का भी आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होने मुझे शोध कार्य के लिए मानसिक सम्बल व सहयोग प्रदान किया।

अन्त में, मैं टंकण कार्य के लिए डिप्टी वर्मा एवं योगेन्द्र सेन का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होने कार्य को समय पर एवं त्रुटिहीन तरीके से पूर्ण करना सुनिश्चित किया। उन समस्त महानुभावों के प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ, जिन्होने प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से इस परियोजना को पूरा करने में सहयोग दिया।

दिनांकः

शोधार्थी

एकता मीणा

अध्याय–विन्यास
(Chapterisation)

अध्याय क्रमांक	शीर्षक	पृष्ठ सं.
प्रथम अध्याय	शोध प्ररचना (Research Design)	1–18
द्वितीय अध्याय	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलेः अवधारणात्मक, संवैधानिक एवं विधिक परिपेक्ष्य (Food, Civil Supplies and Consumer Affairs: Conceptual, Constitutional and Legal perspective)	19–57
तृतीय अध्याय	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभागः संरचनात्मक एवं कार्यात्मक विवेचन (Food, Civil Supplies and Consumer Affairs Department: Structural and Functional Analysis)	58–109
चतुर्थ अध्याय	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग (कोटा जिला): एक विश्लेषण (Food, Civil Supplies and Consumer Affairs Department (Kota District): An Analysis)	110–'152
पंचम अध्याय	अनुभवमूलक अध्याय (Emperical Study)	153–174
षष्ठ अध्याय	सारांश एवं निष्कर्ष (Summary and Conclusion)	175–194
	संदर्भ ग्रथं सूची (Bibliography)	195–200
परिशिष्ट–1	उचित मूल्य दुकान की आंवटन प्रक्रिया	i-iv
परिशिष्ट–2	राशनकार्ड बनाने की प्रक्रिया	v-viii
परिशिष्ट–3	उचित मूल्य की दुकान की जिलेवार स्थिति	ix
परिशिष्ट–4	योजनावार लाभार्थियों का जिलेवार विवरण	x
परिशिष्ट–5	अनुसूची	xi-xx
परिशिष्ट–6	उचित मूल्य की दुकान पर प्रदर्शन के लिए सूचना	xxi
परिशिष्ट–7	सर्तकता समितियाँ	xxii-xxii

LIST OF ABBREVIATIONS

Abbreviations	Meaning
AAY	Antodaya Anna Yojana
AM	Average Mean
APL	Above Poverty Line
BIS	Bureau of Indian Standards
BPL	Below Poverty Line
ConfoNet	Computerisation and Computer Networking of Consumer Forum in Country
CORE	Consumer Online Resource & Empowerment
DBTL	Direct Benefit Transfer for LPG
FAO	Food and Agriculture Organisation
FCI	Food Corpotion of India
GM	Genetically Modified
HVOCL	Hindustan Vegetable Oils Corporation Limited
ICDS	Integrated Child Development Scheme
LPG	Liquid Petroleum Gas
MDM	Mid - Day Meal
MRTP	Monopolies and Restrictive Trade Practices
NCCF	National Co-operative Consumer Federation of India
NCGRC	National Consumer Disputes Redressal Commission
NFSA	National Food Security Act
NSS	National Sample Survey
NTH	National Test House
NWR	Negotiable Warehouse Receipts
PDS	Public Distribution System
PoS	Point of Sale
SD	Standard Deviation
TRIPS	Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights
TPDS	Targeted Public Distribution System
WDRA	Warehouse Development and Regulations Act
WHO	World Health Organisation
WTO	World Trade Organisation

तालिका सूची (List of Tables)

क्र.सं.	विषय सूची	पृष्ठ सं.
2.1	उपभोक्ता श्रेणी एवं राशनकार्ड	26
3.1	राजस्थान राज्य खाद्य एवं उपभोक्ता निगम लिमिटेड का संचालक मण्डल	83
3.2	राजस्थान राज्य खाद्य एवं उपभोक्ता निगम लिमिटेड में वर्तमान पदों की स्थिति	84
3.3	सार्वजनिक वितरण प्रणाली की विकास यात्रा	87
3.4	वर्ष 2014–15 में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन केन्द्रीय निर्गम मूल्य की सूची	93
3.5	राज्य को प्राप्त खाद्यान्न का आंवटन एवं उठाव	95-96
3.6	विभाग द्वारा चलाई जा रही महत्वपूर्ण योजानाओं की सूची	106-107
4.1	कोटा जिले की प्रशासनिक सरंचना	111
4.2	कोटा जिले में स्थित ग्राम पंचायतों की सूची	112
4.3	कोटा जिले में पंचायत समितिवार जनसंख्या सम्बन्धी तालिका	113
4.4	कोटा जिला रसद कार्यलय में स्वीकृत/कार्यरत/रिक्त पदों की सूचना	118
4.5	सार्वजनिक वितरण प्रणाली एक दृष्टि में	119
4.6	लाडपुरा पंचायत समिति में राशनकार्डो से सम्बन्धित तालिका	121
4.7	सुल्तानपुर पंचायत समिति में राशनकार्डो से सम्बन्धित तालिका	122
4.8	इटावा पंचायत समिति में राशनकाडों की संख्या	123
4.9	सांगोद पंचायत समिति में योजनावार राशनकार्डो की स्थिति	125
4.10	खैराबाद पंचायत समिति में योजनावार राशनकार्डो की स्थिति	126
4.11	अन्त्योदय परिवार हेतु गेहूँ का आंवटन	130

4.12	खाद्य सुरक्षा से पूर्व पंचायत समिति वार एवं योजनावार लाभार्थियों की संख्या	131
4.13	खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रारम्भ में नये चिन्हित लाभार्थियों की पंचायत समिति वार/नगर निकाय वार सूची	131
4.14	खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रारम्भ में राशनकार्डो की सूची	132
4.15	समावेशन–निष्कासन तालिका	133-135
4.16	खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत वितरित गेहूँ व उनकी दरों के विवरण सम्बन्धी सूची	136
4.17	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना की सीडिंग सम्बन्धी तालिका	138
4.18	कोटा जिले में कार्यरत पी.ओ.एस. सम्बन्धित तालिका	140
4.19	पी.ओ.एस. मशीन के उपयोग से पूर्व खाद्यान्न के आंवटन एवं उठाव सम्बन्धी तालिका	141-142
4.20	पी.ओ.एस. मशीन के लागू होने के पश्चात् आंवटन एवं उठाव	143
4.21	अन्नपूर्णा भण्डार संबंधी तालिका	148
4.22	निरीक्षणों के विवरण संबंधी तालिका	150-151
5.1	कुल उचित मूल्य की दुकानों की सूची	155
5.2	प्रतिदर्श हेतु चयनित उचित मूल्य की दुकानों का ग्राम पंचायत एवं दुकानवार विवरण	155
5.3	कोटा जिले में पंचायत समिति एवं योजनावार परिवारों की सूची	156
5.4	राशनकार्ड की श्रेणी से सम्बन्धित तालिका	162
5.5	राशनकार्ड बनवाने में प्रयुक्त माध्यम की तालिका	162
5.6	राशनकार्ड प्राप्ति में लगे समय की तालिका	163
5.7	आधारभूत संरचना में उपलब्धता की तालिका	164

5.8	आधारभूत संरचना में सन्तुष्टता की तालिका	165
5.9	संसाधन की पर्याप्तता की तालिका	166
5.10	संसाधन की गुणवत्ता की तालिका	167
5.11	पीडीएस आउटलेट की उपस्थिति के संदर्भ में तालिका	168
5.12	पीडीएस आउटलेट के संचालन से सम्बन्धित तालिका	168
5.13	प्रबन्ध के संदर्भ में विश्लेषण तालिका	169
5.14	प्रबन्ध के संदर्भ में माध्य विश्लेषण तालिका	170
5.15	शासकीय योजनाओं की जानकारी के संदर्भ तालिका	171-172
5.16	शासकीय योजनाओं के संदर्भ में लाभांवित होने की तालिका	172
5.17	शासकीय योजनाओं के संदर्भ में प्रांसगिक होने की तालिका	175

परिशिष्ट क्रंमाक–1

उचित मूल्य दुकान की आवंटन प्रक्रिया

1.	पात्रता	1. शहरी क्षैत्र के लिये आवेदक संबंधित वार्ड का निवासी होना चाहियें। 2. ग्रामीण क्षेत्र के लिये संबंधित पंचायत के किसी ग्राम या वार्ड का निवासी होना चाहिए
2.	प्राथमिकताएं	1. महिला स्वयं सहायता समूह जो राज्य सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, समाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग या अन्य किसी विभाग के अन्तर्गत राजकीय कार्यक्रमों के संचालन हेतु चयनित अथवा मान्यता प्राप्त हो। 2. सहकारी समितियाँ (जो कि सहकारी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत हैं) 3. शिक्षित बेरोजगार। 4. अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्ति 5. महिलायें–विधवा एवं परित्यक्त महिलाओं को प्राथमिकता दी जावेगी। 6. भूतपूर्व सैनिक अथवा उनकी विधवा। 7. अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु क्रमशः 16, 12 एवं 21 प्रतिशत आरक्षण होगा। 8. आरक्षण व्यवस्था वर्तमान तथा भविष्य में जारी होने वाली विज्ञप्ति/ रिक्तियों पर लागू होगा। उक्त वर्णित प्रतिशत के अनुसार रिक्तियों हेतु 100 बिन्दु रोस्टर रजिस्टर का संधारण किया जावेगा। 9. उचित मूल्य दुकानों के आवंटन में आरक्षित वर्ग के लिए रोस्टर व्यवस्था प्रत्येक तहसील स्तर पर की जायेगी। रिक्तियों के रोस्टर प्रणाली का निर्धारण जिला कलक्टर द्वारा किया जायेगा। 10. उचित मूल्य दुकानों के लिए निर्धारित 16, 12, 21 एवं 1 प्रतिशत आरक्षण क्रमश:S.C, S.T, O.B.Cएवं विशेष ओबीसी को दिये जाने का प्रावधान किया हुआ है। आरक्षण का क्रम इस प्रकार होगा कि यदि किसी वर्ग के आरक्षण के पद का उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हो तो द्वितीय विज्ञप्ति जारी कर उससे आगे वाले आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार से भर दिया जावें, यदि दोनों वर्गों में उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हो तो तृतीय विज्ञप्ति जारी कर आगे आने वाले तीसरे वर्ग के उम्मीदवार से उस पद को भर दिया जावें, परन्तु जिस वर्ग के पद को भरा गया है, उस वर्ग का बैक लॉग चलता रहेगा तथा आगे जिस वर्ग को पूर्व में उस वर्ग का पद दे दिया है उस

		वर्ग की कटौती आगे की जाकर उसके बैक लॉग की पूर्ति कर ली जायेगी। उदाहरण के लिए :–SC का उम्मीदवार उपलब्ध नहीं है, तो आगे आने वाले वर्ग ST के उम्मीदवार से वह पद भर लिया जावेगा, यदि दोनों वर्गों में उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हो तो उसे तीसरे वर्ग OBC के उम्मीदवार से भर लिया जावेगा, परन्तु जैसे SC के पद को OBC से भरा गया है, तो भविष्य में SCके बैक लॉग की पूर्ति OBC के आरक्षित पद से ही की जावेगी, यह सतत् प्रक्रिया चलती रहेगी। यह ध्यान रहे कि किसी भी वर्ग को निर्धारित आरक्षण से अधिक नहीं दिया जावें। 11. शेष 50 प्रतिशत दुकानों के आवंटन में आरक्षित वर्ग के अलावा अन्य सभी वर्ग के लोगों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली में समान अवसर दिया जावेगा। 12. दिनांक 27.02.09 को जारी दिशानिर्देशों में अंकित प्राथमिकता क्रम 50 प्रतिशत आरक्षित वर्ग एवं शेष 50 प्रतिशत आरक्षित कोटा यथावत् लागू रहेगा। 13. आरक्षण व्यवस्था से पात्रता की पूर्व में विहित अन्य किसी शर्त में कोई छूट देय नहीं होगी। 14. आरक्षण व्यवस्था के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र को आधार माना जावेगा। 15. इस व्यवस्था के अन्तर्गत चयन हेतु शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम आठवी कक्षा पास एवं जन जाति उप योजना क्षेत्र व बांरा के शाहबाद एवं किशनगंज के तहसीलों के लिये अनुसूचित जनजाति/सहरिया व्यक्तियों के लिये न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 5 वीं पास रहेगी। 16. जनजाति उपयोजना के अनुसूचित क्षेत्रों की उचित मूल्य दुकानों में से 40 प्रतिशत स्थानीय अनुसूचित जनजाति के आवेदकों को, 5 प्रतिशत अनुसूचित जाति के आवेदकों को और 5 प्रतिशत स्थानीय अन्य पिछडा वर्ग के आवेदकों को आवंटित की जावेगी। 17. बांरा जिले की किशनगंज एवं शाहबाद तहसील क्षेत्रों की उचित मूल्य दुकानों में से 40 प्रतिशत दुकानें स्थानीय सहरिया आदिम जाति के आवेदकों को, 5 प्रतिशत स्थानीय अनुसूचित जाति के आवेदको को और 5 प्रतिशत स्थानीय अन्य पिछडा वर्ग के आवेदको को आवंटित की जावेगी। 18. निःशक्त जनों के लिये 3 प्रतिशत आरक्षण प्रत्येक वर्ग के निर्धारित आरक्षण में से ही दिया जायेगा। 19. सामान्य प्रक्रिया के तहत उचित मूल्य दुकान आवंटित की जावेगी।

		20. आरक्षण हेतु प्रतिशत की गणना करने पर यदि संख्या दशमलव में आती है तो 0.5 से कम आने पर नीचे वाली संख्या 0.5 या इससे ऊपर संख्या आने पर आगे वाली संख्या को श्रेणीवार आरक्षित दुकानें मानी जावेगी। 21. मृतक उचित मूल्य दुकानदार के स्थान पर अनुकम्पात्मक नियुक्ति पर आरक्षण व्यवस्था लागू नही होगी। उक्तानुसार आरक्षण व्यवस्था के अतिरिक्त प्राथमिकता क्रम की शेष व्यवस्थाऐं पूर्ववत रहेगी।
3.	कब आवेदन करें	दुकान रिक्त होने की सूचना अखबार मे विज्ञप्ति अथवा स्थानीय स्तर पर कार्यालय में नोटिस प्रकाशित/जारी होने पर
4.	रिक्ति की सूचना कहां मिलेगी	संबंधित पंचायत भवन/नगरपालिका/क्षेत्रीय रसद अधिकारी कार्यालय एवं स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित की जायेगी।
5.	आवेदन कहां करें?	जिला रसद अधिकारी कार्यालय में
6.	चयन प्रक्रिया	नगरीय/ग्रमीण क्षेत्रों हेतु आवंटन सलाहकार समिति आवेदन पर विचार कर निर्णय लेगी। राज्य सरकार के दिशा निर्देशो के अनुरूप निर्धारित प्राथमिकता अनुसार चयन किया जावेगा। प्राथमिकता प्राप्त व्यक्ति को दुकान आवंटन किये जाने का विवरण रखा जायेगा। दुकान आवंटन के संबंध में अन्तिम निर्णय का अधिकार जिला कलक्टर को हैं।
7.	किन स्थितियों में आवंटन रद्द किया जा सकता है।	दी गई सूचनाएं असत्य पायी जाने पर/नियम विरूद्ध आवंटन पर/राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) 1976 के आदेश में वर्णित प्रावधानों की अवहेलना पर।
8.	गलत आवंटन पर कहां शिकायत करें ?	प्रमुख शासन सचिव (खाद्य)/ अति.खाद्य आयुक्त/खाद्य मंत्री को।
9.	दुकान आवंटन प्रक्रिया में समय सीमा	(आवेदन की अन्तिम तिथि के पश्चात शीघ्रतिशीघ्र) यथा संभव दुकान आवंटन की समस्त प्रक्रिया एक माह में पूर्ण कर ली जावेगी।
10.	किन्हें आवंटन नही किया जा सकता	1. जो संबंधित वार्ड/ग्रम पंचायत क्षेत्र का निवासी नही हों। 2. परिवार के किसी सदस्य यथा माता पिता, अविवाहित पुत्री, आश्रित पुत्र, माता पिता पर आश्रित बालिक पुत्र के नाम पूर्व से ही दुकान होने के स्थिति में 3. 25,000/– से कम हैसियत की स्थिति में

		4. आवेदक के पूर्व के 10 वर्षो के अवधि में आवश्यक वस्तु अधिनियम में दण्डित होने की स्थिति में 5. ऐसे प्राधिकार पत्र धारी जिनके विरूद्ध गंभीर अनियमितताएं पाये जाने पर गत 10 वर्षो में प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया हो। 6. जिला रसद विभाग में कार्यरत अधिकरियों/कर्मचारियों के निकट संबंधी 7. लोक सेवक 8. सरपंच, पंच पार्षद, पंचायत समिति के सदस्य आदि लोक सेवक। 9. न्यूनतम 8 वी पास लेकिन जनजाति उपयोजना क्षेत्र व बांरा के शाहबाद एवं किशनगंज तहसीलों के लिए अनु. जन जाति/ सहरिया व्यक्तियों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 5 वीं कक्षा उत्तीर्ण नहीं होने पर। आवेदक के नाबागिक, विक्षिप्त, चाल चलन सही नही हो, दिवालिया घोषित होने पर।
11.	मृत डीलर के आश्रितों को अनुकम्पात्मक आवंटन	उचित मूल्य दुकानदार की मृत्यु होने पर उसके परिवार के निम्न सदस्यों में से एक को निम्न वरीयता कम से दुकान आवंटित कर प्राधिकार पत्र को संषोधत किया जावेगा। (1) मृतक की विधवा (2) बालिग पुत्र जो मृतक पर आश्रित हो (3) बालिग अविवाहित पुत्र जो मृतक पर आश्रित हो (4) विधवा पुत्री उक्तानुसार आवंटन करते समय बिन्दु संख्या 2 से 4 आवेदकों के परिवार के अन्य सदस्यों यथा माता, बालिग भाई व अविवाहित बालिग बहिनों से अनापत्ति प्रमाण पत्र आवेदक को प्रस्तुत करना होगा। इस प्रयोजनार्थ परिवार में एक ही साथ रहने वाले एवं मृतक डीलर पर आश्रित उपरोक्त श्रेणी के परिजनों को ही सम्मिलित किया जावे।

परिशिष्ट क्रंमाक–2

राशन कार्ड बनाने की प्रकिया

1	पात्रता	क्षेत्र का प्रत्येक निवासी
2	आवेदन पत्र कहां उपलब्ध होंगे ?	प्राधिकृत अधिकारी के कार्यालय में (कार्यालय कार्य समय पर)

प्राधिकृत अधिकारी कौन है ?

1	जिला मुख्यालय नगर पालिका क्षेत्र में	जिला रसद अधिकारी/क्षेत्रीय रसद अधिकारी
2	शेष नगर पालिका क्षेत्र में	नगरपालिका बोर्ड अधिशाषी अधिकारी/आयुक्त
3	ग्रमीण क्षेत्र के लिए	विकास अधिकारी संबंधित पंचायत समिति
4	राज्य सरकार द्वारा अधिकृत कोई भी अन्य अधिकारी	
5	गरीबी रेखा से नीचे एवं अन्त्योदय परिवारों का अन्तिम रूप से चयन	ग्राम सभा द्वारा

श्रेणीवार राशन कार्ड

क्र सं	योजना का नाम	रंग/प्रारूप का विवरण
1	ए.पी.एल योजना	कवर पृष्ठ का–आधा पृष्ठ (त्रिकोणात्मक) पीकोक ब्लू रंग (तकनीकी नाम ''शान'') तथा आधा पृष्ठ (त्रिकोणात्मक) सफेद रंग का होगा। अंतिम पृष्ठ पूरा सफेद रंग का होगा।
2	बी.पी.एल योजना	कवर पृष्ठ का आधा पृष्ठ (त्रिकोणात्मक) गुलाबी रंग (तकनीकी नाम 'मेजेन्टा') का तथा आधा पृष्ठ (त्रिकोणात्मक) सफेद रंग का का होगा। अंतिम पृष्ठ पूरा सफेद रंग का होगा।
3	अन्त्योदय अन्न योजना	कवर पृष्ठ का आधा पृष्ठ (त्रिकोणात्मक) पीले रंग (तकनीकी नाम ''नीम्बू पीला'') का तथा आधा पृष्ठ (त्रिकोणात्मक) सफेद रंग का का होगा। अंतिम पृष्ठ पूरा सफेद रंग का होगा।

4	स्टेट बीपीएल	कवर पृष्ठ का आधा पृष्ठ (त्रिकोणात्मक) गहरा हरा रंग (तकनीकी नाम ''मूगियां हरा'') का तथा आधा पृष्ठ (त्रिकोणात्मक) सफेद रंग का होगा। अंतिम पृष्ठ पूरा सफेद रंग का होगा।
5	अन्नपूर्णा योजना अधिकारिता कार्ड	(पूर्वानुसार) गुलाबी
1	आवेदन हेतु शुल्क	राज्य सरकार द्वारा निर्धारित
2	आवेदन पत्र के साथ क्या सूचनायें चाहिये ?	1. नवीन राशनकार्ड हेतु पूर्व के राशनकार्ड के निस्तीकरण बाबत जिला मुख्यालय पर जिला रसद अधिकारी, नगरपालिका में अधिशाषी अधिकारी तथा ग्राम पंचायत हेतु विकास अधिकारी द्वारा जारी मूल समर्पण प्रमाण पत्र 2. नवीन राशन कार्ड हेतु निवास बाबत प्रमाण पत्र यथा बिजली/पानी बिल/ नवीनतम टेलीफोन बिल/ वोटर पहचान पत्र, पासपोर्ट/ड्राईविंग लाईसेंस एवं विवाह पंजीकरण की प्रमाणित फोटो प्रति। किरायेदार की स्थिति में किरायेनामा की प्रति 3. पत्नी का नाम दर्ज कराने हेतु पिता के राशनकार्ड से नाम कम कराने, का प्रमाण मय विवाह पंजीकरण की प्रमाणित फोटो। 4. बच्चे का नाम दर्ज कराने हेतु नगर निगम /नगरपालिका/ग्राम पंचायत से जारी जन्म प्रमाण–पत्र की फोटो प्रति। 5. मुखिया के दो पासपोर्ट साईज फोटो, एक फोटो निर्धारित स्थान पर चिपकावें, सत्यापित करावें तथा दूसरा संलग्न करें। 6. स्थानीय संरपच अथवा पटवारी व स्थानीय पार्षद द्वारा जारी निवास प्रमाण–पत्र की प्रतिलिपि।
3	कार्ड की अवधि	पांच वर्ष

योजनावार राशन कार्डो की उपभोक्ता से वसूल की जाने वाली राशि का विवरण

क्र सं	योजना का नाम	निर्धारित कीमत मय आवेदन पत्र
1	ए.पी.एल योजना	5/– रू प्रति कार्ड
2	बी.पी.एल योजना	5/– रू प्रति कार्ड
3	अन्त्योदय अन्न योजना	3/– रू प्रति कार्ड
4	आवेदन फार्म–प्रपत्र 'अ'	1/–रू प्रति फार्म
5	डुप्लीकेट	10/–रूप प्रति कार्ड

अस्थाई राशन कार्ड

राज्य के बाहर से आकर निवास करने वाले व्यक्तियों को उनके स्थानान्तरण आदेश या अन्य साक्ष्य प्रस्तुत करने पर 24 घन्टे में तीन माह की अवधि के लिए अस्थाई राशन कार्ड जारी किया जायेगा।

निवास बदलने पर क्या करें ?

राशन कार्डधारी निवास स्थान छोडने पर दो माह की अवधि में कार्ड जमा कराकर नये स्थान के लिए समर्पण प्रमाण–पत्र प्राप्त करें।

राशन कार्ड में परिवर्तन की प्रक्रिया

क्र सं	वितरण	किसे आवेदन करें	क्या प्रक्रिया होगी (वांछित प्रमाण क्या चाहिएं)
1	दुकान/पते में परिवर्तन	प्राधिकृत अधिकारी	निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन (निवास का प्रमाण)
2	राशन कार्ड का समर्पण	प्राधिकृत अधिकारी	साधारण प्रार्थना पत्र
3	यूनिट –संख्या में बदलाव	प्राधिकृत अधिकारी	आवेदन (परिवर्तन का कारण कोई प्रमाण जैसे शादी कार्ड/निमंत्रण पत्र/ नियुक्ति पत्र/ स्थानान्तरण पत्र / जन्म / मृत्यु/विवाह पंजीकरण

राशन कार्ड किस कार्य में कितना समय ?

क्र सं	कार्य विवरण	समय सीमा
1	नया राशनकार्ड बनाना	सम्पूर्ण आवश्यक दस्तावेजों सहित आवेदन प्राप्ति के 7 कार्य दिवस में।
2	राशन कार्ड में यूनिट बढाना या कम कराना	सम्पूर्ण आवश्यक दस्तावेजों सहित आवेदन प्राप्ति के दिन ही बढाया/घटाया जायेगा। भौतिक सत्यापन यदि आवश्यक होतो 7 कार्य दिवस में
3	राशनकार्ड धारक के पते में परिवर्तन यदि उसी क्षेत्र में हो	आवेदन प्राप्ति के दिन ही परिवर्तन किया जायेगा। नवीन आवास के प्रमाण प्रस्तुत करे।
4	राशनकार्ड धारक के पते में परिवर्तन यदि उ.मू.दुकान का क्षेत्र बदल रहा है।	आवेदन प्राप्ति के 7 दिवस में पूर्व उचित मूल्य दुकानदार अपने यूनिट रजिस्टर से ऐसे राशन कार्ड धारक का पंजीयन रद्द कर रिपोर्ट करेगा। उचित मूल्य दुकान परिवर्तन की स्थिति में नवीन कार्ड (पूर्व कार्ड को निरस्त) जारी किया जाएगा।
5	राशनकार्ड का समर्पण प्रमाण पत्र जारी करना	आवेदन प्राप्ति की तिथि को ही जारी किया जायेगा।
6	डुप्लीकेट राशनकार्ड बनाना	सम्पूर्ण आवश्यक दस्तावेजो सहित आवेदन प्राप्ति के 7 दिवस में।
7	शिकायत	संबंधित जिला कलक्टर को जिनका दूरभाष सं. जिला रसद अधिकारी के कार्यालय के बाहर प्रदर्शित होगा।

परिशिष्ट–3

राजस्थान में दिसम्बर 2014 को कार्यरत उचित मूल्य की दुकानों की जिलेवार स्थिति

क्र. सं.	नाम जिला	उचित मूल्य दुकानों की श्रेणीनुसार स्थिति						
		शहरी		ग्रामीण		कुल		
		सहकारी	निजी	सहकारी	निजी	सहकारी	निजी	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	अजमेर	15	409	106	615	121	1024	1145
2	अलवर	19	152	83	843	102	995	1097
3	बांसवाड़ा	2	48	76	520	78	568	646
4	बारां	10	66	21	459	31	525	555
5	बाड़मेर	2	105	206	739	208	844	1052
6	भरतपुर	9	197	50	640	59	837	896
7	भीलवाड़ा	29	112	295	414	324	526	850
8	बीकानेर	24	558	67	456	91	1014	1105
9	बून्दी	3	93	38	308	41	401	442
10	चित्तौड़गढ़	12	100	92	460	104	560	664
11	चूरू	6	220	105	551	111	771	882
12	दौसा	6	125	84	523	90	648	738
13	धौलपुर	12	48	22	357	34	405	439
14	डूँगरपूर	3	52	109	385	112	437	549
15	गंगानगर	38	198	74	391	112	589	701
16	हनुमानगढ़	33	174	37	432	70	606	676
17	जयपुर	45	715	816	234	861	949	1810
18	जैसलमेर	8	24	29	264	37	288	325
19	जालौर	4	56	121	439	125	495	620
20	झालावाड़	5	88	49	460	54	548	602
21	झुन्झनू	4	154	51	575	55	739	784
22	जोधपुर	207	254	254	637	461	891	1352
23	करौली	5	73	77	403	82	476	558
24	कोटा	34	296	64	254	98	550	648
25	नागौर	6	204	88	939	94	1143	1237
26	पाली	7	155	188	433	195	588	783
27	प्रतापगढ़	0	33	45	276	45	309	354
28	राजसमन्द	7	46	64	384	71	430	501
29	सीकर	2	237	75	586	77	823	900
30	सीरोही	2	61	51	308	53	369	422
31	सवाई माधोपुर	2	96	24	450	26	546	572
32	टोंक	1	108	43	406	44	514	558
33	उदयपुर	29	173	186	794	215	967	1182
	योग	591	5430	3690	15935	4281	21365	25646

परिशिष्ट–4

योजनावार लाभार्थियों/परिवारों का जिलेवार विवरण

क्र. सं.	नाम जिला	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थियों की यूनिट्स (अंत्योदय सहित)			अंत्योदय परिवार
		शहरी	ग्रामीण	योग	
1.	अजमेर	1085974	451422	1537398	28483
2.	अलवर	2569107	327163	2898270	32424
3.	बांसवाड़ा	1426177	81686	1507863	61577
4.	बारां	1145763	179586	1325349	42327
5.	बाड़मेर	2289437	49436	2318873	32392
6.	भरतपुर	1447170	286477	1733647	20194
7.	भीलवाड़ा	1055204	221692	1726896	43099
8.	बीकानेर	1414040	451162	1865202	23625
9.	बून्दी	806957	130781	937738	18851
10.	चित्तौड़गढ़	1107132	154813	1261945	50901
11.	चूरू	1073744	330388	1404132	30000
12.	दौसा	1488595	82705	1571300	16872
13.	धौलपुर	1011743	94387	1106130	13740
14.	डूँगरपुर	1445140	56602	1501742	52426
15.	श्री गंगानगर	1079681	337750	144431	17566
16.	हनुमानगढ़	1222789	311320	1534109	18031
17.	जयपुर	2918212	1054792	3973004	27661
18.	जैसलमेर	404134	59303	463437	8075
19.	जालौर	1262484	99547	1362011	32936
20.	झालावाड़	1284908	101542	1383450	23062
21.	झूँझनू	579258	161016	740274	12314
22.	जोधपुर	1799335	634499	2433834	15695
23.	करौली	1243617	80843	1324460	26051
24.	कोटा	620876	630525	1260401	18299
25.	नागौर	2575876	364232	2940108	24398
26.	पाली	1436474	199337	1635811	26746
27.	प्रतापगढ़	885134	40425	925559	25774
28.	राजसमन्द	908564	64185	972749	28360
29.	सीकर	1605893	309623	1915516	13639
30.	सिरोही	720837	98747	819584	15128
31.	सवाईमाधोपुर	1092491	60177	1152668	21975
32.	टोंक	1015278	138389	1153667	26324
33.	उदयपुर	2789307	213757	3003064	84956
	योग	**45247311**	**7858311**	**63105622**	**932101**

परिशिष्ट 5

अनुसूची

खण्ड अ

पी. डी. एस. से सम्बनधित सामान्य सूचनाऐं

(General Information Related to P.D.S.)

1. नाम ——————————

2. लिंग —————————— ( )

[पुरूष के लिए (1), महिला के लिए (2)]

3. पचांयत समिति ——————————————

4. ग्राम पचांयत ——————————————

5. जाति– ( )

[अनूसूची जाति–(1), अनूसूचित जनजाति–(2), अन्य पिछडा वर्ग–(3), विशेष पिछडा वर्ग–(4), सामान्य–(5)]

6. आप/आपका परिवार किस श्रेणी के परिवार के अन्तर्गत आता है?

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम	(1)	
बी. पी. एल	(2)	
राज्य बी. पी. एल.	(3)	
ए.पी. एल.	(4)	
अन्त्योदय	(5)	
अन्नपूर्णा	(6)	
पेंशनधारी	(7)	( )

7. आयु

6 वर्ष से 18 वर्ष तक	(1)	
18 वर्ष से 60 वर्ष तक	(2)	
60 वर्ष से 80 वर्षतक	(3)	
80 से अधिक	(4)	( )

8. शिक्षा का स्तर

प्राथमिक स्तर (1–5 कक्षा)	(1)	
उच्च प्राथमिक स्तर (6–8 कक्षा)	(2)	
माध्यमिक स्तर (9–10 कक्षा)	(3)	
उच्च माध्यमिक स्तर (11–12 कला)	(4)	
उच्च स्तरीय (12 कक्षा के पश्चात्)	(5)	
अन्य व्यवसायिक डिग्री	(6)	( )

राशन कार्ड सम्बन्धी जानकारी–

1. क्या आपके/आपके परिवार के पास राशनकार्ड है?

[हाँ–(1), नही–(2)] ( )

2. आपका/आपके परिवार द्वारा कितने राशनकार्ड का उपयोग किया जाता है?

केवल एक	(1)	
कई (समान प्रकार के)	(2)	
कई (अलग–अलग प्रकार के)	(3)	( )

3. आपके/आपके परिवार का कौनसा/कौन से राशनकार्ड जारी किए गए है?

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम	(1)	
बी. पी. एल.	(2)	
राज्य बी. पी. एल.	(3)	
ए.पी. एल.	(4)	
अन्त्योदय अन्नपूर्णा	(5)	
अन्य	(6)	( )

4. आपने राशनकार्ड बनवाने में किस माध्यम का उपयोग किया?

ऑनलाईन	(1)	
ऑफलाईन (कार्यालय जाकर)	(2)	
ईमित्र	(3)	
एजेन्ट (अतिरिक्त राशि देकर)	(4)	( )

5. आवेदन के पश्चात् आपको राशनकार्ड कितने समय के पश्चात् प्राप्त हुआ?

7 दिवस (निर्धारित) के भीतर	(1)	
15 दिवस के भीतर	(2)	
1 माह के भीतर	(3)	
6 माह के भीतर	(4)	
1 साल के भीतर	(5)	
2 साल के भीतर	(6)	
2 साल के पश्चात्	(7)	( )

खण्ड– ब

आधारभूत संरचना एवं संसाधन

(Infrastructures & Resources)

आधारभूत संरचना–

आधारभूत संरचना (Infrastructure) से संबंधित निम्न व्यवस्थाओं की उपलब्धता (Availability) एवं उससे आपकी सन्तुष्टता (Satisfaction) को पाँच पॉइन्ट स्केल पर दर्शाइये–

उपलब्धता के लिए–

1	2	3	4	5
कभी नही	बहुत कम	कभी–कभी	अधिंकाश	हमेशा

सन्तुष्टता के लिए–

1	2	3	4	5
निम्नत्तम	निम्नस्तरीय	सामान्य	श्रेष्ठ	अति–श्रेष्ठ

क्र.सं.	मद	उपलब्धता	सन्तुष्टता
1.	बैठक व्यवस्था		
2.	स्टोर		
3.	सूचना बोर्ड		
4.	पॉइन्ट ऑफ सेल (PoS)		
5.	मानक माप		
6.	कैल्कुलेटर		
7.	बिल बुक		
8.	फिंगर प्रिन्ट रिडर		

संसाधन (Resources)–

राशन की दुकान में निम्न सामग्री की पर्याप्तता एवं गुणवत्ता के प्रति आप के दृष्टिकोण को पाँच पाँइट स्केल पर दर्शाइये (सामग्री की पर्याप्तता अथवा अपर्याप्तता प्रति परिवार उपलब्ध सामग्री के परिपेक्ष्य में निर्धारित की जाए)

1	2	3	4	5
बिल्कुल नहीं	अपर्याप्तता	पर्याप्त	अधिक	अत्यधिक
निम्नत्तम	निम्न स्तरीय	सामान्य	श्रेष्ठ	अतिश्रेष्ठ

क्र.सं.	समग्री	पर्याप्तता	गुणवत्ता
1.	गेहूँ		
2.	चीनी		
3.	केरोसीन		
4.	चावल		
5.	आटा		
6.	फोर्टीफाइड आटा		
7.	दाल		

खण्ड– स

प्रंबधन (Management)

1. स्थानीय पीडीएस आउटलेट कहॉ उपस्थित है?

   ग्राम पचांयत कार्यालय (1)

   किराए के स्थान पर (2)

   निजी भवन (3)

   जिला रसद कार्यालय द्वारा निर्मित भवन (4)

   अन्य (कृपया नाम बताईये) (5) ( )

2. स्थानीय PDS आउटलेट का संचालन कौन करता है?

   महिला समूह (Women Group) (1)

   सहकारी समिति (Co-operative Society) (2)

   ग्राम पचांयत (Gram Panchayat) (3)

   स्वंय सहायता समूह (Self-help Group) (4)

   निजी डीलर (Private Dealer) (5)

   अन्य (Other) (6) ( )

3. क्या PDS आउटलेट में वेतनभोगी प्रबधक और कर्मचारी कार्य करते है?

   हाँ (1)

   नहीं (2)

   पता नहीं (3) ( )

4. क्या PDS आउटलेट अपने निर्धारित समय पर खुलती है इसे पाँच पॉइन्ट स्केल पर दर्शाइये– ( )

1	2	3	4	5
कभी नही	बहुत कम	कभी–कभी	अधिंकाश	हमेशा

5. क्या PDS आउटलेट निर्धारित दिवसों (उपभोक्ता दिवस) को खुलती है इसे पाँच पॉइन्ट स्केल पर दर्शाइये–

1	2	3	4	5
कभी नही	बहुत कम	कभी–कभी	अधिंकाश	हमेशा

6. क्या PDS आउटलेट के सूचना बोर्ड (Information Board) पर निम्नलिखित सूचनाऐं अकिंत की जाती है? [हॉ–(1), या नही–(2)]

- खुलने का दिन और समय ( )
- डीलर का संपर्क नम्बर ( )
- हेल्पलाइन शिकायत नम्बर ( )
- अनाज का स्टॉक ( )
- राशनकार्ड की खाद्य पात्रता ( )
  (मूल्य और मात्रा)

7. डीलर के व्यवहार के सम्बन्ध में आपका क्या मत है? ( )

1	2	3	4	5
निम्न	अच्छा	सामान्य	श्रेष्ठ	सर्वोत्तम

8. स्टॉफ के व्यवहार/सहयोग के बारे में आपका क्या मत है? ( )

1	2	3	4	5
निम्न स्तरीय	अच्छा/मध्यम	बहुत अच्छा	श्रेष्ठ	सर्वश्रेष्ठ/उत्कर्ष

9. क्या खाद्य सामग्री के वितरण में डीलरो द्वारा मानक–माप का प्रयोग किया जाता है? पाँच पॉइन्ट स्केल पर बताइए–

1	2	3	4	5
कभी नही	बहुत कम	कभी–कभी	अधिंकाश	हमेशा

10. राशनकार्ड या PDS आउटलेट से सम्बन्धित किसी भी अव्यवस्था को पॉच पाइन्ट स्केल पर दर्शाइए–

1	2	3	4	5
कभी नही	बहुत कम	कभी–कभी	अधिंकाश	हमेशा

- गैर कानूनी आउटलेट ( )
- रजिस्टर में गलत प्रविष्टियाँ करना ( )
- रजिस्टर मे प्रविष्टियों को गायब करना ( )
- प्रविष्टियों का अतिव्यापन ( )
- झूठे राशनकार्ड ( )
- मानक माप में गडबडी ( )
- अन्य (कृपया बताइए) ( )

खण्ड– द

योजनाऐं एंव अन्य सूचनाऐं

(Plan and Other Information)

1. योजनाओं के सम्बन्ध में आपका क्या मत है स्पष्ट कीजिए–

क्र.सं.	योजना का नाम	जानकारी [हॉ–1, नही–2]	यदि लाभानवित हुए [हॉ–1, नही–2]	प्रासंगिकता [हॉ–1, नही–2]
1.	सार्वजनिक वितरण प्रणाली			
2.	अत्योदय अन्न योजना			
3.	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम			
4.	अन्नपूर्णा योजना			
5.	माध्यान्ह भोजन कार्यक्रम			
6.	पहल योजना			
7.	मुख्यमंत्री अन्न सुरक्षा योजना			
8.	राशन टिकिट योजना			
9.	फूड स्टाम्प योजना			
10.	शुद्ध के लिए युद्ध अभियान			
11.	गैर पी.डी.एस. वस्तुओं का वितरण			
12.	अन्नपूर्णा भण्डार योजना			
13.	आस्था योजना			

2. आपको/आपके परिवार को डीलरो द्वारा मासिक रूप से वितरित खाद्य सामग्री (मात्रा व मूल्य) के बारे बताइए–

क्र. सं.	सामग्री	मात्रा (kg/litre)	मूल्य (Rs)
1.	गेहूँ		
2.	चावल		
3.	चीनी		
4	दाल		
5	केरोसिन		
6	तेल		
7	आटा		
8	फोर्टीफाइड आटा		
9	अन्य नाम बताइए		

3. सार्वजनिक वितरण प्रणाली के खाद्य सुरक्षा पर प्रभाव को पॉच पॉइन्ट स्केल पर बताइए– ( )

1	2	3	4	5
बुरा	मध्यम	अच्छा	सन्तुष्ट	अतिसन्तुष्ट

4. PDS आउटलेट के समग्र प्रबन्ध के सम्बन्ध में आपकी क्या राय है?

_____

_____

_____

5. आपके दृष्टिकोण में उचित मूल्य की दुकानों की मुख्य समस्याएँ क्या है?

_____

_____

_____

6. PDS में सुधार के लिए आप क्या सुझाव देगें?

_____

_____

_____

परिशिष्ट क्रमांक–6

उचित मूल्य की दुकान पर प्रदर्शन के लिए सूचना

प्रत्येक माह की 15 से 21 तारीख तक उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जावेगा। जिसमें प्रातः 9.00 बजे से लेकर रात्रि 6.00 बजे तक दुकान आवश्यक रूप से खुलेंगी इसमें 1 बजे से लेकर 3 बजे तक का भोजन अवकाश रहेगा व इस अवधि में साप्ताहिक अवकाश नही रहेगा।

1. अन्य ब्योरें के साथ उचित मूल्य की दुकान का प्राधिकार पत्र सं–
2. उचित मूल्य की दुकान के मालिक का नाम
3. उचित मूल्य की दुकान के साथ संबद्ध विशेष राशन कार्डो की (कुल संख्या) बी. पी.एल, अन्त्योदय, अन्नपूर्णा एवं ए.पी.एल संख्या का प्रदर्शन नाम, चयनित क्रमांक सहित सूचियां।
4. सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जिन्सों के ब्योरें

क्र स	जिन्स का नाम	अवशेष स्टॉक	दर प्रति किलोग्राम	कार्ड/यूनिट पात्रता	इतिशेष स्टॉक (उचित मूल्य की दुकान बंद होने के समय)	मासिक आवंटन
1	2	3	4	5	6	7
1	चावल					
2	गेहूँ					
3	चीनी					
4	केरोसीन					
5	गेंहूँ आटा					
6	छाल					
7	खाद्य तेल					

(1) स्थानीय एजेंसी का नाम.....
पता और टेलीफोन नम्बर.....(यदि कोई हो)
जिसे शिकायत की जा सकती है.....
(अर्थात सतर्कता समिति, ...
स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठन .....
स्थानीय निकाय/पंचायत के सदस्यों के).....

(2) राज्य सरकार के अधिकृत अधिकारी का नाम पता और टेलीफोन नं.....

परिशिष्ट क्रंमाक–7

सतर्कता समितियाँ

	समिति का स्तर एवं कार्य	कौन सदस्य होंगे ? (गैर सरकारी सदस्य मनोनयन द्वारा)
1	**दुकान स्तर पर** ➢ शहरी क्षेत्र के लिए (मुख्यकार्यः–वितरण व्यवस्था, दुकान संचालन पर नजर एवं वितरण के पश्चातप्रमाणीकरण)	1. वार्ड पार्षद– अध्यक्ष 2. सामाजिक कार्यकर्त्ता (दो) सदस्य 3. उपभोक्ता –(एक) सदस्य 4. स्थानीय सेवा निवृत अधिकारी / कर्मचारी –सदस्य 2, 3, व 4 का मनोनयन जिला मुख्यालय पर जिला कलेक्टर एवं अन्य स्तर पर उपखण्ड अधिकारी द्वारा किया जावेगा।
	➢ **ग्रामीण क्षेत्र के लिए** (मुख्यकार्यः– वितरण व्यवस्था, दुकान संचालन पर नजर एवं वितरण के पश्चातप्रमाणीकरण)	1. सरपंच –अध्यक्ष 2. उपभोक्ता–(एक) सदस्य 3. संबंधित विद्यालय का प्रधानाध्यापक / अध्यापक–सदस्य 4. स्थानीय सेवानिवृत अधिकारी / कर्मचारी –सदस्य 5. उपभोक्ता / कार्यकर्त्ता सामाजिक संगठन – सदस्य 6. पंच–सदस्य 2, 4 ,5 ,व 6, का मनोनयन संबंधित उपखण्ड अधिकारी द्वारा किया जावेगा।
2	**तहसील स्तर पर** (मुख्यकार्यः– तहसील स्तर पर वितरण व्यवस्था, आवंटन पर नजर एवं दुकान स्तरीय सतर्कता समिति के कार्यो की समीक्षा)	1. प्रधान पंचायत समिति– अध्यक्ष 2. उपखण्डअधिकारी / तहसीलदार– उपाध्यक्ष (उपखण्ड मुख्यालय वाली तहसीलों में उपाध्यक्ष संबंधित उपखण्ड अधिकारी होंगेएवं तहसीलदार सदस्य होंगे) 3. स्थानीय निकाय (नगरपालिका सदस्य) (दो)–सदस्य(अध्यक्ष स्थानीय निकाय द्वारा

		मनोनीत) 4. पंचायत समिति सदस्य (दो)–सदस्य (प्रधान द्वारा मनोनीत) 5. स्थानीय विधायक– सदस्य 6. विकास अधिकारी, पंचायत समिति– सदस्य 7. उपभोक्ता (दो)–सदस्य (मनोनयन द्वारा) 8. सामाजिक/उपभोक्ता संगठन के सदस्य (दो) (मनोनयन द्वारा)– सदस्य 9. संबंधित प्रवर्तन अधिकारी/प्रवर्तन निरीक्षक –सदस्य सचिव
3.	**जिला स्तर पर** (मुख्य कार्य–जिला स्तर पर सम्पूर्ण कार्य प्रणाली की प्रभावी क्रियान्विति)	1. जिला कलक्टर –अध्यक्ष 2. जिले के समस्त सांसद– सदस्य 3. जिले के समस्त विधायक –सदस्य 4. जिला प्रमुख – सदस्य 5. जिले के समस्त प्रधान (पंचायत समिति) –सदस्य 6. जिले की समस्त नगरपालिकाओं/ परिषदों /निगमों के अध्यक्ष / प्रशासक – सदस्य 7. उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार– सदस्य 8. उपभोक्ता संगठनों के प्रतिनिधि (दो) – सदस्य (कलक्टर द्वारा मनोनीत 9. जिला रसद अधिकारी–सदस्य सचिव
4.	**राज्य स्तर पर** (मुख्यकार्यः–सम्पूर्ण व्यवस्था व कार्य प्रणाली की अवधि समीक्षा, प्राप्त शिकायतों के निस्तारण के लिए प्रभावी व्यवस्था एवं क्रियाकलाप।	1. खाद्य मंत्री –अध्यक्ष 2. मुख्य सचिव – सदस्य 3. खाद्य सचिव – सदस्य 4. संसद सदस्य/विधायक (पांच) 5. सदस्य उपभोक्ता संगठन (तीन)– 6. सदस्य युवा/महिला/संगठन (दो)– सदस्य 7. अन्य संबद्ध अधिकारी– (क) खाद्य निगम प्रबंधक (ख) तेल कंपनियों का प्रतिनिधि (ग) कॉनफेड/ राजफेड प्रशासन–सदस्य 8. अतिरिक्त खाद्य आयुक्त– सदस्य सचिव

शोध प्ररचना

(Research Design)

परिचय (Introduction):

खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भरता किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए प्राथमिक आवश्यकता मानी गई है इसलिए भारतवर्ष में खाद्य उत्पादन को सर्वाधिक प्रद्यानता दी गई हैं। उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारंभ तक देश खाद्यान्न उत्पादन में आत्म निर्भर था परन्तु देश में समय–समय पर अकाल के कारण खाद्यान्नों की कमी महसूस होती रही, वर्ष 1860 के पश्चात खाद्यान्नों की विशेष कमी महसूस हुई[1]। अभी भी देश की लगभग 22 प्रतिशत जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे रहते हुए पर्याप्त भोजन से वंचित है। अतः राष्ट्र के सामने अपनी जनता का भरण–पोषण हेतु खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करना एक बडी चुनौती बनी हुई है। गरीबी उन्मूलन योजना लागू होने एवं आजादी के छ: दशक बीत जाने के बाद भी भारत को खाद्य समस्या से आजादी नहीं मिली। अतः देश में खाद्य समस्या का गंभीरता से अध्ययन करने के लिए खाद्य सुरक्षा का अध्ययन करना आवश्यक है। खाद्य सुरक्षा से तात्पर्य पहले जँहा पेट भर रोटी उपलब्ध कराने से होता था वही आज खाद्य सुरक्षा से आशय भौतिक, आर्थिक और सामाजिक स्थितियों की पहुँच के अलावा संतुलित आहार, साफ पीने का पानी, स्वच्छ वातावरण एवं स्वास्थ रखरखाव तक जा पहुँचा है। खा्ध एवं कृषि संगठन (एफ.ए.ओ.) के अनुसार, खाद्य सुरक्षा मुख्यतः तीन बिन्दुओ पर आधारित है पहला पर्याप्त खाधान्न आपूर्ति हेतु पर्याप्त उत्पादन को सुनिश्चित करना, दूसरा आपूर्ति के प्रवाह में स्थिरता को बेहतर बनाए रखना तथा तीसरा जरूरतमन्द लोगो को उनकी आवश्यकता अनुसार खाद्यान्नों की उपलब्धता सुनिश्चित करना[2]। परन्तु उपभोक्ताओं को उपलब्ध खाद्यान्नों में आवश्यक भोजन तत्व (कैलोरी, प्रोटीन, विटामिन्स, इत्यादि) उपलब्ध नहीं हो पा रहे है, जिसके कारण नागरिक कुपोषण के शिकार होते है।

पिछले 40 वर्षो में भारत की खाद्य समस्या एवं कुपोषण में बुनियादी परिवर्तन हुए हैं। सरकार की मुख्य चिंता यह रही थी की खाद्यान्नों के संभरण को या तो उत्पादन में वृद्धि द्वारा या आयात में वृद्धि द्वारा या दोनों का प्रयोग करके बढ़ाया जायें। इसके लिए सरकार ने पूंजी की मात्रा को बढ़ाकर उत्पादन तकनीक में परिवर्तन किए, जिससे उत्पादकता के स्तर को ऊँचा उठाया जा सके। जिससे तृतीय पंचवर्षीय योजना के पश्चात कृषि प्रणाली में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। इन परिवर्तनों में कृषि में नये यंत्रों का उपयोग, श्रेष्ठ बीजों का प्रयोग, रसायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशक दवाईयों का व्यापक स्तर पर उपयोग शामिल था, जिसे हरित क्रांति की संज्ञा दी गई। इसके साथ–साथ सरकार ने खाद्य आपूर्ति को पूरा करने के लिए समय–समय पर कई योजनाओं एवं कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जैसेः अन्नपूर्णा योजना, अन्त्योदय अन्न योजना, राशन टिकट योजना, फूड स्टेम्प योजना इत्यादि जिससे गरीबों, अनुसूचित जाति, जनजाति व पिछड़े वर्ग के लोगों को आवश्यक वस्तु सस्ते दाम पर उपलब्ध हो सके।

आवश्यक वस्तुओं को उचित मूल्य पर वितरित करने के लिए सरकार ने कई कानून और अधिनियम भी प्रस्तुत किए हैं–जैसे आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1956, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986, भारतीय मानक ब्यूरों अधिनियम 1986, इत्यादि। इसके अतिरिक्त इन्हें संवैधानिक दृष्टि से भी संरक्षण प्रदान किया, इसलिए खाद्य सुरक्षा, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित अधिकारों एवं नीति निर्देशक तत्वों का संविधान में वर्णन किया गया हैं। खाद्य सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (National Food Security Act,2013) भी लाया गया। खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत देश की दो तिहाई आबादी को सस्ता अनाज मिला। ग्रामीण क्षेत्रों में इस अधिनियम के दायरे में पिचहत्तर प्रतिशत (75%) आबादी आती है[3] जबकि शहरी क्षेत्र में इस के दायरे में पचास प्रतिशत (50%) आबादी आती है। सरकार ने उपभोक्ताओं को सस्ती कीमतों पर आवश्यक उपभोग स्तर की वस्तुऐं उपलब्ध कराने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली को भी प्रारंभ किया।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली (Public Distribution System) एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा तंत्र है, जो अनुदानित खाद्य को गरीबों तक पहुँचाने में मदद करता हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के द्वारा वितरित की गई वस्तुओं में गेंहूँ, चावल, चीनी, कैरोसीन इत्यादि सम्मिलित हैं। इस प्रणाली को चलाने के लिए सरकार व्यापारियों (या मिलों) तथा उत्पादकों से वसूली कीमतों पर वस्तुए खरीदती हैं। इस प्रकार जो खरीद की जाती हैं उसका वितरण उचित मूल्य की दुकानों या राशन की दुकानों के माध्यम से किया जाता हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का संपूर्ण राष्ट्र में लगभग 5,00,000 राशन की दुकानों का नेटवर्क है[4]। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को खाद्यान्न उपलब्ध कराने का काम मुख्य रुप से भारतीय खाद्य निगम (Food Corporation of India) द्वारा किया जाता हैं।

वर्ष 1995 में स्थापित FCI खाद्यान्नों व अन्य खाद्य सामग्री की खरीददारी, भण्डारण व संग्रहण, स्थानांतरण, वितरण तथा बिक्री का काम करता हैं। FCI एक ओर तो यह निश्चित करता हैं कि किसानों को उनके उत्पादन की उचित कीमत मिले (जो सरकार द्वारा वसूली/समर्थन कीमत से कम न हो) तथा दूसरी ओर यह निश्चित करता हैं कि उपभोक्ताओं को भण्डार से एक सी कीमतों पर खाद्यान्न उपलब्ध हों। उपभोक्ताओं के लिए निर्धारित कीमत **निर्गमन कीमत** (Issue Price) कहलाती हैं जिसका निर्धारण सरकार द्वारा किया जाता हैं। केन्द्र स्तर पर खाद्य एवं उपभोक्ता से संबंधित समस्याओं के निवारण के लिए उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution) बनाया गया हैं। इस मंत्रालय का प्रभार केबिनेट स्तर के मंत्री को दिया गया हैं। मंत्रालय को दो विभागों में विभक्त किया गया हैं।

1. उपभोक्ता मामले विभाग (Department of Consumer Affairs)
2. खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग (Department of Food and Public Distribution)

उपभोक्ता मामले विभाग उपभोक्ता सहकारी समितियों, मूल्य निगरानी, आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता, देश में उपभोक्ता आंदोलन तथा भारतीय मानक ब्यूरों (Bureau of Indian Standards) जैसे सांविधिक निकायों पर नियंत्रण रखता हैं। इसके अतिरिक्त यह

विभाग पैकेट में रखी वस्तुओं का विनियमन करना, बाट तथा माप के नियंत्रण हेतु नीतियाँ प्रतिपादित करना, राष्ट्रीय परीक्षण शाला द्वारा खाद्य, औषधि, भेषज और शस्त्रों व गोला बारुद को छोड़कर विज्ञान और प्रौद्योगिकी की सभी शाखाओं का छः क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं में वाणिज्यिक परीक्षण इत्यादि का काम भी करता है[5]।

खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग को देश की खाद्य अर्थव्यवस्था के प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपी गई हैं। विभाग का उद्देश्य–उचित मूल्यों पर खाद्यान्न की आपूर्ति करना, गरीबों को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू करना, आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना, देश में किसानों को उचित मूल्य प्रदान करना इत्यादि[6]। इसके अतिरिक्त विभाग भारतीय खाद्य निगम जैसे सरकारी उपक्रमों पर भी नियंत्रण रखता हैं।

इसी क्रम में राजस्थान राज्य के अंदर आवंटन, गरीबी रेखा से नीचे के परिवार की पहचान करने, राशनकार्ड जारी करने और उचित मूल्य की दुकानों के कार्यकरण का पर्यवेक्षण करने तथा उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित कार्य को संपादित करने के लिए **खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले** विभाग बनाया गया हैं। विभाग सार्वजनिक वितरण प्रणाली का प्रभावी संचालन करने, आवश्यक वस्तुओं की बाजार में उपलब्धता सुनिश्चित करने का भी काम करता हैं। आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 एवं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के क्रियान्वयन संबंधित कार्य भी विभाग द्वारा किये जाते हैं। सार्वजनिक प्रणाली के अंतर्गत खाद्यान्नों के मूल्यों में वृद्धि को नियंत्रित करने और उपभोक्ताओं के लिए खाद्यान्नों की पहुँच सुनिश्चित करने में पर्याप्त रुप से योगदान देता हैं।

राज्य सरकार ने खाद्य पदार्थों की कालाबाजारी, जमाखोरी व मिलावट एवं दुरुपयोग को रोके जाने तथा प्रभावी नियंत्रण बनाये रखने के लिए 22 जून, 2009 से शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाया गया। इसी प्रकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु वर्ष 2010–11 में **राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड** का गठन किया गया है[7]। निगम का रजिस्ट्रेशन कम्पनी एक्ट के अंतर्गत किया गया। निगम, भारत सरकार द्वारा आवंटित खाद्यान्न का भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से उठाव कर पूरे प्रदेश में उचित मूल्य की दुकानों पर आपूर्ति करता हैं।

राज्य में राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारन्टी अधिनियम, 2011 से प्रभावी हो गया। यह अधिनियम प्राप्त आवेदन पत्रों पर निर्धारित समयावधि में कार्यवाही सुनिश्चित करने की गारंटी लेता हैं। इसके साथ–साथ राज्य सरकार खाद्य आपूर्ति को पूरा करने के लिए कई केन्द्रीय शासित योजनाओं जैसेः अन्नपूर्णा योजना, अन्त्योदय योजना, मध्याह–भोजन योजना (Mid-day Meal Scheme) इत्यादि का क्रियान्वयन करता हैं। राज्य में अन्त्योदय अन्न सुरक्षा परिवारों की अनुमानित संख्या 9,32,100 है अपितु सम्पूर्ण देश में 249.998 लाख है[8]।

राज्य सरकार ने गरीबों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्ग को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए **मुख्यमंत्री अन्न सुरक्षा योजना**[9] का प्रारंभ किया जिसके अंतर्गत सस्ता आटा व सस्ती दालें उपलब्ध कराई जाती हैं जिससे की गरीबों की आर्थिक स्थिति उनके सामाजिक जीवन स्तर को बढ़ाने में बाधक न बने एवं सभी को खाद्यान्न सरलता से उपलब्ध हो सकें। इसके अतिरिक्त उपभोक्ताओं की सुरक्षा या संरक्षण के लिए उपभोक्ता कोर्ट, जिला उपभोक्ता सूचना केन्द्र, राज्य आयोग की सर्किट बैंच, उपभोक्ता निदेशालय इत्यादि का गठन किया गया हैं। राज्य भर में खाद्य सामग्री वितरण हेतु प्रत्येक माह की 15 से 21 तारीख की अवधि को **उपभोक्ता सप्ताह** मनाया जाता हैं एवं 24 दिसम्बर को उपभोक्ता दिवस मनाया जाता हैं।

इसी प्रकार संभागीय स्तर पर प्रत्येक संभाग पर संभागीय आयुक्त (मुख्यालय) बनाया गया हैं और जिला स्तर पर जिला कलेक्टर, रसद एवं जिला रसद अधिकारी नियुक्त किया गया हैं। उचित मूल्य की दुकानों के आवंटन के लिए जिला रसद अधिकारी की अध्यक्षता में उचित मूल्य दुकान आवंटन सलाहकार समिति गठित की गई हैं एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली की निगरानी के लिए सतर्कता समितियाँ गठित की गई हैं। इसके अतिरिक्त सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता एवं जवाबदेही लाने हेतु सहकारिता क्षेत्र में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं को सुलभ कराने की दृष्टि से ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक से अधिक खुदरा केन्द्र स्थापित किए हैं।

कोटा जिला राजस्थान के प्रमुख जिलों में से एक हैं तथा संभागीय मुख्यालय का भी प्रतिनिधित्व करता हैं। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के कार्यक्रमों का कोटा जिले के स्तर पर एक सूक्ष्म (Microscopic) अध्ययन कर विभाग की गतिविधियों/कार्यक्रमों की आवश्यकता, उपयोगिता एवं प्रासंगिकता का मूल्याँकन किया है। कोटा जिले में 5 पंचायत समितियों में कुल 648 उचित मूल्य की दुकाने कार्यरत है। जिसमें 330 शहरी उचित मूल्य की दुकान है और 318 ग्रामीण उचित मूल्य की दुकान है। यह सभी उचित मूल्य की दुकाने खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग के सहयोग से चल रही है। इस शोध के माध्यम से इनकी वस्तु स्थिति को उजागर किया गया है तथा उसे विभाग द्वारा सुधारने का प्रयास किया जाएगा इसी उद्देश्य से यह शोध किया गया है।

शोध का महत्व (Significance of the Study):

भारतवर्ष, एक विकासशील देश होते हुए भी, नागरिकों को उच्च आर्थिक स्तर प्रदान करने में अनेक चुनौतियों का सामना कर रहा हैं। खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर होते हुए भी खाद्य सुरक्षा स्थापित नहीं कर सका हैं। भारत की अधिकांश जनसंख्या (लगभग 60 प्रतिशत) ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता हैं और उनका जीवन स्तर काफी दयनीय हैं। व्यक्ति की आय का ज्यादातर हिस्सा खाद्य सामान खरीदने में खर्च होता हैं, इस स्थिति में दीर्घकालिक पॉलिसी खाद्य सुरक्षा लाने में पर्याप्त नहीं हैं। लोगों का आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक उत्थान होना अत्यंत आवश्यक हैं क्योंकि किसी देश का विकास तब होता है जब उसमें निवास करने वाले देशवासियों का विकास होता हैं। हमारे देश में खाद्य समस्या एक महत्वपूर्ण समस्या हैं। स्वतंत्रता से पूर्व व पश्चात और वर्तमान समय तक सरकारी व गैर सरकारी संगठनों द्वारा कई योजनायें चलाकर खाद्य–समस्या निवारण एवं नागरिक आपूर्ति के काफी प्रयास किए हैं। सरकार द्वारा केन्द्र एवं राज्य स्तर पर विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों के माध्यम से अनेक कार्यक्रम चलाये गए हैं। कृषि मंत्रालय, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, वित्त विभाग, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड इत्यादि इस दिशा में कार्यरत हैं। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग कोटा जिले में

खाद्य सुरक्षा एवं उपभोक्ता संरक्षण के लिए अपनी भूमिका निभा रहा हैं। प्रस्तुत शोध कार्य उक्त विभाग की भूमिका का विश्लेषण करता है।

इस शोध कार्य में प्रशासनिक संरचनाओं की प्रमाणिकता का ज्ञान होगा, वर्तमान संरचनाओं एवं प्रक्रियाओं में सुधार का वैज्ञानिक आधार प्राप्त होगा तथा त्रुटियों को दूर करने में मदद मिलेगी। प्रस्तुत शोध प्रयास अपनी प्रगति में एक गन्वेषणात्मक शोध कार्य हैं जो कि खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं उपभोक्ता संरक्षण हेतु संचालित तथा क्रियान्वित किए जाने वाले प्रयासों एवं उनकी पृष्ठभूमि तथा इसके संरचनात्मक ढांचे का विश्लेषण करता हैं। साथ ही इस विभाग की प्रभावशीलता एवं प्रासंगिकता का विश्लेषण करने के प्रयास करता हैं जो इसे पूर्व में किये शोध प्रयासों से पृथक बनाता हैं एवं इसके महत्व को स्पष्ट करता हैं।

शोधकार्य के उद्देश्य (Objective of the Study):

प्रस्तुत शोध अध्ययन के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं–

1. खाद्य सुरक्षा, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले से संबंधित अवधारणात्मक, संवैधानिक, विधिक, प्रशासनिक एवं आर्थिक पक्ष को स्पष्ट करना।
2. खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग की संगठनात्मक एवं कार्यात्मक व्यवस्था (Structural and Functional Arrangements) का विश्लेषण करना।
3. कोटा जिले के संदर्भ में विभाग की वर्तमान प्रक्रियात्मक व्यवस्थाओं (Procedural Patterns) का विवेचन करना तथा विकेन्द्रीकरण एवं सत्ता प्रत्यायोजन की मात्रा तथा प्रशासकीय संवृत्ति (Administrative Phenomenon) का विश्लेषण करना।
4. खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग की कोटा जिले में संचालित योजनाओं/कार्यक्रमोंकी प्रासंगिकता (Relevance) एवं प्रभावशीलता (Effectiveness) ज्ञात करना।
5. कार्यक्रमों एवं योजनाओं की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति (Physical and Financial Progress) की समीक्षा करना।

6. विभाग में वर्तमान कार्यक्रमों के संबंध में सुधार हेतु सुझाव देना व भावी संभावनाओं को ज्ञात करना।
7. इस दिशा में भावी शोध का मार्ग प्रशस्त करना।

अध्ययन का क्षेत्र (Scope of the Study):

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के कार्यक्रमों का कोटा जिले के स्तर पर एक सूक्ष्म अध्ययन किया गया है। अतः इस सूक्ष्म अध्ययन हेतु अध्ययन का क्षेत्र निर्धारित किया गया है जो निम्नानुसार है-

1. अध्ययन क्षेत्र का विषय खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग है। शोध में उपभोक्ता विषयों को सम्मिलित न करते हुए केवल खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति को ही सम्मिलित किया है।
2. अध्ययन को सूक्ष्म स्तर पर केन्द्रित किया गया है। अध्ययन विषय वस्तु के तहत्,विभाग के क्षेत्राधिकार में क्रियान्वित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत् संचालित राशन की दुकानों को ही सम्मिलित किया गया है पेट्रोलपम्प, गैस ऐजेन्सी को सम्मिलित नही किया गया है।
3. अध्ययन विषय की गहनता बनाए रखने के लिए केवल कोटा जिला, जिसमें ग्रामीण और शहरी क्षेत्र आते है, को ही सम्मिलित किया गया है।
4. प्रतिदर्श में परिवार के मुखिया/वरिष्ठ महिला को ही स्थान दिया गया है।

साहित्य समीक्षा (Review of Literature):

खाध, नागरिक और उपभोक्ता मामलें विषय पर कई साहित्य लिखे गए हैपरन्तु शोध के विषय को ध्यान में रखते हुए कुछ ही साहित्य की समीक्षा की गई है।विष्मभरनाथ त्रिपाठी द्वारा रचित पुस्तक ''**समुदाय आधारित व्यवस्था और खाद्य सुरक्षा**''[10], 2012 में पच्चीस अध्यायों में विश्लेषणात्मक एवं शोधात्मक आधार पर लिखी गई पठन सामग्री उपलब्ध हैं। इस पुस्तक में कृषि, कृषि–समस्या, कृषि प्रबंध व उनमें हुए बदलाव, कृषि कीमत एवं कृषि कीमत नीति का विवरण किया गया हैं। कृषि समस्याओं से संबंधित शोध–परिणामों को भी पुस्तक में

समाविष्ट किया गया हैं। इसके अतिरिक्त पुस्तक में आदिवासी समुदाय में पाई जाने वाली खाद्य समस्या का वर्णन किया हैं।

रुद्रदत्त और के.पी.एम. सुन्दरम द्वारा रचित पुस्तक ''**भारतीय अर्थव्यवस्था**''[11],2004 में खाद्य समस्या, खाद्यान्न की कीमतों को प्रभावित करने वाले कारण, नई कृषि विकास रणनीति, 1960 के पश्चात भारतीय कृषि का आधुनिकीकरण, हरित क्रांति, हरित क्रांति के प्रभाव एवं उसके कारण आये बदलाव का मूल्यांकन किया हैं। इसमें आँकड़ों का उपयोग करते हुए पाठ्य सामग्री को तर्कसंगत, सु–सम्बद्ध एवं व्यावहारिक रुप से प्रस्तुत हैं।

डॉ. वी.सी. सिन्हा और डॉ. पुष्पा सिन्हा द्वारा रचित पुस्तक ''**भारतीय आर्थिक समस्याएँ एवं नीतियाँ**''[12],2012 में भारतीय अर्थव्यवस्था के विविध पहलुओं का विश्लेषणात्मक ढंग से अध्ययन किया हैं। इसमें लेखक ने भारत की आर्थिक समस्याओं में कृषि समस्या एवं खाद्य समस्या का भी वर्णन किया। इसमें लेखक ने उन समस्याओं से निवारण के उपाय भी बताए हैं एवं उन समस्याओं का विश्लेषण आँकड़ों एवं तथ्यों के आधार पर किया गया हैं।

डॉ.एम.एम. भट्ट द्वारा रचित पुस्तक ''**पॉवर्टी एण्ड फूड सिक्यूरिटी इन इण्डियाः प्रॉब्लम्स एण्ड पॉलिसीज**''[13],2005 (Poverty and Food Security in India:Problems and Policies), 2005 में गरीबी, गरीबी के कारणों एवं उनके उन्मूलन के उपायों का वर्णन किया हैं और इसके साथ खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता, खाद्य सुरक्षा के तरीके एवं खाद्य सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का वर्णन किया गया हैं।

आर.एन.पी. चौधरी की पुस्तक ''**उपभोक्ता संरक्षण विधि**''[14],2006 (Consumer Protection Law), 2006में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 का विस्तारित रुप से वर्णन किया हैं। अधिनियम का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं को त्वरित, कम खर्चीली एवं श्रेष्ठ समाधान वाली प्रक्रिया उपलब्ध कराना हैं तथा उपभोक्ता विवादों के निस्तारण के लिए उपभोक्ता न्यायालयों एवं अन्य प्राधिकारों की स्थापना के लिए प्रावधान करना हैं।

मिश्र–पुरी की पुस्तक ''**भारतीय अर्थव्यवस्था**''[15], 2000 में भूमि सुधार, कृषि आगत और हरित क्रांति, खेती में मशीनीकरण और उपयुक्त तकनीक का विस्तृत वर्णन किया हैं। इसमें भारतीय आयोजन की समस्याओं को व्यापक रुप से प्रस्तुत किया हैं और आयोजन के अनुभव से उपलब्ध शिक्षाओं का उल्लेख किया हैं।

पी.के.मजूमदार द्वारा रचित पुस्तक ''**लॉ ऑफ कन्ज्युमर प्रोटेक्शन इन इण्डिया**''[16], 2011 (Law of Consumer Protection in India), 2011 में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (National Consumer Disputes Redressal Commission)और राज्य स्तरीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (The State Consumer Disputes Redressal Commission) के बारे में बताया गया हैं। इसमें उपभोक्ता जागरुकता के साथ–साथ उपभोक्ता शिक्षा पर भी बल दिया हैं। इसमें लेखक ने उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के संबंध में अधिक से अधिक जानकारी उपलब्ध कराने का प्रयास किया हैं।

अरूण सागर द्वारा रचित पुस्तक ''**उपभोक्ता समझे अपने अधिकार**''[17], 2014 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद, केन्द्रीय परिषद के उद्देश्य, राज्य पार्षद के उद्देश्य, उपभोक्ता विवाद प्रतितोष अभिकरण एवं राष्ट्रीय आयोग का विस्तृत विवेचन किया गया हैं।

एम.एस. स्वामीनाथन द्वारा रचित पुस्तक ''**साईंस एण्ड सस्टेनेबल फूड सिक्यूरिटी**''[18], 2009 (Science and Sustainable Food Security), 2009 में खाद्य सुरक्षा पर बल दिया हैं। इसमें बताया है कि कृषि में उच्च विकासदर प्राप्त करने के लिए उत्पादकता में बढ़ोतरी करना आवश्यक हैं। चूँकि कृषि योग्य भूमि घटती जा रही हैं। अतः उत्पादकता वृद्धि पर जोर देना जरुरी हैं।

अफरोज आलम साहिल द्वारा रचित पुस्तक ''**सूचना का अधिकार**''[19], 2011 में सूचना के अधिकार से संबंधित जानकारी प्रस्तुत की गई हैं। इसमें विभिन्न शासकीय एवं गैर शासकीय संगठनों के प्रयासों को भी पर्याप्त स्थान प्रदान किया गया हैं।

अकलंक कुमार जैन की कृति "**खाद्य सुरक्षा और मानक**"[20], 2011 में ए.पी.एल., बी. पी.एल. और आई.पी.एल. का विस्तृत वर्णन करते हुए खाद्य सुरक्षा को समझाने का प्रयास किया। इसमें राशन कार्ड और उनके प्रकारों का भी वर्णन किया गया हैं। इसमें सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का भी विवेचन किया गया हैं।

एन.सी. सक्सेना की कृति "**हंगर, अण्डर न्यूट्रीशियन एण्ड फूड सिक्यूरिटी इन इंडिया**" 2003[21], (Hunger, Under Nutrition and Food Security in India), 2003 में खाद्य समस्या, खाद्य सुरक्षा एवं खाद्य उत्पादकता के अतिरिक्त कुपोषण और भूखमरी के कारणों पर भी प्रकाश डाला गया हैं। इसमें बताया गया हैं कि संतुलित भोजन में प्रोटीन, विटामिन, कैलोरी, कार्बोहाईड्रेट्स इत्यादि का होना आवश्यक हैं। जिससें उपभोक्ताओं को कुपोषण से बचाया जा सकता हैं। इसमे सार्वजनिक वितरण प्रणाली और उनके अंदर चल रही योजनाओं एवं कार्यक्रमों का भी विश्लेषण किया हैं।

डॉ. एस. नवकीरन की कृति "**ए स्टडी ऑन द इफैक्टिवनेस ऑफ पी.डी.एस. इन रुरल तमिलनाडु**"[22], 2004 (A Study on the Effectiveness of P.D.S. in Rural Tamilnadu), 2004में सार्वजनिक वितरण प्रणाली, उनके अन्तर्गत चलाई जाने वाली उचित मूल्य की दुकानों, समर्थन मूल्य, निर्गमन कीमत, राशन कार्ड एवं गरीबी रेखा का वर्णन किया गया हैं। इसमें बताया गया है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली का समयबद्ध तरीके से संचालन करने के लिए कम्प्यूटरीकरण तकनीक का उपयोग किया गया हैं।

महाश्वेता देवी वर्मा और अरुण कुमार त्रिपाठी द्वारा रचित पुस्तक "**खाद्य संकट की चुनौती**"[23], 2009 में भूमंडलीकरण और उदारीकरण की जनविरोधी नीतियों के बारे में बताया हैं। इसमें अमेरिका और यूरोप से लेकर चीन और भारत समेत पूरी दुनिया में इसका असर पड़ा हैं। इसमें बताया गया हैं कि जहाँ एक तरफ बहुराष्ट्रीय कम्पनीयों का खाद्य व्यापार हैं तो दूसरी तरफ राष्ट्रीय सरकारों की कल्याणकारी योजनाएँ हैं जिससे खाद्य सुरक्षा में कोई पर्याप्त सुधार नहीं हो रहे हैं। इसमें भोजन के अधिकार पर भी चर्चा की गई हैं।

उमेश चौहान द्वारा रचित पुस्तक ''**भारत में खाद्य सुरक्षा एंव कृषि**''[24], 2014 में हरित क्रांति, खाद्य सुरक्षा तंत्र, कृषि, कृषि–विपणन, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कृषि, योजनाओं में कृषि–विकास की व्यवस्था, कृषि प्रगति की समीक्षा, खाद्य–समस्या का स्वरुप, खाद्य समस्या के दुष्परिणाम पर चर्चा की हैं। इसके अतिरिक्त इसमें अन्न की आवश्यकता और कमी, सरकार की खाद्य–नीति, सरकारी नीति की भी समीक्षा की हैं। इसमें बताया है कि खाद्य समस्या से आर्थिक विकास एवं लोगों के स्वास्थ्य एवं कार्यक्षमता को गहरी ठेस लगी हैं। इसलिए खाद्य–समस्या के स्थायी हल के लिए उन कारणों की समुचित जानकारी आवश्यक हैं जिसके प्रभाव से देश में इस समस्या का उदय हुआ हैं।

आभा मित्तल की पुस्तक ''**सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं ग्रामीण निर्धनता**''[25], 2012 में सार्वजनिक वितरण प्रणाली उद्‌गम, उद्देश्य, राशन कार्ड, अन्नपूर्णा योजना, अन्त्योदय अन्न योजना, मिड डे मील योजना, गेंहूँ आधारित पोषाहार कार्यक्रम, इमरजेंसी फीडिंग कार्यक्रम, ग्रामीण अनाज बैंक कार्यक्रम, काम के बदले अनाज का राष्ट्रीय कार्यक्रम इत्यादि पर चर्चा की हैं। इसमें बताया है सार्वजनिक वितरण प्रणाली केन्द्र एवं राज्य सरकारों का प्रमुख दायित्व हैं।

अनिल कुमार ठाकुर की पुस्तक ''**पब्लिक डिस्ट्रिब्युशन सिस्टम इन इण्डिया**''[26], 2011 (Public Distribution System in India) में खाद्य समस्या, खाद्य समस्या के कारण और उनके निवारण, योजनाओं, सरकार की नीति, हरित क्रांति का उल्लेख किया हैं। इसमें बताया है कि पिछले 40 वर्षों में भारत की खाद्य समस्या में बुनियादी परिवर्तन हुए हैं। स्वतंत्रता के समय, भारत की खाद्य–समस्या अनाज की कमी की समस्या थी–विशेषकर चावल और गेंहूँ की समस्या।

एस. के. मिश्रा की पुस्तक ''**फूड प्रोब्लम, फूड पॉलिसी एण्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम**''[27], 2010 में खाद्य समस्या, सरकार की नीतियों, कृषि में वित्त की आवश्यकता, कृषि ऋण के स्त्रोत, कृषि–वित्त प्रणाली में सुधार, ग्राम–ऋण ग्रस्तता की समस्या, ऋणग्रस्तता के कारण, ऋणग्रस्तता के परिणाम, ऋणग्रस्तता को दूर करने के उपायों पर बल दिया हैं। इसमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली और उनके प्रभावों का भी उल्लेख किया हैं।

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के उपभोक्ता मामले विभाग की ''**वार्षिक रिपोर्ट**''[28] (2014-15) में वायदा बाजार आयोग, भारतीय मानक ब्यूरों, राष्ट्रीय परीक्षण शाला, आवश्यक वस्तु विनिमय से संबंधित जानकारी दी गई हैं। इसमें आँकड़ों का उपयोग करते हुए इसे तर्कसंगत, सु–सम्बद्ध एवं व्यावहारिक रुप से प्रस्तुत किया हैं। इसमें बाट और माप का भी विस्तृत विवेचन किया गया हैं। इसमें मंत्रालय के कार्य एवं संगठनात्मक ढांचे का भी वर्णन किया गया हैं। अध्ययन के माध्यम से स्पष्ट होता है कि सरकार ने खाद्य सुरक्षा, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण के लिए कई मजबूत कदम उठाये हैं जैसे चल–प्रयोगशाला, हॉलमार्किंग, सूचना का अधिकार देना, कम्प्यूटरीकरण करना, राष्ट्रीय परीक्षणशाला की स्थापना इत्यादि[29]।

रमेश सिंह के द्वारा रचित पुस्तक ''**भारतीय अर्थव्यवस्था**''[30]**,** 2015 में भारतीय कृषि से संबंधित विभिन्न पहलुओं जैसे विकास की प्रक्रिया में कृषि का स्थान, योजनावधि में कृषि विकास, भूमि का उपयोग, खेती की परम्परागत और आधुनिक रीतियों, भूमि सुधार कार्यक्रमों, विपणन और साख की समस्याओं आदि पर भी काफी विस्तार के साथ लिखा गया हैं। परंतु भारतीय कृषि से बुनियादी प्रश्न यह है कि महज तकनीकी उपायों से कृषि विकास कहाँ तक संभव हैं। इसमें भारत सरकार की खाद्य नीति, खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि की दिशा में प्रयास एवं खाद्यान्नों के वितरण से संबंधित उपाय बताये हैं।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग के ''**प्रगति प्रतिवेदन**''[31]**,** (2014-15) में राजस्थान राज्य के विकास उनके कार्य का उल्लेख किया गया हैं। इसमें बताया गया हैं कि वर्ष 1987 से खाद्य, नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित कार्य भी संपादित किए जा रहे हैं। इसमें बताया गया कि विभाग द्वारा राज्य के 18. 27 लाख बी.पी.एल., 11.24 लाख स्टेट बी.पी.एल. तथा 9.32 लाख अन्त्योदय परिवारों सहित कुल 38.83 लाख परिवारों को खाद्य सुरक्षा प्रदान की जा रही हैं। इस पर लगभग 350 करोड़ रुपये का खर्च वहन किया जा रहा हैं।

इसी प्रकार संघीय सरकार के स्तर पर भी समय–समय पर अनेक प्रतिवेदन, दस्तावेज एवं समितियों की अनुशंसाए प्रकट की गई हैं। अध्ययन विषय से संबंधित विभिन्न

पक्ष जैसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोण से शोध प्रबंध लिखे गए हैं। उपभोक्ता मामलों पर विधिक दृष्टिकोण से विचार किया गया हैं। उक्त अध्ययन इस विषयों को समेटते हुए इनके प्रशासनिक पक्ष पर विचार करता हैं। प्रशासनिक दृष्टि से इसका अध्ययन ही इन समस्याओं की प्रभावशीलता को निर्धारित कर सकता हैं।

शोध प्रविधि (Research Methodology):

शोध प्रविधि एक क्रमबद्ध प्रक्रिया है जिसके अन्तर्गत समस्या पहचान से लेकर उसके अन्तिम निष्कर्ष तक के पद सन्निहित है। प्रस्तावित शोध अध्ययन में तथ्यों के संकलन हेतु प्राथमिक एवं द्वितीयक स्त्रोत का उपयोग किया गया है।

प्राथमिक स्त्रोत (Primary Data)–

प्राथमिक स्त्रोत से अभिप्राय उस शोध सामग्री, तथ्यों आदि से है जो किसी भी एक विधि का प्रयोग करके एकत्रित किये जाते है। प्राथमिक स्त्रोत में अनुसूची प्रणाली का प्रयोग किया गया है। प्राथमिक स्त्रोतों के माध्यम से तथ्य एकत्रित कर उनका विश्लेषण किया गया है। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, कोटा जिले में विभिन्न योजनाओं का संचालन करता है और समाज के विभिन्न वर्गो के लिये खाद्य सामग्री की आपूर्ति भी करता है। शोध प्रतिदर्श हेतु कोटा जिले में प्रति 15 ग्राम पंचायत के पूर्णांक पर एक ग्राम पंचायत का चयन किया गया है। अतः समस्त ग्राम समितियों के कुल 156 ग्राम पचांयतों में से नौ ग्राम पंचायत का चयन किया है। प्रत्येक ग्राम पंचायत में से दो उचित मूल्य की दुकानों का चयन याद्राच्छिक चयन प्रणाली के माध्यम से किया गया है अतः कुल चयनित 9 ग्राम पंचायत में से 18 उचित मूल्य की दुकानों का चयन किया गया है। उक्त चयनित उचित मूल्य की दुकानों में से प्रति योजनावार एक–एक परिवार (NFSA, BPL, State BPL, Antodaya, APL) का चयन किया गया है। अतः कुल चयनित 18 उचित मूल्य की दुकानो में से 90 परिवारो का चयन किया गया। प्रत्येक परिवार में से प्रतिदर्श हेतु मुखिया/वरिष्ठ महिला का चयन किया गया है इस प्रकार कुल 90 व्यक्तियों को प्रतिदर्श में सम्मिलित किया गया है और उनसे अनुसूची के माध्यम से जानकारी प्राप्त की गयी है। अनुसूची को चार भागों में बाँटा गया है। जिनमे भाग अ–सामान्य व राशन सम्बन्धित

सूचनाये, भाग ब– आधारभूत संरचना एवं संसाधन, भाग स– प्रबन्धन और भाग द– योजनायें एवं अन्य सूचनायें है, इसके माध्यम से बंद व खुले प्रश्नों को पूछकर जानकारी प्राप्त की गयी है एवं प्राप्त जानकारी से साख्यिकीय विधियों (माध्य एवं प्रमाप विचलन) का प्रयोग करते हुये निष्कर्ष निकालने का प्रयास किया गया है। शोध प्रविधि सम्बन्धी विस्तृत विवरण अध्याय पंचम में दर्शाया गया है।

द्वितीयक स्त्रोत (Secondary Data)–

द्वितीयक स्त्रोतों से अभिप्राय उस शोध सामग्री एवं आँकडों से है, जो प्रकाशित लेख, अप्रकाशित शोध–ग्रन्थ, विभागीय प्रतिवेदन, विभिन्न समितियों के प्रतिवेदन, विभिन्न सम्मेलनों में प्रस्तुत वाचन पत्र, कार्यालय पंजीकायें, पत्र–पत्रिकाऐ, समाचार–पत्र आदि के माध्यम से एकत्रित किये जाते है।

प्रस्तुत अध्ययन में खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों विभाग की पत्रावलियाँ, विभागीय प्रतिवेदनों, विभिन्न समितियों के प्रतिवेदनों, कार्यालय पंजीकाओं, नियमावलियाँ, सेवाशर्तो, ऑफिस मैन्युअल, पुस्तके, विभाग द्वारा प्रकाशित पम्पलेटो आदि का प्रयोग किया गया है तथा इनके माध्यम से शोध सामग्री और तथ्यों का एकत्रीकरण किया गया है।

संदर्भ सूची (References):

1. दत्त, रुद्र एवं सुन्दरम्, के.पी.एम., **भारतीय अर्थव्यवस्था** एस. चन्द्र एण्ड कम्पनी लि, नई दिल्ली, 2004.
2. राय, चन्द्र कुमार एस., **भारतीय सामाजिक समस्याऐं** अर्जुन पब्लिकेशन हाऊस, नई दिल्ली, 2000.
3. **En. Wikipedia.org**.
4. **www.dfpd.nic.in,** Food and Public Distribution Department, New Dehli.
5. **www.consumeraffairs.nic.in,** Department of Food and Public Distribution, New Dehli.
6. **www.dfpd.nic.in**, Food and Public Distribution Department, New Dehli.
7. **Annual Progress Report (2011-12)**, Department of Food, Civil Supplies & Consumer Affairs, Govt. of Rajasthan, Jaipur.
8. **Annual Progress Report (2011-12)**, Department of Food, Civil Supplies & Consumer Affairs, Govt. of Rajasthan, Jaipur.
9. **Annual Progress Report (2011-12),** Department of Food, Civil Supplies & Consumer Affairs, Govt. of Rajasthan, Jaipur.
10. त्रिपाठी, विष्मभर नाथ, **समुदाय आधारित व्यवस्था और खाद्य सुरक्षा**, विकास संवाद, 2012.
11. दत्त, रुद्र एवं सुन्दरम्, के.पी.एम., **भारतीय अर्थव्यवस्था** एस. चन्द्र एण्ड कम्पनी लि, नई दिल्ली, 2004.
12. सिन्हा, पुष्पा एवं सिन्हा वी.सी. **भारतीय आर्थिक समस्याऐं एवं नीतियाँ**, लोक भारती प्रकाशन, ईलाहाबाद 2003.

13. भट्ट, एम.एस.,**पॉवर्टी एण्ड फुड सिक्यूरिटी इन इण्डिया** लोकभारती प्रकाशन नई दिल्ली, 2005.

14. चौधरी, आर.एस.पी., **उपभोक्ता संरक्षण विधि**, विकास पब्लिशिंग हाऊस, नई दिल्ली, 2006.

15. मिश्र, एस.के. एवं पुरी, वी.के., **भारतीय अर्थव्यवस्था**, हिमालय पब्लिशिंग हाऊस, मुम्बई 2000.

16. मजूमदार, पी.के., **लॉ ऑफ कन्जूमर प्रोटेक्शन इन इण्डिया**, ऑरिएण्ट प्रकाशन कम्पनी, 2010.

17. सागर, अरूण, **उपभोक्ता समझे अपने अधिकार**, लोक भारती प्रकाशन, इलाहबाद, 2014.

18. स्वामीनाथन एम.एस. **साईंस एण्ड सस्ट्नेबल फुड सिक्यूरिटी,** ईस्टर्न बुक कम्पनी, 2004.

19. आलम, अफरोज, **सूचना का अधिकार**, जमाअत–ए–ईस्लामी हिन्द, नई दिल्ली, 2007.

20. जैन, अंकलक कुमार, **खाद्य सुरक्षा और मानक**, अंकलक पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2011.

21. सक्सेना, एस.सी., **हंगर अण्डर न्यूट्रीशियन एण्ड फूड सिक्यूरिटी इन इण्डिया**, अर्जुन पब्लिकेशन, नई दिल्ली 2003.

22. नवकीरन, एस., **ए स्टडी ऑन द इफेक्टिवनेस ऑन पी.डी.एस. इन तमिलनाडु**, योजना आयोग, नई दिल्ली, 2008.

23. देवी, महाश्वेता और त्रिपाठी, अरुण कुमार, **खाद्य संकट की चुनौती,** वाणी प्रकाशन, दिल्ली, 2009.

24. चौहान, उमेश, **भारत में खाद्य सुरक्षा एवं कृषि**, विकास पब्लिकेशन हाऊस, नई दिल्ली, 2014.

25. मित्तल, आभा, **सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं ग्रामीण निर्धनता**, प्रगुन पब्लिकेशन, 2012.

26. ठाकुर, अनिल **कुमार, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन इण्डिया**, विकास पब्लिकेशन हाऊस, नई दिल्ली, 2011.

27. मिश्रा,एस**.** के, **फूड प्रोब्लम, फूड पॉलिसी एण्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम**, 2010.

28. **Annual Report (2011-12)**, Department of Food and Public Distribution, Govt. of India, New Delhi.

29. **Annual Report (2011-12),** Department of Consumer Affairs, Govt. of India, New Delhi.

30. सिह, रमेश **भारतीय अर्थव्यवस्था**, टीएमएच, नई दिल्ली, 2015.

31. **Annual Progress Report (2011-12),** Department of Food, Civil Supplies & Consumer Affairs, Govt. of Rajasthan, Jaipur.

****

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले : अवधाराणात्मक, संवैधानिक एवं विधिक परिप्रेक्ष्य

अवधारणात्मक विवेचन (Conceptual Analysis):

खाद्य एवं अच्छा पोषण मानव की बुनियादी जरूरत है। यह न केवल खाद्य उपलब्धता बल्कि उनकी सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक व राजनीतिक स्थिति का परिचायक है। इसके साथ ही यह उत्पादन और वितरण, बाजार का नियंत्रण तथा लोगों तक खाद्यान्नों की पहुंच से जुडा मामला भी है। यह हर एक नागरिक के लिए मूलभूत अधिकार है। हमारा संविधान भी भारत के नागरिकों को मानवीय मूल्यों की गारंटी देता है और नागरिकों को समान रूप से आत्मसम्मान के साथ जीने का अधिकार भी प्रदान करता है। फिर भी लोग उच्च स्तर की गरीबी और क्रय शक्ति के अभाव के कारण भुखमरी का शिकार होते है। ऐसी स्थिति में खाद्यान्न की उत्पादकता और उपलब्धता एक मूलभूत सवाल बन गया है। भारत में अब भोजन के अधिकार की अवधारणा को बदलने की जरूरत है, इसे राष्ट्र के भोजन के स्थान पर लोगों के लिए भोजन करने की आवश्यकता है।

अतः इसे राजनीतिक अर्थव्यवस्था के संदर्भ में देखने की बहुत जरूरत है। अतः यहां खाद्य, खाद्य सुरक्षा और उपभोक्ता को व्यापक अर्थ में प्रस्तुत किया गया है। इसके साथ उससे सम्बन्धित जुडे हुए समस्त अवधारणात्मक पक्षों का प्रारम्भिक स्तर पर ही स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। यह अध्याय उसके अवधारणात्मक, अन्तर्राष्ट्रीय और उसके विधिक स्वरूप का वर्णन करता है।

खाद्य (Food):

सामान्य अर्थ में खाद्य का आशय, खाने योग्य पदार्थ से होता है। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के मुताबिक ''खाद्य का अभिप्राय ऐसे किसी भी पदार्थ से है, जो प्रसंस्कृत है अथवा आंशिक रूप से प्रसंस्कृत किया गया है, या

प्रसंस्कृत नहीं किया गया है तथा जो मानव द्वारा उपभोग किया जाता है या उपभोग के लिए है।''[1]

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अनुसार, ''खाद्यान्न से तात्पर्य चावल, गेहूँ या मोटा अनाज या उनका कोई ऐसा संयोजन अभिप्रेत है, जो गुणवत्ता सन्नियमों के अनुरूप हो, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा समय–समय पर आदेश द्वारा, अवधारित किया जाता हो।''[2]

इसमें प्राथमिक खाद्य, आनुवांशिक रूप से उपांतरित खाद्य (जी.एम.फूड), शिशु खाद्य, पैक किया गया पीने का पानी, पीने के लिए प्रयोग किए जाने वाला अल्कोहल, चिवींगम, तम्बाकू और तम्बाकू उत्पाद, खाद्य पदार्थो के विनिर्माण के दौरान तथा उपचार के दौरान प्रयुक्त होने वाला जल भी शामिल है। किन्तु इसमे कोई पशु खाद्य, कोई जीवित पशु तब तक, जब तक कि उसे मानव उपयोग के लिए बाजार में लाने हुए तैयार या प्रसंस्कृत नही किया जाता, कटाई से पूर्व पौधे, औषधि और औषधि उत्पाद, सौन्दर्य प्रसाधन के सामान, मादक तथा नशीले पदार्थ शामिल नहीं हैं।

खाद्य सुरक्षा (Food Security):

खाद्य सुरक्षा का आशय सुरक्षित खाद्य पदार्थ है। दूसरे शब्दो में कहे तो ऐसा खाद्य पदार्थ जो मानव द्वारा आहार के रूप में प्रयोग किया जाता है, उसका मानव जीवन पर विपरीत प्रभाव या दुष्प्रभाव नहीं होना चाहिए। बल्कि, वह मानव जीवन के लिए सुरक्षित होना चाहिए। यानि, कोई ऐसा खाद्य पदार्थ जिसका विनिर्माण, भंडारण, वितरण, विक्रय अथवा आयात मानव उपभोग के लिए किया जाता है। वह उपभोक्ता के जीवन को नुकसान न पहुचाए अथवा उसके उपयोग से किसी प्रकार का खतरा उत्पन्न न हो, बल्कि वह उपभोक्ता के सेहत में वृद्धि करे और उसके स्वास्थ्य को पोषण प्रदान करे। विश्व खाद्य स्म्मेलन के अनुसार, ''खाद्य सुरक्षा एक शर्त है, जिसके अनुसार सभी लोग, हर समय, भूख से मुक्त होने चाहिए।

खाद्य अधिकार (Right to Food):

भोजन का अधिकार एक समावेशी अधिकार है। यह केवल न्यूनतम मात्रा में कैलोरी, प्रोटीन व अन्य विशिष्ट पोषक तत्वों का राशन उपलब्ध कराने का अधिकार नही है। यह सभी पोषण तत्व, जो एक व्यक्ति को एक स्वस्थ और सक्रिय जीवन जीने के लिए आवश्यक है, उपलब्ध कराने का अधिकार है। संयुक्त राष्ट्र के विशिष्टदूत (Special Rapporteur of United Nations) के अनुसार ''भोजन का अधिकार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से गुणात्मक व गुणवत्ता पूर्ण भोजन प्राप्त करने का नियमित, स्थायी और प्रतिबंधित मानव अधिकार है। यह लोगों की व्यक्तिगत और सामूहिक आवश्यकताओं को पूर्ण करेगा और सम्मानजनक जीवन जीने के लिए सक्षम बनाएगा।''[3]

इन्टरनेशनल कॉविनेन्ट ऑन ईकोनॉमिक्स, सोशियल एण्ड कल्चरल राईट्स की जनरल टिप्पणी 12 (International Convenant on Economic, Social and Cultural Rights) ''पर्याप्त भोजन के अधिकार को आर्थिक या शारीरिक तौर पर भोजन की प्राप्ति के रूप में परिभाषित करती है।''[4]

पोषण पर विश्व घोषणा, 1992 (Universal Declaration on Nutrition, 1992), भोजन के अधिकार को पर्याप्त पोष्टिक तत्व युक्त भोजन (जो मानव उपयोग के लिए सुरक्षित है) प्रदान कराने के रूप में परिभाषित करती है।''[5]

जीन जिग्लर (Jean Ziegler) ''भोजन के अधिकार को भूखमरी से मुक्त होने की पात्रता के रूप में वर्णित करते है। उनके अनुसार जब राष्ट्र हर किसी को पर्याप्त पोषक तत्व सुनिश्चित कराने के लिए आर्थिक और संस्थागत संसाधनों से युक्त होगा तो वह भूख से मुक्त राष्ट्र होगा।''[6]

मानव अधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा (Universal Declaration on Human Right), के अनुच्छेद 25 (1) ''हर किसी को स्वास्थ्य रहने के लिए पर्याप्त जीवन स्तर का अधिकार प्रदान करती है।''[7]

अतः खाद्य अधिकार, प्रत्येक नागरिक को पर्याप्त पौष्टिक तत्व युक्त खाद्य उपलब्ध कराने का अधिकार है। जिससे लोगों के जीवन स्तर को ऊँचा उठाया जा

सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने उच्च जीवन स्तर प्राप्त करने के लिए खाद्य सुरक्षा के तीन स्तम्भों (खाद्य उपयोगिता, खाद्य सुलभता एवं खाद्य उपलब्धता) को मजबूत करने पर बल दिया है। कृषि और खाद्य संगठन (FAO) द्वारा इसमें चौथा स्तम्भ (खाद्य स्थिरता) और जोर दिया गया है। अतः वर्ष 2009 में, खाद्य सुरक्षा पर विश्व शिखर सम्मेलन (World Summit on Food Security) में बताया कि खाद्य सुरक्षा के निम्न चार स्तम्भ हैः

1. उपलब्धता – प्राकृतिक संसाधनों से या बिक्री के माध्यम से उपलब्ध हो।
2. सुलभता – आर्थिक और शारीरिक रूप से सुलभ हो अर्थात खाद्य सस्ता होना चाहिए, जिससे आम आदमी उसका खर्चा वहन कर सके।
3. पर्याप्तता – खाद्य आहार की जरूरत को पूरा करने के लिए पर्याप्त हो।
4. स्थिरता – यह समय के साथ भोजन प्राप्त करने की क्षमता को दर्शाता है।

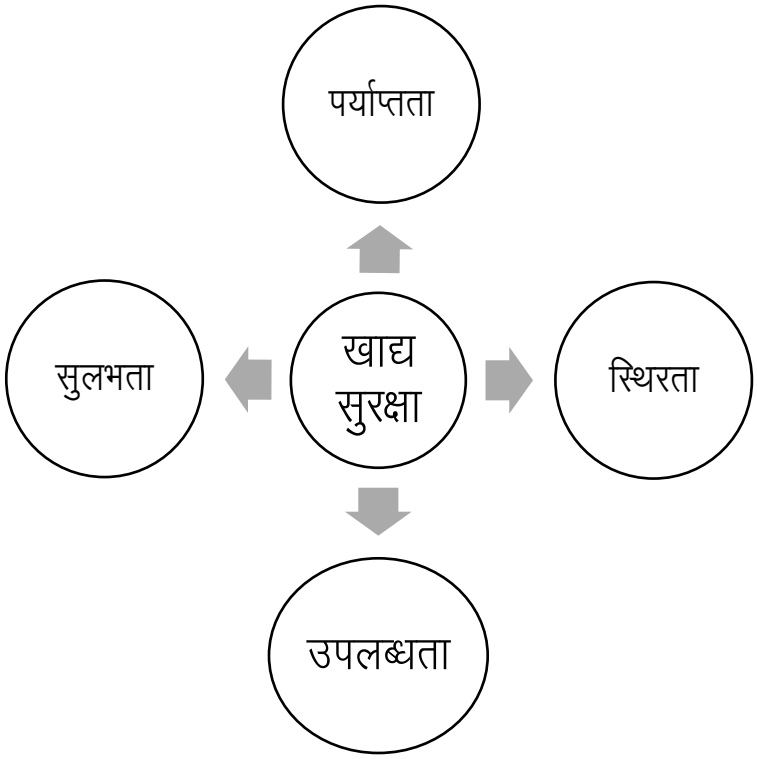

खाद्य सुरक्षा और खाद्य अधिकार में अन्तर (Difference between Food Security and Right to Food):

खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) के अनुसार, ''खाद्य सुरक्षा लोगों को उच्च स्तरीय एवं स्वस्थ जीवन प्रदान करने के लिए उन्हे पर्याप्त, सुरक्षित एवं पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना है।''[8] खाद्य सुरक्षा से लोगों को कानूनी सुरक्षा प्रदान नहीं की जा सकती है। अतः खाद्य सुरक्षा, भोजन के अधिकार की केवल पूर्व शर्त है अर्थात भोजन के अधिकार की अवधारणा, खाद्य सुरक्षा की धारणा से बहुत व्यापक है। भोजन का अधिकार, एक मानव अधिकार के रूप में राज्य को बाह्य करता है वह नीति एवं कानून द्वारा खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करें। भोजन के अधिकार में जवाबदेहीता, पारदर्शिता की धारणा निहित है अर्थात सरकार अपनी नीतियों के लिए लोगों के प्रति जवाबदेही होगी।

उपभोक्ता (Consumer):

सामान्य अर्थ में उपभोक्ता उसे कहा जाता है, जो वस्तु या सेवाओं का उपभोग करता है। लेकिन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत उपभोक्ता की श्रेणी में आने की कुछ शर्तो का पालन करते वाला ही उपभोक्ता माना जाता है तथा वही व्यक्ति उपभोक्ता न्यायालयों में शिकायत दर्ज कराने का हकदार होता है।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के अनुसार–

1. जब व्यक्ति अपने उपभोग के लिए, कोई सामान खरीदता है और उसके बदले मूल्य चुकाता है या मूल्य चुकाने का वायदा करता है या आंशिक रूप से मूल्य चुकता कर देता है और बाकी की रकम बाद में चुकता करने का वायदा करता है तो वह अधिनियम के मुताबिक उपभोक्ता की श्रेणी में आ जाता है। (सामान का खरीददार)
2. वह व्यक्ति भी उपभोक्ता की श्रेणी में आता है जिसने स्वयं तो सामान नही खरीदा है, लेकिन सामान के खरीददार की अनुमति से उसका उपभोग करता है। अतः किसी व्यक्ति द्वारा खरीदे गये सामान के उपभोग करने वाले सभी लोग उपभोक्ता को श्रेणी में आते है। (सामान का उपयोगकर्ता)

3. ऐसे व्यक्ति को भी उपभोक्ता को श्रेणी में शामिल किया जाता है, जो मूल्य चुका कर सेवाएं किराए पर लेता है या प्राप्त करता है जिसका भुगतान कर दिया गया है या भुगतान करने का वायदा किया गया है या आंशिक भुगतान कर दिया गया है या आंशिक भुगतान करने का वायदा किया गया है। सेवा के क्षेत्र में बैंकिंग, दूरसंचार सेवा, डाक सेवा, बीमा, रेल्वे, विमान सेवाएं आदि शामिल है (सेवाएं किराऐ पर लेने वाला व्यक्ति या सेवाओं का उपभोगकर्ता)''[9]।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अनुसार ऐसे व्यक्तियों को उपभोक्ता नहीं माना जाता है, जो ''वाणिज्यिक उद्देश्य'' से सामान या सेवाएं खरीदते है। पुनः बिक्री के लिए सामान या सेवाए खरीदने वाला कोई व्यापारी या व्यवसायी 'उपभोक्ता' नही हैं।

महात्मा गांधी जी के अनुसार – ''उपभोक्ता ही राजा है। उपभोक्ता या ग्राहक हमारे पास आने वाला सबसे महत्वपूर्ण आगन्तुक है। वह हमारे ऊपर निर्भर नहीं है, हम उस पर निर्भर है। वह हमारे व्यवसाय में बाहरी व्यक्ति नही है बल्कि हमारे व्यवसाय का हिस्सा है। हम उसकी सेवा कर उन पर अहसान नहीं कर रहे बल्कि वह हमें सेवा का अवसर देकर हम पर अहसान कर रहा है।''[10]

ऑक्सफोर्ड शब्दकोश में– उपभोक्ता को ''वस्तुओं अथवा सेवाओं के खरीददार'' के रूप में परिभाषित किया गया है।''[11]

माईकेल पोर्टर ने अपनी पुस्तक *''दि कंपटीटिव एडवांटेज ऑफ नेशंस''* में वर्णित डायमंड मॉडल के रूप में उपभोक्ताओं की भूमिका को स्वीकार किया। पोर्टर के अनुसार, ''असंतुष्ट उपभोक्ता, राष्ट्रों की प्रतिस्पर्धात्मकता के लिए आवश्यक अवयव हैं।''[12]

अतः उपभोक्ता वह होता है जो उपभोग करता है जैसा कि शब्द का निहितार्थ है। अतः गैस कनेक्शन के लिए पंजीकृत व्यक्ति, मुफ्त सेवा की वारन्टी के अधीन व्यक्ति, रेलगाडी के यात्रीगण, टेलीफोन उपभोक्ता, विद्युत उपभोक्ता, सरकार द्वारा मनोनित व्यक्ति को फ्लैट का आवंटन, स्वयं के व्यवसाय में प्रयोग करने वाले उपकरण का क्रेता, नवजात शिशु मरीज के माता–पिता, भविष्य निधि के सदस्य

आदि उपभोक्ता की श्रेणी में आते है, परन्तु लॉटरी विजेता, नगर निगम द्वारा बनाई गई सीवर प्रणाली का उपयोगकर्ता आदि उपभोक्ता नही है।

उचित कीमत की दुकान (Fair Price Shop):

उचित कीमत की दुकान से तात्पर्य ऐसी दुकानों से है जिसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन राशनकार्ड धारकों को आवश्यक वस्तु वितरित करने के लिए निर्मित किया गया है। इन उचित कीमत की दुकान का सचांलन डीलर्स द्वारा किया जाता है उनकी पा़त्रता, प्राथमिकता, रिक्तता आदि का विवरण परिशिष्ट–1 में किया गया है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली (Public Distribution System):

वह प्रणाली है जिसके अन्तर्गत उचित मूल्य की दुकानो के माध्यम से राशनकार्ड धारको को केन्द्रीय सरकार द्वारा आवश्यक वस्तुए जैसे कि चावल, गेहूं, खाद्य तेल, केरोसीन आदि वितरित की जाती है।

राशन कार्ड (Ration Card):

राशनकार्ड से तात्पर्य उस दस्तावेज से है, जिसके माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत उचित मूल्य की दुकान से आवश्यक वस्तुओं का क्रय किया जाता है। पृथक–पृथक श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए पृथक–पृथक रंगों के राशनकार्ड दिये जाने की व्यवस्था की गई है जिसे निम्न तालिका में समझाया गया है–

तालिका क्रमांक– 2.1

उपभोक्ता श्रेणी एवं राशनकार्ड

क्र. सं.	योजना (परिवार)	राशनकार्ड का रंग	योजना की पात्रता (योग्यता)
1.	एपीएल क– डबल गैस सिलेण्डर धारक ख– सिंगल गैस सिलेण्डर धारक	 नीला हरा	 सामान्य (उपभोक्ता) सामान्य (उपभोक्ता)
2.	बीपीएल	गहरा गुलाबी	ग्राम सभा/नगर निगम/ नगर पालिका द्वारा चयनित बीपीएल परिवार
3.	स्टेट बीपीएल	गहरा हरा	ग्राम सभा/नगर निगम/ नगर पालिका द्वारा चयनित बीपीएल परिवार
4.	अन्त्योदय अन्न योजना	पीला	ग्राम सभा/नगर निगम/ नगर पालिका द्वारा चयनित अन्त्योदय अन्न परिवार

(स्त्रोत – वार्षिक प्रतिवेदन 2014–15 खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, राज.)

शिकायत (Complain):

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के अनुसार ''शिकायत का अर्थ किसी शिकायतकर्ता द्वारा लिखित रूप से लगाये गये आरोप से होता है जिसमे कहा गया है कि व्यापारी द्वारा व्यापार अवैध या प्रतिबन्धित तरीक से किया, क्रय की गई वस्तु में एक या अनेक दोष है, सेवाओ में कमी दी हो, निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य वसूला हो या जन–जीवन के खतरनाक हो।''[13]

उपरोक्त शिकायत निम्न मे से किसी एक के द्वारा दायर की जा सकती है :–

1. वह उपभोक्ता जिसे कोई वस्तु बेची गई है।
2. कोई भी मान्यता प्राप्त उपभोक्ता संघ, (उपभोक्ता का किसी ऐसे संघ का सदस्य होना अनिवार्य नहीं है)।
3. एक या अनेक उपभोक्ता (जिला मंच से अनुमति लेकर)।
4. केन्द्र या राज्य सरकारें।

उपभोक्ता को सस्ता, सुलभ और द्रुत न्याय दिलाने के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत तीन स्तरीय अर्ध–न्यायिका तन्त्र की जिला, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्था की है। यदि दावा की गई वस्तु, सेवा और किसी क्षतिपूर्ति की रकम 20 लाख से कम है तो जिला मंच में शिकायत दर्ज की जा सकती है। यदि वस्तुओं अथवा सेवा तथा क्षतिपूर्ति की रकम बीस लाख से अधिक और एक करोड से कम है तो राज्य आयोग के समक्ष शिकायत दायर की जा सकती है और रकम एक करोंड से अधिक है तो राष्ट्रीय आयोग के सम्मुख शिकायत दर्ज की जा सकती हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय एंव राष्ट्रीय परिदृश्य (International and National Perspective):

लोगो को खाध सुरक्षा प्रदान करने के लिए, गरीबी कम करने के लिए, लोगों को खाध अधिकार प्रदान कर खाध उपलब्धता सुनिश्चित करने लिए कई अन्तर्राष्ट्रीय एंव राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास किए गए। इस हेतु समय समय पर कई अन्तर्राष्ट्रीय एंव राष्ट्रीय नियम और कानून बनाए गए हैं जो निम्न है -

अन्तर्राष्ट्रीय परिदृश्य (International Perspective):

खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भरता किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए प्राथमिक आवश्यकता मानी गई है और इस आत्मनिर्भरता को प्राप्त करने के लिए बहुत से राष्ट्र प्रयासरत है। इस हेतु समय समय पर कई अन्तर्राष्ट्रीय नियम कानून बनाए गए। इस दिशा में खाद्य और कृषि संगठन (FAO) की 16 अक्टूबर, 1995 को स्थापित किया गया। इसके मुख्य उद्देश्य लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना है

और भूखमरी से मुक्ति दिलाना। इसके पश्चात् सन् 1948 में संयुक्त राष्ट द्वारा मानव अधिकारों का सार्वभौमिक घोषणा पत्र अपनाया गया। मानव अधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा के अनुच्छेद 25(1) द्वारा हर किसी को स्वस्थ रहने के लिए पर्याप्त जीवन स्तर का अधिकार प्रदान किया गया। दुनिया के अधिकतर राष्ट्रों द्वारा भी इस अन्तर्राष्ट्रीय कानून का दर्जा दिया गया। इस घोषणा ने पहली बार उच्च जीवन स्तर के अधिकार को औपचारिक रूप से मान्यता प्रदान की। खाद्य अधिकार, उच्च जीवन स्तर के अधिकार का बुनियादी घटक है। इस प्रकार खाद्य अधिकार, अन्तर्राष्ट्रीय कानून का एक भाग है और सभी राष्ट्रों को इस अन्तर्राष्ट्रीय दायित्व के तहत लोगों को पर्याप्त व सुरक्षित भोजन उपलब्ध कराना है।

मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा (Universal Declaration on Human Rights) को बाध्यकारी रूप प्रदान करने के लिए निम्न दो संधियां की गई।[14]

1. इन्टरनेशनल कॉविनेन्ट ऑन सिविल एण्ड पॉलिटिकल राईट्स (International Covenant on Civil & Political Rights)
2. इन्टरनेशनल कॉविनेन्ट ऑन ईकोनोमिक्स, सोशियल एण्ड कल्चरल राईट्स, 1966 (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, 1966)

इन दोनो अनुबंधो और वैकल्पिक प्रोटोकॉल (UN General Assembly Resolution 217 A) को संयुक्त रूप से मानव अधिकारों का अन्तर्राष्ट्रीय बिल कहा गया। यह बिल एक अन्तर्राष्ट्रीय कानून है। अन्तर्राष्ट्रीय कानून, राष्ट्रों द्वारा अनुबन्ध पर पुष्टि नहीं करने पर भी, जरूरी मानक होते है जिससे राष्ट्र रिपोर्ट प्रस्तुत करने जैसे प्रक्रियात्मक पहलु के अधीन आ जाते है, जो जवाबदेही के लिए आवष्यक है। इन्टरनेशनल कॉविनेन्ट ऑन ईकोनोमिक्स, सोशियल एण्ड कल्चरल राईट्स का अनुच्छेद 11, खाद्य सुरक्षा और भुख से मुक्ति का अधिकार प्रदान करता है। वर्ष 1986 में भारत इसका भाग बन गया था।

इसके अतिरिक्त खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए कई अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन और सन्धियां हुई। संयुक्त राष्ट्रों द्वारा इन सन्धियों के तहत कई समितियों का गठन किया गया जैसे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार समिति, मानव अधिकार समिति। सन् 1963 में मानवाधिकार पर गठित विशेष सभा ने रोम में भुख से आजादी (Freedom from Hunger) के अधिकार को ऐतिहासिक घोषणा पत्र के माध्यम से पहला मौलिक अधिकार घोषित किया। एक दशक बाद वर्ष 1974 में भूख और कुपोषण के उन्मूलन पर सार्वभौमिक घोषणा को अपनाया। खाद्य क्षेत्र में अगला कदम बाल अधिकार सम्मेलन, 1990 के रूप में लिया गया। इस पर भारतीय सरकार द्वारा हस्ताक्षर किए गए जिसके अन्तर्गत प्रत्येक बालक को खाद्य और पौष्टिक तत्व ग्रहण करने का अधिकार दिया गया। इसके उपरान्त निम्नलिखित घोषणाए की गई–

1. पोषण पर विश्व घोषणा, 1992
2. मानव अधिकार पर वियना घोषणा, 1993
3. विश्व खाद्य सुरक्षा पर रोम घोषणा, 1996
4. विश्व खाद्य सम्मेलन की कार्य योजना, 1996
5. महासभा (General Assembly) संकल्प, 1996
6. संयुक्त राष्ट्र सहस्त्राब्दि घोषणा, 2006

दुनिया के विभिन्न संविधानो ने खाद्य अधिकार को लक्ष्य या मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया गया है। बांग्लादेश, वोलीविया, ब्राजील, कोलम्बिया, पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका आदि राष्ट्रों के संविधान में खाद्य अधिकार से सम्बन्धित प्रावधान है। स्विटजरलैंड का संविधान, मानवीय आत्मसम्मान (Human Dignity) का अधिकार प्रदान करता है, जिसके अन्तर्गत उन्हे आवश्यक वस्तु खाना, आश्रय आदि प्रदान किया जाता है। लेटिन अमेरिका में ग्वाटेमाला (Guatemala) पहला ऐसा राज्य है जिसने खाद्य अधिकार पर कानून पारित किया। यह कानून वर्ष 2005 में पारित किया गया। ब्राजील ने वर्ष 2006 में शून्य भूखमरी (Zero Hunger) के लक्ष्य

को प्राप्त करने के लिए कानून पारित किया। इन संवैधानिक प्रावधान एवं अनुबंध के बावजूद (FAO) के अनुसार पूरे संसार में 826 अरब लोग भूखमरी से ग्रसित है।

खाद्य मामलों के साथ–साथ उपभोक्ता मामलों पर भी कई अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर कानून बनाए गए। उपभोक्ता आन्दोलन के वर्तमान स्वरूप की नींव उन्नीसवीं सदी के उतरार्ध में पडी। अमेरिका के कानूनविद् रॉल्फ नाडर ने मोटरकार एवं टायर के निर्माताओं एवं व्यापारियों द्वारा उपभोक्ताओं के कथित शोषण के खिलाफ जनमत तैयार करने का काम किया।

संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने 15 मार्च, 1962 को उपभोक्तावाद की महत्ता पर जोर देते हुए अमेरिकी संसद के समक्ष ''उपभोक्ता अधिकार बिल'' की रूपरेखा प्रस्तुत की। इसलिए प्रत्येक वर्ष 15 मार्च ''विश्व उपभोक्ता दिवस'' के रूप मे मनाया जाता है। कैनेडी के सफल प्रयासों के कारण ही अमेरिका मे ''उपभोक्ता सुरक्षा आयोग'' का गठन हुआ एवं ब्रिटेन में ''उचित व्यापार अधिनियम, 1973'' पारित किया गया। कैनेडी द्वारा प्रस्तुत *''कन्ज्यूमर्स बिल ऑफ राईट्स''* में उपभोक्ता के निम्नलिखित अधिकारों की आवश्यकता पर बल दिया गया था''[15]–

- सुरक्षा का अधिकार
- सूचना पाने का अधिकार
- चयन का अधिकार
- सुनवाई का अधिकार

बाद में संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में हेग स्थित उपभोक्ता संघो के अंतर्राष्ट्रीय संगठन में चार और अधिकारों को इसमें शामिल कर दिया जो निम्न प्रकार है –

1. क्षतिपूर्ति का अधिकार,
2. उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार,
3. स्वस्थ्य पर्यावरण का अधिकार,
4. मूलभूत आवश्यकता का अधिकार (वस्त्र, भोजन तथा आश्रय)

कुछ समय बाद इन अधिकारों में ''अनुचित व्यापार प्रथा द्वारा शोषण के विरूद्ध अधिकार'' को भी शामिल किया गया। इसी परिपेक्ष्य में अमेरिका में 9 अप्रेल, 1985 को उपभोक्ता संरक्षण पर बनाये गए प्रारूप को स्वीकार किया गया। यूरोप में भी वस्तुओं के मानक निर्धारित करने के लिए जर्मनी में 'डिच' संगठन तथा इंग्लेण्ड में ''उचित व्यापार कार्यालय'' का निर्माण किया गया। वर्ष 2005 में अन्तर्राष्ट्रीय ग्राहक सेवा संस्थान (TICSI) स्थापित किया गया। इसका मुख्यालय लंदन और दुबई में बनाया गया। ब्रिटेन, भारत, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैण्ड और मध्य पूर्वी एशिया TICSI के शिखर बैठक में क्षेत्रीय प्रमाणन पार्टनर्स है। यूरोप में उपभोक्ताओं के संरक्षण के लिए निम्नलिखित व्यवस्थाऐं की है–

1. अधिक से अधिक वस्तुओं का मानक तय करना।
2. यूरोपीय उपभोक्ता केन्द्र की स्थापना।
3. अनुचित वाणिज्यिक अभ्यासों के सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश जारी करना।
4. उपभोक्ता संगठनों की स्थापना।
5. यूरोपीय संघ के निर्देशो की अवहेलना करने वाले अथवा अनुपालन में ढिलाई बरतने वाले देशो के विरूद्ध यूरोपीय न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष मामला दायर करना।

राष्ट्रीय परिदृश्य (National Perspective):

भारत जैसे विकासशील देश में जिसकी दो तिहाई आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। यहां एक तरफ N.S.S.के अनुसार कुल जनसंख्या का पांच प्रतिशत भाग दो वक्त का खाना खाये बिना सो जाते है और दूसरी तरफ प्रत्येक वर्ष लाखों लोग प्रदूषित आहार और जल ग्रहण कर अतिसार, हैजा, पीलिया जैसी गंभीर बीमारियों के शिकार हो जाते है और अपनी जान गंवा बैठते है। इसका प्रमुख कारण खाद्य पदार्थो की उपलब्धता, गुणवत्ता और उसमें पोषक तत्वों की कमीं है। खाद्य वस्तुओं के विक्रय, विपणन एवं उत्पादन से जुड़े लोगों द्वारा अधिक लाभ कमाने की लालसा से खाद्य पदार्थो में तरह तरह की हानिकारक वस्तुएं मिलाकर बेची जाती है। उपभोक्ता उत्पादों पर शोध करने वाली प्रतिष्ठित कम्पनी एसी

निल्सन के सर्वे के मुताबिक, बाजार में बिकने वाली दैनिक उपभोग की वस्तुओं (इसमे खाद्य उत्पाद भी शामिल है) में, प्रत्येक दस में से तीन सामान नकली है।

भारत में प्रारम्भ से ही खाद्य सुरक्षा पर बल दिया जा रहा है। हमारे साहित्यों में सभी के लिए भोजन, निष्पक्ष वितरण और खाद्य सुरक्षा की अवधारणा निहित है। बिट्रिश काल के दौरान भी सन् 1944 में अकाल (मद्रास अकाल, 1790, उडीसा अकाल,1866, उडीसा अकाल,1940) की जांच करने के लिए रॉयल कमीशन का गठन किया गया। इसी दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली अस्तित्व में आयी। इसे सर्वप्रथम बॉम्बे में प्रस्तावित किया गया और बाद में अन्य राज्यों में फैलाया गया। स्वतंत्रता के पश्चात, 1960 के दशक में भारत में हरित क्रान्ति आरम्भ हुई। यद्यपि हरित क्रान्ति के दौरान भारत ने खाद्य उत्पादन में काफी वृद्धि की, वह एक खाद्य आयात राष्ट्र से निर्यात राष्ट्र बन गया। फिर भी उत्पादन में वृद्धि, खाद्य सुरक्षा और पोषण सुरक्षा प्राप्त करने में विफल रहे। खाद्य उपलब्धता और खाद्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई कानून भी बनाये गये।

सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा प्रदान करने, कालाबाजारी को रोकने तथा लोगों के हितो को संरक्षित करने के लिए खाद्य अप–मिश्रण उन्मूलन अधिनियम,1954, आवश्यक वस्तु अधिनियम,1955, भारतीय खाद्य निगम अधिनियम, 1964, भंडारण निगम अधिनियम,1962, भण्डारण (विकास और विनियमन) अधिनियम,2007, कालाबाजारी अवरोधक एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1980 आदि अनेक कानून बनाए गए। इसके अलावा सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों द्वारा अनेकों आदेश भी लागू किए। लेकिन इन कानूनो का सही तरीके से क्रियान्वयन नहीं होने से जरूरतमंद लोगों को खाद्य की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं की जा सकी। इन सब के बीच वर्ष 2006 में खाद्य क्षेत्र में लागू सभी कानूनो और आदेशो को एक साथ लाने के लिए खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 और राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 2013 लाया गया। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 2013 में दो–तिहाई को कॅवर किया जाएगा। इस कानून की सहायता से खाद्य अधिकार के क्षेत्र में क्रान्ति लाने का प्रयास किया जा रहा है।

भारत में खाद्य सुरक्षा के साथ उपभोक्ता संरक्षण में भी कई सुधार किये गए। प्राचीन काल से ही हमारे देश में उपभोक्ता संरक्षण की संकल्पना मौजूद थी। वैदिक कालीन साहित्य, संस्कृतियों, महाभारत तथा कौटिल्य की महान रचना ''अर्थशास्त्र'' में इसका उल्लेख किया गया है। कौटिल्य ने अपनी पुस्तक में उचित मूल्य, स्पष्ट बाट एवं माप और उचित व्यापारिक लेन–देन के सम्बन्ध में उपभोक्ता हितो को संरक्षित करने को ''राजधर्म'' बताया है। आज जिसे हम ''बैंकिंग सेवाऐं'' कहते है उसके बीज विश्वास के आधार पर जौहरियों के पास आभूषण रखने तथा उसके बदले ऋण प्राप्त करने की प्रथा में दिखाई देती है। मुगल शासकों द्वारा भी वस्तुओं के उचित मूल्य, गुणवत्ता व उपलब्धता के बारे में नियंत्रण स्थापित किए जाने का उल्लेख मिलता है।

औधोगिक क्रांति और तकनीकी विकास की गति के परिणाम स्वरूप अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रहे परिवर्तनों ने भारत में उपभोक्ता आंदोलन के नए स्वरूप की नींव डाली। यहां उपभोक्ताा आंदोलन सर्वप्रथम महाराष्ट्र में सन् 1904 में शुरू हुआ। स्वतंत्र भारत में उपभोक्ता आन्दोलन को प्रारम्भ करने का श्रेय तत्कालीन मद्रास राज्य के मुख्यमंत्री श्री चक्रवर्ती राज गोपालाचारी को जाता है, जिन्होने वर्ष 1949 में उपभोक्ता के हितो की रक्षा के लिए उपभोक्ता संरक्षण परिषद की स्थापना की। मुम्बई की गृहणियों की पहल के बाद श्री मनुभाई शाह ने सन् 1979 में उपभोक्ता हितो को संरक्षण व संवर्धन देने के लिए उपभोक्ता शिक्षा एवं अनुसंधान केन्द्र स्थापित किया। वर्ष 1974 में श्री बिन्दू माधव जोशी ने पुणे में अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत की स्थापना की। इस संगठन ने महाराष्ट्र में उपभोक्ता आन्दोलन के गतिशील बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया।

सत्तर के दशक में धीरे–धीरे पूरे देश में उपभोक्ता आन्दोलन के क्षेत्र में स्वैच्छिक संगठनों की स्थापना हुई, जिन्होने उपभोक्ता हितो के संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उपभोक्ताा के कल्याण को ध्यान में रखते हुए कई कानून बनाए गए। पुराने अधिनियम में वस्तुओं के बिक्री सम्बन्धी अधिनियम, 1930, बीज की गुणवत्ता सम्बन्धी, 1935 का अधिनियम भारतीय दण्ड संहिता अधिनियम, 1860,

भारतीय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908, भारतीय संविदा अधिनियम, 1972 तो विद्यमान थे, जो मूल रूप से वाणिज्य से अधिक जूडे हुए थे।

उपभोक्ता को राहत देने के लिए MRTP अधिनियम, 1969, माप तौल मानक सम्बन्धी अधिनियम, 1976 आदि कुछ विशेष नही कर पा रहे थे। ऐसी स्थिति में एक ऐसे कानून की आवश्यकता महसूस की जा रही थी, जो उपभोक्ता को हुए कष्ट तथा हानि की भरपाई कर पाता। इसी को ध्यान में रखकर 24 दिसम्बर, 1986 को उपभोक्ता सरंक्षण अधिनियम संसद में पारित किया गया। इस अधिनियम की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए वर्ष 1997 में आयोजित ''अन्तर्राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण सम्मेलन''में कहा गया कि भारत में ''उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986'' एक ऐसा कानून है जिसे उपभोक्ताओं के अधिकारों के क्षेत्र में एक नई क्रान्ति की शुरूआत की।

संवैधानिक प्रावधान (Constitutional Provision):

भारतीय संविधान जन सम्प्रभुता पर आधारित एक गणतंत्रात्मक संविधान है। यह स्वतंत्रता, सामाजिक और आर्थिक समानता प्रदान करने हेतु प्रतिबद्ध है। यद्यपि भारतीय संविधान प्रत्यक्ष रूप से खाद्य एवं उपभोक्ता को संरक्षण प्रदान नही करता है। परन्तु संविधान में बहुत से ऐसे प्रावधान है, जो लोगों की पोषण सम्बन्धी स्वास्थ्य और उपभोक्ता को ध्यान में रखकर बनाए गए है।

भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची की द्वितीय सूची (राज्य सूची) की प्रविश्टि संख्या 6 (लोक स्वास्थ्य एवं स्वच्छताः अस्पताल और औषधालय) इसे राज्य का विषय बनाती है। जिस पर राज्य को कानून बनाने का पूर्ण अधिकार है। इसी प्रकार सातवीं अनुसूची की तीसरी सूची (समवर्ती सूची) की प्रविष्टि संख्या 11क (न्याय प्रशासन, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय से भिन्न सभी न्यायालयों का गठन और संगठन), 18 (खाद्य पदार्थो और अन्य माल का अपमिश्रण), 23 (सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा, नियोजन और बेकारी), 33 क (उद्योग के उत्पादो का व्यापार और वाणिज्य तथा उनका उत्पादन प्रदाय और वितरण), 33ख (खाद्य पदार्थो का जिसके अन्तर्गत खाद्य तिलहन और तेल है, व्यापार, उत्पादन, वितरण) एवं 34 (कीमत नियंत्रण) इसे राज्य एवं केन्द्र का संयुक्त रूप से विषय

बनाती है।[16] ये ऐसे विषय है जिन पर केन्द्र एवं राज्य दोनो की विधिक अधिकारिकता है तथा दोनो तत्सम्बन्धी कानून बना सकते है। परन्तु दोनो मे मतभेद होने पर केन्द्र द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम माना जाएगा।

प्रस्तावना :– प्रस्तावना में सभी नागरिकों के लिए आर्थिक और सामाजिक समानता, अभिव्यक्ति, प्रतिष्ठा, अवसर की समता की व्यवस्था करने का वायदा किया गया है और इसके लिए समाजवाद मुख्य भूमिका निभाता है। लोकतांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य भारत में से गरीबी को खत्म करना है। समाजवाद का सिद्धान्त, संविधान के भाग तीन व भाग चार के बहुत से प्रावधानो में सन्निहित है। जॉन रोवल्स के अनुसार एक समाज तब ही समाजवादी कहा जाता है जब उसमें समानाधिकारी सिद्धान्त लागू होते है, अधिकारों को महत्वपूर्ण समझा जाता हो और प्रत्येक के आत्म–सम्मान को ऊंचा उठाया जाता है। गरीबी रेखा से नीचे जीवन–यापन कर रहे लोगों को खाद्य अधिकार, समाजवाद के माध्यम से उपलब्ध कराया जा सकता है। समाजवाद की अवधारणा, सरकार को अमीर और गरीब के बीच के अन्तर को कम करने के लिए शक्ति प्रदान करती है जिससे भारत में कुपोषण और भूखमरी को काफी हद तक कम किया जा सकता है।

भारतीय संविधान सामाजिक अभियांत्रिकी को भी बढावा देता है। यह देश की राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र पर आधारित है और इसे समानाधिकारी सिद्धान्त द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। एक समाजवादी समाज लोगों को खाद्य अधिकार दिलाने के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण कदम है।

मौलिक अधिकार [17]– भारतीय संविधान, राज्य को उच्चस्तरीय जीवन देने के लिए बाध्य करता है। इस परिपेक्ष्य में लोगों को निम्न मौलिक अधिकार प्रदान किए गए है–

अनुच्छेद 14 – राज्य, भारत के राज्यक्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियो के समान संरक्षण से वंचित नही करेगा।

अनुच्छेद 19(1)(क) – सभी नागरिकों को वाक्–स्वातन्त्र्य और अभिव्यक्ति स्वातन्त्र्य का अधिकार होगा।

अनुच्छेद 21 – किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा अन्यथा नही। (प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार)।

अनुच्छेद 32 – इसके द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए समुचित कार्यवाहियों द्वारा उच्चतम न्यायालय में समावेदन करने के अधिकार की गारंटी दी जाती है। (इसी प्रकार अनुच्छेद 226 के तहत राज्यों के उच्च न्यायालयों को भी उनके अधिकार क्षेत्र में मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए अधिकारिता प्रदान की गई है।)

नीति निर्देशक तत्व [18]– इसके अतिरिक्त संविधान के भाग चार के अन्तर्गत राज्य की नीति को निर्देशित करने वाले नीति निर्देशक तत्वों के तहत् निम्न प्रावधान किए गए है–

अनुच्छेद 38(1) – राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्राणित करे, भरसक प्रभावी रूप में स्थापना और संरक्षण करके लोक–कल्याण की अभिवृद्धि का प्रयास करें।

अनुच्छेद 38(2) – राज्य, विशिष्टतया, आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा और न केवल व्यक्तियों के बीच बल्कि विभिन्न क्षेत्रो में रहने वाले और विभिन्न व्यवसायों में लगे हुए लोगों के समूहों के बीच भी प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानता समाप्त करने का प्रयास करेगा।

अनुच्छेद 39(क) – पुरूष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो।

अनुच्छेद 39(घ) – पुरूषो और स्त्रियों दोनो का समान कार्य के लिए समान वेतन हो।

अनुच्छेद 39(ड.) – पुरूष और स्त्री कर्मकारो के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरूपयोग न हो और आर्थिक आवश्यकता से विवश

होकर नागरिकों को ऐसे रोजगारो में न जाना पडे जो उनकी आयु या शक्ति के अनुकूल न हो।

अनुच्छेद 39(च) – बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ्य विकास के अवसर और सुविधाए दी जाए और बालको और अल्पवय व्यक्तियों की शोषण से तथा नैतिक और आर्थिक परित्याग से रक्षा की जाए।

अनुच्छेद 39क – राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि विधिक व्यवस्था इस प्रकार काम करे कि न्याय समान अवसर के आधार पर सुलभ हो और वह विशिष्टतया, यह सुनिश्चित करने के लिए कि आर्थिक या किसी अन्य निर्योग्यता के कारण कोई नागरिक न्याय प्राप्त करने के लिए अवसर से वंचित न रह जाए। उपयुक्त विधान या स्कीम द्वारा या किसी अन्य रीति से निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था करेगा।

अनुच्छेद 41 – राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर काम पाने के, शिक्षा पाने के और बेकारी, बुढापा, बीमारी और निःशक्तता तथा अन्य अनर्ह अभाव की दशाओं में लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त कराने का प्रभावी उपबन्ध करेगा।

अनुच्छेद 47 – राज्य, अपने लोगों के पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने और लोक स्वास्थ्य के सुधार को अपने प्राथमिक कर्तव्यों में मानेगा और राज्य, विशिष्टतया, मादक पेयो और स्वास्थ्य के लिए हानिकर औषधियों के, औषधियों प्रयोजन से भिन्न, उपभोग का प्रतिषेध करने का प्रयास करेगा।

संवैधानिक प्रावधानों के अतिरिक्त, खाद्य अधिकार और उपभोक्ता को उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय द्वारा भी सुरक्षा प्रदान की गई है। वर्ष 2001 के उपरान्त उच्चतम न्यायालय ने भोजन के अधिकार (Right to Food) और काम के अधिकार (Right to Work) पर कई आदेश जारी किये है। वर्ष 2001 में पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबरटिज, राजस्थान (People's Union for Civil Liberties, PUCL, Rajasthan) ने उच्चतम न्यायालय में एक मामला (जिसे खाद्य अधिकार केस के नाम से भी जाना जाता है) दायर किया कि खाद्य अधिकार, देश के प्रत्येक

व्यक्ति के लिए एक कानूनी अधिकार होना चाहिए। यह याचिका उस समय दायर कि गई जब एक तरफ भारतीय खाद्य निगम (FCI) के गोदामों में खाद्यान्न बह कर निकल रहा था और दूसरी तरफ सूखा प्रभावित क्षेत्रों पर भुखमरी की वजह से लोगों की मौत हो रही थी। इस याचिका का उद्देश्य सिर्फ सूखे को नियंत्रित करना नही था, बल्कि खाद्य अधिकार को ऊंचा उठाना था। अतः 23 जुलाई, 2001 को उच्चतम न्यायालय को आदेश दिया कि सभी राशन दुकानों, अगर बंद है, को आज से एक सप्ताह के अन्दर नियमित रूप से खोला जाए। 20 अगस्त, 2001 को उच्चतम न्यायालय ने बताया कि भूखमरी को रोकना सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है। 3 सितम्बर, 2001 को उच्चतम न्यायालय ने सोलह राज्यों, जिन्होने अंत्योदय अन्न योजना के लिए लाभार्थियों की पहचान नही की थी, को दो सप्ताह के भीतर ऐसा करने को कहा। न्यायालय ने 28 नवम्बर, 2001 को एक ''अंतरिम आदेश'' (कार्यवाही की अवधि से मान्य) दिया गया।[20]

28 नवम्बर, 2001 का आदेश– इसमें उपरोक्त आदेश पारित किया गया, जिसके 3 महत्वपूर्ण घटक है। (a) इसमे आठ पोषण सम्बन्धित योजनाओं (लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, अंत्योदय, मध्य भोजन कार्यक्रम, एकीकृत बाल विकास योजना (ICD), अन्नपूर्णा, राष्ट्रीय वृद्ध अवस्था पेंशन स्कीम, राष्ट्रीय जननी सुरक्षा योजना (NMB), सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना) को कानूनी हक प्रदान किया। (b) सभी राज्य सरकारों को निर्देश दिया कि सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त सभी स्कूलों के बच्चो को मिड–डे मील के अन्तर्गत भोजन दिया जाए। (c) केन्द्रीय और राज्य सरकार को निर्देश कि इन सभी योजनाओं में जागरूकता और पारदर्शिता लाने के लिए विशिष्ट मानक अपनाए जाए।

8 मई, 2002 का आदेश– उच्चतम न्यायालय द्वारा इन खाद्य योजनाओं के क्रियान्वयन से सम्बन्धित फिर अंतरिम आदेश पारित किया इसमे निम्न तीन घोषणाएं की (अ) राज्य इन योजनाओं के तहत दी गई, केन्द्रीय धनराशि को किसी अन्य प्रयोजनों में उपयोग नही करेगा। (ब) ग्राम सभा, इन योजनाओं का सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit) करेगा। (स) आयुक्त (Commissioner) नियुक्त किया गया जो इनके क्रियान्वयन पर निगरानी रखेगा।

27 अप्रेल, 2004 का आदेश– उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया कि कोर्ट की मंजूरी के बिना किसी भी योजना को ना तो रोका जा सकता है ना ही बंद किया जा सकता है।

उच्चतम न्यायालय द्वारा वर्ष 2001 के बाद इन आठ खाद्य योजनाओं से सम्बन्धित पचास से अधिक आदेश पारित किये गए। मोटे तौर पर ये दो तरह के अंतरिम आदेश थे– एक जो विशिष्ट योजनाओं के लिए थे और दूसरे जो सभी योजनाओं पर लागू होते थे। इन सभी आदेशों को ''अम्ब्रेला आदेश'' के रूप में प्रयुक्त किया गया।

विधिक प्रावधान (Legal Provisions):

पिछले कुछ दशकों में भारत में खाद्य एवं उपभोक्ता समस्या व्यापक रूप से उभरी है। वर्तमान में पोषण एवं खाद्य सुरक्षा का मामला एक अहमं एवं ज्वलंत प्रश्न बन गया हैं। आज खाद्य और उपभोक्ता सुरक्षा के सामने कई तरह की चुनौतियां मौजूद हैं। अतः आवश्यक हैं कि संवैधानिक सुरक्षा के साथ–साथ वैधानिक सुरक्षा पर भी बल दिया जाए। इस सम्बन्ध में, संसद द्वारा पारित कुछ महत्वपूर्ण अधिनियम निम्नानुसार हैं–

भारतीय अनुबंध अधिनियम,1872 (Indian Contract Act, 1872)**:**

यह धोखाधडी, जबरदस्ती, अवांछनीय प्रभाव अथवा भूलवश किये गये अनुबन्धों को निष्प्रभावी मानते हुए उपभोक्ताओं को संरक्षण प्रदान करता है। अर्थात यदि कोई ग्राहक उत्पाद की गुणवत्ता अथवा मूल्य आदि के बारे में विक्रेता द्वारा ठगा जाता हैं तो वह ग्राहक इस सौदे के अनुबन्ध को समाप्त कर सकता हैं तथा अपने द्वारा दी गई राशि को वापिस मांग सकता है। इसके अतिरिक्त वह जानबूझ कर किये गये इस अनुचित व्यापार के बदले क्षतिपूर्ति का भी दावा कर सकता हैं।

वस्तु बिक्री अधिनियम,1930 (Sales of Goods Act, 1930)**:**

हालांकि यह कानून वस्तुओं की बिक्री को नियमित करने के लिए बना था जिससे कि ग्राहक और विक्रेता दोनों के हितो की रक्षा हो सके परन्तु वास्तव में इसको खरीददार अथवा उपभोक्ता के हित की ही मूलभूत से रक्षा करने वाला कानून माना जायेगा। इसमें की गयी व्यवस्था के अनुसार खरीददार को सौदे से बचने व यदि सौदे की शर्तो का पालन नही होता हैं तो क्षतिपूर्ति का दावा करने का अधिकार हैं।

कृषि उत्पाद (ग्रेडिंग और मार्किंग) अधिनियम, 1937 (Agricultural Produce (Grading and Marking) Act, 1937):

यह कानून कृषि उत्पादों की गुणवत्ता को आश्वस्त करने के लिए बनाया गया हैं। ये कानून कृषि उत्पादों को ग्रेड मानक प्रदान करता है। ''एगमार्क'' एक ऐसा ही गुणवत्ता का निशान है जो ये कानून प्रदान करता है। ये निशान तभी दिया जाता है जब उत्पाद न्यूनतम मानको का पालन करके बनाए जाते हैं। एगमार्क दाल, मसालो, वनस्पति तेल, आटा उत्पाद, दुग्ध उत्पाद पर लगाया जा सकता हैं।

संप्रतीक एवं नाम (अनुचित प्रयोग निवारण) अधिनियम,1950 (The Emblems and Name (Prevention of Improper Use) Act, 1950):

यह अधिनियम पेशेवरों या वाणिज्यिक प्रयोजनो के लिए प्रतीक और नाम के अनुचित प्रयोग को रोकने के लिए पारित किया गया। यह सम्पूर्ण भारत पर लागू होता हैं। इस अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन करने पर 500 रुपये तक जुर्माना लिया जाएगा। इसके अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति, केन्द्र सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी प्रकार के पेटेंट शीर्षक, मार्क, डिजाईन या नकली नाम एवं प्रतीक का उपयोग नही करेगा।

खाद्य अप–मिश्रण उन्मूलन अधिनियम,1954 (Prevention of Food Adulteration Act, 1954):

इस अधिनियम द्वारा खाद्य पदार्थो में मिलावट रोकने तथा खाद्य पदार्थो की शुद्धता सुनिश्चित करने का प्रावधान किया गया हैं। इसके तहत खाद्य मानक स्थापित करने के लिए एक केन्द्रीय समिति का प्रावधान हैं, जो इस अधिनियम के अन्तर्गत उठने वाले मुद्दों पर केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों को परामर्श देती है तथा अन्य निर्धारित कार्यकलापों को सुनिश्चित करती हैं। अधिनियम के अनुसार कोई क्रय की गई खाद्य सामग्री का विश्लेषण लोक खाद्य विश्लेषक से करवाया जा सकता हैं। विश्लेषक अपनी रिपोर्ट स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारीयों को भेजता हैं और उसमें मिलावट पाए जाने पर मिलावटी सामान बेचने वाले व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाता हैं। वर्ष 2006 में इस अधिनियम को निरस्त कर दिया गया था और उसके स्थान पर खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 पारित किया गया हैं।[21]

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (Essential Commodity Act, 1955):

आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने उनके उत्पादन, वितरण, व्यापार और वाणिज्य के नियंत्रण के लिए 1 अप्रेल, 1955 को आवश्यक वस्तु अधिनियम पारित किया गया। अधिनियम के अनुसार निम्न सात वस्तुए आवश्यक वस्तु की श्रेणी में आती हैं।[22]

1. औषधि (औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम,1940 की परिभाषा के अनुसार)।
2. उर्वरक, चाहे अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित।
3. खाद्य पदार्थ, जिनके अन्तर्गत खाद्य तिलहन और तेल भी हैं।
4. पूर्णतया कपास से विनिर्मित अट्टी सूत।
5. पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद।
6. कच्चा पटसन (जूट) और पटसन टेक्सटाईल।
7. खाद्य फसलों, फलों, सब्जियों, पटसन, पशु–चारे के बीज।

केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों के परामर्श से किसी आवश्यक वस्तु को जोडने, हटाने व संशोधित करने का अधिकार रखती हैं। इस अधिनियम के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा तथा प्रत्योयोजित शक्तियों के तहत राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा आवश्यक घोषित की गई वस्तुओं के उत्पादन, वितरण, मूल्य निर्धारण एवं व्यापार के अन्य पहलूओं को विनियमित करने के लिए नियंत्रण आदेश जारी किए हैं। आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के उपबंधो का कार्यान्वयन/प्रवर्तन राज्य सरकारें और संघ राज्य प्रशासनों के पास हैं। इस अधिनियम का पालन एवं इसके अन्तर्गत दिये गये आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अधिनियम का उल्लंघन करने वालो के लिए दण्ड का प्रावधान किया गया हैं।

व्यापार तथा वाणिज्य वस्तु चिन्ह अधिनियम,1958 (Trade and Merchandise Marks Act, 1958):

देश में उपभोक्ता संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए तथा ट्रेड मार्क संरक्षण हेतु इस अधिनियम में विस्तृत व्यवस्थाऐं की गई हैं। साथ ही उपभोक्ताओं व जनसाधारण के हित में वस्तुओं पर धोखा–धडी से नकली ट्रेडमार्क प्रयोग रोकने के लिए इस अधिनियम में व्यापक व्यवस्थाए हैं।

भण्डारण निगम अधिनियम, 1962 (Warehouse Corporation Act, 1962):

इस अधिनियम के तहत वर्ष 1962 में केन्द्रीय भण्डारण निगम की स्थापना की गई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। केन्द्रीय भण्डारण निगम की अधिकृत अंश पूंजी (Authorised Share Capital) ''एक सौ करोड'' रुपये हैं।[23] निगम के कार्यो और व्यवसाय का सामान्य पर्यवक्षेण और प्रबंधन निदेशक मण्डल द्वारा किया जाता हैं। इसके साथ राज्यो में राज्य भण्डारण निगम स्थापित किये गये हैं। इस निगम का उद्देश्य भण्डारण, हेण्डलिंग और वितरण के दौरान होने वाली हानियों को कम करना, भण्डारण और सम्बन्धित लॉजिस्टिक्स में वैश्विक उपस्थिति दर्ज कराना वेयर हाऊसों में भण्डारित सामान के विरूद्ध बैंकिंग संस्थाओं एवं गैर–बैंकिंग वित्तिय कम्पनियों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराने की दिशा में भण्डारण (विकास एवं विनियमन्) अधिनियम, 2007 के क्रियान्वयन में सहयोग करना हैं।

भारतीय खाद्य निगम अधिनियम, 1964 (Food Corporation of India Act, 1964):

इस अधिनियम के तहत वर्ष 1964 में भारतीय खाद्य निगम स्थापना की गई। इसका मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत देशभर में खाद्यान्नों का वितरण, किसानों को लाभकारी मूल्य उपलब्ध कराना, मूल्य स्थिरता, खाद्य नीति बनाना, उचित मूल्यों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना और बफर स्टॉक बनाए रखना। अधिनियम के अनुसार निगम का संचालन निदेशक बोर्ड द्वारा किया जाता हैं और इसका मुख्यालय मद्रास में हैं। इसके साथ ही अधिनियम में, राज्यों में, राज्य खाद्य निगम की स्थापना के प्रावधान भी हैं।

एकाधिकार और अवरोधक व्यापार व्यवहार अधिनियम, 1969 और प्रतियोगिता अधिनियम, 2002 (Monopolies and Restructive Trade Practices (MRTP) Act, 1969 and Competition Act, 2002):

यह अधिनियम एकाधिकार नियंत्रण एवं एकाधिकार एवं अवरोधक व्यापारिक पद्धतियों को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया। भारत सरकार की 28 अगस्त, 2009 अधिसूचना के तहत MRTP अधिनियम को निरस्त कर दिया गया और उनके स्थान पर प्रतिस्पर्धा कानून, 2002 पारित किया। प्रतिस्पर्धा कानून, 2002, 1 सितम्बर, 2009 को लागू हुआ। देश के आर्थिक विकास के लिए प्रतिस्पर्धा अधिनियम में इस प्रकार की व्यवस्था है कि यह प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली पद्धतियों को रोके, बाजार में प्रतिस्पर्धा को बढावा दे और सुदृढ करें, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करे तथा भारतवर्ष में अनेक बाजार भागीदार को व्यापारिक स्वतंत्रता प्रदान संबंधित अन्य पहलूओं को व्यवस्थित करें। इस प्रकार प्रतिस्पर्धा अधिनियम का मुख्य उद्देश्य बाजार में स्वतंत्र एवं उचित प्रतियोगिता को सुनिश्चित करता। इसके तहत एक अर्ध–न्यायिक प्राधिकरण ''भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग'' की स्थापना की गई।[24] इस आयोग को एक विस्तृत स्वरूप देने के लिए इसमे न्यायिक और गैर न्यायिक सदस्यों को नियुक्ति की गई।

माप और तौल मानक अधिनियम, 1976 (The Standard of Weights and Measures Act, 1976):

यह अधिनियम वर्ष 1976 में संसद द्वारा पारित किया गया हैं परन्तु इसे लागू करने के लिए एक और अधिनियम माप और तौल मानक (प्रवर्तन) अधिनियम, 1985, पारित किया गया अर्थात यह सितम्बर, 1985 से प्रभावी हुआ। यह अधिनियम व्यापार में प्रयुक्त माप तौल संबंधी मानकों का निर्धारण करता हैं। इसका उद्देश्य वस्तुतः उपभोक्ता हितों का संरक्षण करना हैं। इसके अन्तर्गत स्थापित मानकों का प्रयोग प्रत्येक सामग्री उत्पादन के लिए अनिवार्य हैं। वर्ष 1985 के एक संशोधन द्वारा यह व्यवस्था भी की गई है कि उपभोक्ता व उपभोक्ता संघ इस अधिनियम के अन्तर्गत अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

डिब्बाबन्द सामग्री के विषय में इस अधिनियम में विशेष प्रावधान किये गये हैं तथा डिब्बाबन्द सामग्री संबंधित माप तौल मानक नियम बनाए गये हैं क्योंकि जो सामग्री डिब्बाबंद अवस्था मे हैं उसके गुण, संख्या, माप, तौल आदि के बारे मे ग्राहक नही जान पाता हैं।

कालाबाजारी अवरोधक एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1980 (Prevention of Black Marketing and Essential Commodity Act, 1980):

इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य काला बाजारियों, जमाखोरों एवं मुनाफाखोरों की धांधलियों को रोकना हैं। यह अधिनियम केन्द्र और राज्य सरकारों को ऐसे व्यक्तियों, जिनकी गतिविधियां समुदाय के लिए आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बनाए रखने में बाधक पाई जाती हैं को नजरबन्द करने की शक्तियां प्रदान करता हैं। राज्यो/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा ये नजरबंदिया कुछ चुनिन्दा मामलों में आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी एवं चोर बाजारी को रोकने के लिए की जाती है। इसके अन्तर्गत बन्दी व्यक्ति को अपने विरूद्ध की गई कार्यवाही का कारण जानने का अधिकार हैं। दोषी के अपराध की पुष्टि हो जाने पर उसे छः माह तक की जेल हो सकती हैं।[25]

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (Consumer Protection Act, 1986):

इसे दिसम्बर, 1986 में संसद द्वारा पारित किया गया। यह कानून उपभोक्ताओं के संरक्षण के लिए बनाए गए अन्य कानूनों में सबसे अधिक प्रगतिशील और समाज कल्याणक कानून हैं। इस अधिनियम का स्वरूप देश में लागू अन्य कानूनों की तरह दण्डात्मक तथा निरोधक नही हैं, बल्कि क्षतिपूरक है अर्थात इस अधिनियम में उपभोक्ताओं के हितो को सुरक्षित रखते हुए उन्हे हुए हानि के बदले में मुआवजा या क्षतिपूर्ति दिलाने का प्रावधान किया गया हैं। इस अधिनियम का प्रमुख उद्देश्य उपभोक्ताओं को शीघ्र, सरल तथा सस्ते तरीके से न्याय दिलाना हैं।

विशेषताऐं –

1. इस अधिनियम के उपबन्ध सभी प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं पर समान रूप से लागू होते है (केवल उन वस्तुओं तथा सेवाओं पर लागू नही होते जिन्हे केन्द्र सरकार ने अधिसूचना जारी कर विशेष रूप से अनुसूचित किया हो)।
2. इस अधिनियम के अन्तर्गत उपभोक्ता विवादों के शीघ्र निवारण के लिए एवं क्षतिपूर्ति प्रदान कराने के लिए त्रि–स्तरीय, अर्ध–न्यायिक प्रतितोष अभिकरणों की स्थापना की गयी हैं।[26]
3. इन विवाद निवारण तंत्रों को उपभोक्ताओं के विवादों का निपटारा करते समय न्यायालयों के जटिल प्रक्रियाओं से दूर करते हुए, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का पालन करना काफी माना गया हैं।
4. उपभोक्ता आंदोलन को मजबूती प्रदान करने तथा उपभोक्ताओं के प्रतिनिधियों की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए अधिनियम में उपभोक्ता संरक्षण परिषदों का गठन करने को बात कही हैं, इसमें उपभोक्ता हितों को प्रतिनिधित्व करने वाले सरकारी और गैर सरकारी सदस्यों को सम्मिलित किया गया हैं।
5. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की विभिन्न धाराऐं देश में लागू अन्य कानूनों की विरोधी नही बल्कि उसके पूरक हैं।
6. उपभोक्ताओं के अधिकारों को प्रभावशाली तरीके से संरक्षण प्रदान कराने के लिए अर्द्ध–न्यायिक तंत्रों को दण्ड देने की शक्ति भी प्रदान की गयी हैं।

7. इस अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ता हितो के संरक्षण एवं संवर्धन की महत्ता को स्वीकार करते हुए न सिर्फ उपभोक्ता को बल्कि कंपनी अधिनियम, 1956 या तत्समय प्रवृत किसी अन्य कानून के अधीन रजिस्टर्ड किसी स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठन को भी उपभोक्ता मामलों में प्रतिनिधित्व करने का अवसर प्रदान किया गया हैं। इसके अलावा केन्द्रीय सरकार या कोई राज्य सरकार उपभोक्ता विवादों के संबंध में परिवाद प्रस्तुत कर सकती हैं।

8. जम्मू–कश्मीर को छोडकर सम्पूर्ण भारत में यह अधिनियम समान रूप से लागू हैं।

उपभोक्ताओं के हितों को बेहतर तरीके से संरक्षित एवं संवर्धित करने के लिए निम्नलिखित अधिकारों का उल्लेख किया गया हैं[27]-

a. *सुरक्षा का अधिकार*– उपभोक्ता को ऐसी वस्तुओं एवं सेवाओं के विपणन के विरूद्ध सुरक्षा प्राप्त करने का अधिकार है जो उनके शरीर एवं सम्पति को हानि पहुंचा सकती है अर्थात इस अधिकार के अंतर्गत उपभोक्ता खराब एवं दुष्प्रभावी खाद्य वस्तुओं, नकली दवाओं, घटिया यंत्रो एवं उपकरणों तथा बाजार में उपलब्ध सभी प्रकार की नकली या जाली वस्तुओं से होने वाली धन, स्वास्थ्य एवं शरीर की हानि के लिए क्षतिपूर्ति की मांग कर सकता हैं।

b. *सूचना प्राप्त करने का अधिकार*– उपभोक्ता को किसी वस्तु या सेवा के उपभोग से संबंधित आवश्यक सूचनाओं को प्राप्त करने का अधिकार हैं। ताकि अनुचित व्यापारिक व्यवहार को रोका जा सकें। इन सूचनाओं में वस्तु को मात्रा, किस्म, शुद्धता, प्रमाण, मूल्य आदि शामिल हैं।

c. *वस्तु या सेवा के चुनाव या पसंद का अधिकार*– उपभोक्ता को यह अधिकार प्राप्त हैं, कि वह निर्माताओं द्वारा तैयार किए गए सामानों जो विभिन्न ब्रांड, किस्म, गुण, रूप, रंग, आकार तथा मूल्य के हो सकते हैं, उसका अपनी पसंद या जरूरत के अनुसार चुनाव कर सकता हैं।

d. *सुनवाई का अधिकार*– यदि किसी उपभोक्ता के हितो के विपरित कोई बात होती है तो उसे वह उपयुक्त मंचो के समक्ष सुनवाई के लिए प्रस्तुत कर सकता

हैं। इस अधिकार के तहत वह अपनी शिकायत जिला मंच, राज्य आयोग तथा राष्ट्रीय आयोग में दर्ज कराके अपने अधिकारों की रक्षा कर सकता हैं।

e. *शिकायत के निदान का अधिकार*– उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत ऐसी व्यवस्था की गयी है कि उपभोक्ता द्वारा प्रयोग की गयी किसी वस्तु या सेवा में खराबी या कमी के कारण होने वाली हानि के लिए क्षतिपूर्ति की मांग की जा सकती हैं।

f. *उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार*– इस अधिकार के अन्तर्गत उपभोक्ता को उन सभी बातों की जानकारी प्राप्त करने का अधिकार हैं जो एक उपभोक्ता के लिए आवश्यक हों। यह उपभोक्ता के हित एवं जागरूकता के लिए जरूरी हैं।

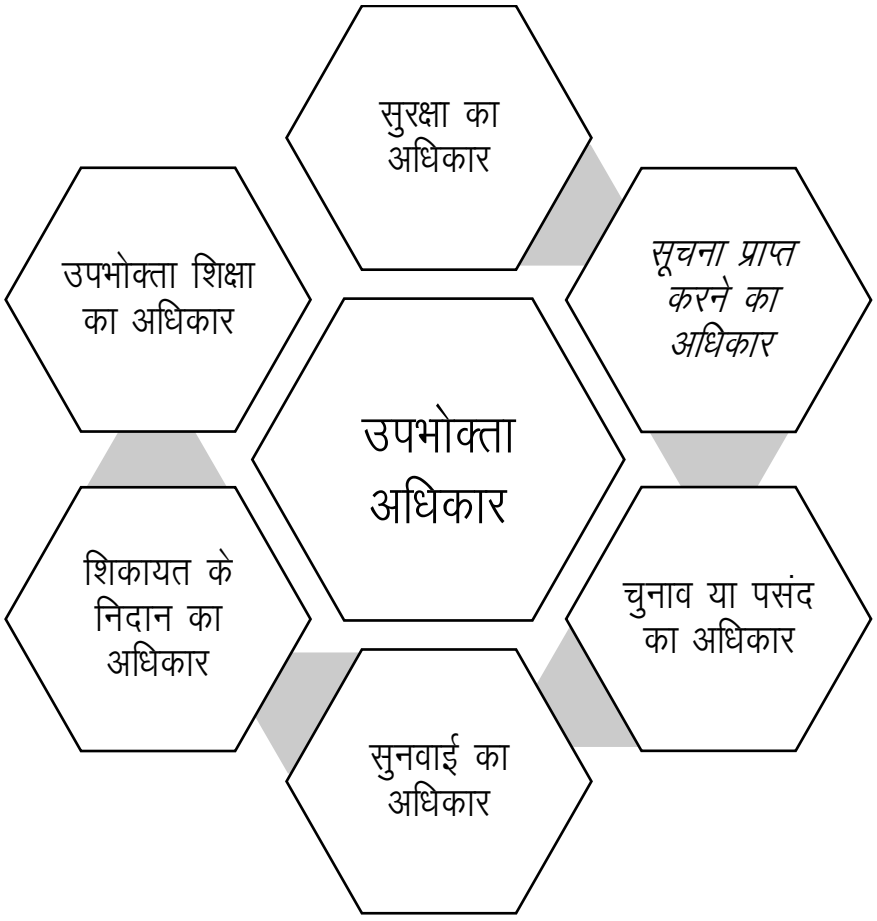

भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम,1986 (Bureau of Indian Standards Act, 1986):

यह वस्तुओं के लिए मानकों के निर्धारण और प्रवर्तन को शासित करता हैं। यह सम्पूर्ण भारत पर विस्तारित हैं। इसे वस्तुओं के मानकीकरण, चिंहनीकरण तथा गुणवत्ता प्रमाणन के कार्यकलापों के सांमजस्यपूर्ण विकास तथा उससे संबंधित अथवा उससे उत्पन्न होने वाले माामलो के लिए भारतीय मानक ब्यूरो को स्थापना का प्रावधान करने के लिए अधिनियमित किया गया[28]। इसके अतिरिक्त मानक ब्यूरों, मानक चिन्ह के उपयोग हेतु लाईसेंस प्रदान करना, उसका नवीनीकरण करना, मानकीकरण व गुणवत्ता नियंत्रण हेतु प्रयोगशालाओं का निर्माण, उनका अनुरक्षण तथा अनुसंधान करवाने का कार्य भी करता हैं। यदि कोई व्यक्ति अधिनियम में विनिर्दिष्ट किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता हैं उसे कारावास की सजा हो सकती हैं जिसकी अवधि एक वर्ष तक हो सकती हैं अथवा जुर्माना 50,000 तक लग सकता हैं अथवा दोनों दण्ड भी दिए जा सकते हैं।

व्यापार चिन्ह अधिनियम,1999 (Trade Marks Act, 1999):

यह 30 दिसम्बर, 1999 में संसद द्वारा पारित किया गया परन्तु 15 सितम्बर, 2003 को लागू हुआ। इस अधिनियम ने व्यापार तथा वाणिज्य वस्तु चिन्ह अधिनियम, 1958 को निरस्त और प्रतिस्थापित कर दिया। इस अधिनियम के प्रावधान विश्व व्यापार संगठन (WTO) और ट्रिप्स (TRIPS) समझौते, जिस पर भारत ने हस्ताक्षर किए थे, के अनुरूप हैं। इस अधिनियम में कई प्रावधान किए गए है जैसे सामान के लिए व्यापार चिन्ह के अतिरिक्त सेवा चिन्ह के पंजीकरण की अनुमति, ट्रेडमार्क के पंजीकरण की अवधि दस वर्ष है उसके बाद उसका नवीनीकरण करना पडता हैं, किसी प्रचलित ट्रेडमार्क के नकल करने की अनुमति नही दी जाती है आदि। किसी व्यक्ति द्वारा झूठे/गलत ट्रेडमार्क के अन्तर्गत सामान सेवा को बेचने या प्रदान करने पर छः महीने के न्यूनतम और तीन साल के अधिकतम कारावास और पचास हजार रूपये से दो लाख रूपये तक के जुर्माने का प्रावधान हैं।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2001 (Public Distribution System (Control) Order, 2001):

इस आदेश के अनुसार केन्द्रीय सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बनाए रखती है और उनकी उपलब्धता तथा वितरण को सुनिश्चित करती हैं। इसके साथ राज्य सरकार गरीबी रेखा से ऊपर, गरीबी रेखा से नीचे और अंत्योदय कुटुम्बों को भिन्न–भिन्न राशनकार्ड जारी करती हैं और इन राशनकार्डो का आवधिक पुनर्विलोकन और उनकी जांच करती हैं। इन राशनकार्डो को बनाने की प्रकिया एंव अन्य जानकारियों का विवरण परिशिष्ट क्रमाकं–2 में किया गया हैं। जिला अधिकारी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यान्वयन का दायित्व संभालता हैं। उचित मूल्य की दुकान के स्वामी द्वारा स्टॉक में पडी आवश्यक वस्तुओं को वितरित करने से इंकार नही किया जा सकता। ऐसा करने पर उसके विरूद्ध कार्यवाही की जा सकती हैं। इस आदेश के अन्तर्गत सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सम्बन्ध में कई सतर्कता समितियों का गठन किया गया हैं।[29]

खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम,2006 (Food Security and Standard Act,2006):

24 अगस्त, 2006 में इस अधिनियम को भारतीय संसद द्वारा पारित कर राजपत्र पर अधिसूचित किया गया। इस अधिनियम के अन्तर्गत वर्ष 2008 में राष्ट्रीय स्तर पर एक खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की स्थापना की गई। परन्तु खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006, 5 अगस्त, 2011 से खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियमावली, 2011 एवं छः विनियमों की अधिसूचना के साथ ही प्रभावी हुआ था। यह अधिनियम मानव उपभोग तथा इससे जूडे हुए उपभोक्ताओं के लिए सुरक्षित और पोष्टिक खाद्य पदार्थो की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए खाद्य पदार्थो के उत्पादन, भण्डारण, वितरण, बिक्री एवं आयत का विनियमन करता है। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य खाद्य पदार्थो से सम्बन्धित कानूनो को एक एकल कानून में समेकित करना था। अर्थात विभिन्न केन्द्रीय अधिनियमों (जैसे खाद्य अपमिश्रण निरोधक अधिनियम, 1954, फल उत्पाद आदेश, 1955, मॉस खाद्य उत्पाद आदेश, 1973, वनस्पति तेल उत्पाद (नियंत्रण) आदेश, 1947, खाद्य तेल पैंकेजिंग

(विनियमन) आदेश, 1988 आदि) को निरस्त कर एक अधिनियम खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 बनाया गया।[30]

विशेषताऐं–

1. इस अधिनियम के अन्तर्गत वर्ष 2008 में खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की स्थापना की गई। इसके द्वारा केन्द्र और राज्यो में समान लाइसेंसिंग/पंजीकरण की व्यवस्था की गई। प्राधिकरण का मुख्य कार्य विज्ञान आधारित खाद्य मानकों को कोडेक्स मानकों के साथ, जहां सम्भव हो, एकीकृत करके विकसित करना हैं। खाद्य मानकों का निर्धारण प्राधिकरण के अनैक वैज्ञानिक पैनलों और वैज्ञानिक समिति तथा प्राधिकरण द्वारा अंतिम स्वीकृति के माध्यम से किया जाता हैं।
2. इसके साथ ही अधिनियम में, राज्यो में, खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण की स्थापना के प्रावधान किए गए हैं। यह राज्य सरकारों द्वारा स्थापित किए जातेहैं।
3. राज्य सरकारें, राज्य में एक खाद्य सुरक्षा आयुक्त की नियुक्ति करती हैं, जो खाद्य सुरक्षा और मानकों तथा इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों की अपेक्षाओं का कार्यान्वयन करती हैं।
4. स्थानीय स्तर पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी और अन्य सम्बन्धित अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति का प्रावधान भी इसमें हैं। अधिनियम के अनुसार फूड इस्पेक्टरों की जगह खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को नियुक्ति होती हैं।
5. केन्द्रीय लाईसेंसो का निर्गम चार क्षेत्रीय कार्यालय (चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता एवं मुम्बई) एवं तीन उप–क्षेत्रीय कार्यालयों (गोवाहटी, चण्डीगढ एवं लखनऊ) से किया जाता हैं।
6. इसके माध्यम से वैज्ञानिक पैनल और वैज्ञानिक समिति का भी गठन किया गया हैं।
7. इसके अनुसार, ऐसा कोई भी खाद्य पदार्थ जो क्रेता पर प्रतिकूल प्रभाव डालता हों तथा जो इस अधिनियम अथवा इसके अधीन बनाए गए विनियमों का

अनुपालन न करता हों। ऐसे खाद्य पदार्थ को बेचना दण्डनीय है तब ऐसा करने पर दो लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता हैं।

8. इस अधिनियम के लागू हो जाने के बाद कोई भी व्यक्ति खाद्य सुरक्षा आयुक्त द्वारा नामित अधिकारी की ओर से जारी किए गए लाईसेंस या पंजीकरण के बिना, खाद्य कारोबार प्रारम्भ नही कर सकता है। ऐसा करने पर दोषी को छः माह का कारावास और पांच लाख रुपये का जुर्माना हो सकता हैं।
9. केन्द्र सरकार या राज्य सरकारे, अधिसूचना द्वारा एक या एक से अधिक ट्रिब्यूनल स्थापित कर सकती हैं, जिन्हे खाद्य सुरक्षा अपील ट्रिब्यूनल के नाम से जाना जाता हैं।
10. किसी व्यक्ति द्वारा स्वयं या उसकी और से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी खाद्य पदार्थ के विनिर्माण या विक्रय या आयात की वजह से किसी उपभोक्ता को क्षति पहुचती हैं तो पीडित को दोषी व्यक्ति से निम्नलिखित प्रकार की क्षतिपूर्ति राहत प्राप्त करने का अधिकार हैं।

    (अ) मृत्यु होने पर कम से कम पांच लाख रुपये।

    (ब) गंभीर क्षति होने की दशा में तीन लाख रुपये तक।

    (स) किसी अन्य प्रकार की क्षति होने पर एक लाख रुपये तक।

भण्डारण (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2007 (Warehouse (Development and Regulation) Act, 2007):

यह अधिनियम 19 सितम्बर, 2007 को पारित किया गया, परन्तु 25 अक्टूबर, 2010 से प्रभावी हुआ। भारत सरकार द्वारा 26 अक्टूबर, 2010 को भण्डारण विकास और विनायामक प्राधिकरण (WDRA) की स्थापना की गई, जिसमें एक अध्यक्ष और दो पूर्वकालिक सदस्य है। इसका उद्देश्य भांडागारों के विकास और विनियम के लिए उपबंध करना, भांडागार रसीदों की परक्राम्यता के लिए व्यवस्था करना, किसानों को समर्थ बनाना ताकि कृषि उपज की मजबूरन बिक्री न हो सके। इस अधिनियम के लागू हो जाने के बाद की भण्डारण अधिकारी की अनुमति के बिना कोई भण्डारण व्यवसाय नही कर सकता हैं। इसके माध्यम से देश में पहली बार परक्राम्य भांडागार रसीद प्रणाली (NWR) आरम्भ हुई।

विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 (Legal Metrology Act, 2009):

इस अधिनियम ने माप और तौल मानक अधिनियम 1976 और माप और तौल मानक (प्रवर्तन) अधिनियम, 1985 को निरस्त और प्रतिस्थापित कर दिया। यह बाटों और मापों के मानक नियत करने, व्यापार या वाणिज्य को विनियमित करने के लिए अधिनियमित किया गया था। इसके अनुसार बाट या माप की प्रत्येक ईकाई, अन्तर्राष्ट्रीय प्रणाली पर आधारित हैं। जब कोई व्यक्ति अधिनियम में विनिर्दिष्ट किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता हैं तो प्रथम बार में उस पर 25,000 रूपये तक का जुर्माना लग सकता और द्वितीय बार में छः मास तक कारावास अथवा जुर्माना अथवा दोनो दण्ड भी दिए जा सकते हैं।[31] राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा और केन्द्रीय सरकार से परामर्श करने के पश्चात्, इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (National Food Security Act, 2013):

सरकार ने संसद द्वारा पारित, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 दिनांक 10 सितम्बर, 2013 को अधिसूचित किया है, जिसका उद्देश्य एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए लोगों को वहनीय मूल्यों पर अच्छी गुणवत्ता के खाद्यान्न की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध कराते हुए उन्हे खाद्य और पौषणिक सुरक्षा प्रदान करना हैं। इस अधिनियम में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS) के अन्तर्गत राज सहायता प्राप्त करने के लिए 75 प्रतिशत ग्रामीण आबादी और 50 प्रतिशत शहरी आबादी के कवरेज का प्रावधान है, इस प्रकार इसके अन्तर्गत लगभग दो तिहाई आबादी कवर की जाती है। पात्र व्यक्ति चावल/गेंहू/मोटे अनाज क्रमशः 3/2/1 रूपये प्रति किलोग्राम के राज सहायता प्राप्त मूल्यों पर 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति व्यक्ति प्रतिमाह प्राप्त करने का हकदार होता है। मौजूदा अंत्योदय अन्न योजना परिवार, जिनमें निर्धनतम व्यक्ति शामिल है, 35 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति परिवार प्रतिमाह प्राप्त करते रहेंगे।

इस अधिनियम में महिलाओं और बच्चो के लिए पोष्टिक सहायता पर भी विशेष ध्यान दिया गया हैं। गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताऐं गर्भावस्था के दौरान तथा बच्चे के जन्म के छः माह बाद भोजन के अलावा कम से

कम 6000 रूपये का मातृत्व लाभ प्राप्त करने की भी हकदार हैं।[32] चौदह वर्ष तक की आयु के बच्चे भी निर्धारित पोषण मानको के अनुसार भोजन प्राप्त करने के हकदार हैं। हकदारी के खाद्यान्नों अथवा भोजन की आपूर्ति नही किए जाने की स्थिति में लाभार्थी खाद्य सुरक्षा भत्ता प्राप्त करते हैं। इस अधिनियम में जिला और राज्य स्तरों पर शिकायत निपटान तंत्र के गठन का भी प्रावधान हैं। पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए भी इस अधिनियम में अलग से प्रावधान किए गए हैं।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की विशेषताऐं:

1. लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TDPS) के अन्तर्गत कवरेज और हकदारी–TDPS के अन्तर्गत 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिमाह की एक समान हकदारी के साथ 75 प्रतिशत ग्रामीण आबादी और 50 प्रतिशत शहरी आबादी को कवर किया जाता हैं। चूंकि अंत्योदय अन्न योजना (AAY) में निर्धनतम परिवार शामिल होते हैं और ये परिवार वर्तमान में 35 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह के लिए हकदार हैं, अतः मौजूदा अंत्योदय अन्न परिवारों की 35 किलाग्राम प्रति परिवार प्रति माह की हकदारी सुनिश्चित रखी जाती हैं।

2. राज्य–वार कवरेज–ग्रामीण और शहर क्षेत्रों में क्रमशः 75 प्रतिशत और 50 प्रतिशत के अखिल भारतीय कवरेज के अनुरूप राज्य वार कवरेज का निर्धारण केन्द्र सरकार द्वारा किया जाता हैं। योजना आयोग ने वर्ष 2011–12 के लिए NSS पारिवारिक उपयोग सर्वेक्षण आंकडो का प्रयोग करके राज्य वार कवरेज का निर्धारण किया है और राज्य वार ''इनक्लूजन अनुपात'' भी उपलब्ध कराया हैं।

3. TPDS के अन्तर्गत राजसहायता प्राप्त मूल्य और उनमे संशोधन–इस अधिनियम के लागू होने की तारीख से 3 वर्ष की अवधि के लिए TPDS के अन्तर्गत खाद्यान्न अर्थात चावल, गेहूं और मोटा अनाज क्रमशः 3/2/1 रूपये प्रति किलाग्राम के राज सहायता प्राप्त मूल्य पर उपलब्ध कराया जाता हैं। तद्नुपरान्त इन मूल्यों को न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ उचित रूप से जोडा जाता हैं।[33]

4. यदि अधिनियम के तहत किसी राज्य का आवंटन उसके वर्तमान आवंटन से कम हैं तो इसे पिछले तीन वर्ष के औसत उठान के स्तर तक संरक्षित रखा जाता हैं। जिसके मूल्य का निर्धारण केन्द्र सरकार द्वारा किया जाता हैं। पिछले 3 वर्षो के दौरान औसत उठान को संरक्षित करने के लिए अतिरिक्त आवंटन हेतु APL परिवारों के लिए मौजूदा मूल्यों अर्थात गेहूं के लिए 6.10 रूपये प्रति किलोग्राम और चावल के लिए 8.30 रूपये प्रति किलोग्राम को निर्गम मूल्य के रूप में निर्धारित किया गया हैं।

5. परिवारों की पहचान–TPDS के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य के लिए निर्धारित कवरेज के दायरे में पात्र परिवारों की पहचान सम्बन्धी कार्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किया जाना हैं।

6. महिलाओं और बच्चों को पोषणिक सहायता–गर्भवती महिलाऐं और स्तनपान कराने वाली माताऐं तथा 6 माह से लेकर 14 वर्ष तक की आयु वर्ग के बच्चे एकीकृत बाल विकास योजना (ICDS) और मध्यांह भोजन (MDM) स्कीमों के अन्तर्गत निर्धारित पोषणिक मानदण्डों के अनुसार भोजन के हकदार होता हैं। छः वर्ष की आयु तक के कुपोषित बच्चो के लिए उच्च स्तर के पोषण सम्बन्धी मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं।

7. मातृत्व लाभ–गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताए मातृत्व लाभ प्राप्त करने की भी हकदार है, जो 6000 रुपये से कम नही होगा।

8. महिला सशक्तिकरण–राशनकार्ड जारी करने के प्रयोजनार्थ परिवार में 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की सबसे बडी महिला को परिवार की मुखिया माना जाता हैं।

9. शिकायत निवारण तंत्र–जिला तथा राज्य स्तरों पर शिकायत निवारण तंत्र का गठन किया गया हैं। राज्यों को मौजूदा तंत्र का उपयोग करने अथवा अपना अलग तंत्र गठित करने की छूट हैं।

10. खाद्यानों की राज्यों के भीतर ढुलाई तथा हैंडलिंग सम्बन्धि लागत और उचित दर दुकान डीलरों का मार्जिन–केन्द्रीय सरकार राज्यों के भीतर खाद्यान्नों की

ढुलाई, हैंडलिंग और उचित दर दुकान के मालिकों के मार्जिन पर किए गए खर्च को पूरा करने के लिए इस प्रयोजनार्थ बनाए जाने वाले मानदण्डों के अनुसार राज्यों को सहायता उपलब्ध कराई जाती हैं।

11. पारदर्शिता और जवाबदेही–पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली से सम्बन्धित रिकार्डो को सार्वजनिक करने, सामाजिक लेखा परीक्षा करने और सतर्कता समितियों का गठन करने का प्रावधान हैं।

12. खाद्य सुरक्षा भत्ता–हकदारी के खाद्यान्न अथवा भोजन की आपूर्ति नही होने की स्थिति में हकदार लाभार्थियों के लिए खाद्य सुरक्षा भत्ते का प्रावधान हैं।

13. दण्ड–जिला शिकायत निवारण अधिकारी द्वारा संस्तुत राहत का अनुपालन न करने के मामले में राज्य खाद्य आयोग द्वारा सरकारी कर्मचारी या प्राधिकारी पर दण्ड लगाए जाने का प्रावधान हैं।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत अभी तक ग्यारह राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों–हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, चण्डीगढ़, मध्यप्रदेश, तथा बिहार को उनके द्वारा पहचान किए गए लाभार्थियों की संख्या के अनुसार खाद्यान्न आवंटित किए गए हैं।अतः खाद्य सुरक्षा और उपभोक्ता को संरक्षण प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर कानून बनाए गए और संविधान में भी कई प्रावधान किए गए। इसी प्रकार खाद्यान्नों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भी संसद द्वारा कई अधिनियम पारित किए गए और उच्चतम न्यायालय द्वारा भी सुरक्षा प्रदान की गई। इसके लिए केन्द्रिय और राज्य स्तर पर संरचनात्मक एवं प्रक्रियात्मक प्रणाली विकसित की गई जिससे इन अधिनियमों और कानूनों को विधिक क्रियान्वयन हो सके।

संदर्भ सूची (**Reference List**)

1. धारा 2, अध्याय प्रथम, **खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006**, न्याय और कानून मंत्रालय, नई दिल्ली।
2. धारा द्वितीय, अध्याय प्रथम, **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013**, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, नई दिल्ली।
3. देवी, महाश्वेता एवं त्रिपाठी, अरूण कुमार, **खाद्य संकट की चुनौती**, वाणी प्रकाशन, दिल्ली, 2007।
4. उपरोक्त।
5. विल्सन, जी., **दि सोशियल इकानोमिक्स ऑफ एग्रिकल्चर**, ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 1995।
6. जिग्लर, जीन, **वॉट इज दि राईट टू फूड**, द ग्रेजुएट इन्सटिट्यूट पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2000।
7. अनुच्छेद 25, **मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा**, 1948।
8. फैक्ट शीट नम्बर 34, **दि राईट टू एडिक्यूएट फूड**, यूनाईटेड नेशन ह्यूमन राईटस।
9. धारा द्वितीय, अध्याय प्रथम, **उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986**, उपभोक्ता मामले विभाग, नई दिल्ली।
10. गुप्ता, एस.पी., **उपभोक्ता संरक्षण विधि**, रावत पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2008।
11. **www. oxforddictionaries.com**/definition/english/food.
12. पोर्टर, माइकेल, **दि कंपटीटिव एडवांटेज ऑफ नेंशस**, साइमन पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 1998।
13. धारा द्वितीय, अध्याय प्रथम, **उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986**, उपभोक्ताा मामले विभाग, नई दिल्ली।
14. जीन, ड्रेजे और सेन,ए, **हंगर एण्ड पब्लिक एक्शन**, क्लारेंडन पब्लिकेषन, ऑक्सफोर्ड, 1989।
15. जोशी, ललित और सिन्हा, नवीन, **उपभोक्ता के अधिकार एवं विवेचन**, कुलदीप पब्लिकेशन, जयपुर, 2002।

16. पाण्डेय, जे.एन., **भारत का संविधान**, इलाहाबाद सेन्ट्रल लॉ एजेंसी, इलाहाबाद, 2003।
17. उपरोक्त।
18. उपरोक्त।
19. **www.righttofoodindia.org.**
20. **www.sccommissioners.org.**
21. मिश्रा, एस.के. एण्ड पुन, के., **फूड प्राब्लॅम, फूड पॉलिसी एण्ड पब्लिक डिस्ट्रब्यूशन सिस्टम**, हिमालया पब्लिशिंग हाऊस, नई दिल्ली, 1996।
22. धारा नौ, अध्याय चतुर्थ, **आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955**, उपभोक्ता अध्ययन केन्द्र, नई दिल्ली।
23. सिवाना एन., **फूड सिक्यूरिटी एण्ड पब्लिक सर्पोट**, सेज पब्लिकेशन, जयपुर, 1999।
24. सक्सेना,एस.सी., **हंगर अण्डर न्यूट्रीशियन एण्ड फूड सिक्यूरिटी इन इण्डिया**, अर्जुन पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2005।
25. सिन्ह,यू.के., **पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम**, मित्तल पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 1991।
26. धारा चार, अध्याय द्वितीय, **उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986**, उपभोक्ता अध्ययन केन्द्र, नई दिल्ली।
27. दत्त, परितोष चन्द्र, **उपभोक्ता व्यवहार**, गोवाहटी विश्वविद्यालय, 1996।
28. मजूमदार, पी.के., **लॉ ऑफ कन्जूमर प्रोटेक्शन इन इण्डिया**, आरिएण्ट प्रकाशन
29. आलम, अफरोज, **सार्वजनिक वितरण प्रणाली**, जमाअत–ए–ईस्लामी हिन्द, नई दिल्ली, 2007।
30. वर्दन, प्रभा, **कृषि व्यवस्था**, प्रगति पब्लिकेशन हाउस, दिल्ली, 2009।एए
31. धारा दस, अध्याय तृतीय, **विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009**, उपभोक्ता अध्ययन केन्द्र, नई दिल्ली।
32. धारा चार, अध्याय द्वितीय, **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013**, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, नई दिल्ली।
33. उपरोक्त।

****

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलेः संरचनात्मक एवं प्रक्रियात्मक विवेचन

भारत में खाद्य असुरक्षा के चलते हुई मौतों और ग्रामीण इलाकों में बढ़ते खाद्य संकट ने सबका ध्यान आकर्षित किया हैं। इस खाद्य असुरक्षा और कुपोषण की समस्या को हल करने के लिये केन्द्रीय स्तर एवं राज्य स्तर पर कई सुधारात्मक प्रयास किये गए। इसके लिये केन्द्रीय स्तर पर एक मंत्रालय, उपभोक्ता, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय कार्यरत हैं जो निर्धनता, बेरोजगारी, भूख और कुपोषण से सम्बन्धित कई योजनाएं चलाता हैं और इसके अतिरिक्त उपभोक्ताओं को सुरक्षा प्रदान करता हैं। केन्द्र स्तर के साथ–साथ राज्य स्तर पर भी खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग का गठन किया गया हैं।

प्रस्तुत अध्याय में केन्द्र स्तर और राज्य स्तर के मंत्रालय/विभाग के संगठन और कार्यों की अलग–अलग विवेचना की गई। इसमें प्रशासनिक व्यवस्था और ढाँचे को समझाने का प्रयास किया गया है और इसके साथ–साथ केन्द्र/राज्य स्तर पर कार्यरत कार्यालयों और निगमों का भी वर्णन किया गया हैं।

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालयः संरचनात्मक एवं कार्यात्मक विवेचन (Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution: Structural and Functional Analysis):

द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत ने भीषण अकाल का सामना किया था तथा खाद्यान्नों की आवश्यकता को पूरा करने के लिये 1 दिसम्बर, 1942 में गर्वनर जनरल की काउंसिल के वाणिज्य सदस्य की अध्यक्षता में अलग से खाद्य विभाग बनाया गया। वर्ष 1946 में जब भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया गया उस समय इस विभाग का अध्यक्ष डॉ. राजेन्द्र प्रसाद को बनाया गया तथा 29 अगस्त, 1997 में विभाग का पुनर्गठन कर खाद्य मंत्रालय बनाया गया।

बेहतर प्रशासनिक कुशलता और मितव्ययता के लिये 1 फरवरी, 1951 में कृषि मंत्रालय के साथ खाद्य मंत्रालय को जोड़कर खाद्य एवं कृषि मंत्रालय बनाया गया। वर्ष 1965 में खाद्य निगम अधिनियम, 1964 के तहत इस विभाग में भारतीय खाद्य निगम की स्थापना की गई।

जनवरी, 1966 में सामुदायिक विकास एवं सहकारिता मंत्रालय को मिलाकर खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय बनाया गया और सन् 1971 में इसका नाम बदलकर कृषि मंत्रालय कर दिया गया। सन् 1983 में कृषि मंत्रालय से खाद्य विभाग को अलग कर दिया तथा खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय के रूप में एक नया मंत्रालय बनाया गया।

अंततः 17 जुलाई, 2000 में उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय बनाया गया और बाद में इसका नाम उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय रखा गया। वर्तमान में इस मंत्रालय के अन्तर्गत निम्नलिखित दो विभाग कार्यरत हैं–

i. उपभोक्ता मामले विभाग (Department of Consumer Affairs)
ii. खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग (Department of Food and Public Distribution)

उपभोक्ता मामले विभाग (Department of Consumer Affairs):

उपभोक्ताओं को संरक्षण प्रदान करने के लिए उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत उपभोक्ता मामले विभाग का गठन किया गया हैं। इस विभाग का नियंत्रण कैबिनेट मंत्री द्वारा किया जाता है जो मंत्रालय के समस्त कार्यो पर निगरानी रखता हैं। इसके अधीन राज्यमंत्री कार्यरत हैं जो विभाग के कार्यो में सामंजस्य एवं निगरानी रखने में कैबिनेट मंत्री की सहायता करता हैं। राज्यमंत्री के अन्तर्गत विभागीय स्तर पर एक सचिव का पद गठित किया गया हैं जो विभाग के प्रशासनिक एवं राजनैतिक अंगों के बीच कड़ी का काम करता हैं और मंत्री को सलाह देता हैं। यह पद भारतीय प्रशासनिक सेवाओं के अधिकारियों से भरा जाता हैं। सचिव की सहायता हेतु 1 अतिरिक्त सचिव एवं वित्त सलाहकार, 1

मुख्य सलाहकार (आर्थिक प्रभाग), 1 अतिरिक्त सचिव तथा 1 संयुक्त सचिव होता है। इनके अधिन उपसचिव, कार्यालयों के निदेशक, उपनिदेशक तथा अवर सचिव भी कार्यरत है। विभाग के इस संगठनात्मक ढाँचे के स्वरूप को चार्ट 3.1 में प्रदर्शित किया गया है।

उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा निम्न कार्य किये जाते हैं:

1. उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में जागरूक करके उन्हें सशक्त बनाना।
2. उपभोक्ता विवादों का प्रभावी, सस्ता और शीघ्र प्रतितोष का प्रावधान करना।
3. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के विधिक माप विज्ञान विभाग के प्रवर्तन तंत्र के आधार ढाँचे का विस्तार और विधिक माप–विज्ञान अधिनियम, 2009 का कार्यान्वयन करना।
4. राष्ट्रीय परीक्षण शाला की प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ीकरण करना।
5. राष्ट्रीय परीक्षण शाला प्रयोगशालाओं के एक स्वतंत्र मूल्यांकन को पूरा करना।
6. वस्तु वायदा बाजारों का सफल विनियमन।
7. पैकेज में रखी वस्तुओं का विनियमन।
8. मानकों का प्रतिपादन करना।
9. विभिन्न स्कीमों के माध्यम से उपभोक्ताअें के हितों का संवर्धन और संरक्षण करना।
10. आवश्यक वस्तु अधिनियम का कार्यान्वयन एवं विनियमन करना।
11. आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों की निगरानी करना।

विभाग इस सभी कार्यों को करने के लिये निम्न सम्बद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों, निगमों एवं प्राधिकरण की सहायता लेता है। इन्हें चार्ट 3.2 में दर्शाया गया है :

1. *राष्ट्रीय परीक्षण शाला* (National Test House (NTH)):

यह उपभोक्ता मामले विभाग के एक अधीनस्थ कार्यालय के रूप में कार्यरत है। इसका मुख्यालय कोलकाता में है। इसके अतिरिक्त कोलकाता, मुम्बई, चेन्नई, गाजियाबाद, जयपुर और गुवाहाटी में इसके 6 क्षेत्रीय कार्यालय है। यह एक राष्ट्रीय प्रयोगशाला है। यह औषधीय, शस्त्रों तथा गोला–बारूद को छोड़कर सभी प्रकार के औधागिक और उपभोगी उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करता है। यह राष्ट्रीय मानकों के प्रतिपादन में भारतीय मानक ब्यूरों की सहायता करता है।

2. *भारतीय मानक ब्यूरो* (Bureau of Indian Standards (BIS):

इसकी स्थापना भारतीय मानक ब्यूरों अधिनियम, 1986 के तहत एक वैधानिक निकाय के रूप में 1 अप्रैल, 1987 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में हैं। इसके 5 क्षेत्रीय कार्यालय, 32 शाखा कार्यालय, 3 निरीक्षण कार्यालय और 8 प्रयोगशालाएं हैं[2]। इसका मुख्य उद्देश्य मानकीकरण, गुणता सत्यापन, घरेलु उत्पादों एवं आयातित उत्पादों का सत्यापन आभूषणों की हालमार्किंग आदि है।

3. *भारतीय विधिक माप विज्ञान संस्थान* (Indian Institute of legal Metrology (IILM):

इसकी स्थापना विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 के तहत एक वैधानिक निकास के रूप में 1 अप्रैल, 2011 में हुई थी। इसका मुख्यालय रांची में है। इस अधिनियम का उद्देश्य वजन और माप के मानक निर्धारित करना, आयातकों के बाट और माप का पंजीकरण, पूर्व–पैक वस्तुओं का विनियमन, सरकार अनुमोदित परीक्षण केन्द्र का विनियमन आदि है। भारतीय विधिक माप विज्ञान संस्थान, केन्द्र और राज्य सरकार के लीगल मेट्रोलॉजी के अधिकारियों को प्रशिक्षण भी प्रदान करता है।

4. राष्ट्रीय उपभोक्ता शिकायत प्रतितोष आयोग (National Consumer Dispute Redressal Commission (NCDRC)):

इसकी स्थापना उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत 1988 में की गई। इसका कार्यालय नई दिल्ली में बनाया गया। इसकी अध्यक्षता उच्चतम न्यायालय के कार्यरत या सेवानिवृत न्यायाधीश द्वारा की जाती है। यह उपभोक्ताओं की शिकायतों के प्रतितोष की सेवाएं प्रदान करता है। वर्ष 2012–13 के दौरान प्रभाग, में लगभग 1322 शिकायतें प्राप्त हुई थी जिसमें से 1210 शिकायतों का संतोषजनक रूप से निपटारा किया गया।

5. भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ (National Co-operative Consumer Federation of India(NCCF)):

राष्ट्रीय स्तर के उपभोक्ता सहकारी संघ की स्थापना 16 अक्टूबर, 1965 को मल्टी स्टेट को–ऑपरेटिव सोसायटी एक्ट के अधीन हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। NCCF उत्पादकों/विनिर्माताओं और थोक विक्रेताओं/खुदरा व्यापारियों और उपभोक्ताओं के बीच सम्पर्क स्थापित करता है। यह विभिन्न आवश्यक वस्तुओं की थोक खरीददारी और विपणन का कार्य भी करता है।

6. केन्द्रीय अध्ययन केन्द्र (Centre for Consumer Studies (CCS)):

इसकी स्थापना 2007 में IIPA (Indian Institute of Public Adminstration) के सम्बद्ध कार्यालय के रूप में की गई। यह उपभोक्ता मामले विभाग के नीति निर्देशों के अनुरूप कार्य करता है। इसका मूल उद्देश्य कल्याण और उपभोक्ता संरक्षण से सम्बन्धित नीति और अनुसंधान के लिये परामर्श समूह (Think Tank)के रूप में कार्य करना। इसके अतिरिक्त यह उपभोक्ता मामलों से जुड़े सभी कार्मिकों को प्रशिक्षण देता है और उपभोक्ता संरक्षण से सम्बन्धित समकालीन मुद्दों पर सेमीनार, कार्यशालाएं, सम्मेलन आदि आयोजित करता है।

इसके अतिरिक्त विभाग के अंतर्गत कोर केन्द्र, कॉन्फोनेट भी कार्य करते है।

7. उपभोक्ता ऑनलाईन अनुसंधान और सशक्तिकरण (कोर) केन्द्र (Consumer Online Resource & Empowerment (CORE) Center):

कोर सेन्टर की स्थापना एक गैर सरकारी संगठन उपभोक्ता समन्वय परिषद (CCC), के सहयोग से की गई थी। यह उपभोक्ता सम्बन्धी समग्र सूचना एवं मुद्दों के लिये एक राष्ट्रीय संसाधन केन्द्र एवं ऑनलाईन डाटाबेस है। यह उपभोक्ता सम्बन्धी सूचना के संकलन और प्रसारण की अत्यधित वैज्ञानिक और प्रभावी प्रणाली प्रदान करता है। यह उपभोक्ता शिकायतों को NCGRC को भेजता है ताकि उनका निपटारा हो सके।

8. कॉन्फोनेट (Computerization and Computer Networking of Consumer Forum in Country (ConfoNet)):

कॉन्फोनेट परियोजना, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की कमियों को दूर करने के लिये बनाया गयी थी। यह स्कीम मार्च, 2005 में शुरू की गई। इस स्कीम के तहत जानकारी प्राप्त करने तथा मामलों के त्वरित निपटारे के लिये देश भर में उपभोक्ता मंचों को उनके सभी तीन स्तरों पर पूर्णतः कम्प्यूटरीकृत किया गया।

खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग (Department of Food and Public Distribution):

इसके अतिरिक्त विभाग के अन्तर्गत दो केन्द्र (कोर केन्द्र, कॉन्फोनेट) भी कार्य करते है। खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग का गठन किया गया। इस विभाग का नियंत्रण कैबिनेट मंत्री द्वारा किया जाता है जो मंत्रालय के समस्त कार्यो पर निगरानी रखता हैं। इसके अधीन राज्यमंत्री कार्यरत हैं जो मंत्रालय के कार्यो में सामंजस्य एवं निगरानी रखने में कैबिनेट मंत्री की सहायता करता हैं। इसके अन्तर्गत विभागीय स्तर पर एक सचिव का पद गठित किया गया हैं जो विभाग के प्रशासनिक एवं राजनीतिक अंगों के बीच कड़ी का काम करता हैं और सलाह देता हैं। यह पद भारतीय प्रशासनिक सेवाओं के अधिकारियों से भरा जाता हैं। सचिव की सहायता हेतु 1 अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार तथा 5

संयुक्त सचिव (शर्करा प्रशासन एवं मुख्य सतर्कता अधिकारी, नीति एवं भारतीय खाद्य निगम, सार्वजनिक वितरण, भण्डारण एवं प्रशासन तथा इर्पेक्स एवं अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग) होते हैं। इसके अधीन उपसचिव, अवर सचिव, कार्यालय के निदेशक तथा उपनिदेशक भी कार्यरत हैं। विभाग के इस संगठनात्मक ढाँचे के स्वरूप का विवरण चार्ट 3.3 में किया गया हैं।

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं–

1. खाद्यानों की खरीद, संचलन, भण्डारण और वितरण संबंधी राष्ट्रीय नीतियां तैयार करना और क्रियान्वित करना।
2. गरीबों पर विशेष ध्यान केन्द्रित करते हुए सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कार्यान्वयन करना।
3. खाद्यानों का केन्द्रीय आरक्षित स्टॉक रखने के लिये भण्डारण सुविधाओं की व्यवस्था करना और वैज्ञानिक भण्डारण को बढ़ावा देना।
4. चावल, गेंहू तथा मोटे अनाजों के संबंध में खाद्य सब्सिडी की व्यवस्था करना।
5. खाद्य तेलों की मानिटरिंग, मूल्य नियंत्रण एवं आपूर्ति करना।
6. खाद्यानों के निर्यात और आयात, बफर स्टॉक रखने, गुणवत्ता नियंत्रण तथा मानदण्डों के सम्बन्ध में राष्ट्रीय नीतियां तैयार करना।
7. चीनी और गन्ना क्षेत्र से सम्बन्धित नीतिगत मामले, चीनी फेक्ट्रियों द्वारा देय गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य निर्धारित करना, चीनी उद्योग का विकास और विनियमन करना (चीनी प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रशिक्षण देने सहित) तथा पी.डी.एस. के लिये चीनी की आपूर्ति करना।

विभाग के उपरोक्त कायों को करने में खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग की एक सम्बद्ध कार्यालय, तीन अधीनस्थ कार्यालय एवं तीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा एक नियामक प्राधिकारण द्वारा की जाती हैं। इन्हें चार्ट 3.4 में दर्शाया गया हैं।

1. शक्कर तथा वनस्पति तेल निदेशालय (Directorate of Sugar and Vegetable Oil):

यह विभाग से सम्बद्ध कार्यालय हैं। यह दो निदेशालय चीनी और वनस्पति तेल को विलय कर अगस्त, 2014 में बनाया गया। यह चीनी एवं खाद्य तेल की उपलब्धता, उनकी कीमतों की निगरानी सहित चीनी तथा खाद्य तेल क्षेत्र से सम्बन्धित नीतियों के कार्यान्वयन के लिये उत्तरदायी हैं।

2. राष्ट्रीय शक्कर संस्था, कानपुर (National Sugar Institute, Kanpur):

यह विभाग का अधीनस्थ कार्यालय हैं एवं देश की अग्रणी वैज्ञानिक और तकनीकी संस्था जो शक्कर प्रौद्योगिकी, शर्करा अभियांत्रिकी और अल्कोहल प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम तथा प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम चलाती हैं। इसकी स्थापना अक्टूबर, 1936 में की गई थी। यह संस्था चीनी और सम्बद्ध उद्योगों को परामर्शी सेवाएं प्रदान करती हैं तथा चीनी और सम्बद्ध क्षेत्रों में समकालीन विषयों पर अनुसंधान एवं विकास कार्य भी करती हैं।

3. भारतीय अनाज भण्डारण प्रबन्धन एवं अनुसंधान संस्थान, हापुड़ (Indian Grain Storage Management and Research Institute (IGMRI) Hapur):

इसकी स्थापना वर्ष 1958 में हापुड़ (उत्तर प्रदेश) में की गई थी। यह विभाग का अधीनस्थ कार्यालय हैं। यह और इसके दो फील्ड स्टेशन हैदराबाद और लुधियाना, खाद्यानों के भण्डारण प्रबन्धन के क्षेत्र में सम्बद्ध अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों तथा दीर्घकालिक एवं अल्पकालिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के माध्यम से वैज्ञानिक भण्डारण तथा खाद्यानों के निरीक्षण सम्बन्धी प्रशिक्षण देते हैं। आइ.जी.एम. आर.आई. राज्य सरकार के कर्मचारियों तथा भण्डागार विकास एवं विनियामक प्राधिकारण द्वारा प्रायोजित किसानों के लिये जागरूकता कार्यक्रम भी चलाते हैं।

4. गुणवत्ता नियंत्रण प्रकोष्ठ (Quality Control Cell (QCC)):

यह विभाग का अधीनस्थ कार्यालय हैं। गुणवत्ता नियंत्रण प्रकोष्ठ खाद्यानों की खरीद भण्डारण और वितरण के समय उनकी गुणवत्ता की निगरानी करते हैं। ये प्रकोष्ठ यह भी सुनिश्चित करते हैं कि भारतीय खाद्य निगम, केंन्द्रीय भण्डारण

निगम, राज्य भण्डारण निगम और राज्य एजेन्सियों द्वारा खाद्यानों के वैज्ञानिक भण्डारण और संरक्षण के बारे में समय–समय पर सरकार द्वारा जारी किये गये दिशा–निर्देशों/अनुदेशों का अनुसरण किया जाता है। इसके लिये प्रकोष्ठों के अधिकारियों द्वारा खाद्य भण्डारण डिपों पर आकस्मिक निरीक्षण किये जाते हैं। ये गुणवत्ता नियंत्रण प्रकोष्ठ बेंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, दिल्ली, कोलकत्ता, हैदराबाद, लखनऊ और पुणे में स्थित हैं।

5. भारतीय खाद्य निगम (Food Corporation of India(FCI)):

भारतीय खाद्य निगम की स्थापना, खाद्य निगम अधिनियम, 1964 के तहत 14 जनवरी, 1965 में की गई थी। यह केन्द्र सरकार की खाद्य नीति के कार्यान्वयन के लिये उत्तरदायी मुख्य एजेन्सी है। इसका मुख्य उद्देश्य किसानों को लाभकारी मूल्य उपलब्ध कराना, उचित मूल्यों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना, खाद्य सुरक्षा के उपाय के तौर पर बफर स्टॉक बनाये रखना, मूल्य स्थिरता के लिये बाजार में हस्तक्षेप करना।

6. केन्द्रीय भण्डारण निगम (Central Warehousing Corporation(CWC)):

इसकी स्थापना कृषि उत्पाद (विकास और भण्डारण) अधिनियम, 1956 के अधीन 2 मार्च, 1957 को की गई थी जिसे बाद में भाण्डागारण निगम अधिनियम, 1962 के रूप में अधिनियमित किया गया था[6]। केन्द्रीय भण्डारण निगम कृषि उत्पादों तथा अन्य वस्तुओं के लिये वैज्ञानिक भण्डारण सुविधाएं उपलब्ध कराता हैं।1 जनवरी, 2015 के अनुसार केन्द्रीय भण्डारण निगम 965 भण्डारगृहों का प्रचालन कर रहा हैं जिनकी कुल भण्डारण क्षमता 102.83 लाख एम.टी. हैं जिसमें से 57 कस्टम ब्रांडेड वेयर हाऊस, 03 एयर कार्गो काम्पलेक्स, 30 केटेनर फ्रेट स्टेशन इनलैण्ड क्लीयरेंस डिपो हैं जो आयात निर्यात व्यापार की सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय भण्डारण निगम की 100 प्रतिशत स्वामित्व वाली एक सहायक कम्पनी सेन्ट्रल रेल साईड वेयर हाऊस कम्पनी लिमिटेड (CRWC) हैं जो रेल साईड परिसरों का विकास करती हैं।

7. वेजिटेबल हिन्दुस्तान ऑयल्स कॉरपोरेशन लिमिटेड (Hindustan Vegetable Oils Corporation Limited (HVOCL)):

इसकी स्थापना वर्ष 1984 में दो राष्ट्रीयकृत कम्पनियों, गणेश फ्लोर मिल्स और अमृतसर ऑयल्स वर्क्स, के विलय के साथ की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य वनस्पति तेल का उत्पादन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिये खाद्य तेल की पैकिंग, नाश्ते से सम्बन्धित खाद्यान्न का उत्पादन आदि हैं। HVOCL वर्ष 1992–93 से लगातार हानि पर चल रही हैं इसलिये ब्रेकफास्ट फूड यूनिट को छोड़कर इसकी सभी यूनिटें वर्ष 2001 में बन्द कर दी गई थी और ये यूनिटें भू–सम्पत्ति को छोड़कर समापन के कगार पर हैं। ब्रेक फास्ट फूड यूनिट भी मई, 2011 के दौरान बन्द कर दी गई थी तथा यह भी समाप्त होने वाली हैं।

8. भाण्डागारण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण (Warehousing Development and Regulatory Authority (WDRA)):

एक सृदढ़ नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसीट प्रणाली (SWR) लागू करने के लिये और भाण्डागारण (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2007 के प्रावधानों को विनियमित करने तथा उनका क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिये भारत सरकार द्वारा भाण्डागारण विकास और विनियमन प्राधिकरण का गठन 26 अक्टूबर, 2010 में किया गया था। WDRA का मुख्य उद्देश्य एक्रीडेशन एजेन्सी का पंजीकरण करना, वस्तुओं के वैज्ञानिक भण्डारण को बढ़ावा देना, बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों का विश्वास कायम रखना, ग्रामीण क्षेत्रों में लिक्वीडिटी बढ़ाना और पर्याप्त आपूर्ति चेन का बढ़ावा देना।

इन सबके अतिरिक्त केन्द्रीय स्तर पर एक प्रयोगशाला केन्द्रीय अनाज विश्लेषण प्रयोगशाला, नई दिल्ली, भी हैं। यह खाद्यानों की खरीद, भण्डारण एवं वितरण के समय खाद्यानों की गुणवत्ता की निगरानी में इस विभाग की सहायता करती हैं ताकि किसानों के हितों के साथ–साथ उपभोक्ताओं के हितों की भी रक्षा की जा सके। इसके अतिरिक्त यह संविदात्मक मानदण्डों पर केन्द्रीय पूल के लिये देश का आयात/निर्यात किये जाने वाले खाद्यानों के मामले में गुणवत्ता पहलुओं पर अपनी तकनीकी राय देती हैं।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभागः संरचनात्मक एवं कार्यात्मक विवेचन (Food, Civil Supplies and Consumer Affair Department: Structual and Functional Analysis):

सार्वजनिक वितरण प्रणाली देश में खाद्यान अर्थव्यवस्था के प्रबन्धन के लिये सरकार की नीति का महत्वपूर्ण अंग हैं। राजस्थान में इस सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रबंधन एवं उचित मूल्यों पर खाद्यानों का सफलतापूर्वक वितरण सुनिश्चित करने के लिये खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग की स्थापना की गई।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग की प्रशासनिक व्यवस्था को तीन स्तर (राज्य, संभाग, जिला) पर विभक्त किया हैं। राजस्थान में वर्ष 1964 तक खाद्य एवं सहायता विभाग एक संयुक्त विभाग के रूप में कार्यरत रहे। वर्ष 1964 से सहायता विभाग से अलग होकर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग पृथक से अस्तित्व में आया। भारत सरकार द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 लागू करने के साथ ही राज्य में भी वर्ष 1987 से खाद्य एवं नागरित आपूर्ति विभाग द्वारा उपभोक्ता संरक्षण से सम्बन्धित कार्य भी सम्पादित किये जा रहे हैं। 21 जून, 2001 को विभाग का नाम बदलकर खाद्य, नागरित आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग कर दिया गया। वर्ष 2013 में मंत्रीमण्डल की आज्ञा 205/2013 के क्रम में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग से ''उपभोक्ता मामले विभाग'' को पृथक किये जाने के लिये राजस्थान कार्याविधि नियमों में संशोधन प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया व अनुमोदित प्रारूप के अनुसार मंत्रीमण्डल सचिवालय द्वारा क्रमांक एफ. 27(1)केबिनेट/2013 दिनांक 26.09.2013 अधिसूचना जारी की गई। इसके पश्चात् उपभोक्ता मामलें विभाग को पृथक कर अलग से विभाग बना दिया गया हैं।

संरचनात्मक विवेचन (Structural Interpretation):

खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग की प्रशासनिक व्यवस्था को तीन स्तर (राज्य, संभाग एवं जिला स्तर) पर विभक्त किया गया हैं।

1. राज्य स्तर पर विभाग का संगठन :

खाद्य सुरक्षा और उपभोक्ताओं को संरक्षण प्रदान करने के लिए राज्य में खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग का गठन किया गया हैं। इसका मुख्यालय जयपुर में हैं। इस विभाग का संचालन मंत्री द्वारा किया जाता है जो विभाग के समस्त कार्यो पर निगरानी रखता है। इसके अधीन प्रमुख शासन सचिव कार्यरत है जो कि पदेन शासन सचिव भी है। शासन सचिव का मुख्य कार्य मंत्री को सलाह प्रदान करना होता है। इसके अन्तर्गत दो अतिरिक्त खाद्य आयुक्त का पद सृजित किया है जो कि पदेन निदेशक (उपभोक्ता मामले) भी है। अतिरिक्त खाद्य आयुक्त की सहायता हेतु, 2 उपायुक्त पदेन उपशासन सचिव (खाद्य), 1 सहायक आयुक्त, 1 सहायक निदेशक सांख्यिकी, 1 उपविधी परामर्शी, 1 वित्तीय सलाहकार, 1 सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी, 1 जिला रसद अधिकारी (सतर्कता), 2 सहायक लेखाधिकारी, 1 कार्यालय अधीक्षक, 2 प्रवर्तन अधिकारी तथा 2 प्रवर्तन निरीक्षक होते है। विभाग के इस संगठनात्मक ढाँचे के स्वरूप को चार्ट 3.5 में दर्शाया गया हैं।

राज्य स्तर पर खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग को सचिवालय व निदेशालय स्तर पर बाटा गया हैं:

i. *सचिवालय स्तर–*

विभाग में राज्य स्तर पर सचिवालय एवं निदेशालय पर नियंत्रण रखने के लिए एक मंत्री होता है जो कि विभाग का संचालन करता है। इसका मुख्य कार्य विभाग के समस्त कार्यों पर निगरानी रखना होता है। यह विभिन्न योजनाओं के निर्माण हेतु दिशा–निर्देश देता है।

चार्ट : 3.5
खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग
प्रशासनिक संरचना[7]

राज्य स्तर

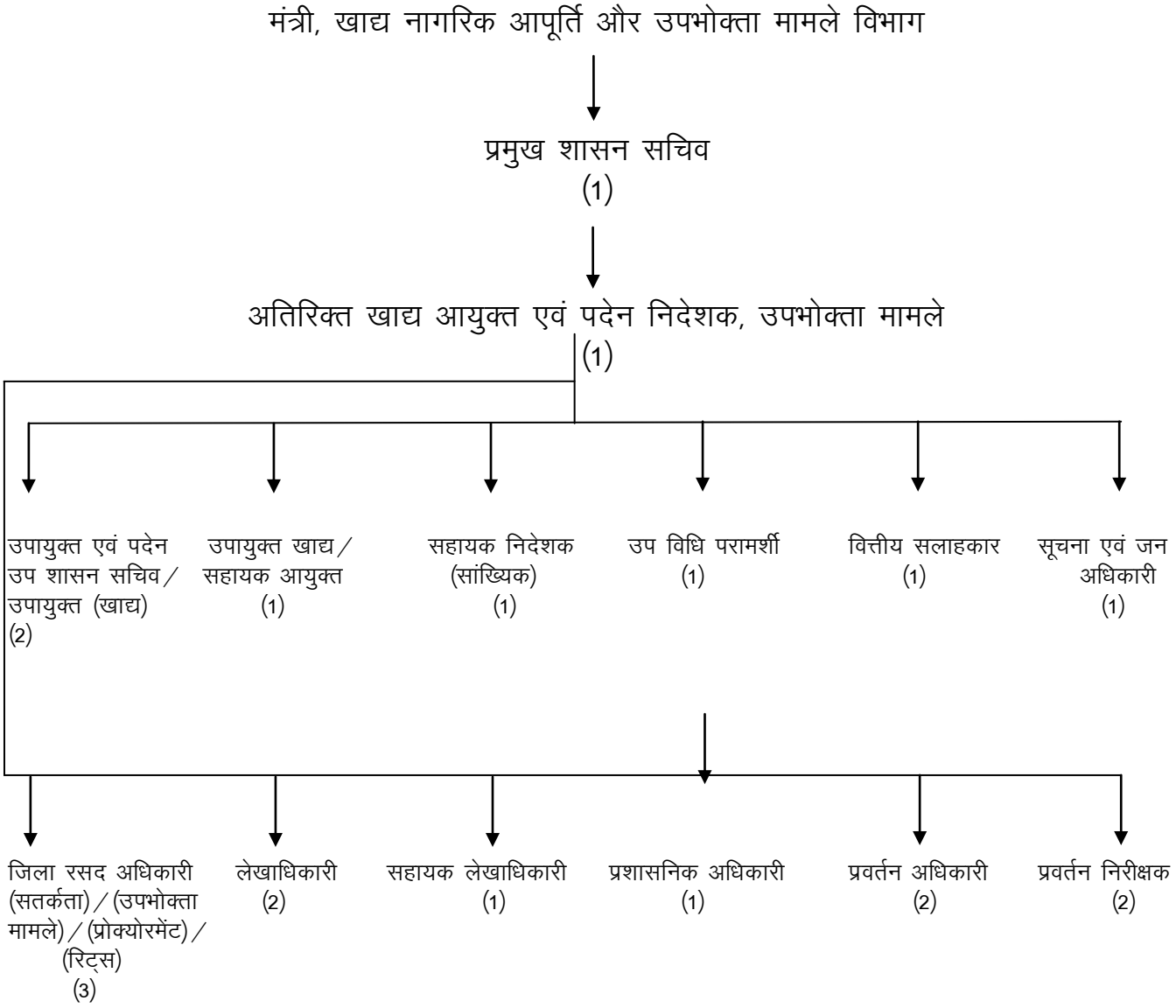

स्त्रोत : प्रगति प्रतिवेदन 2014–15, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग (राज.)।

a. प्रमुख शासन सचिव

खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग का सचिव राज्य सचिवालय में बैठता है। यह विभाग के कार्य–कलापों के सम्बन्ध में भारत सरकार एंव राज्य सरकार के निर्देशों के अनुरूप नीति निर्धारण, विभागीय कार्यकलापों एंव गतिविधियों पर नियंत्रण रखता है तथा सरकार को विभाग की किसी सेवा विस्तार अथवा किसी सेवा की कटौती की सिफारिश करता है तथा यह विभाग के प्रशासनिक एवं राजनीतिक अंगो के मध्य सम्पर्क बनाए रखता है।

ii. *निदेशालय स्तर–*

राज्य सरकार द्वारा विभाग के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रो में खाद्य सुरक्षा प्रदान करने, खाद्य उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा उपभोक्ता संरक्षण हेतु बनाए गयी योजनाओं के संचालन के लिए निदेशालय की स्थापना की गयी है जिसका मुख्यालय प्रमुख शासन सचिव के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है।

a. अतिरिक्त खाद्य आयोग एवम पदेन निदेशक-

यह विभागाध्यक्ष होता है जो कि उपभोक्ता मामले विभाग में पदेन निदेशक भी है। यह राज्य में संचालित विभाग की सेवाओं पर नियत्रंण रखता है। इसके द्वारा विभागीय कर्मचारियों की नियुक्ति, स्थानान्तरण एवं अन्य प्रशासनिक प्रश्नो के सम्बन्ध में निर्णय लिये जाते है। इस पद पर भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के सदस्य अथवा राजस्थान प्रशासनिक सेवा (RAS) के वरिष्ठ सदस्य को नियुक्त किया जाता है।

इसकी सहायता के लिए उपायुक्त पदेन उप शासन सचिव का पद होता है। उपायुक्त पदेन उपशासन सचिव के अतिरिक्त निम्न अन्य सहायक अधिकारी भी कार्य करते है।

(क) उपायुक्त एवं पदेन उपशासन सचिव– यह पदेन उपशासन सचिव भी है जो अतिरिक्त खाद्य आयुक्त के कार्यो में सहायता हेतु नियुक्त होता है जो खाद्य आयुक्त व अन्य अधिकारियों के मध्य समन्वय भी रखता है। यह कार्य विभाजन के आधार पर समय–समय पर जारी विभागीय आदेशों के अनुरूप

कार्य करता है। इस पद पर राजस्थान प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त होता है। इसके सहायक के रूप में एक सहायक आयुक्त कार्यरत है।

(ख) सहायक निदेशक सांख्यिकी– यह विभाग में गैर राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी होते है। यह सहायक के रूप में कार्य करते है। विभाग से संबंधित विभिन्न सांख्यिकी सूचनाओं के संकलन, विश्लेषण आदि का दायित्व इन्ही के पास होता हैं।

(ग) सहायक निदेशक (उप) विधि परामर्शी– यह राजस्थान प्रशासनिक सेवा का सदस्य होता है। यह विभाग से संबंधित मामलों में विधिक परामर्श एंव विभिन्न न्यायलयों में विचारधीन प्रकरणों की मोनिटरिंग का कार्य करता हैं।

(घ) वित्तीय सलाहकार– यह राजस्थान प्रशासनिक सेवा का सदस्य होता है। यह विभाग से संबंधित मामलों में वित्तीय परामर्श एंव विभिन्न योजनाओं में व्यय हुई राशि की मोनिटरिंग का कार्य करता हैं।

(ङ) सूचना एंव जन अधिकारी– यह विभाग में गैर राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी होते है जो कि विभागीय कार्यो एवं गतिविधियों का प्रचार एवं प्रसार का कार्य करते हैं।

(च) जिला रसद अधिकारी(सर्तकता)– यह उपभोक्ता मामले विभाग के अन्तर्गत कार्य करता हैं। यह राजस्थान प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता हैं। यह निदेशालय स्तर पर विभाग का कार्य देखता है एंव नियंत्रण रखता हैं। आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 एंव अन्य अधिनियम/आदेश/निर्देश के अन्तर्गत सम्पूर्ण राज्य में निरीक्षण की शक्तियाँ इसे प्रदान की गई हैं। यह विभाग द्वारा निर्धारित मानदण्डो के अनुसार निरीक्षण का कार्य भी संभालता हैं।

(छ) मुख्य लेखाधिकारी– विभाग में मुख्यालय स्तर पर एक मुख्य लेखाधिकारी होता हैं। यह ऑडिटएंव लेखों से सम्बनधित समस्त कार्यो को देखता हैं। यह विभाग के हिसाब के लिये उत्तरदायी हैं। यह बजट व निरीक्षण का कार्य भी करता हैं। इसकी सहायता एवं कार्यो में देखरेख के लिये एक सहायक लेखाधिकारी भी कार्यरत हैं।

(ज) प्रशासनिक अधिकारी– यह अतिरिक्त खाद्य आयुक्त के सहयोगी के रूप में कार्य करता हैं। प्रशासनिक मामलों में उसकी सहायता करता हैं। इसे अराजपत्रित कर्मचारियों एंव अधिकारियों को नियुक्त करने का अधिकार होता हैं। यह राजस्थान प्रशासनिक सेवाका वरिष्ठ सदस्य होता हैं एंव इसे प्रशासनिक शक्तियाँ प्राप्त होती हैं।

(झ) प्रवर्तन अधिकारी– यह आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 एंव विभाग द्वारा क्रियान्वित किए जाने वाले अन्य अधिनियम/आदेश/निर्देश के अन्तर्गत प्रदत्त कार्यो का संपादन करता हैं।

(ञ) प्रवर्तन निरीक्षक– यह आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 एंव विभाग द्वारा क्रियान्वित किए जाने वाले अन्य अधिनियम/आदेश/निर्देश के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुसार कार्य करता हैं।

2. संभाग स्तर पर विभाग का संगठनः

राजस्थान राज्य में सात संभाग हैं– अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर। संभागीय स्तर पर विभाग के संगठनात्मक ढाचें के स्वरुप को चार्ट 3.6 में दर्शाया गया हैं। प्रत्येंक संभाग में खाध सुरक्षा और उपभोक्ताओं को संरक्षण प्रदान करने के लिए संभागीय आयुक्त होता हैं। संभागीय आयुक्त विभाग द्वारा संपादित कार्यो का संभाग स्तर पर समीक्षा, पर्यवेक्षण एंव कलेक्टरों को दिशा–निर्देश प्रदान करने का कार्य करता हैं। संभागीय आयुक्त को सहयता प्रदान करने के लिए 7 संभागीय उपभोक्ता संरक्षण अधिकारी और प्रवर्तन अधिकारी होता है। संभागीय उपभोक्ता संरक्षण अधिकारी, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुसार उपभोक्ता को संरक्षण प्रदान करता हैं और प्रवर्तन अधिकारी, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 एंव विभाग द्वारा क्रियान्वित किए जाने वाले अन्य अधिनियम/आदेश/निर्देश के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुसार निरीक्षण कार्य एंव प्रदत्त अन्य कार्यो का संपादन करता हैं।

चार्टः 3.6

खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभागप्रशासनिक संरचना[8]

प्रत्येक संभाग स्तर पर निम्न प्रशासकीय व्यवस्था की गई है

संभाग स्तर

संभागीय आयुक्त

(मुख्यालय)

↓

संभागीय उपभोक्ता संरक्षण अधिकारी

(जिला रसद अधिकारी ग्रेड–III)

↓

प्रवर्तन अधिकारी

(संभागीय आयुक्त कार्यालय)

3. **जिला स्तर पर विभाग का संगठनः**

राजस्थान राज्य में कुल 33 जिले है और प्रत्येक जिले में खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग की एक शाखा है। जिले स्तर पर विभाग में जिला कलेक्टर्स रसद का पद होता है इसके नियत्रंण एंव पर्यवेक्षण में ही कार्य किए जाते है। इसके अतिरिक्त जिला रसद अधिकारी (सर्तकता), जिला रसद अधिकारी (शहर) जिला रसद अधिकारी (ग्रामीण), जिला रसद अधिकारी (रिट्स), अतिरिक्त जिला रसद अधिकार इत्यादि के पद होते है। जिले स्तर पर विभाग के संगठनात्मक ढाचें के स्वरूप को चार्ट 3.7 में दर्शाया गया है। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एंव उपभोक्ता मामले विभाग में सभी पद इसी आधार पर सृजित किए गये है कि प्रत्येक योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा समय–समय पर की जा सके।

चार्ट : 3.7
खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग
प्रशासनिक संरचना[9]

जिला स्तर

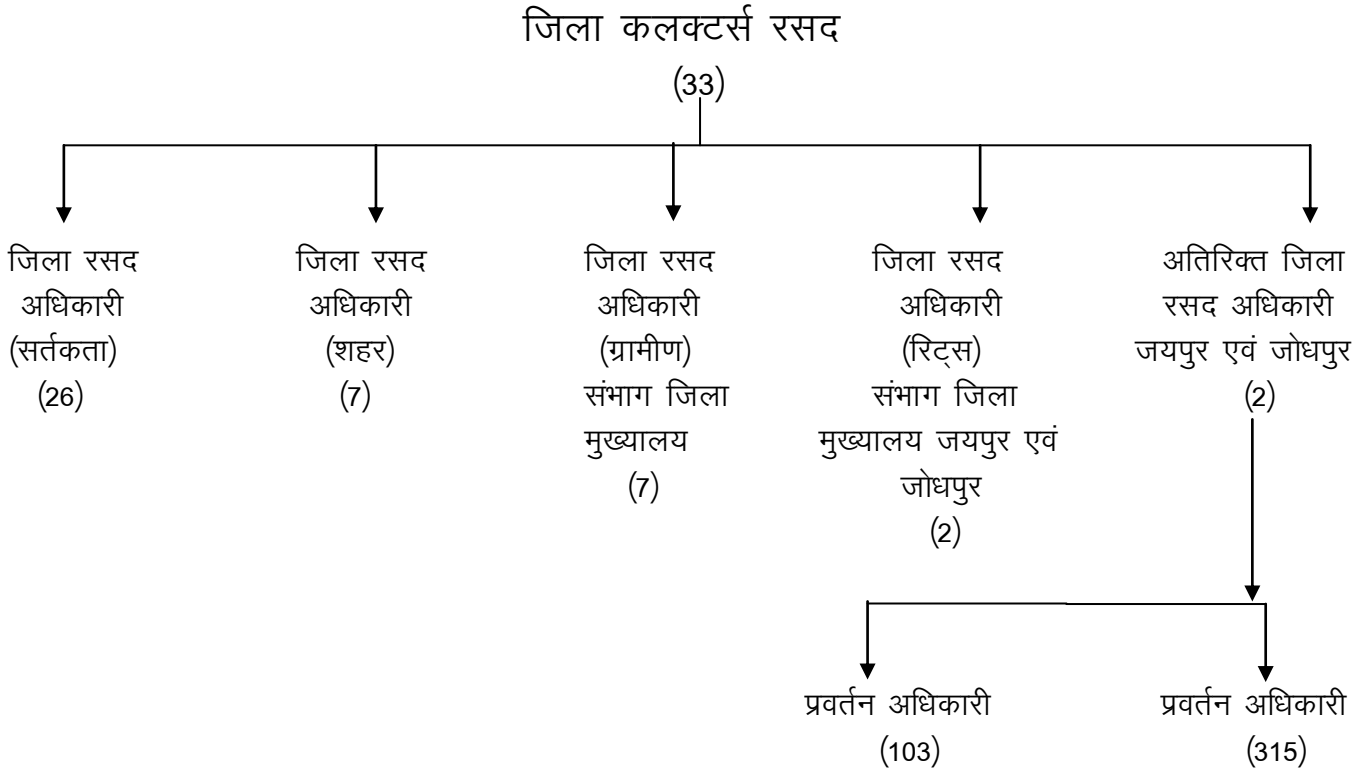

स्त्रोत : प्रगति प्रतिवेदन 2014–15, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग (राज.)।

राजस्थान राज्य में कुल 33 जिला कलेक्टर्स रसद है। जिला स्तर पर सभी योजनाऐं जिला कलेक्टर रसद की देख–रेख में क्रियान्वित होती है। वह प्रत्येक माह को इन योजनाओं की समीक्षा करता है और इनके कर्मचारियों को आवश्यक निर्देश एंव मार्गदर्शन भी प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त जिला रसद अधिकारी (सर्तकता) होता है इसके राजस्थान राज्य में कुल 26 पद है। यह जिला स्तर पर बनाई सर्तकता समितियों के कार्यान्वयन का कार्य करता है और इसके अतिरिक्त यह सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के सुचारू कार्यकरण और इससे संबंधित समस्याओं के निवारण को सुनिश्चित करता है। जिला रसद अधिकारी (शहर/ ग्रामीण) क्रमशः शहर व ग्रामीण स्तर पर योजनाओं के क्रियान्वयन का कार्य करते है। इनका मुख्यालय संभाग स्तर पर बनाया गया है। इसके अतिरिक्त जिला रसद अधिकारी (रिट्स) व अतिरिक्त जिला रसद अधिकारी का पद होता है जो योजनाओं के क्रियान्वयन में जिला कलेक्टर्स रसद को सहायता प्रदान करता है इनका मुख्यालय जयपुर व जोधपुर में ही स्थित है। इन सबके अतिरिक्त विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा जनप्रतिनिधियों द्वारा ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, नगर पालिका, नगर–निगम की मासिक बैठक में भी की जाती है।

कार्यात्मक विवेचन (Functional Analysis):

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और उपभोक्ता संरक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा निम्नलिखित कार्य सम्पादित किये जाते हैं–

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग–

1. भारत सरकार से लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत वितरण योग्य आवश्यक वस्तुओं का राज्य की माँग के अनुरूप आवंटन प्राप्त करना।
2. आवंटित वस्तुओं को उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से निर्धारित दरों पर उपभोक्ताओं को वितरित करना।
3. समर्थन मूल्य नीति के अन्तर्गत खाद्यानों यथा–गेंहू, जौ, मक्का, बाजरा व धान (पेंडी) की खुले बाजार में कीमत निर्धारित मूल्यों से कम होने पर किसानों के

हित में भारत सरकार द्वारा घोषित समर्थन मूल्य पर भारतीय खाद्य निगम एवं नेफेड के माध्यम से क्रय करने में सहयोग करना।

4. आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 एवं इसके अन्तर्गत प्रसारित विभिन्न आदेशों के प्रवर्तन व कालाबाजारी निवारण एवं आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, 1980 के आदेश के अन्तर्गत जमाखोरी व कालाबाजारी के विरूद्ध कार्यवाही करना।
5. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत पात्र परिवारों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करना।

इसके अतिरिक्त खाद्य एंव नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा कई कार्य किए गए जिसमें से कुछ कार्य निम्न है–

a) 1 अप्रैल, 2015 से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कम्प्युटरीकरण के कार्य के अर्न्तगत राज्य में उचित मूल्य दुकानों, गोदामों, थोक व्रिकेताओं का डाटाबेस कम्प्युटरीकृत किया गया।
b) 1 जनवरी, 2015 से पहल योजना के अर्न्तगत भारत सरकार द्वारा घरेलु गैस उपभोक्ताओं को बैंक खाते के मार्फत सीधे ही नकद भुगतान किया गया।
c) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत बीपीएल, अन्त्योंदय योजना के राशनकार्ड धारकों एंव अन्नपूर्णा के अधिकार पत्र धारियों को वितरित किए जाने वाले खाद्यान्नों को लक्षित समूह तक पहुच सुनिश्चित करने के उददे्श्य से राशन टिकिट योजना लागू की गई।
d) आपदा एंव प्रबंधन एंव सहायता विभाग द्वारा वर्ष 2004 में भूख से मुक्ति हेतु फूड स्टाम्प योजना प्रारम्भ की गई।

उपभोक्ता मामले विभाग –

1. उपभोक्ता हितों के संरक्षण के लिये गठित राज्य आयोग एवं जिला मंचों की प्रशासनिक व्यवस्था सम्बन्धी कार्य करना–उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत राज्य स्तर पर राज्य आयोग एंव जिला स्तर पर सभी जिलों में जिला मंचों का गठन किया गया। जयपुर जिलें में तीन तथा जोधपुर जिलें एक अतिरिक्त मंच कार्यरत है।
2. उपभोक्ता आन्दोलन को गति देने सम्बन्धी कार्य करना और वित्तीय सहायता प्रदान करना–उपभोक्ता आन्दोलन की गति प्रदान करनें के लिए उपभोक्ता

जाग्रति सप्ताह का आयोजन, जिला उपभोक्ता सूचना केंद्र का निर्माण, उपभोक्ता निदेशालय एंव चल प्रयोगशाला का निर्माण किया गया है।

3. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का क्रियान्वयन एवं उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा करना– उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम,1986 से अन्तर्गत त्रिस्तरीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद का गठन किया गया है– केद्रं, राज्य, जिला। यह एक अर्धन्यायिक आयोग की तरह कार्य करती है।
4. राज्य उपभोक्ता हैल्पलाइन का संचालन करना– राज्य केद्र सरकार के निर्णय अनुसार 15 मार्च,2011 को ''विश्व उपभोक्ता दिवस'' के अवसर उपभोक्ता हेल्पलाइन का शुभारम्भ किया गया। राज्य स्तरीय उपभोक्ता हेल्पलाइन का संचालन राज्य की स्वैच्छिक उपभोक्ता संस्था कज्यूमर्स एक्शन एण्ड नेटवर्क सोसायटी केन्स जयपुर द्वारा सुचारू रूप से किया जा रहा है। हेल्प्लाइन का टोल फ्री नम्बर 18001806030 है। राज्य उपभोक्ता हेल्पलाइन को ऑनलाइन किया गया है जो www.consumeradvice.in पर उपलब्ध है
5. राज्य उपभोक्ता कल्याण कोष का संचालन करना– उपभोक्ता हितो के संरक्षण एंव सवर्धन तथा उपभोक्ता सरक्षंण सम्बन्धी कार्यक्रमों/योजनाओं के लिए वितीय व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए उददे्श्य से राज्य उपभोक्ता कल्याण कोष स्थापित किया गया है। इस कोष में भारत सरकार द्वारा 27 लाख रूपयें का योगदान किया गया तथा इतनी ही राशि (27 लाख) राज्य सरकार उपलब्ध कराई गई।
6. उपभोक्ता क्लबों का गठन व संचालन करना एवं उपभोक्ता संगठनों का सशक्तीकरण करना– राज्य के माघ्यमिक एंव उच्च माध्यमिक विद्यालयों में स्थापित एक हजार उपभोक्ता क्लबों को सक्रिय किये जाने की कार्य योजना मार्च 2014 को विभागीय स्तर पर चालू की गई।
7. राष्ट्र एवं विश्व उपभोक्ता दिवस का आयोजन करना– दिंनाक 24 दिसम्बर, 2015 को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस राज्य स्तर पर सभी जिलों में मनाया जाता है। इसमें जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद की बैठक एंव महिला संगोष्ठी आयोजित की जाती है।
8. उपभोक्ता साहित्य का मुद्रण एवं प्रबन्धन करना।

राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड (Rajasthan State Food and Civil Supplies Corporation Limited):

राजस्थान में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को प्रभावी एवं सुदृढ़ बनाने हेतु राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड की 8 दिसम्बर, 2010 को स्थापना की गई। इसका पंजीकरण कम्पनी एक्ट की धारा–617 के अन्तर्गत किया गया। निगम की अधिकृत अंश पूँजी 100 करोड़ रूपये है। वर्ष 2014–15 में प्रदत्त अंश पूँजी 50 करोड़ रूपये है। 50 करोड़ रूपये के अंशों में से 49.93 करोड़ रूपये राज्यपाल के नाम है और शेष 7 लाख रूपये निगम के सात निदेशकों के नाम हैं[10]। निगम का संचालन संचालक मण्डल द्वारा किया जाता है जिसे तालिका 3.1 में समझाया गया हैं।

इसके अतिरिक्त खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान द्वारा निगम के त्रिस्तरीय प्रशासनिक ढाँचा (निगम कार्यालय (मुख्यालय), जिला कार्यालय एवं तहसील स्तर) का भी सृजन किया गया हैं।

तालिका क्रमांक 3.1

राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम का संचालक मण्डल

क्र.सं.	पदनाम	संचालक मण्डल में पद
1	प्रमुख शासन सचिव, खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग	अध्यक्ष
2	अतिरिक्त मुख्य सचिव, कृषि विभाग	निदेशक
3	प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग	निदेशक
4	प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम	निदेशक
5	विशिष्ट शासन सचिव, वित्त (बजट) विभाग	निदेशक
6	प्रबन्ध निदेशक, राज. राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड	निदेशक
7	रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ	निदेशक

राजस्थान राज्य खाद्य एंव नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड में स्वीकृत पदों के विरूद्ध रिक्त पदों के स्थिति–

तालिका 3.2

राजस्थान राज्य खाद्य एंव नागरिक आपूर्ति निगम में वर्तमान पदों की स्थिति

क्र. स.	कार्यालय स्तर	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
1	निगम कार्यलय मुख्यालय	59	21	38
2	जिला कार्यलय	272	216	56
3	तहसील स्तर	488	70	418

निगम के कार्य एवं उद्देश्य :

निगम द्वारा खाद्यान्नों की आपूर्ति सुनिश्चित करने एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली को प्रभावी बनाने के लिये निम्न कार्य किये जाते हैं–

1. निगम भारत सरकार द्वारा आवंटित खाद्यान्न का भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से उठाव कर पूरे राज्य में उचित मूल्य की दुकानों पर आपूर्ति करता है। निगम परिवहन व आपूर्ति हेतु आवश्यक निविदायें एवं ठेके आदि की कार्यवाही सम्पन्न करता है।
2. राज्य में उपभोक्ताओं के उपयोग हेतु निगम गैर पी.डी.एस. सामग्री, बड़े निर्माताओं से क्रय कर बाजार में सस्ते दामों पर उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से उपलब्ध कराता है।
3. निगम तहसील स्तर पर जहाँ केन्द्रीय निगम या राज्य भण्डारण निगम के गोदाम उपलब्ध नहीं हैं वहाँ राशन सामग्री के भण्डारण हेतु गोदाम आदि किराये पर लेने की व्यवस्था करता है।

4. बाजार में उपभोक्ता वस्तुओं जैसे–दलहन, खाद्य–तेल, चीनी आदि के दाम बढ़ने पर निगम बाजार में हस्तक्षेप कर इन वस्तुओं को उपलब्ध कराने का कार्य करता है।
5. निगम सम्पूर्ण राज्य में उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से फोर्टीफाईड आटा आम उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराता है।
6. उपभोक्ता संरक्षण एवं उपभोक्ता हितों के लिये जागरूकता एवं प्रचार–प्रसार सम्बन्धी गतिविधियाँ समय–समय पर संचालित करने हेतु खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग के निर्देशानुसार कार्यवाही करता है।
7. सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण हेतु कम्प्यूटराईज्ड मॉनिटरिंग सिस्टम/डायवर्जन को रोकने के लिये जी.पी.एस. तकनीक का प्रयोग एवं स्पेशल विजिलेंस स्क्वायड आदि से सम्बन्धित कार्य भी सम्पादित करता है।
8. निगम राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप कार्य करता है।

इसके अतिरिक्त सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत खाद्यान्न वितरण हेतु निगम को राज्य सरकार द्वारा थोक विक्रेता घोषित किया गया है। विभाग द्वारा निगम को राज्य स्तरीय थोक विक्रेता नियुक्त कर नोडल एजेन्सी से नामित किया है। निगम का तहसील स्तर पर कोई कार्यालय नहीं होने के कारण समस्त जिलों में तहसील स्तर पर पूर्व से ही कार्यरत थोक विक्रेता अर्थात क्रय–विक्रय सहकारी समिति, सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डार एवं राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय सहकारी विकास संघ लिमिटेड के माध्यम से, निगम के द्वारा खाद्यान्न उठाव एवं वितरण का कार्य किया जाता है।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलें विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाएँ :

खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलें विभाग द्वारा विभिन्न वर्गो के लिए योजनाएं चलाई जा रही जिससे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग, बी.पी.एल. लोगों का सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक उत्थान किया जा सकें एंव उनका सामाजिक स्तर ऊचाँ उठ सके और विभिन्न वर्गो के लोग सम्मान पूर्वक जीवन व्यतीत कर सके अतः विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का विवरण निम्न प्रकार है–

सार्वजनिक वितरण प्रणाली (Public Distribution System):

सार्वजनिक वितरण प्रणाली, अभाव की स्थिति में खाद्यानों के प्रबन्धन करने और उचित मूल्यों पर खाद्य वितरण करने के लिये तैयार की गई थी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली देश में खाद्य अर्थव्यवस्था के प्रबन्धन के लिये सरकार की नीति का एक महत्वपूर्ण अंग है। यह पूरक स्वरूप की है अर्थात इसका उद्देश्य किसी परिवार अथवा समाज के किसी वर्ग को इसके अन्तर्गत वितरित किसी वस्तु की समस्त आवश्यकता उपलब्ध कराना नहीं है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का मुख्य उद्देश्य आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना, उनके मूल्यों को स्थिर करना और कुछ मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से समाज के कमजोर वर्गों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करना है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अस्तित्व में आई थी। इसे सर्वप्रथम बाम्बे में प्रस्तावित किया गया और फिर बाद में अन्य राज्यों में फैलाया गया परन्तु युद्ध की समाप्ति पर ब्रिटिश सरकार द्वारा यह प्रणाली समाप्त कर दी गई। 1960 के दशक में अनाज की गंभीर कमी के कारण सार्वजनिक वितरण प्रणाली का पुनः प्रारम्भ किया गया। हरित क्रान्ति के परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय कृषि उत्पादकता में वृद्धि के उपरान्त 1970 एवं 1980 के दशक में गरीबी प्रभावी क्षेत्रों एवं जनजातीय भागों तक इसका विस्तार किया। राशन की दुकानों के माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली, 1992 तक बिना किसी विनिर्दिष्ट लक्ष्य के सभी

उपभोक्ताओं के लिये एक सामान्य हकदारी योजना थी। इसके उपरान्त पूरे देश में 1775 भागों में पुनर्गठित सार्वजनिक वितरण प्रणाली शुरू की गई और जून, 1997 से लम्बित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS) की शुरूआत की गई[11]।

इसके उपरांत वर्ष 2000 में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत अन्तोदय अन्न योजना प्रारम्भ की। अंतत वर्ष 2013 में TPDS के माध्यम से देशभर में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 लागू किया गया। निम्न तालिका सार्वजनिक वितरण प्रणाली की विकास यात्रा को दर्शाया गया है।

तालिका 3.3

सार्वजनिक वितरण प्रणाली की विकास यात्रा

क्र.सं.	पीडीएस के विभिन्न चरण	वर्ष	वर्णन
1.	पीडीएस	1940 के दशक में	सामान्यपात्रता (हकदारी) योजना के रूप में शुरू की।
2.	आरपीडीएस	1992	अगम्य क्षेत्रो (1175 भागों) में विस्तार के लिए
3.	टीपीडीएस	1997	गरीब परिवारों को लक्षित करने के लिए
4.	अंत्योदयअन्न योजना	2000	अत्यंत गरीब परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए
5.	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम	2013	भोजन के अधिकार को कानूनी अधिकार प्रदान के लिए

सार्वजनिक वितरण प्रणाली का संचालन केन्द्र एवं राज्य सरकारों का संयुक्त दायित्व है। केन्द्र सरकार, भारतीय खाद्य निगम (FCI) के माध्यम से खाद्यानों की खरीद, भण्डारण, परिवहन एवं बल्क आवंटन का कार्य करती है। राज्य के अन्दर आवंटन, लक्षित परिवारों की पहचान करने, राशन कार्ड जारी करने और उचित दर दुकानों के कार्यकरण का पर्यवेक्षण करने सहित अन्य प्रचलनात्मक जिम्मेदारियां राज्य सरकार की है। फिलहाल सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन राजस्थान राज्य द्वारा गेंहू, चावल, चीनी और मिट्टी के तेल जैसी वस्तुओं का आवंटन किया

जा रहा है। उक्त वस्तुऐं निर्धारित मात्रा में निश्चित मूल्य लेकर उपभोक्ताओं को राशनकार्ड के आधार पर दी जाती है। भारत सरकार से खाद्यान आवंटित किये जाने के आदेशों के पश्चात् राज्य के जिलों हेतु खाद्यान्न नियम अवधि में उठाव व्यवस्था के साथ उप आवंटन जारी किया जाता हैं। जिलों में जिला कलक्टर्स द्वारा तहसील/पंचायत समिति के अनुसार किये गये आवंटन के आधार पर आवंटित सामग्री सम्बन्धित उचित मूल्य दुकान तक पहुंचाई जाती हैं।

आवश्यक वस्तुओं के वितरण के लिये राजस्थान में कुल 25646 उचित मूल्य की दुकानें स्थापित हैं जिनमें से 6021 शहरी क्षेत्र में एवं 19625 दुकानें ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत हैं[12]। राजस्थान में जिलेवार उचित मूल्य दुकानों की सूचना ''परिशिष्ट–3'' पर अंकित हैं।

पुनर्गठित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (Revamped Public Distribution System):

यह जून, 1992 में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सशक्त एवं कारगर बनाने के आशय से शुरू की गई कि दूर–दराज, पर्वतीय एवं अगम्य क्षेत्रों जहाँ वास्तव में गरीब तबका रहता हैं, तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली पहुंच सके। इसके अन्तर्गत 1775 भाग हैं जिसमें क्षेत्र विनिर्दिष्ट कार्यक्रम जैसे कि सूखा आशंकित क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.), एकीकृत जन जातीय विकास परियोजना (आई.टी.डी.पी.), रेगिस्तार विकास कार्यक्रम (डी.डी.पी.) एवं कुछ निर्दिष्ट पर्वतीय क्षेत्र (डी.एच.ए.) कवर्ड हैं जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली इन्फ्रास्टक्चर के सुधार के सम्बन्ध में राज्य सरकार के परामर्श से विशेष ध्यानाकर्षण हेतु अधिसूचित किये गये हैं। राज्यों को पुनर्गठित सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्षेत्रों में वितरण हेतु केन्द्रीय निर्गम मूल्य से पचास पैसे कम पर खाद्यान्न के वितरण का मापदण्ड प्रति कार्ड बीस किलोग्राम तक हैं।

पुनर्गठित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का उद्देश्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वस्तुओं की क्षेत्रों में प्रभावी पहुंच सुनिश्चित करना, राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचित क्षेत्रों में उचित दर की दुकानों तक उनकी डिलीवरी करना, छुटे हुए परिवारों को खाद्य उपलब्ध कराना एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों के माध्यम से चाय, नमक, दालें, साबुन इत्यादि अतिरिक्त वस्तुओं का वितरण करना।

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (Targeted Public Distribution System(TPDS)):

जून,1997 में भारत सरकार ने गरीबी को ध्यान में रखकर लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरूआत की। टी.पी.डी.एस. के अन्तर्गत केन्द्र खाद्यान्न की डिलीवरी के लिये गरीबों के पहचान की सुस्पष्ट व्यवस्था करता। इस योजना की शुरूआत इस उद्देश्य से की गई थी कि लगभग छः करोड़ गरीब परिवारों को इसका लाभ मिलेगा और इसके लिये वार्षिक 72 लाख टन अनाज का प्रावधान किया गया था। इस योजना के अन्तर्गत गरीबों की पहचान राज्यों द्वारा वर्ष 1993–94 में प्रोफेसर लकड़ा वाला की अध्यक्षता में ''विशेषज्ञ दल के गरीबों की संख्या एवं आनुपातिक आंकलन'' पर आधारित प्रणाली के अनुसार की जाती है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को खाद्यान्नों का आवंटन पिछले वर्षों के औसत उपभोग के आधार पर किया जाता है जो कि लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के शुरू होने पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत पिछले 10 वर्षों का खाद्यान्न का औसत वार्षिक उठाव है।

गरीबी रेखा से नीचे (बी.पी.एल.) परिवारों की आवश्यकता को देखते हुए राज्यों को खाद्यान्न की अधिक मात्रा ''अस्थाई'' व्यवस्था आवंटन की गई थी जिसके लिये खाद्यान्न की 103 लाख टन की वार्षिक मात्रा का प्रावधान किया गया था। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली आवंटन के अतिरिक्त राज्यों को अतिरिक्त आवंटन भी दिया जाता है। अतिरिक्त आवंटन का उद्देश्य गरीबी रेखा से ऊपर (ए. पी.एल.) के परिवारों को मिलने वाले लाभ को बनाये रखना है क्योंकि पी.डी.एस. के अन्तर्गत मिलने वाले लाभ को एकाएक बन्द करना उचित नहीं समझा गया। इसके लिये अतिरिक्त आवंटन सब्सिडाईज्ड मूल्यों पर दिया गया लेकिन ये कीमतें बी.पी. एल. परिवारों के खाद्यान्नों के कोटे से अधिक थी।

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत बी.पी.एल. परिवारों को 50 प्रतिशत आर्थिक लागत पर दस किलोग्राम खाद्यान्न प्रति माह दिया जाता है और ए.पी.एल. परिवारों को आर्थिक लागत पर दस किलोग्राम खाद्यान्न प्रति माह दिया जाता है। अप्रेल, 2000 सर्वसम्मति से गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों को आवंटित खाद्यान्न की मात्रा में वृद्धि तथा फूड सब्सिडी के बेहतर लक्ष्या को ध्यान में रखते

हुये भारत ने बी.पी.एल. परिवारों को प्रति परिवार प्रति माह खाद्यान्न आवंटित करने की मात्रा बढ़ाकर दस किलोग्राम से बीस किलोग्राम कर दी गई। अंत्योदय अन्न योजना जिसमें अंतिम खुदरा मूल्य को गेंहू के लिये 2 रूपये प्रति किलोग्राम और चावल के लिये 3 रूपये प्रति किलोग्राम निश्चित किया है, को छोड़कर लक्षित वितरण प्रणाली के अधीन खाद्यान्नों को वितरण करने के लिये खुदरा निर्गम मूल्य निर्धारित करने के लिये राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को लचीला रूख अपनाने का अधिकार दिया गया है। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत खुदरा मूल्य, थोक/खुदरा विक्रेताओं के मार्जिन, ढुलाई प्रभार, लेवी स्थानीय कर आदि पर विचार करते हुये राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा निर्धारित किया जाता है।

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यान्वयन हेतु राज्यों को आदेश दिया गया कि वह बी.पी.एल. परिवारों की पहचान करने के लिये ग्राम पंचायत और नगरपालिका को भी शामिल करे। ऐसा करते समय समाज के वास्तविक रूप से निर्धन और कमजोर वर्ग जैसे–ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले भूमिहीन खेतीहर मजदूर, सीमांत किसान और झुग्गी–झोपड़ी बस्तियों में रहने वाले ग्रामीण कारीगर जैसे–कुम्हार, टेंपर, बुनकर, लुहार, कारपेन्टर आदि तथा ऐसे लोग जो अनौपचारिक क्षेत्र में अपने जीवन के लिए दैनिक आधार पर अपनी जीविका चलाते हैं जैसे–पोटर्स, रिक्शा चलाने वाले, ठेला खींचने वाले, पटरियों पर फल एवं फूल वालों पर ध्यान दिया जाए। पात्र परिवारों की पहचान के लिये ग्राम सभा को भी शामिल किया जाए। इसके साथ लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के पात्र परिवारों को खाद्यान्नों की पहुंच सुनिश्चित करने हेतु राज्य ने राशन टिकिट व्यवस्था भी लागू की गई।

अंत्योदय अन्न योजना (Antodaya Anna Yojana):

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत अंत्योदय अन्न योजना को लागू करना, गरीबी रेखा से नीचे की आबादी के निर्धनतम वर्ग के बीच भूखमरी को कम करने की दिशा में उठाया गया एक कदम है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के अनुसार देश की कुल जनसंख्या का लगभग पांच प्रतिशत भाग सब्सिडाइज खाद्यान्न भी खरीद नहीं सकते हैं। आबादी के इस भाग को 'भूख ग्रस्त' कहा जाता है। लक्षित

सार्वजनिक प्रणाली को आबादी के इस वर्ग के प्रति और अधिक केन्द्रित और लक्षित करने के लिये एक करोड़ निर्धनतम परिवारों के लिये 25 दिसम्बर, 2000 में अंत्योदय अन्न योजना प्रारम्भ की गई थी।

इस योजना के अन्तर्गत पात्र परिवारों को पैंतीस किलोग्राम खाद्यान्न प्रति माह उपलब्ध कराया जाता है जिसमें 2 रूपये प्रति किलोग्राम गेंहू और 3 रूपये प्रति किलोग्राम चावल दिये जाते हैं। इसके लिये पात्र परिवारों को अलग से राशन कार्ड (अंत्योदय अन्न राशन कार्ड) दिये जाते हैं ताकि खाद्य सामग्री की लाभार्थी तक पहुंच सुनिश्चित हो सके। अंत्योदय परिवारों की पहचान एवं इन परिवारों को अलग राशन कार्ड जारी करने की जिम्मेदारी सम्बन्धित राज्य सरकार की है। वर्ष 2013–14 में राजस्थान में 9,32,101 अंत्योदन अन्न राशनकार्ड जारी किये और 63,175 मैट्रिक टन गेंहू आवंटित किया गया[13]। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत 2014–15 में राजस्थान में विभिन्न खाद्यान्न योजनाओं में आवंटन–उठाव ''परिशिष्ट–4'' पर अंकित है। अंत्योदय अन्न योजना में भारत में 2.50 करोड़ अति निर्धनतम परिवारों को कवर करने के लिये विस्तारित किया गया है जो निम्नानुसार है–

1. प्रथम विस्तार –

गरीबी रेखा से नीचे पचास लाख अतिरिक्त परिवारों को शामिल करके 2003–04 में अंत्योदय अन्न योजना का विस्तार किया गया। इसमें वे परिवार शामिल किये गये थे जिनकी मुखिया विधवा अथवा असाध्य रोगी या अपंग व्यक्ति अथवा साठ वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति को (जिसकी जीविका का साधन सुनिश्चित नहीं हो या सामाजिक सहायता प्राप्त नहीं हो)। इस वृद्धि के साथ अंत्योदय अन्न योजना के अधीन 1.5 करोड़ परिवार (अर्थात गरीबी रेखा से नीचे का 23 प्रतिशत) कवर किये गये।

2. द्वितीय विस्तार –

केन्द्रीय बजट 2004–05 में की गई घोषणा के अनुसार इस योजना का और विस्तार किया जिसमें उपरोक्त परिवार के साथ–साथ वे परिवार भी शामिल किये

गये जो भूख के कगार पर हैं। इसके अन्तर्गत अन्य पचास लाख बी.पी.एल. परिवार भी इस श्रेणी में आ गए। इस सम्बन्ध में 3 अगस्त, 2009 को आदेश जारी किये गये। इन परिवारों की पहचान के लिये निम्नलिखित मानदण्ड के अनुसार मार्गदर्शी सिद्धान्त निर्धारित किये गये–

a) ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में भूमिहीन कृषि श्रमिक, सीमांत किसान, ग्रामीण दस्तकार जैसे– फेरी वाले, चमड़े का काम करने वाले, बुनकर, लुहार, कारपेन्टर, झुग्गी–झोपड़ी में रहने वाले तथा वे व्यक्ति जो कुछ क्षेत्रों में अपनी जीविका दैनिक आधार पर चलाते हैं जैसे–फेरी वाले, कुली, रिक्शा चालक, हांथ का ठेला खींचने वाले, फल और फूल बेचने वाले, चर्मकार, सपेरे, कबाड़ी और इस प्रकार की अन्य श्रेणियों के परिवार।

b) वे परिवार जिनकी मुखिया विधवा या असाध्य रोग से ग्रसित व्यक्ति या अपंग व्यक्ति अथवा 60 वर्ष या उससे अधिक आयु का व्यक्ति अथवा अकेली महिला या पुरूष हो और जिनकी जीविका का कोई सुनिश्चित साधन नहीं हो अथवा जिन्हें पारिवारिक अथवा सामाजिक सहायता प्राप्त नही हो।

c) सभी आदिम आदिवासी परिवार।

इस वृद्धि से अंत्योदय अन्न परिवारों की संख्या 2 करोड़ परिवार (अर्थात बी. पी.एल. का 30.66 प्रतिशत) हो गई।

3. तृतीय विस्तार –

केन्द्रीय बजट 2005–06 में की गई घोषणा के अनुसार अंत्योदय अन्न योजना का और विस्तार किया गया ताकि गरीबी रेखा से नीचे के और 50 लाख परिवारों को कवर किया जा सके। इस प्रकार इसका कवरेज बढ़कर 2.5 करोड़ परिवार (अर्थात बी.पी.एल. का 38 प्रतिशत) हो गया।

अन्त में तीनों विस्तार के बाद उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार 29 दिसम्बर, 2014 को एच.आई.वी. पॉजिटिव परिवारों को भी अंत्योदय अन्न योजना श्रेणी में शामिल कर खाद्य सुरक्षा प्रदान की गई। 31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों 292.31 लाख अंत्योदय अन्न योजना परिवारों की

पहचान की है और अन्न योजना राशन कार्ड जारी किये हैं। इसके अतिरिक्त केन्द्र सरकार द्वारा अंत्योदय अन्य योजना और लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत आने वाली अन्य योजनाओं के लिए केन्द्रीय निर्गम मूल्य निर्धारित किये गये है।जिनका विवरण तालिका 3.4 में किया गया है।

तालिका 3.4

वर्ष 2014–15 में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन केन्द्रीय निर्गम मूल्य

खाद्यान्न	गरीबी रेखा से ऊपर(ए.पी.एल.)	गरीबी रेखा से नीचे (बी.पी.एल.)	अंत्योदय अन्न योजना (ए.ए.वाई.)	खाद्य सुरक्षा योजना एनएफएसएस
चावल	8.30 (ग्रेड–ए)	–	–	–
	7.95 (सामान्य)	5.65	3.00	3.00
गेंहू	6.10	4.15	2.00	2.00
मोटा अनाज	4.50	3.00	1.50	1.00

(आँकड़े रूपये प्रति किलोग्राम)

अंत्योदय परिवारों की संख्या के सम्बन्ध में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 205, 20 मार्च, 2015 को अधिसूचित किया गया। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2015 के उपबन्ध(3) के अनुसार राज्यवार अंत्योदय परिवारों की संख्या राज्य में स्वीकृत अंत्योदय परिवारों की संख्या से जैसा कि उपबन्ध–1 के स्तम्भ 6 में विनिर्दिष्ट है, से अधिक नहीं होगी परन्तु जब कोई अंत्योदय परिवार राज्य से बाहर प्रवास, मृत्यु आदि के कारण अपात्र हो जाता है तो उस राज्य में किसी नये अंत्योदय परिवार की पहचान नहीं की जायेगी।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (National Food Security Scheme):

संसद द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013, 10 सितम्बर, 2013 को अधिनियमित किया जिसका उद्देश्य लोगों को गरिमामय जीवन जीने हेतु समर्थ बनाने के लिय उन्हें वहनीय मूल्यों पर पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्नों की उपलब्धता

सुनिश्चित करना है। लक्षित सार्वजनित वितरण प्रणाली के अंतर्गत पर इस अधिनियम का क्रियान्वयन किया जाता है। इस अधिनियम के अन्तर्गत राज सहायता प्राप्त खाद्यान्न प्राप्त करने हेतु 75 प्रतिशत तक ग्रामीण आबादी तथा 50 प्रतिशत तक शहरी आबादी को कवर करने का प्रावधान है अर्थात लगभग दो–तिहाई आबादी को कवर करने का प्रावधान है। पात्र परिवारों के व्यक्ति 3/2/1 रूपये प्रति किलोग्राम की दर पर पाँच किलोग्राम खाद्यान्न के रूप में क्रमशः गेंहू/चावल/मोटा अनाज प्राप्त करने के पात्र है। मौजूदा अंत्योदय अन्न योजना (ए.ए.वाई.) परिवार जो अत्यंत गरीब है, प्रति परिवार प्रति माह 35 किलोग्राम खाद्यान्न प्राप्त करते रहेंगे। अधिनियम में गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं और 14 वर्ष तक के बच्चों को पोषाहार पर विशेष ध्यान दिया गया है जिससे उन्हें पौष्टिक आहार का अधिकार मिलता है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टी.पी.डी.एस.) के तहत सब्सिडीयुक्त अनाज प्राप्त करने के लिय पात्र परिवारों की पहचान का कार्य राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र का। इसके लिये राज्य सरकार को अधिनियम के आरम्भ होने के बाद एक वर्ष अर्थात 4 जुलाई, 2014 तक का समय दिया गया है। परन्तु अप्रैल, 2015 तक इसे 11 राज्यों/केन्द्रशासित क्षेत्रों अर्थात हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, चण्डीगढ़, मध्यप्रदेश और बिहार में ही लागू किया गया है शेष 25 राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों में आवंटन मौजूदा टी.पी.डी.एस. के तहत जारी है क्योंकि इन राज्यों में चूंकि पात्र परिवारों की पहचान नहीं की गई है।

राजस्थान सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत राज्य में 2 अक्टूबर, 2013 को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का शुभारम्भ किया। भारत सरकार द्वारा इसके तहत शहरी क्षेत्र में 53 प्रतिशत जनसंख्या तथा ग्रामीण क्षेत्र में 69 प्रतिशत जनसंख्या को खाद्य सुरक्षा प्रदान करते हुए राज्य के पात्र लाभार्थियों के लिये प्रति माह 2,32,631 मैट्रिक टन गेंहू आवंटित किया जा रहा है जिसे सभी चयनित/पात्र लाभार्थियों में वितरित किया जा रहा है[14]। वर्ष 2014–15 में

इस योजना के अन्तर्गत राजस्थान राज्य के लगभग 631 लाख व्यक्तियों का चयन किया गया है। इसका विवरण तालिका क्रंमाक 3.5 में किया गया है।

तालिका क्रंमाक 3.5

राज्य को प्राप्त खाद्यान्न का आवंटन व उठाव

1. गेहूँ एपीएल (मात्रा मै.टन में)

क्र.सं.	वर्ष	आवंटन	उठाव	प्रतिशत
1	2011–12	772320	762178	98.69
2	2012–13	772320	733834	95.02
3	2013–14	772320	752748	97.47
4	2014–15 (अप्रैल,14सेसितम्बर,15)	386160	375503	97.24

2. गेहूँ बीपीएल (मात्रा मै.टन में)

क्र.सं.	वर्ष	आवंटन	उठाव	प्रतिशत
1	2011–12	629532	627423	99.66
2	2012–13	629532	606949	96.41
3	2013–14	629632	621164	98.67
4	2014–15 (अप्रैल,14 से सितम्बर,15)	314766	313893	99.72

3. गेहूँ अंत्योदय अन्न योजना (मात्रा मै.टन में)

क्र.सं.	वर्ष	आवंटन	उठाव	प्रतिशत
1	2011–12	391488	383770	98.03
2	2012–13	391488	385041	98.35
3	2013–14	391488	382000	97.88
4	2014–15 (अप्रैल,14 से सितम्बर,15)	195744	192469	98.33

4. गेहूँ अन्नपूर्णा योजना (मात्रा मै.टन में)

क्र.सं.	वर्ष	आवंटन	उठाव	प्रतिशत
1	2011–12	12635	11895	94.14
2	2012–13	10793	9475	87.78
3	2013–14	11818	9440	79.88
4	2014–15 (अप्रैल,14 से सितम्बर,15)	63175.8	20163.78	31.92

5. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत आवंटन–उठाव की सूचना

(मात्रा मै. टन में)

क्र.सं.	वर्ष	पात्र परिवार अन्त्योदय सहित		
		आवंटन	उठाव	प्रतिशत
1	अक्टूबर, 2013 से मार्च,2014	1347905.0	1323859.00	98.21

अप्रैल, 2014 से दिसम्बर, 2014

क्र.सं.	वर्ष	पात्र परिवार अन्त्योदय सहित		
		आवंटन	उठाव	प्रतिशत
1	अप्रैल, 2014	232631.00	231567.00	99.54
2	मई, 2014	232631.00	231752.00	99.62
3	जून, 2014	232631.00	231470.00	99.50
4	जुलाई, 2014	232631.00	228613.00	99.19
5	अगस्त, 2014	232631.00	231037.00	99.31
6	सितम्बर, 2014	232631.00	228582.00	98.26
7	अक्टूबर, 2014	232631.00	231763.00	99.63
8	नवम्बर, 2014	232631.00	230704.00	99.17
9	दिसम्बर, 2014	232631.00	231373.00	99.46
	योग	2093679.0	2076861.0	99.20

इस योजना के अन्तर्गत शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के बी.पी.एल., स्टेट बी.पी.एल., अंत्योदय परिवारों, अन्नपूर्णा योजनान्तर्गत चयनित व्यक्तियों, पेंशनधारी, मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष के लाभार्थियों, समस्त सरकारी हॉस्टल के अन्तःवासी, बन्धुआ मजदूर, निर्माण श्रमिक, घरेलू श्रमिक, लघु एवं सीमान्त कृषक इत्यादि को लाभ दिया जा रहा हैं। राज्य सरकार ने अधिनियम के क्रियान्वयन और पुनर्विलोकन हेतु ''राजस्थान राज्य खाद्य आयोग'' का गठन किया गया जिसका अध्यक्ष प्रमुख शासन सचिव (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान) हैं।

अतः राजस्थान राज्य, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत विभिन्न श्रेणी के लाभार्थियों को निम्नानुसार खाद्यान्न एवं अन्य सामग्री उपलब्ध कराती हैं–

1. अंत्योदय परिवार को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत 35 किलोग्राम गेंहू प्रति परिवार 2 रूपये प्रति किलोग्राम की दर से उपलब्ध कराती हैं।
2. राज्य में अंत्योदय श्रेणी में आने वाले उदयपुर जिले के कथौड़ी परिवार एवं बारां जिले के सहरिया परिवारों को खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत 35 किलोग्राम गेंहू प्रति माह निःशुल्क उपलब्ध कराती हैं।
3. राज्य के बी.पी.एल. एवं स्टेट बी.पी.एल. एवं स्टेट बी.पी.एल.परिवारों (लाभार्थियों) को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत 5 किलोग्राम प्रति यूनिट गेंहू 2 रूपये प्रति किलोग्राम की दर से उपलब्ध कराती हैं।
4. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत निर्धारित मापदण्डों के अनुसार अन्य पात्र परिवारों (लाभार्थियों) को प्रति यूनिट समानुपाती रूप से गेंहू 2 रूपये प्रति किलोग्राम की दर से उपलब्ध कराती हैं।
5. बी.पी.एल. परिवारों (अंत्योदय अन्न योजना चयनित परिवारों सहित) को चीनी 500 ग्राम प्रति इकाई प्रति माह 13.50 प्रति किलोग्राम की दर से वितरित करती हैं।
6. बिना गैस कनेक्शनधारी सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं को कैरोसिन 4 लीटर प्रति माह प्रति राशन कार्ड 17.25 रूपये प्रति लीटर की दर से वितरित करती हैं।

टी.पी.डी.एस. प्रचालनों का एक सिरे से दूसरे सिरे तक कम्प्यूटरीकरण योजना (End-to-End Computerisation of TPDS Operations):

अक्टूबर, 2012 में सरकार द्वारा 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012–17) के अन्तर्गत सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में इस योजना के घटक–1 का कार्यान्वयन शुरू किया। इसका उद्देश्य राशन कार्डों/लाभार्थियों और अन्य डाटा बेसों का डिजिटीकरण करना, आपूर्ति–श्रृंखला प्रबन्धन का कम्प्यूटरीकरण करना और पारदर्शिता पोर्टल तथा शिकायत निपटान तंत्र की स्थापना करना है। इसके लिये 889.07 करोड़ रूपये की लागत अनुमादित की गई जिसमें से भारत सरकार 489.37 करोड़ रूपये और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को हिस्सा 394.70 करोड़ रूपये हैं। वित्तीय सहायता के अतिरिक्त, केन्द्रीय सरकार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनकी आवश्यकतानुसार राष्ट्रीय सूचना केन्द्र के माध्यम से अपेक्षित तकनीकी सहायता भी प्रदान कर रही है। इस स्कीम के अन्तर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने अपने–अपने टी.पी.डी.एस. वेब पोर्टल तैयार किये गये हैं। इसके अलावा केन्द्र स्तर पर भी एक राष्ट्रीय पी.डी.एस. पोर्टल www.pdsportal.nic.in भी शुरू किया है। इस राष्ट्रीय पोर्टल का उद्देश्य सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टी.पी.डी.एस.) से सम्बन्धित सूचना एक ही स्थान पर सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करना है। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिये टोल फ्री हैल्पलाईन 29 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में स्थापित कर दी गई हैं।

राजस्थान राज्य में भी लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत ''एक सिरे से दूसरे सिरे तक कम्प्यूटरीकरण योजना'' वर्ष 2012 में आरम्भ कर दी गई है।

इस योजना के अन्तर्गत आवश्यक वस्तुओं के आवंटन, उठाव, आपूर्ति एवं वितरण व्यवस्था के साथ ही राज्य मुख्यालय व जिला कार्यालयों का भी कम्प्यूटरीकरण कर दिया गया है। इस कार्य के पर्यवेक्षण हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्ष्यता में उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है। वित्तीय वर्ष 2011–12 से 2013–14 तक 6,50,22,450 रूपये की कुल राशि एन.आई.सी. को हस्तान्तरित की जा चुकी है। वर्ष 2014–15 के लिये कुल 175.97 लाख रूपये का प्रावधान किया

है[15]। राजस्थान में टी.पी.डी.एस. का कम्प्यूटरीकरण दो चरणें में किया जा रहा है। प्रथम चरण में डिजिटाइज्ड राशनकार्ड सम्पूर्ण राज्य में उपलब्ध कराये जा रहा हैं। सितम्बर, 2014 तक 94 प्रतिशत डिजिटाइज्ड राशनकार्ड वितरित किये जा चुके हैं। द्वितीय चरण में उचित मूल्य की तथा समस्त सप्लाई चैन (थोक विक्रेताओं द्वारा एफ.सी.आई. गोदाम/तेल कम्पनियों से उठाव कर उचित मूल्य दुकानों का वितरण) का कम्प्यूटरीकरण किया जायेगा, परन्तु अभी इसकी तिथि निर्धारित नहीं की गई है। राज्य की समस्त उचित मूल्य दुकानों पर विक्रय समाधान यंत्र (Point of sale Machine (POS)) मशीन उपलब्ध कराई गई। इसके अतिरिक्त शेष रह गये तथा नया आवेदन करने वाले लाभार्थियों को ऑनलाईन प्रक्रिया द्वारा ई–मित्र/सी.ए.सी. के माध्यम से डिजिटाइज्ड राशनकार्ड उपलब्ध कराये गये हैं।

अन्नपूर्णा योजना (Annapurna Scheme):

अन्नपूर्णा योजना 1 अप्रैल, 2000 को राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) के अन्तर्गत प्रारम्भ की गई। NSAP के अन्तर्गत 65 वर्ष से अधिक आयु के असहाय, वृद्ध व्यक्तियों को जो वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त करने के पात्र हैं, लेकिन उन्हें राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन अथवा राज्य वृद्धावस्था पेंशन दोनों में से किसी भी प्रकार की सहायता नहीं मिल रही हो तो ऐसे पात्र व्यक्तियों को इस योजना के अन्तर्गत खाद्यान्न उपलब्ध करवाया जाता है। अर्थात् यह योजना ऐसे लोगों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करती है जो राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (NOAPS) के पात्र होते हुए भी छूट गए थे। यह योजना उच्चतम न्यायालय के आदेश (28 नवम्बर, 2001 का आदेश) के उपरान्त लागू की गई थी। इसके अन्तर्गत दस किलोग्राम गेंहू प्रति माह प्रतिव्यक्ति निःशुल्क प्रदान किये जाते हैं। इसके लिये राज्य सरकार द्वारा अलग से गुलाबी रंग का अधिकार पत्र बनाया गया है। इस योजना के अन्तर्गत चयनित व्यक्ति को गेंहू का वितरण प्रति माह किया जाता है। पात्र व्यक्ति के पहचान का कार्य ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम सभा और शहरी क्षेत्रों में स्थानीय निकाय/नगरपालिकाओं को दिया गया है। इस योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा राजस्थान को वर्ष 2009–10 में 11521 मैट्रिक टन गेंहू आवंटित किया गया था[16]।

माध्यान्ह भोजन कार्यक्रम (Mid-Day Meal Programme):

मिड–डे–मिल कार्यक्रम एक केन्द्रीय प्रवृतित योजना के रूप में 15 अगस्त, 1995 को पूरे देश में लागू की गई थी जिसके अन्तर्गत कक्षा एक से पाँच तक प्रदेश के सरकारी/परिषदीय/राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले सभी बच्चों को 80 प्रतिशत उपस्थिति पर प्रति माह तीन किलोग्राम गेंहू अथवा चावल दिये जाने की व्यवस्था की गई थी किन्तु योजना के अन्तर्गत छात्रों को दिये जाने वाले खाद्यान्न का पूर्ण लाभ छात्र को न प्राप्त होकर उसके परिवार के मध्य बंट जाता था, इससे छात्र को वांछित पौष्टिक तत्व कम मात्रा में प्राप्त होते थे। इसलिये उच्चतम न्यायालय द्वारा 28 नवम्बर, 2001 को दिये गये निर्देश के क्रम में पका–पकाया भोजन प्रारम्भिक विद्यालयों में उपलब्ध कराये जाने की योजना आरम्भ की गई। योजना की सफलता को दृष्टिगत रखते हुऐ अक्टूबर, 2007 से इसे शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े ब्लाकों में स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालयों तथा अप्रैल 2008 से शेष ब्लाकों एवं नगर क्षेत्र में स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालयों तक विस्तारित कर दिया गया[17]। वर्तमान में यह राज्य के उच्च प्राथमिक स्तर तक के सभी राजकीय, अनुदानित, स्थानीय निकाय विभाग द्वारा संचालित शिक्षा गारण्टी योजना (EGS) केन्द्र, मदरसा आदि में संचालित किया जा रहा है। इस योजना के कार्यान्वयन निम्न उद्देश्य की प्राप्ति के लिये किया गया–

1. राज्य के राजकीय, परिषदीय तथा राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त अर्द्ध प्राथमिक विद्यालयों, शिक्षा गारण्टी योजना केन्द्रों में अध्ययनरत बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना।
2. पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराकर बच्चों में शिक्षा ग्रहण करने की क्षमता को विकसित करना।
3. विद्यालयों में छात्र संख्या बढ़ाना।
4. विद्यालयों में प्राथमिक कक्षाओं में छात्रों को रोकने की प्रवृत्ति विकसित करना तथा ड्राप आउट रेट को कम करना।
5. बच्चों में भाई–चारा की भावना विकसित करना तथा विभिन्न जातियों एवं धर्मों के मध्य के अन्तर को दूर करने हेतु उन्हें एक साथ बिठाकर भोजन कराना ताकि उनमें अच्छी समझ पैदा हो।

अतः इस उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये विद्यालयों में मध्यावकाश में छात्र/छात्राओं को स्वादिष्ट एवं रूचिकर भोजन प्रदान किया जाता है। योजनान्तर्गत प्रत्येक छात्र को सप्ताह में चार दिन चावल के बने भोज्य पदार्थ तथा दो दिन गेंहू से बने भोज्य पदार्थ दिये जाने की व्यवस्था की गई है। अतः केन्द्र सरकार द्वारा प्राथमिक स्तर पर 100 ग्राम प्रति छात्र प्रति दिवस एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर 150 ग्राम प्रति छात्र प्रति दिवस की दर से खाद्यान्न (गेंहू/चावल) उपलब्ध कराया जाता हैं। मध्यान्ह भोजन योजना के क्रियान्वयन अर्थात भोजन निर्माण का कार्य मुख्यतः ग्राम पंचायतों/वार्ड सभा सदस्यों की देख–रेख में किया जाता हैं।

राजस्थान राज्य में मिड–डे–मिल योजना पंचायती राज विभाग द्वारा चलाई जा रही हैं। इस योजना के क्रियान्वयन एवं नियंत्रण की जिम्मेदारी राज्य स्तर पर ''मिड–डे–मिल निदेशालय'' की होती हैं। उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार प्रारम्भिक विद्यालयों में पका पकाया भोजन जुलाई, 2002 से उपलब्ध कराया जा रहा है। वर्ष 2014 में यह योजना कक्षा एक से आठ तक के 85273 विद्यालयों (राजकीय/अनुदानित, स्थानीय निकाय विभाग द्वारा संचालित, शिक्षा गारण्टी योजना (EGS) केन्द्र, मदरसा आदि) में चलाई जा रही है एवं इससे 62.50 लाख बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं। विद्यालयों में वितरित खाद्यान्न में कैलोरी की मात्रा भी सुनिश्चित की गई। प्राथमिक स्तर पर कम से कम 450 कैलोरी व उच्च प्राथमिक स्तर पर कम से कम 700 कैलोरी निर्धारित की गई हैं।

पहल योजना (Pahal Yojana):

पहल योजना 1 जून, 2013 को शुरू की गई। इसे रसोई गैस प्रत्यक्ष लाभ स्थानान्तरण (Direct Benefit Transfer for LPG, DBTL) भी कहा जाता हैं। इसके अन्तर्गत रसोई गैस सब्सिडी का लाभ उठाने के लिये इसे आधार कार्ड से जोड़ा गया परन्तु सरकार द्वारा इसकी समीक्षा करने पर कुछ समस्याऐं सामने आई जिसे ठीक करने के लिये इस योजना को संशोधित किया गया जिसे बाद में संशोधित रसोई गैस प्रत्यक्ष लाभ स्थानान्तरण (Modified DBTL) के नाम से जाना गया। इस संशोधित योजना का प्रथम चरण 15 नवम्बर, 2014 को देश के 54 जिलों में शुरू

किया गया और फिर 1 जनवरी, 2015 को देश के बाकी हिस्सों में शुरू किया गया[18]। इसके अन्तर्गत घरेलू गैस उपभोक्ताओं को बैंक खाते के माध्यम से सीधे ही नकद भुगतान किया जाता है अर्थात संशोधित DBTL योजना के अन्तर्गत जिन उपभोक्ताओं के पास आधार कार्ड हैं उसे बैंक खाते से जोड़कर, बैंक खाते के माध्यम से अनुदार राशि दी जाएगी।

राजस्थान राज्य में यह योजना 1 जनवरी, 2015 को प्रारम्भ हुई। राज्य में 1 सितम्बर, 2014 की स्थिति में कुल 84,58,591 घरेलू गैस कनेक्शनधारी उपभोक्ता हैं। इनमें से 77,03,659 गैस कनेक्शन सक्रिय हैं तथा शेष निष्क्रिय श्रेणी के कनेक्शन हैं। संशोधित DBTL योजना के अन्तर्गत 15 फरवरी 2015 तक कुल 56,37,259 लोगों ने आवेदन किया है जो कुल सक्रिय गैस कनेक्शनधारी उपभोक्ताओं का 73 प्रतिशत हैं। योजना की जिला स्तर व राज्य स्तर पर समीक्षा करने के लिये 29 जनवरी, 2015 को जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति का गठन किया गया।

अन्नपूर्णा भण्डार योजना (Annapurna Store Scheme):

यह योजना अक्टूबर, 2014 में राजस्थान में शुरू की गई। इसका उद्देश्य जनसाधारण को सार्वजनिक निजी सहभागिता के माध्यम से उचित मूल्य दुकानों पर उच्च गुणवत्ता की मल्टी ब्रॉण्ड वस्तुऐं उचित एवं प्रतिस्पर्धी दर पर उपलब्ध कराना। प्रायोगिक तौर पर जयपुर शहर में पाँच तथा उदयपुर शहर में एक उचित मूल्य की दुकान ने अन्नपूर्णा भण्डार के रूप में कार्य प्रारम्भ किया। जयपुर शहर की उक्त दुकानों पर फ्यूचर ग्रुप के द्वारा लगभग 215 प्रकार की उपभोक्ता वस्तुओं की सप्लाई बिक्री हेतु दी जा रही हैं। जनवरी, 2015 तक राज्य के सात संभागों में पाँच हजार उचित मूल्य दुकानों का चयन किया जा चुका है। अन्नपूर्णा भण्डार में कुछ वस्तुऐं एम.आर.पी. दरों से कम राशि में बेची जाती हैं।

मुख्यमंत्री अन्न सुरक्षा योजना (Mukhyamantri Anna Suraksha Yojana):

सार्वजनिक वितरण प्रणाली व्यवस्था में सुधार किये जाने के परिप्रेक्ष्य में राजस्थान में 10 मई, 2010 को ''मुख्यमंत्री अन्न सुरक्षा योजना'' लागू की गई। इस योजना में राज्य के बी.पी.एल. एवं स्टेट बी.पी.एल. वर्ग के परिवारों को अन्नसुरक्षा प्रदान करने के लिये 2 रूपये प्रति किलोग्राम की दर पर 25 किलोग्राम गेंहू प्रतिपरिवार प्रति माह उपलब्ध करवाये गये। यदि परिवार आटे के स्थान पर फोर्टिफाइड आटा लेना चाहे तो उसे 3.60 रूपये प्रति किलोग्राम की दर से आटा उपलब्ध कराया जाता हैं[19]। इस योजना में खाद्यान्न वितरण प्रत्येक माह 15 से 21 तारीख के बीच किया जाता हैं जिसे उपभोक्ता सप्ताह के रूप में माना जाता हैं। गेंहू एवं अन्य सामग्री का वितरण सरकारी कर्मचारी की उपस्थिति में होता हैं।

राशन टिकिट योजना (Ration Ticket Scheme):

राजस्थान में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत बी.पी.एल., अंत्योदय योजना के राशन कार्डधारकों एवं अन्नपूर्णा के अधिकार पत्रधारियों को वितरित किये जाने वाले खाद्यान्नों की लक्षित समूह तक पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राशन टिकट योजना लागू की गई। यह राशन टिकट जिला रसद अधिकारी द्वारा वितरित किये जाते हैं। बी.पी.एल./स्टेट बी.पी.एल./अंत्योदय अन्न योजना/अन्नपूर्णा योजना के उपभोक्ताओं द्वारा उचित मूल्य दुकानदार को राशन कार्ड के साथ राशन टिकट दिखाने पर ही खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता हैं। वर्तमान इस योजना में बजट आंवटन नही करने से योजना अक्रियाशील हो गई हैं।

फूड स्टाम्प योजना (Food Stamp Scheme):

राजस्थान में आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग (Disaster Managementand Relief Department) द्वारा वर्ष 2004 में ''भूख से मुक्ति'' हेतु फूड स्टाम्प योजना प्रारम्भ की थी जिसका कार्यान्वयन खाद्य विभाग द्वारा किया जाता हैं। इस फूड स्टाम्प योजना के अन्तर्गत समस्त ग्राम पंचायतों को 10–10 किलोग्राम के 100 फूड स्टाम्प प्रति वर्ष उपलब्ध कराये जाते हैं। खाद्यान्न के अभाव में, भूख

से पीड़ित किसी भी व्यक्ति को तात्कालिक सहायता के रूप में 10 किलोग्राम गेंहू का फूड स्टाम्प दिया जाता हैं[20]। इस फूड स्टेम्प के आधार पर पीड़ित व्यक्ति उचित मूल्य की दुकान से निःशुल्क 10 किलोग्राम गेंहू वर्ष में एक बार प्राप्त कर सकता हैं। वर्तमान इस योजना में बजट आंवटन नही करने से योजना अक्रियाशील हो गई हैं।

शुद्ध के लिये युद्ध अभियान (War for Purity Campaign):

यह अभियान 22 जून, 2009 को राजस्थान सरकार द्वारा चलाया गया। इसका उद्देश्य खाद्य पदार्थों की कालाबाजारी, जमाखोरी, मिलावट एवं दुरूपयोग को रोकना हैं। यह अभियान खाद्य, उद्योग, कृषि, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, स्वायत्त शासन तथा पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा संयुक्त रूप से चलाया जाता हैं। इस अभियान के अन्तर्गत खाद्य विभाग नोडल विभाग के रूप में कार्य करता हैं।6 फरवरी, 2011 को पेट्रोलियम पदार्थों में मिलावट की जाँच हेतु तेल कम्पनियों के साथ मिलकर एक संयुक्त जाँच अभियान प्रारम्भ किया जिसके लिये मुख्यालय स्तर पर दो सतर्कता दल भी बनाये गये[21]। वर्तमान इस योजना में बजट आंवटन नही करने से योजना अक्रियाशील हो गई हैं।

गैर पी.डी.एस. वस्तुओं का वितरण (Distribution of Non-PDS Items):

राजस्थान में गैर पी.डी.एस. वस्तुओं को उचित दरों पर उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराया जाता हैं। यह योजना अगस्त, 2011 में शुरू हुई। इसके प्रथम चरण में आयोडीन युक्त नगर, चाय एवं साबुन को उचित मूल्य की दुकानाओं के माध्यम से उपभोक्ताओं तक वितरित किया गया। इसके अन्तर्गत राज ब्रॉण्ड की चाय एवं नमक वितरित किये जाते हैं।

रियायती दर पर केरोसीन का वितरणः

इसमें राज्य के लाभार्थियो को खाना पकाने तथा प्रकाश की व्यवस्था हेतु प्रतिमाह केरोसीन का वितरण किया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत सभी राशनकार्ड धारक, जिनके पास एलपीजी गैस कनेक्शन नही है, लाभान्वित हो सकते है। इसके अन्तर्गत 2.5 लीटर केरोसीन प्रति परिवार प्रति माह 17.50 रूपये प्रति

लीटर की दर से उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक उस क्षेत्र की उचित मूल्य की दुकान पर राशनकार्ड प्रस्तुत कर लाभान्वित हो सकता है।

उचित दर दुकान–सह–गोदामों का निर्माणः

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत राशनकार्ड धारकों को उचित दर दुकानों के माध्यम से आवश्यक वस्तुए (चावल, गेहूँ, मोटा अनाज तथा चीनी) वितरित की जाती है। यह केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों की संयुक्त उठान करने, माध्यमिक भंडारण सुविधाओं तक इसका परिवहन करने तथा वहा से उचित दर दुकानों तक इनकी सुपुर्दगी करने की जवाबदेही राज्यो/संघ क्षेत्रों की है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारो द्वारा उचित दर दुकानो को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत लाइसेंस प्रदान किया जाता है। इसके अलावा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियत्रंण) आदेश, 2001 में यह निर्धारित किया गया है। कि राज्य सरकारे, केन्द्र सरकार द्वारा भारतीय खाद्य निगम गोदामों से जारी की गई आवश्यक वस्तुओं की सुपुर्दगी अपनी निर्दिष्ट एजेंसियो द्वारा लेने का प्रबंध करेगी। वर्ष 2012–13 में इस योजना हेतु 5 करोड रूप अनुमोदित किये थे परन्तु योजना आयोग ने इस योजना को अनुमोदित नही किया।

ग्रामीण अनाज बैंक योजना (Gramin Grain Bank Yojana):

यह योजना पहले 11 राज्यों में जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित की गई थी। तत्पश्चात् यह योजना दिनांक 24.11.2004 से खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक आपदा की अवधि के दौरान या खाद्यान्नों की कमी के नरम मौसम में, जब खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित गरीब परिवारो के पास राशन खरीदने के लिए पर्याप्त संसाधन नही होते है, उन्हे भुखमरी से सुरक्षा प्रदान करना है। ऐसे लोग, जिन्हे खाद्यन्न की जरूरत होती है, ग्रामीण अनाज बैंक से अनाज उधार ले सकेंगे। अनाज बैंको की स्थापना सुरक्षा प्रवण क्षेत्रो, गर्म तथा ठण्डे रेगिस्तान क्षेत्रो, जनजातीय क्षेत्रो और ऐसे दुर्गम पहाडी क्षेत्रो, जिनका सम्पर्क बाढ आदि जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण कट जाता है, में की जानी थी। राज्य सरकार द्वारा

पहचान की गई ग्राम पंचायत/ग्राम सभा, स्व सहायता समूह, गैस सरकारी संगठन आदि अनाज बैंक चलाने के लिए पात्र है। वर्ष 2012–13 के अतिरिक्त इस योजना के लिए बजट आवटिंत नही किया गया और दिनांक 01.01.2014 से इस योजना को बंद कर दिया गया।

तालिका 3.6

विभाग द्वारा चलाई जा रही महत्वपूर्ण योजनाओं की सूची

क्र.सं.	योजनाएँ	मात्रा	वर्णन
1.	टीपीडीएस	बीपीएल/एपीएल/35 किग्रा चावल और गेहूँ/परिवार/माह	चावल, गेहूँ और चीनी के मूल्य में छूट
2.	अन्त्योदय अन्न योजना	निर्धनतम परिवार के 35 किग्रा चावल और गेहूँ	चावल और गेहूँ के मूल्य में अतिरिक्त छूट (बीपीएल की तुलना में)
3.	अन्नपूर्णा योजना	10 किग्रा/माह/वृद्धजन	वृद्ध जन को निशुल्क खाद्यान्न
4.	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना	75 प्रतिशत ग्रामीण आबादी 50 प्रतिशत शहरी आबादी 5/व्यक्ति/माह	3/2/1 रूपये प्रति किलोग्राम की दर से क्रमशः गेहूँ/चावल/मोटा अनाज
5.	जवाहर ग्राम समृद्धि योजना	1 किग्रा गेहूँ व चावल/कार्य दिवस	बीपीएल ग्रामीण मजदूरों के खेती के मौसम में रोजगार
6.	मनरेगा योजना	1 किग्रा गेहूँ व चावल/कार्य दिवस	100 दिवस रोजगार, 2 सदस्य प्रति परिवार
7.	स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना	5 किग्रा तक अनाज/व्यक्ति/दिवस	न्यूनतम मजदूरी पर रोजगार
8.	मिड–डे मिल योजना	3 किग्रा चावल व गेहूँ/ बच्चा/माह पका हुआ भोजन 200दिवस	प्राथमिक स्कूलो में भोजन का वितरण
9.	प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना	300 कैलोरी और 8–10 ग्राम प्रोटीन/ग्रेड 1 और 2 बच्चा और ग्रेड 3 और 4 के दोगुना	अतिरिक्त भोजन
10.	डे केयर केन्द्र	300 कैलोरी और 12–15 ग्राम प्रोटीन, 270 दिन के लिए	अति गरीब परिवार, 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे

11.	पहल योजना	9 सिलेण्डर प्रति वर्ष	रसोई गैस सब्सिडी
12.	अन्नपूर्णा भण्डार योजना	215 प्रकार की उपभोक्ता वस्तुएँ	कम कीमत पर
13.	मुख्यमंत्री अन्न सुरक्षा योजना	25 किग्रा/परिवार/माह	राजस्थान राज्य के बीपीएल एवं स्टेट बीपीएल, 2 रूपये/किग्रा
14.	राशन टिकिट योजना	बीपीएल/स्टेट बीपीएल अन्त्योदय/अन्नपूर्णा	टिकिट व्यवस्था
15.	स्टाम्प योजना	10 किग्रा के स्टाम्प	तत्काल सहायता हेतु भूख से पीडित व्यक्ति
16.	गैर पीडीएस वस्तुओं का वितरण	आयोडिन नमक, चाय, साबुन आदि	कम कीमत पर
17.	पालन हार योजना	अनाथ बच्चे के लिए	रहने और खाने की व्यवस्था
18.	सहयोग योजना	अनाथ बच्चे के लिए	कम कीमत पर रहने और खाने की व्यवस्थ
19.	आस्था योजना	निशक्त लोगो के लिए	बीपीएल परिवार की तरह खाद्य आंवटन
20.	शिशु ग्रह योजना	अनाथ शिशु	मुफ्त भोजन
21	उचित दर दुकान सहगोदामो की निर्माण योजना	दुकानों को खाद्य प्रदान किया जाता है	वर्तमान में यह योजना अक्रियाशील है।
22	ग्रामीण अनाज बैंक योजना	असुरक्षित गरीब परिवार	आपदा की अवधि में खाद्यान्न प्रदान करना
23	टीपीडीएस प्रचालनों का एक सिरे से दूसरे सिरे पर कम्प्यूटरीकरण	–	डाटा का डिजिटिलीकरण
24	शुद्ध के लिए युद्ध अभियान	–	खाद्य पदार्थो की कालाबाजारी, मिलावट रोकना
25	केरोसीन अनुदान राशि बाब्त पायलट प्रोजेक्ट योजना	राशनकार्ड धारक	अनुदान राशि का लाभ बैंक खाते में जमा करना

संदर्भ सूची (Reference List)

1. **वार्षिक प्रतिवेदन, 2014–15**, उपभोक्ता मामले विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, नई दिल्ली।
2. मजूमदार, पी.के., **लॉ ऑफ कन्जूमर प्रोटेक्शन इन इण्डिया**, आरिएण्ट प्रकाशन कम्पनी, 2010।
3. **वार्षिक प्रतिवेदन, 2014–15**, उपभोक्ता मामले विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, नई दिल्ली।
4. **वार्षिक प्रतिवेदन, 2014–15**, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ,उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, नई दिल्ली।
5. **वार्षिक प्रतिवेदन, 2014–15**, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ,उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, नई दिल्ली।
6. देवी, महाश्वेता एवं त्रिपाठी, अरूण कुमार, **खाद्य संकट की चुनौती**, वाणी प्रकाशन, दिल्ली, 2007।
7. **प्रगति प्रतिवेदन 2014–15**, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग (राज.)।
8. **प्रगति प्रतिवेदन 2014–15**, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग (राज.)।
9. **प्रगति प्रतिवेदन 2014–15**, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग (राज.)।
10. जीन, ड्रेजे और सेन,ए, **हंगर एण्ड पब्लिक एक्शन**, क्लारेंडन पब्लिकेशन, ऑक्सफोर्ड, 1989।
11. मिश्रा, एस.के. एण्ड पुन, के., **फूड प्राब्लॅम, फूड पॉलिसी एण्ड पब्लिक डिस्ट्रब्यूशन सिस्टम**, हिमालया पब्लिशिंग हाऊस, नई दिल्ली, 1996।
12. सिवाना एन., **फूड सिक्यूरिटी एण्ड पब्लिक सर्पोट**, सेज पब्लिकेशन, जयपुर, 1999।

13. सक्सेना, एस.सी., **हंगर अण्डर न्यूट्रीशियन एण्ड फूड सिक्यूरिटी इन इण्डिया**, अर्जुन पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2005।

14. धारा चार, अध्याय द्वितीय, **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013**, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, नई दिल्ली।

15. मजूमदार, पी.के., **लॉ ऑफ कन्जूमर प्रोटेक्शन इन इण्डिया**, आरिएण्ट प्रकाशन कम्पनी, 2010।

16. वर्दन, प्रभा, **कृषि व्यवस्था**, प्रगति पब्लिकेशन हाउस, दिल्ली, 2009।

17. आलम, अफरोज, **सार्वजनिक वितरण प्रणाली**, जमाअत–ए–ईस्लामी हिन्द, नई दिल्ली, 2007।

18. **www.righttofoodindia.org.**

19. **प्रगति प्रतिवेदन 2014–15,** खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग (राज.)।

20. **प्रगति प्रतिवेदन 2014–15**, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग (राज.)।

21. देवी, महाश्वेता एवं त्रिपाठी, अरूण कुमार, **खाद्य संकट की चुनौती**, वाणी प्रकाशन, दिल्ली, 2007।

****

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग (कोटा जिला): एक विश्लेषण

कोटा जिलाः

कोटा, राजस्थान का एक प्रमुख औद्योगिक एवं शैक्षणिक शहर है। यह राजस्थान के दक्षिणी भाग (हाड़ौती क्षेत्र) में चंबल नदी के पूर्वी तट के किनारे स्थित है। कोटा अनेक किलों, महलों, सग्रंहालयों, मंदिरों और बगीचों के लिये लोकप्रिय है। यह शहर नवीनता और प्राचीनता का अनूठा मिश्रण हैं जहाँ एक तरफ शहर के स्मारक प्राचीनता का बोध कराते है वही चंबल नदी पर बना हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्लांट और न्यूक्लियर पॉवर प्लांट आधुनिकता का अहसास कराता है। यह जयपुर और जोधपुर के बाद, राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा शहर है। कोटा शहर सूती एवं कोटा–डोरिया साडियँा/कोटा स्टोन/कचौरी के लिए प्रसिद्ध है। कोटा शहर को शिक्षा नगरी के नाम से भी जाना जाता है। कोटा से 50 किमी दूर राष्ट्रीय चम्बल वन जीव अभ्यारण्य है जो घडियालों और पतले मगरमच्छों के लिए बहुत लोकप्रिय है। यहाँ चीतें/वाइल्डबोर/तेंदुऐ एवं हिरण भी पाये जाते है। बहुत कम जगह दिखाई देने वाला दुर्लभ कराकल भी यहाँ देखा जा सकता है। प्रारम्भ में कोटा बूंदी शहर का हिस्सा था। मुगल शासक जहाँगीर ने जब बूंदी के शासकों पराजित किया तो कोटा 1624 ई में एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित हुआ। राव माधोसिंह यहा के प्रथम स्वतंत्र शासक के रूप में गद्दी पर बैठे। 1818 ई. में कोटा ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन हो गया। यह 25.18° उत्तरी अक्षांश और 75.83° पूर्वी देशान्तर पर है। कोटा जिले का क्षेत्रफल 5217 किलोमीटर है, जिसका शहरी क्षेत्रफल 4591 वर्ग किलोमीटर और ग्रामीण क्षेत्रफल 626 वर्ग किलोमीटर है। कोटा जिले को छः विधानसभा क्षेत्र, छः उपखण्ड (कोटा, दीगोद, इटावा, सांगोद, कनवास एवं रामगंजमण्डी), छः तहसील (लाडपुरा, दीगोद, पिपल्दा, सांगोद, रामगंजमण्डी एवं कनवास) और चार उप तहसील में बाँटा गया है। इसमे 1 नगर निगम, 3 नगर पालिका (कैथून, सांगोद और रामगंजमण्ड़ी), 5 पंचायत समिति (लाड़पुरा, सुल्तानपुरा,

इटावा, सांगोद और खैराबाद) और 156 ग्राम पंचायत है[1]। खैराबाद और सागोंद पंचायत समिति में सर्वाधिक ग्राम पंचायत है (36 ग्राम पंचायत)। सुल्तानपुर पंचायत समिति में 34 ग्राम पंचायत है। इटावा और लाडपुरा पंचायत समिति में क्रमशः 30 और 21 ग्राम पंचायत है। कोटा जिले की प्रशासनिक संरचना और ग्राम पंचायतो की सूची को क्रमशः तालिका 4.1 और तालिका 4.2 में दर्शाया गया है।

तालिका 4.1

कोटा जिले की प्रशासनिक संरचना (वर्ष 2014 की स्थिति के अनुसार)[2]

क्र.सं.	निकाय का नाम	संख्या
1	विधानसभा क्षेत्र	6
2	उपखण्ड	6
3	नगर निगम	1
4	नगर पालिका	3
5	तहसील	6
6	उप–तहसील	4
7	आईएलआर सर्किल	26
8	पटवार मण्डल	210
9	पंचायत समिति	5
10	कुल ग्राम पंचायत	156
11	कुल आबाद ग्राम	791
12	कुल गैर आबाद ग्राम	101
13	सडक से जुडे ग्राम	669

स्त्रोतः आर्थिक व सांख्यिकी कार्यालय, कोटा (राज.)।

तालिका 4.2

कोटा जिले में स्थित ग्राम पंचायतों की सूची[3]

क्र. सं.	लाडपुरा पंचायत समिति	खैराबाद पंचायत समिति	सांगोद पंचायत समिति	इटावा पंचायत समिति	सुल्तानपुर पंचायत समिति
1	रंगपुर	अलोद	मोईकला	अयाना	पोलाईकला
2	किशनपुरा तकिया	सालेडाखुर्द	बपावरकलां	अयानी	सीमल्या
3	बेराबास	हाथियाखेडी	लटूरी	जलोदा खाति.	अमरपुरा
4	डोल्या	मदनपुरा	बानिया	बिनायका	किशोरपुरा
5	अरण्डखेडा	गोयन्दा	खडिया	लक्ष्मीपुरा	नौताडा
6	बनियानी	रींछडिया	दिल्लीपरा	दुर्जनपुरा	मण्डावरा
7	गन्दीफली	घांटोली	कमोलर	लुआवद	भौरा
8	जाखोडा	खेडारुद्धा	छीगोद	गणेशगंज	गढेपान
9	मवासा	खेडली	हिंगी	रणोदिया	बमोरी
10	गोदल्याहेडी	चैचट	किशनपुरा	इटावा	जालिमपुरा
11	मण्डाना	देवलीकलां	अमृतकुआं	नेनेरा	तौरण
12	मादलिया	पीपल्दा	बेरिनाकला	खयावदा	कोटडादीपसिंह
13	खेडारसूलपुर	खीमच	श्यामपुरा	करवाड	बूढादीत
14	भीमपुरा	कूंकडाखुर्द	कुराडियाखुर्द	डूंगरली	मौरपा
15	भंवरिया	सहरावदा	मण्डिता	पीपल्दा	बिसलाई
16	काल्याखेडी	मोडक स्टेशन	मण्डाप	शहनावदा	मूंडला
17	ताथेडा	मोडक गांव	कुन्दनपुर	बम्बूलिया	डूंगरज्या
18	मानसगांव	बडौदियाकला	विनोदखुर्द	गैंता	कोटसुआं
19	आलनियां	उण्डवा	ढोटी	बलूपा	निमोदा हरिजी
20	क्सार	घरनावद	छेवली	जटवाडा	रेलगांव
21	कौलाना	मण्डा	कुराड	कैथूदा	दीगोद
22		देवलीखुर्द	खजूरी	बगली	भाण्डाहेडा
23		गादिया	झालरी	नीमोला	मदनपुरा
24		लखारिया	बालूहेडा	ढीपरीचम्बल	बडौद
25		सुकेत	ममोर	बेरदा	खैरूला
26		सलावदखुर्द	हिंगोनिया	क्करावदा	लाखसनिजा
27		अरनियांकला	खजूरना	रजोपा	बनेठिया
28		जुल्मी	आंवा	जौरावरपुरा	टाकरवाडा
29		पीपाखेडी	लेडाहेडा	तलाव	चौमा मालियान
30		हिरियाखेडी	बांस्याहेडी	खातौली	सरोला
31		लक्ष्मीपुरा	धूलेट		झाडगांव
32		कुम्भकोट	दांता		खेडली तवंरान
33		सातलखेडी	कनवास		सुल्तानपुर
34		खैराबाद	जलिमपुरा		
35		कुदायला	मोरूकला		
36		बुद्धखान	सवनभादौ		

2011 की जनगणना के अनुसार, कोटा जिले की कुल जनसंख्या 19,51,014 है जिसमें शहरी जनसंख्या 11,76,604 और ग्रामीण जनसंख्या 7,74,410 है। नगरीय जनसंख्या कुल जनसंख्या की 60.30 प्रतिशत है। इसमे कुल 2,45,150 परिवार निवास करते हैं एंव ग्रामीण जनसंख्या कुल जनसंख्या की 39.70 प्रतिशत है इसमें 1,51,351 परिवार निवास करते है। कोटा जिले में कुल 12,98,345 व्यक्ति साक्षर है। जिसमें 60 प्रतिशत शहरी व 40 प्रतिशत ग्रामीण साक्षरता है। इसकें अतिरिक्त कोटा जिलें की पंचायत समिति इटावा, सुल्तानपुर, लाडपुरा, खैराबाद एवं सांगोद में जनसंख्या क्रमशः 179800, 168734, 117838, 231120 और 85058 है[4]। इटावा, सुल्तानपुर, लाडपुरा और सांगोद में शहरी जनसंख्या शून्य है अर्थात उक्त पंचायत समिति में सम्पूर्ण जनसंख्या ग्रामीण में निवास करती है। इसका विवरण तालिका 4.3 में किया गया है।

तालिका 4.3

कोटा जिले की पंचायत समितिवार जनसंख्या सम्बन्धी तालिका

क्र. सं.	जिला / ब्लॉक	कुल / ग्रामीण / शहरी	क्षेत्रफल	कुल जनसंख्या			साक्षर		
				कुल	पुरूष	महिला	कुल	पुरूष	महिला
1	कोटा जिला	कुल ग्रामीण शहरी	5,217 4,590.5 626.5	19,51,014 7,74,410 11,76,604	10,21,161 4,01,331 6,19,830	929833 373079 556774	1298345 456380 841965	765346 283078 482318	532949 173302 359647
2	इटावा	कुल ग्रामीण शहरी	897.96 897.96 0.00	179800 179800 —	93118 93118 —	86682 86682 —	104282 104282 —	65129 65129 —	39153 39153 —
3	सुल्तानपुर	कुल ग्रामीण शहरी	912.80 912.80 0.00	168734 168734 —	87493 87493 —	81241 81241 —	104963 104963	64214 64214 —	40744 40744 —
4	लाडपुरा	कुल ग्रामीण शहरी	1022.41 1022.41 0.00	117838 117838 —	60881 60881 —	56957 56957 —	68307 68307 —	41472 41472 —	26835 26835 —
5	खैराबाद	कुल ग्रामीण शहरी	969.56 713.02 56.54	231120 143644 87476	120828 79781 46047	110292 68863 41429	134174 80079 54094	83980 51146 32834	50194 28933 21263
6	सांगोद	कुल ग्रामीण शहरी	1039.58 1039.58 0.00	164394 164394 —	85058 85058 —	79548 79548 —	98744 98744 —	61112 61112 —	37637 37637 —

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभागः जिला स्तरीय व्यवस्था

(Food, Civil Supply and Consumer Affairs Department: District level):

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग की प्रत्येक जिले में एक शाखा है। यह विभाग जिला स्तर पर दो अलग–अलग कार्यालय (जिला रसद अधिकारी कार्यालय एवं जिला उपभोक्ता फोरम) के रूप में कार्य करता है।

जिला रसद कार्यालय (District Supply Office):

जिला रसद अधिकारी कार्यालय जिला कलक्टर रसद के नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में कार्य करता है। कार्यालय में जिला रसद अधिकारी, प्रवर्तन अधिकारी, प्रवर्तन निरीक्षक, कनिष्ठ–वरिष्ठ लिपिक, वाहन चालक, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी इत्यादि के पद भी होते है। कार्यालय की अध्यक्षता जिला रसद अधिकारी द्वारा की जाती है। इन सभी पदो का सृजन इस प्रकार किया गया है कि प्रत्येक योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा समय–समय पर की जा सके। कोटा जिले में खाद्य उपलब्धता हेतु विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इन योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा जनप्रतिनिधियों द्वारा ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, नगर पालिका, नगर निगम की मासिक बैठकों में की जाती है। कोटा जिले के प्रशासनिक ढाचें को निम्न चार्ट 4.1 में दर्शाया गया हैं।

1. **जिला कलक्टर रसद** (District Supply Collector):

जिला रसद कार्यालय, जिला कलक्टर रसद के नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में कार्य करता है। इसकी देख–रेख में ही योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता है। जिला कलेक्टर प्रत्येक माह इन योजनाओ की समीक्षा करता है। और इनके क्रियान्वयन को गति प्रदान करने के लिए सम्बन्धित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आवश्यक निर्देश एवं मार्गदर्शन भी प्रदान करता है।

चार्ट 4.1

जिला स्तर पर विभाग का प्रशासनिक ढांचा

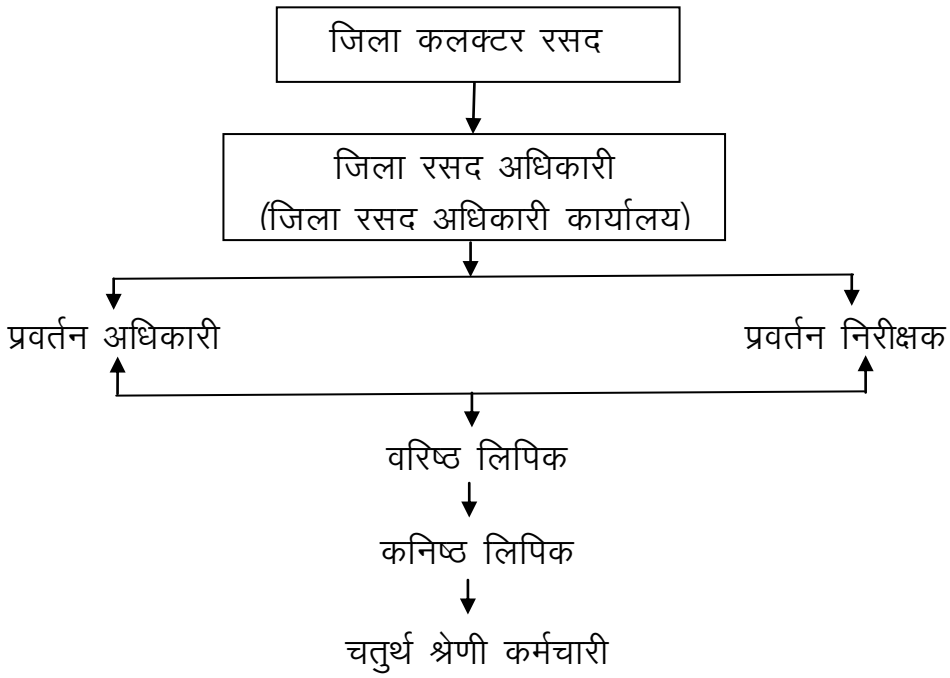

2. **जिला रसद अधिकारी** (District supply officer):

यह जिला रसद कार्यालय का प्रशासनिक अध्यक्ष होता है।कोटाजिले में जिला रसद कार्यालय को दो भागों में विभक्त किया गया है– जिला रसद कार्यालय प्रथम एवं जिला रसद कार्यालय द्वितीय। जिला रसद कार्यालय प्रथम के कार्य क्षेत्र में कोटा शहर व लाडपुरा पंचायत समिति आते है एवं जिला रसद कार्यालय द्वितीय के कार्य क्षेत्र में नगर पालिका कैथून, नगर पालिका सांगोद, नगर पालिका रामगंज मण्डी, पचांयत समिति सांगोद, पचांयत समिति सुल्तानपुर, पचांयत समिति इटावा और पचांयत समिति खैराबाद आते है। दोनो जिला रसद कार्यालय के प्रशासनिक अध्यक्ष के रूप में जिला रसद अधिकारी प्रथम एवं जिला रसद अधिकारी द्वितीय कार्यरत है। यह सरकार की नीति के अनुसार खाद्यान्न की खरीद, भण्डारण और ढुलाई सुनिश्चित करता है। यह विभिन्न सरकारी नीतियो के क्रियान्वयन के लिए जिले के अन्य विभागों के साथ समन्वय स्थापित करता है। यह उचित मूल्य की दुकानों के आवंटन हेतु बनाई समिति की अध्यक्षता करता है। यह उचित मूल्यों की

दुकानों के आवंटन हेतु बनाई समिति की अध्यक्षता करता है। यह भंडारण के दौरान रखरखाव और खाद्यान्न की सुरक्षा भी सुनिश्चित करता है।

3. **प्रवर्तन अधिकारी** (Enforcement officer):

यह जिला रसीद अधिकारी के दिशा निर्देशन पर कार्य करता है। यह तहसील स्तर पर विभागीय नीतियों और आदेशों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करता है एवं विभिन्न योजनाओ के संचालन में जिला रसद अधिकारी को सहायता प्रदान करता है। जिला स्तर पर इसके तीन पद है और तीनों पदों पर प्रवर्तन अधिकारी कार्यरत है।

4. **प्रवर्तन निरीक्षक** (Enforcement investigator**)**:

यह जिला रसद अधिकारी के अधीन कार्य करता है। यह समय–समय पर उचित मूल्य की दुकानों, पेट्रोल पम्प, गैस ऐजेन्सी, कैरोसीन विक्रेता आदि के यहाँ निरीक्षण करता है और रिपोर्ट तैयार करता है एवं जिला रसद अधिकारी को सहायता प्रदान करता है। कोटा जिलें में इसके 12 पद स्वीकृत है परन्तु 2 ही पदों पर प्रवर्तन निरक्षक कार्यरत है शेष समस्त पद रिक्त है।

5. **वरिष्ठ लिपिक** (Upper Division Clerk):

जिला विभाग में वरिष्ठ लिपिक का पद होता है। यह कार्यालय में लिपिकिय कार्य करता है तथा योजनाओं से सम्बन्धित सौपे गये कार्य को भी करता है।

6. **कनिष्ठ लिपिक** (Lower Division Clerk):

यह वरिष्ठ लिपिक के अधीन कार्य करता है। यह कार्यालय सम्बन्धित सभी कार्यो में वरिष्ठ लिपिक की सहायता करता है और सौंपा गया अन्य सभी कार्य करता है।

7. **चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी** (Fourth Class Officer):

जिले में संचालित विभाग में यह पद भी होता है। यह विभाग की साफ–सफाई, रख–रखाव, पानी व अन्य सौंपा गया कार्य करता है।

इन सबके अतिरिक्त जिला स्तर पर लेखकार, कार्यालय अधीक्षक कम सहायक अधिकारी, सहायक कार्यालय अधीक्षक और सूचना सहायक का भी पद होता है।

लेखाकार– लिपिकीय एवं लेखें का कार्य करता है। यह हिसाब किताब के भी उत्तरदायी होता है। यह कनिष्क लेखाकार सेवा का सदस्य होता है। यह बजट एवं लेखा सम्बन्धी कार्य करता है, निरीक्षण करता है और ऑडिट करता है। वर्तमान में इस पद पर कोई कार्यरत नहीं है।

कार्यालय अधीक्षक कम सहायक अधिकारी–यह गैर राजस्थान प्रशानिक सेवा का सदस्य होता है यह कार्यालय में सभी योजनाओं से सम्बन्धित सभी कार्य देखता है। तथा प्रवर्तन अधिकारी व प्रवर्तन निरीक्षण के कार्यो में सहायता करता है। जिलें में इसके लिए एक पद स्वीकृत है परन्तु इस पद पर किसी की भी नियुक्ति नही की गई है।

सहायक कार्यालय अधीक्षक– जिले स्तर पर एक सहायक कार्यालय अधीक्षक का पद होता है जो कार्यालय में योजनाओं सम्बन्धित कार्यो में सहायता प्रदान करते है।

सूचना सहायक– यह कार्यालय की सभी सूचनाओं, आकडों का सग्रंह करता है तथा सम्बन्धित जानकारी व सूचना, आवेदक तक पहुँचाता है और आवेदनों का जवाब देता है। इसके लिए जिले स्तर पर दो पद स्वीकृत है। इसका विवरण तालिका 4.4 में किया गया है।

जिला रसद कार्यालय, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, कोटा जिलें स्वीकृत पदों के विरुद्ध रिक्त पदों की स्थितिः

तालिका 4.4

कार्यालय में स्वीकृत/कार्यरत/रिक्त पदों की सूचना [5]

क्र.सं.	नाम पद	स्वीकृत पद	कार्यरत	रिक्त
1.	जिला अधिकारी	2	2	0
2.	प्रर्वतन अधिकारी	3	3	0
3.	प्रवर्तन निरीक्षण	12	2	10
4.	लेखाकार	1	0	1
5.	कार्यालय अधीक्षक कम सहायक अधिकारी	1	0	1
6.	सहायक कार्यालय अधीक्षक	1	1	0
7.	क्लर्क ग्रेड–1	4	2	2
8.	क्लर्क ग्रेड–2	4	3	1
9.	सूचना सहायक	2	2	0
10.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	3	2	1

सार्वजनिक वितरण प्रणाली और राशन कार्ड (Public Distribution System and Ration Cards):

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत राशनकार्ड के माध्यम से उचित मूल्य की दुकान से आवश्यक वस्तुओ का क्रय किया जाता है। पृथक–पृथक श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए पृथक–पृथक रंगों के राशनकार्ड दिये जाने की व्यवस्था की गई है। एपीएल/डबल गैस सिलेण्डर धारक/सिंगल गैस सिलेण्डर धारक परिवारद्ध के लिए नीला/हरा रंग का राशनकार्ड उपलब्ध कराया जाता है। बीपीएल परिवार के लिए गहरा गुलाबी रंग का राशनकार्ड बनाया जाता है। स्टेट बीपीएल

एंव अन्त्योदय अन्न योजना के तहत क्रमशः गहरा हरा और पीला राशनकार्ड बनाने का प्रावधान है। कोटा जिले में बी.पी.एल. परिवार 73,651 (नगरीय बी.पी.एल. 43,229 और ग्रामीण बी.पी.एल. 30,422) है। इन बी.पी.एल. परिवारो को उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से खाद्यान्न उपलब्ध कराये जाते है। जिले में कुल 648 उचित मूल्य की दुकान (शहरी 330 एवं ग्रामीण 318) है। कोटा जिले में 5,22,715 राशन कार्ड वितरित किये जा चुके है जिसमें शहरी क्षेत्र में 2,80,53 और ग्रामीण क्षेत्र में 2,42,632 राशनकार्डो का वितरण किया जा चुका है। कोटा जिले में 2 अक्टुबर, 2013 में खाद्य सुरक्षा अधिनियम क्रियान्वित किया गया जिसके तहत कोटा जिले में कुल 2,96,185 परिवारों को सम्मिलित किया गया है[6]। जिसे तालिका क्रमांक 4.5 में दर्शाया गया है।

तालिका 4.5
सार्वजनिक वितरण प्रणाली एक दृष्टि में (वर्ष 2013–14की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	विवरण	संख्या
1	कुल उचित मूल्य की दुकान	648
2	शहरी उचित मूल्य की दुकान	330
3	ग्रामीण उचित मूल्य की दुकान	318
4	कुल पेट्रोल पम्प	92
5	कुल गैस ऐजेन्सी	26
6	कुल कैरोसीन थोक विक्रेता	10
7	कुल खाद्य सुरक्षा चयनित परिवार	2,96,185
8	कुल बी.पी.एल. परिवार	73,651
9	नगरीय बी.पी.एल. परिवार	43,229
10	ग्रामीण बी.पी.एल. परिवार	30,422
11	स्टेट बी.पी.एल. परिवार	19,747
12	अन्त्योदय परिवार	17,697
13	एपीएल परिवार	1,11,103
14	कुल राशन कार्ड	5,22,715
15	शहरी राशन कार्ड	2,80,053
16	ग्रामीण राशन कार्ड	2,42,632

कोटा जिले में राशनकार्ड अभियान–2012 के तहत उपभोक्ताओं को अलग–अलग रंग के विभिन्न श्रेणी यथा बीपीएल, अन्त्योदय, एपीएल एवं अन्नपूर्णा के नवीन डिजिटलाईज्ड राशनकार्ड उपलब्ध कराये जा चुके है। वर्तमान में कोटा जिले में खाद्य वितरण पोस (PoS) मशीन के माध्यम से किया गया है।राशन की दुकानों में पी.ओ.एस मशीन की स्थापना सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) में पारदर्शिता लाने के लिए एक राष्ट्रीय परियोजना का हिस्सा है। राशन की दुकानों में मशीन को स्थापित करने में पहला कदम राशनकार्ड में आधार नंबर की seeding है। इस हेतु अप्रैल 2015 से डिजिटाइज्ड राशनकार्डस् बनाने की प्रक्रिया प्रारम्भ की गई। अर्थात इस प्रक्रिया के अन्तर्गत राशनकार्ड से जुडी हुई समस्त सुचनाऐ जैसे नाम, पता, सदस्यो/युनिटों की संख्या, बैक अकांउट नंबर, आधार नंबर, मोबाइल नबंर ऑनलाईन कर दी गई है। जिससे जाली एवं गलत राशनकार्ड का आसानी से पता लगाया जा सके। उपभोक्ता अपने नवीन डिजिटाइज्ड राशनकार्ड को पोस (PoS) मशीन में स्वैप करता है। फिर अंगूठा लगा स्वंय की पुष्टि करता है। तत्पश्चात् डीलर के द्वारा खाद्य प्रदान किया जाता है और ऐसे सभी वितरण की जानकारी जिला रसद कार्यालय और उपभोक्ता तक ऑनलाईन पहुच जाती है। कोटा जिले में कुल 5,22,715 राशनकार्ड है जिसमें शहरी राशनकार्ड 2,80,053 और ग्रामीण राशनकार्ड 2,42,632 है। लाडपुरा पंचायत समिति में 32,628, सुल्तानपुर पंचायत समिति में 45,291 इटावा पंचायत समिति में 58,240, सांगोद पंचयत सतिमति में 46,845 एवं खेराबाद पंचायत समिति में 63,511 राशनकार्ड है[7]। लाडपुरा पचांयत समिति में कुल 23 ग्राम पचांयत है। इसमें 12 परिवारों अन्नपुर्णा श्रेणी के राशनकार्ड वितरित किये गये है अर्थात बनियानी, रंगपुर, अरण्डखैडा और गोदल्याहेडी में अन्नपुर्णा परिवार निवास करते है। लाडपुरा सबसे अधिक राशनकार्ड मण्डाना ग्राम पंचायत (2390 राशनकार्ड) दिये गये है और सबसे कम धर्मपुरा ग्राम पंचायत (35 राशनकार्ड) दिये गये है। इसका विवरण सारणी क्रमांक 4.6 में किया गया है।

तालिका 4.6

लाडपुरा पचांयत समिति में योजनावार राशनकार्ड का विवरण

(दिसम्बर, 2015 के आकडों के अनुसार)

क्र. सं.	पंचायत	अन्नपूर्णा	अन्त्योदय	बीपीएल	स्टेट बीपीएल	अन्य	कुल
1.	धर्मपुरा	0	0	20	0	15	35
2.	भीमपुरा	0	25	233	104	1039	1401
3.	खेडारसुलपुर	0	14	112	25	2185	2336
4.	बनियानी	2	87	165	111	1307	1672
5.	बोराबास	0	16	117	61	622	816
6.	कोलाना	0	103	360	93	1423	1979
7.	काल्याखेडी	0	67	277	122	1315	1781
8.	कसार	0	68	102	125	1439	1734
9.	मण्डाना	0	86	109	72	2123	2390
10.	मान्दलिया	0	65	235	88	1271	1659
11.	मानसगाँव	0	73	109	99	873	1154
12.	मवासा	0	185	196	202	883	1466
13.	किशनपुरा	0	11	187	21	1164	1383
14.	भवरिया	0	57	275	66	1004	1402
15.	रंगपुर	2	136	39	152	869	1198
16.	रानपुर	0	0	1	1	39	41
17.	डोल्या	0	26	158	59	736	979
18.	ताथेड़	0	33	120	62	1070	1285
19.	जाखोडा	0	58	111	109	1398	1676
20.	अरण्डखेडा	3	116	116	131	1364	1730
21.	अलनिया	0	29	284	22	931	1266
22.	गोदल्याहेडी	5	30	67	55	1362	1519
23.	गन्दीफली	0	106	168	150	1302	1726
	कुल	**12**	**1391**	**3561**	**1930**	**25734**	**32628**

तालिका 4.7

सुल्तानपुर पचांयत समिति में योजनावार राशनकार्ड का विवरण

क्र.सं.	पंचायत	अन्नपूर्णा	अन्त्योदय	बीपीएल	स्टेट बीपीएल	अन्य	कुल
1.	खैरूला	0	28	192	84	838	1142
2.	खेडलीतवरान	0	16	308	37	665	1026
3.	झाडगांव	1	43	236	86	1013	1379
4.	बम्बौरी	0	39	198	74	1215	1526
5.	बडोद	0	49	234	39	1016	1338
6.	बनेठिया	0	31	103	26	917	1077
7.	बूढादीत	0	29	331	47	936	1343
8.	कोटसुवा	0	30	76	40	1013	1159
9.	कोटडादीपसिंह	0	85	259	116	1031	1491
10.	मण्डावरा	0	41	259	44	626	970
11.	मोरपा	1	47	153	23	936	1160
12.	मदनपुरा	1	100	214	75	872	1262
13.	मूडला	0	14	104	10	972	1100
14.	किशोरपुर	0	45	273	109	991	1418
15.	बिसलाई	0	22	77	16	538	653
16.	नीमोदा	0	56	297	58	1319	1730
17.	भाण्डाहेडा	0	54	149	25	701	929
18.	भौंरा	0	12	268	16	1037	1333
19.	पोलाईकला	1	2	106	36	678	823
20.	रेलगाँव	0	27	164	43	602	836
21.	सीमल्या	0	51	168	36	1515	1770
22.	सारोला	2	32	336	51	976	1397
23.	सुल्तानपुर	3	195	851	121	4109	5279
24.	डुगरज्यां	2	59	63	53	999	1176
25.	दीगोद	0	70	66	74	1796	2006
26.	चौमामा लियान	1	70	144	63	1001	1279
27.	तोरण	0	49	159	33	905	1146
28.	जालिमपुरा	2	7	92	60	742	903
29.	नोताडा	0	15	409	47	897	1368
30.	अमरपुरा	2	60	139	85	1067	1353
31.	टांकरवाडा	0	89	117	84	981	1271
32.	गढेपान	0	16	162	29	1472	1679
33.	लाखसनीजा	1	61	206	31	670	969
	कुल	**17**	**1544**	**6913**	**1771**	**35046**	**45291**

तालिका 4.8

इटावा पचांयत समिति में योजनावार राशनकार्ड का विवरण

क्र. सं.	पंचायत	अन्नपूर्णा	अन्त्योदय	बीपीएल	स्टेटबीपीएल	अन्य	कुल
1.	ख्यावदा	0	67	692	306	3883	4948
2.	खातौली	0	148	360	195	2367	3070
3.	ढीपरीचम्बल	1	80	295	11	1233	1620
4.	ईटावा	1	45	25	12	367	450
5.	बम्बूलियाकला	9	102	194	73	1280	1658
6.	बोरदा	0	39	174	15	1011	1239
7.	बागली	1	60	199	70	956	1286
8.	बालुपा	0	100	317	116	1183	1716
9.	ककरावदा	1	41	531	87	1664	2324
10.	करवाड	1	95	416	127	1616	2255
11.	केथूदा	0	38	617	53	1229	1937
12.	विनायका	14	60	141	52	3435	3702
13.	नीमोला	2	10	426	49	1752	2239
14.	पीपल्दाकलां	0	126	183	161	1722	2192
15.	रजोपा	0	58	285	115	2439	2897
16.	रनोदिया	0	98	131	93	1206	1528
17.	शहनावदा	0	53	231	85	1148	1517
18.	डुगंरली	1	53	124	39	766	983
19.	दुर्जनपुरा	1	40	151	40	1433	1665
20.	तालाब	0	17	187	107	1601	1912
21.	जोरावरपुरा	8	96	133	100	980	1317
22.	जटवाडा	2	66	248	27	1054	1397
23.	जलोदाखालियान	1	50	123	71	1012	1257
24.	नोनेरा	1	32	130	58	1348	1569
25.	अयानी	2	27	145	4	1696	1874
26.	अयाना	0	43	300	44	1711	2098
27.	गणेशगंज	2	33	73	41	1529	1678
28.	गैंता	3	164	339	270	1483	2259
29.	लक्ष्मीपुरा	0	46	212	28	1414	1700
30.	लुहावद	4	84	218	77	1570	1953
	कुल	**55**	**1971**	**7600**	**2526**	**46088**	**58240**

सुल्तानपुर पंचायत समिति में कुल 33 ग्राम पंचायत है। इस क्षेत्र 17 अन्नपुर्णा सम्मिलित किया गया है। सबसे अधिक राशनकार्ड अन्य अर्थात खाद्य सुरक्षा अधिनियम और एपीएल (35076 राशनकार्ड) प्रदान किये गये है। सुल्तानपुर में गरीबी रेखा से नीचे कुल 8684 परिवार (बीपीएल 6913 और स्टेट बीपीएल 1771) निवास करते है। सुल्तानपुर ग्राम पंचायत सबसे अधिक राशनकार्ड (5279 राषनकार्ड) और बिसलाई ग्राम पंचायत में सबसे कम राशनकार्ड (653 राशनकार्ड) वितरित किए गए है। इसका विवरण सारणी 4.7 में किया गया है।

इटावा पंचायत समिति में कुल 30 ग्राम पंचायत है। इस क्षेत्र में अन्य पंचायत समिति की तुलना में सर्वाधिक अन्नपूर्णा परिवार अर्थात 55 परिवार निवास करते है। इटावा में अन्त्योदय परिवारों की संख्या 1971 है। गैंता पंचायत समिति में सर्वाधिक 164 अन्त्योदय राशनकार्ड वितरित किए गए है। इसके अतिरिक्त इटावा पंचायत बीपीएल परिवार अर्थात 10126 परिवार (7600 बीपीएल और 2526 स्टेट बीपीएल) निवास करते है। इटावा में विनायका ग्राम पंचात में सर्वाधिक राशनकार्ड (450 राशनकार्ड) वितरित किए गए है। इनका विवरण तालिका 4.8 में किया गया है।

सांगोद पंचायत समिति, दिसम्बर, 2015 के आकडों के अनुसार,में कुल 36 ग्राम पंचायत है। इसमें कुल 46845 राशनकार्ड का वितरण किया गया जिसमें 31 अन्नपूर्णा परिवार को, 1902 अन्त्योदय परिवार को, 5886 बीपीएल परिवार को, 2318 स्टेट बीपीएल परिवार को और 36645 अन्य परिवार को वितरित किए गये। मारूकला ग्राम पंचायत में सर्वाधिक राशनकार्ड (2140 राशनकार्ड) प्रदान किए गए और दिल्लीपुरा ग्राम पंचायत में न्यूनतम राशनकार्ड (755 राशनकार्ड) प्रदान किए गए[8]। इसका विवरण तालिका क्रमांक 4.9 में किया गया है।

तालिका 4.9
सांगोद पचांयत समिति में योजनावार राशनकार्ड का विवरण

क्र.सं.	पंचायत	अन्नपूर्णा	अन्त्योदय	बीपीएल	स्टेट–बीपीएल	अन्य	कुल
1.	श्यामपुरा	0	91	172	82	1003	1348
2.	धुलेट	0	28	210	51	1235	1524
3.	खजुरी	0	72	131	102	1003	1308
4.	खडिया	3	55	152	72	932	1214
5.	खजुरना	0	40	158	43	722	963
6.	ढोटी	0	75	142	85	1026	1328
7.	झालरी	0	61	229	60	939	1289
8.	बपावरकलां	0	86	329	60	1574	2049
9.	बोरीनाकला	1	43	116	40	645	845
10.	बालुहेडा	1	72	261	62	977	1373
11.	कमोलर	6	66	112	57	951	1192
12.	कुराडियाखुर्द	2	32	111	43	1510	1698
13.	कुराड	0	35	106	85	1162	1388
14.	कुदनपुर	0	22	131	46	1135	1334
15.	कनवास	0	58	306	88	1915	2367
16.	मंडाप	0	38	123	51	1213	1425
17.	मामौर	0	115	357	42	787	1301
18.	मोरूकलां	0	80	287	163	1610	2140
19.	मोईकलां	0	85	256	57	949	1347
20.	मंडीता	0	57	181	94	1112	1444
21.	किशनपुरा	6	22	52	27	821	928
22.	हिंगी	1	48	121	49	838	1057
23.	हिगोंनिया	0	24	104	54	879	1061
24.	दिल्लीपुरा	0	24	78	23	630	755
25.	विनोदखुर्द	1	31	69	46	950	1097
26.	सावनभादौ	1	18	100	19	632	770
27.	दीगोद	0	47	141	108	996	1292
28.	दांता	0	99	255	160	960	1474
29.	देवली	1	41	100	40	1443	1625
30.	बास्याहेडी	0	25	108	143	1028	1304
31.	जालिमपुरा	0	38	119	20	921	1098
32.	अमृतकूवां	0	59	146	45	791	1041
33.	आंवा	0	33	183	78	897	1191
34.	लबानियां	0	80	132	80	721	1013
35.	लोढाहेडा	0	25	206	47	680	958
36.	लटुरी	8	77	102	59	1058	1304
	कुल	**31**	**1902**	**5886**	**2381**	**36645**	**46845**

तालिका 4.10

खैराबाद पचांयत समिति में योजनावार राशनकार्ड का विवरण

क्र.सं.	पंचायत	अन्नपूर्णा	अन्त्योदय	बीपीएल	स्टेट बीपीएल	अन्य	कुल
1.	धरनावदा	0	39	70	67	967	1143
2.	घाटोली	0	104	111	123	655	993
3.	खीमच	0	109	155	37	798	1099
4.	खेरावाद	0	28	69	161	3219	3477
5.	खेडारूद्वा	1	132	156	138	775	1202
6.	खेडली	0	24	94	77	1586	1781
7.	बडौदियाकला	0	56	84	30	1596	1766
8.	बुद्वखान	0	59	263	185	1165	1672
9.	कुकडाखुर्द	0	62	59	123	827	1071
10.	कुम्भकोट	0	42	49	24	1247	1362
11.	कुदायला	1	30	60	113	1451	1655
12.	मण्डा	1	26	41	53	1170	1291
13.	मोडकस्टेश्न	0	9	158	40	2729	2936
14.	मोडकगांव	1	73	104	74	2172	2424
15.	मदनपुरा	1	35	158	76	953	1223
16.	हीरियाखेडी	0	5	56	84	1434	1579
17.	हाथियाखेडी	0	29	49	25	879	982
18.	पीपाखेडी	0	70	33	28	840	971
19.	पीपल्दा	0	55	78	80	1103	1316
20.	रीछडिया	1	47	207	86	922	1263
21.	सहरावदा	3	115	147	45	2079	2389
22.	सातलखेडी	0	71	187	117	3907	4282
23.	सालेडाखुर्द	4	55	77	78	875	1089
24.	सुकेत	3	100	760	59	6462	7384
25.	सलावदखुर्द	0	41	114	23	1233	1411
26.	उण्डवा	0	34	94	75	1159	1362
27.	देवलीखुर्द	0	55	62	30	1137	1284
28.	देवलीकलां	0	62	131	10	991	1194
29.	चेचट	3	44	330	186	2348	2911
30.	जुल्मी	0	51	106	70	1731	1958
31.	अरनियांकला	0	17	68	28	789	902
32.	अलोद	0	99	21	214	765	1099
33.	गादिया	1	68	34	21	920	1044
34.	गोयन्दा	0	80	89	40	1517	1726
35.	लखारिया	1	53	49	49	766	918
36.	लक्ष्मीपुरा	0	40	72	85	1155	1352
	कुल	**21**	**2019**	**4395**	**2754**	**54322**	**63511**

खैराबाद पंचायत समिति में कुल 36 ग्राम पंचायत है। इसमें अन्य पंचायत समिति की तुलना में सर्वाधिक अन्तयोदय परिवार (परिवार) निवास करते है। इसके अतिरिक्त खैराबाद में स्टेट बीपीएल परिवारों की संख्या भी सर्वाधिक (2754 परिवार) है। इसमें ही अन्य पंचायत समिति की तुलना में सर्वाधिक राशनकार्ड (63511 राशनकार्ड) वितरित किए गये। सुकेत ग्राम पंचायत में कोटा की सभी ग्राम पंचायतों की तुलना में सर्वाधिक राशनकार्ड (7384 राशनकार्ड) वितरित किए। इसका विवरण सारणी क्रमांक–4.10 में किया गया है। इसके अतिरिक्त पंचायत समितिवार राशनकार्ड का विवरण निम्न ग्राफ के माध्यम समझाया गया है–

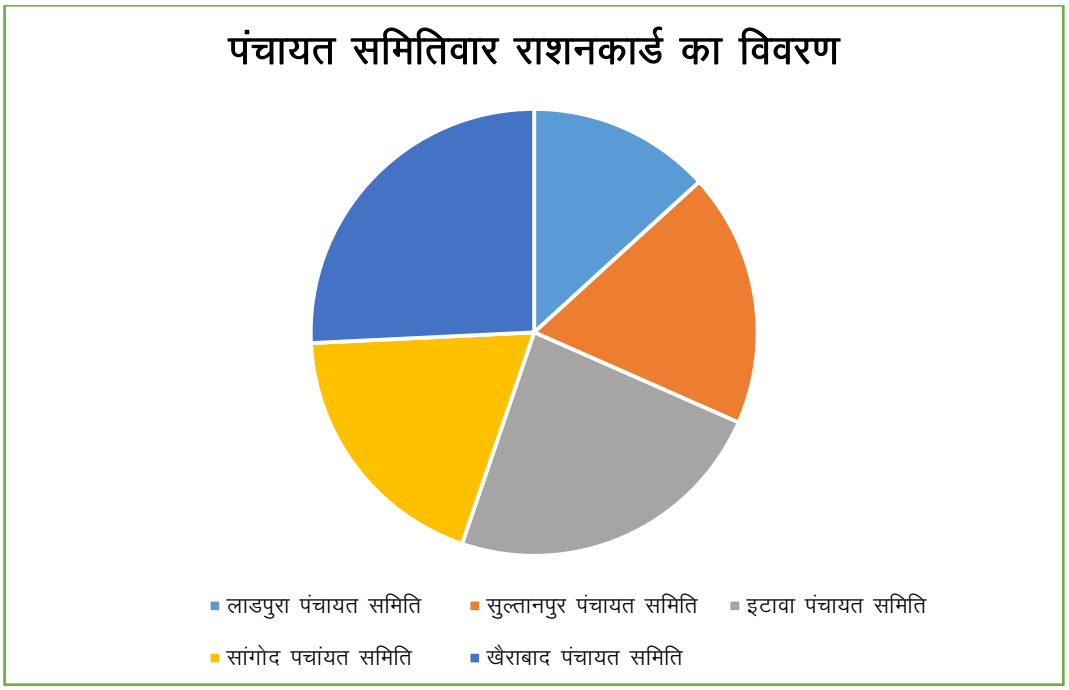

खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलें विभाग (कोटा जिले) द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाएँ:

खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलें विभाग (कोटा जिले) द्वारा विभिन्न वर्गो के लिए योजनाएं चलाई जा रही जिससे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग, बी.पी.एल. लोगों का सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक उत्थान किया जा सकें एंव उनका सामाजिक स्तर ऊचाँ उठ सके और विभिन्न वर्गो के लोग सम्मान पूर्वक जीवन व्यतीत कर सके अतः विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का विवरण निम्न प्रकार है–

सार्वजनिक वितरण प्रणाली (Public Distribution System):

इस योजना का प्रचालन केन्द्र एवं राज्य सरकारों का सयुक्त दायित्व है। केन्द्रीय सरकार का दायित्व, भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से खाद्यान्न की खरीद, भण्डारण, परिवहन एवं थोक में राज्य सरकारों को खाद्यान्नों के आवंटन आदि है एवं प्रचालन सम्बन्धी दायित्व राज्य सरकार का है जिसमें राज्यों के अंतर्गत खाद्यान्नों का आवंटन, गरीब रेखा से नीचे के परिवारो की पहचान, राशनकार्ड जारी करना तथा उचित दर की दुकानो के कार्य का पर्यवेक्षण शामिल है। राज्य स्तर के समस्त जिले स्तर पर भी सम्पन्न किये जाते है जैसे राशनकार्ड जारी करना, पर्यवेक्षण, दुकानो को खाद्यान्नो का आवंटन आदि। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत गेहूँ, चावल, चीनी, केरोसीन आदि का वितरण किया जाता है। वर्तमान में यह योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत कार्यरत है।

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (Targeted Public Distribution System):

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्यान्नो के मूल्यो में वृद्धि को नियंत्रित करने और उपभोक्ताओं के लिए खाद्यान्नों की पहुँच सुनिश्चित करने में पर्याप्त रूप से योगदान दिया जा रहा है। देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बाद वर्ष 1977 में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रांरम्भ की गई थी। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रमुख रूप से निम्न उददे्श्य है–

- आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्यों को स्थिर रखना।
- कुल मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से समाज के कमजोर वर्गो को खाद्य सुरक्षा प्रदान करना।

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत कोटा जिले में गेहूँ, चावल, चीनी एवं केरोसीन तेल उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से वितरित किये जाते है। उक्त वस्तुयें निर्धारित मात्रा में निश्चित मूल्य लेकर उपभोक्ताओं को राशनकार्ड के आधार पर दी जाती है। कोटा जिले में जिला कलक्टर्स के माध्यम से

तहसील/पंचायत समिति अनुसार किये गये आंवटन के आधार पर आवंटित सामग्री संबंधित उचित मूल्य दुकान तक पहुंचाई जाती है। आवश्यक वस्तुओं के वितरण के लिए राज्य में कुल 648 उचित मूल्य की दुकाने है, जिनमें से 330 शहरी क्षेत्र में और 318 ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत है।

अन्त्योदय योजना (Antodaya Yojana):

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत अन्त्योदय अन्न योजना, गरीबी से नीचे की आबादी के निर्धनतम वर्ग के खाद्यान्न उपलब्ध कराती है। राजस्थान राज्य द्वारा यह योजना 2 अक्टुबर, 1977 को प्रारम्भ की गई थी इसके तहत् राजस्थान राज्य के पाचँ जिलों (जयपुर, कोटा, जोधपुर, झुंझुनु और चितौडगढ) का चयन किया गया था। इस योजना के अन्तर्गत पात्र परिवारों के 35 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति माह उपलब्ध कराया जाता है जिसमें 2 रूपयें प्रति किलोग्राम गेहूँ और 3 रूपयें प्रति किलोग्राम चावल दिये जाते है। इसके लिये पात्र परिवारो को अलग से राशनकार्ड (अन्त्योदय अन्न राशनकार्ड) दिये जाते है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 लागू होने के पश्चात् अन्त्योदय योजना को भी खाद्य सुरक्षा के अर्न्तगत सम्मिलित किया गया। 2014 के आँकडों के अनुसार आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा खाद्य सुरक्षा योजना (अन्त्योदय परिवारों सहित) के लिए कोटा जिले के शहरी क्षेत्र हेतु 2679 मै. टन एवं ग्रामीण क्षेत्र हेतु 2822 मै. टन (कुल 5561 मै. टन) गेहुँ का आवंटन का प्राप्त हुआ[9]। जिसमें जिला रसद अधिकारी की अधिकारिता क्षेत्र में 5561 मै. टन का क्षेत्रवार व थोक विक्रेता वार निम्नानुसार उप आंवटन किया गया–

तालिका 4.11

अन्त्योदय परिवारो हेतु गेहुँ का आवंटन (माह अक्टुबर 2014)

(मात्रा क्विं. में)

क्र. सं.	नगर निकाय /पंचायत समिति	श्रेणीवार लाभार्थी परिवार एंव गेहुँ का आवंटन				कुल लाभार्थी एवं गेहुँ की मात्रा	
		अन्त्योदय	आंवटित गेहूँ	खाद्य सुरक्षा में चयनित अन्य परिवार	आंवटित गेहूँ	कुल परिवार	आंवटित मात्रा
1	नगरनिगम कोटा	3651	1280	127611	20908	131262	21680
2	प. स. लाडपुरा	2086	731	20987	4199	23073	49030
3	प. स.सुल्तानपुर	2085	992	20987	6317	22433	7309
4	प. स.इटावा	2675	936	24182	5007	26857	5943
5	प. स.सांगोद	2183	764	23975	4990	26158	5754
6	प. स. खैराबाद	2870	1005	29609	6153	32497	7158
7	नगरपालिका कैथून	210	95	4782	1038	5052	1133
8	नगरपालिका सांगोद	268	94	3538	739	3806	833
9	नगर पालिका रामगंजमण्डी	208	73	3628	797	3836	876
	योग	16,236	5970	258660	50049	274956	55610

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम,2013 (National Food Security Act,2013)**:**

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 के अन्तर्गत कोटा जिले में 2 अक्टुबर, 2013 को योजना का शुभारम्भ किया गया। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जन साधारण को गरिमामय जीवन व्यतीत करने के लिए सस्ती दरों पर पर्याप्त मात्रा में गुणवत्ता युक्त खाद्यान्न उपलब्ध करा जीवन में खाद्य और पोषण संबंधी सुरक्षा प्रदान करता है। राज्य की कुल जनसंख्या में से ग्रामीण क्षेत्र में 69.09 प्रतिशत एवं नगरीय क्षेत्रों में 53 प्रतिशत लाभार्थियों का चयन किया गया है। अतः इस अधिनियम लागू होने के पश्चात् 296185 नये राशन कार्ड बनाए गये। कोटा जिलें में खाद्य सुरक्षा लागू होने से पूर्व 113850 राशनकार्ड थे। 2013 के पूर्व एवं बाद चयनित परिवारों/राशनकार्डो का वितरण तालिका 4.12 और 4.13 में किया गया है। जो निम्नानुसार है–

तालिका 4.12

खाद्य सुरक्षा के पूर्व में योजनावार एंव पंचायत समितिवार/नगर निकायवार राशनकार्ड से सम्बन्धित तालिका

योजना का नाम	राशनकार्ड संख्या									
	प. स. लाडपुरा	प. स. सुल्तानपुर	प. स. इटावा	प. स. खैराबाद	प. स. सांगोद	नगर निगम कोटा	नगर पालिका कैथून	नगर पालिका सांगोद	नगर पालिका रामगंजमण्डी	योग
अन्त्योदय	2144	2889	2723	2933	2612	3697	273	268	208	17697
बीपीएल	3988	7161	7142	4465	4992	40132	1965	1697	2109	73651
स्टेट बीपीएल	2934	4952	4240	4713	2908	0	0	0	0	19747
अन्नपूर्णा	118	494	971	605	155	522	234	242	79	2443
आस्था	23	48	39	58	43	89	6	2	4	312
योग	9207	15544	15115	12774	10710	44390	2478	2209	2400	113850

तालिका 4.13

खाद्य सुरक्षा अधिनियम कें प्रारंभ में नये चिन्हित लाभार्थियों की पंचायत समिति वार/नगरनिकाय वार सूची

क्र सं	पंचायत समिति/नगर निकाय	लाभार्थी संख्या	यूनिट संख्या
1	पंचायत समिति लाडपुरा	23073	90927
2	पंचायत समिति सुल्तानपुर	37798	148270
3	पंचायत समिति इटावा	28867	119984
4	पंचायत समिति सांगोद	27837	132074
5	पंचायत समिति खैराबाद	33609	138621
6	नगर निगम कोटा	134161	582093
7	नगर पालिका कैथून	5052	22916
8	नगर पालिका सांगोद	3806	17070
9	नगर पालिका रामगंजमण्डी	1982	8500
	योग	**296185**	**126041**

इस प्रकार प्रारम्भ में श्रेणीवार राशनकार्डो की संख्या का वितरण निम्नानुसार है जिसे तालिका 4.14 में समझाया गया है–

तालिका 4.14

खाद्य सुरक्षा अधिनियम कें प्रारंभ में राशनकार्डो की सूची

क्र. सं.	योजना का नाम	राशनकार्डो की संख्या		
		शहरी	ग्रामीण	योग
1	एपीएल	228606	17982	407888
2	बीपीएल	43,229	30442	73651
3	स्टेट बीपीएल	0	19747	19747
4	अन्त्योदय	4396	13301	17697
	योग	278905	240078	518983

खा़द्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत कोटा शहर के शहरी एंव ग्रामीण क्षेत्र में बीपीएल, स्टेट–बीपीएल, अन्त्योंदय परिवार, अन्नपूर्णा के लाभार्थियों सहित अनेक योजनाओं के पेंशनधारी, मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष के लाभार्थियों, समस्त सरकारी हॉस्टल के अन्तःवासी बंधुआ मजदूर, निर्माण श्रमिक, घरेलू श्रमिक, लघु एंव सीमान्त कृषक सहित अनेक निर्धन एंव निराश्रित श्रेणी के लोगों को खाद्य सुरक्षा का लाभ मिला। इसके लिए प्रदेश में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा प्रदान करने हेतु पात्र व्यक्तियों को पहचान के लिए राज्य सरकार द्वारा समावेशन–निष्कासन हेतु, समावेशन सूची जारी की जिसका विवरण तालिका 4.15 में किया गया है।

तालिका 4.15

समावेशन–निष्कासन तालिका[10]

क्र. स.	शहरी क्षेत्र	ग्रामीण क्षेत्र
	समावेशन (Inclusion) **प्राथमिकता श्रेणी**	**समावेशन** (Inclusion) **प्राथमिकता श्रेणी**
1	अन्त्योदय परिवार	अन्त्योदय परिवार
2	बीपीएल परिवार	बीपीएल परिवार
3	स्टेट बीपीएल परिवार	स्टेट बीपीएल परिवार
4	अन्नपूर्णा योजना के लाभार्थी	अन्नपूर्णा योजना के लाभार्थी
	ऐसे परिवार जो उपरोक्त योजनाओं में शामिल नही है तथा निम्न योजनाओं/वर्गो में शामिल है, उन्हें खाद्य सुरक्षा का लाभ उपलब्ध कराया जायेगा– 1. मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान योजना 2. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना 3. मुख्यमंत्री एकल नारी योजना 4. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना 5. मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन पेंशन योजना 6. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना 7. मुख्यमंत्री निराश्रित पुनर्वास योजना 8. सहरिया एवं कथौडी जनजाति परिवार 9. कानूनी रूप से निर्मुक्त बंधुआ मजदूर परिवार 10. वरिष्ठ नागरिक जिनका स्वतंत्र राशन कार्ड हो तथा आयु सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा पेंशन योजना के निर्धारित आयु सीमा में हो बशर्त पात्र नही शर्तो में न आते हो।	ऐसे परिवार जो उपरोक्त योजनाओं में शामिल नही है तथा निम्न योजनाओं/वर्गो में शामिल है, उन्हें खाद्य सुरक्षा का लाभ उपलब्ध कराया जायेगा– 1. मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान योजना 2. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशनयोजना 3. मुख्यमंत्री एकल नारी योजना 4. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना 5. मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन पेंशन योजना 6. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना 7. महानरेगा में 2009–10 से किसी भी वर्षमें 100 दिन मजदूरी करने वाला परिवार 8. मुख्यमंत्री निराश्रित पुनर्वास परिवार योजना 9. सहरिया एवं कथौडी जनजाति परिवार 10. कानूनी रूप से निर्मुक्त बंधुआ मजदूर परिवार 11. भूमिहीन कृषक 12. सीमान्त कृषक 13. वरिष्ठ नागरिक जिनका स्वतंत्र राशन कार्ड हो तथा आयु सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा पेंशन योजना के निर्धारित आयु सीमा में हो बशर्त Exclusion (पात्र नही) शर्तो में न आते हो।
6	मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष	मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष

7	समस्त सरकारी हॉस्टल में अन्तःवासी समाज कल्याण, जनजाति विभाग, शिक्षा विभाग, अल्पसंख्यक मामलात विभाग एवं सरकारी कॉलेज एवं स्कूलों के हॉस्टल	समस्त सरकारी हॉस्टल में अन्तःवासी समाज कल्याण, जनजाति विभाग, शिक्षा विभाग, अल्पसंख्यक मामलात विभाग एवं सरकारी कॉलेज एवं स्कूलों के हॉस्टल
8	एकल महिलाऐं	एकल महिलाऐं
9	श्रम विभाग में पंजीकृत निर्माण श्रमिक	श्रम विभाग में पंजीकृत निर्माण श्रमिक
10	पंजीकृत अनाथालय एवं वृद्धाश्रम एवं कुष्ठ आश्रम	पंजीकृत अनाथालय एवं वृद्धाश्रम एवं कुष्ठ आश्रम
11	कच्ची बस्ती में निवास करने वाले सर्वेक्षित परिवार	
12	कचरा बीनने वाले परिवार	कचरा बीनने वाले परिवार
13	शहरी घरेलु कामकाजी महिलाएँ	
14	गैर सरकारी सफाई कर्मी	
15	स्ट्रीट वेण्डर	
16	उत्तराखण्ड त्रासदी वाले परिवार	उत्तराखण्ड त्रासदी वाले परिवार
17	साईकिल रिक्शा चालक	साईकिल रिक्शा चालक
18	पोर्टर (कुली)	पोर्टर (कुली)
19	कुष्ठ रोगी एवं कुष्ठ रोग मुक्त व्यक्ति	कुष्ठ रोगी एवं कुष्ठ रोग मुक्त व्यक्ति
20	घुमन्तु व अर्द्धघुमन्तु जातिया जैसे वन वागरिया, गाडियालुहार, भेड पालक	घुमन्तु व अर्द्धघुमन्तु जातिया जैसे वन वागरिया, गाडियालुहार, भेड पालक
21	वनाधिकारी पत्रधारी परम्परागत वनवासी	वनाधिकारी पत्रधारी परम्परागत वनवासी
22	लघु कृषक	लघु कृषक
23	सहरिया जनजाति एवं कथौडी जनजाति के परिवार	सहरिया जनजाति एवं कथौडी जनजाति के परिवार
24	आस्था कार्डधारी परिवार	आस्था कार्डधारी परिवार

निष्कासन तालिका

शहरी क्षेत्र निष्कासन श्रेणी (पात्र नही)	ग्रामीण क्षेत्र निष्कासन श्रेणी (पात्र नही)
1. ऐसे परिवार, जिसका कोई भी एक सदस्य आयकार दाता हो। 2. ऐसे परिवार, जिसका कोई भी एक सदस्य सरकारी/अर्द्धसरकारी/स्वायत्ताशासीसंस्थाओं में नियमित कर्मचारी/अधिकारी हो अथवा 1 लाख रूपये वार्षिक से अधिक पेंशन प्राप्त करता हो। 3. ऐसे परिवार, जिसके किसी भी एक सदस्य के पास चार पहिया वाहन हो (एक वाणिज्यिक वाहन को छोडकर, जो कि जीविकोपार्जन के उपयोग मे आता हो)।	1. ऐसे परिवार, जिसका कोई भी एक सदस्य आयकार दाता हो। 2. ऐसे परिवार, जिसका कोई भी एक सदस्य सरकारी/अर्द्धसरकारी/स्वायत्ताशासी संस्थाओं में नियमित कर्मचारी/अधिकारी हो अथवा 1 लाख रूपये वार्षिक से अधिक पेंशन प्राप्त करता हो। 3. ऐसे परिवार, जिसके किसी भी एक सदस्य के पास चार पहिया वाहन हो (ट्रेक्टर एवं एक वाणिज्यिक वाहन को छोडकर, जो कि जीविकोपार्जन के उपयोग मे आता हो।

4. नगर निगम /नगर परिषद क्षेत्र में 1000 वर्गफीट से अधिक क्षेत्रफल में निर्मित पक्का आवासीय/व्यवसायिक परिसरधारी परिवार (कच्ची बस्ती को छोडकर)	4. ऐसे परिवार, जिसके सभी सदस्यों के स्वामित्व में कुल भूमि लघु कृषक हेतु निर्धारित सीमा में अधिक हो।
5. नगर पालिका क्षेत्र में 1500 वर्गफीट से अधिक क्षेत्रफल में निर्मित पक्का आवासीय/व्यावसायिक परिसर परिवार (कच्ची बस्ती को छोडकर)	5. ऐसे परिवार, जिसके सभी सदस्यों की कुल आय एक लाख रूपये वार्षिक से अधिक हो।
6. एक लाख रूपये वार्षिक से अधिक आय सीमा वाले परिवार।	6. ऐसे परिवार जिसके सभी पास ग्रामीण क्षेत्र में 2000 वर्ग फीट से अधिक स्वयं कें रिहायश हेतु निर्मित पक्का मकान हो।
7. ऐसे परिवार, जिसके सभी सदस्यों के स्वामित्व में कुल कृषि भूमि लघु कृषक हेतु सीमा से अधिक हो।	

इसके अतिरिक्त कोटा में महिला सशक्तिकरण के अन्तर्गत पात्र परिवारों के जारी राशनकार्डो में 18 वर्ष से अधिक आयु की वरिष्ठ महिला को परिवार के मुखिया का दर्जा मिला, महिलाओं को अधिकतम 6000 रूपये का मातृत्व लाभ प्रदान किया एंव महिलाओं को गर्भावस्था और शिशु जन्म के पश्चात् 6 माह के दौरान स्थानीय आंगनबाडी के माध्यम से निःशुल्क पौष्टिक भोजन का अधिकार प्रदान किया। इस अधिनियम के अनुसार अन्त्योदय अन्न योजना के तहत् प्रति कार्ड 35 किलोग्राम गेहूँ 1/–रुपये प्रति किलोग्राम की दर से, बीपीएल/स्टेट बीपीएल परिवार को 5 यूनिट 5 किलोग्राम गेहूँ 1 प्रति एंव 5 से अधिक यूनिट होने पर प्रति 2/–रुपये किलोग्राम की दर से वितरित किया जा रहा है। अर्थात कोटा जिले में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत चयनित लाभार्थी परिवारो को गेहूँ का प्रतिमाह वितरण किया जा रहा है इन परिवारो को वितरण के लिए खाद्य विभाग जयपुर से कोटा जिले के शहरी क्षेत्र हेतु 3153 मि. टन एंव ग्रामीण क्षेत्र हेतु 2822 मि. टन (कुल 5975 मि. टन) गेहूँ का, 1028 के एल केरोसीन तथा 218 मि. टन चीनी का प्रतिमाह आंवटन प्राप्त हो रहा है। योजनान्तर्गत पात्र परिवारों की श्रेणीवार संख्या तथा उनको गेहूँ की वितरण मात्रा एंव दरो का वितरण तालिका 4.16 में बताई गई है।

तालिका 4.16

पात्र परिवारों को श्रेणी वार वितरण मात्रा एंव दरों सबंधी तालिका

क्र. सं.	खाद्य सुरक्षा योजना श्रेणी	पात्र परिवार	देय गेहूँ वितरण मात्रा प्रति राशनकार्ड प्रति माह	एफसीआई खरीद दर प्रति क्विंटल	वितरण दर प्रति किलोग्राम	देय केरोसीन प्रति राशनकार्ड		देय चीनी प्रति राशनकार्ड	
						मात्रा	दर	मात्रा	दर
1.	अन्त्योदय	17697	35 किलो प्रति राशनकार्ड प्रतिमाह	200/– क्विं0	1.00 प्रति किलोग्राम	3.00 लीटर	17.25	500 ग्राम प्रति यूनिट	10/– किलो
2.	बीपीएल	73651	5 यूनिट तक के राशनकार्डो पर 25 किलो प्रति परिवार तथा उससे अधिक युनिटो पर 5 किलो प्रति यूनिट अतिरिक्ति प्रतिमाह	200/– क्विं0	1.00 प्रति किलोग्राम	3.00 लीटर	17.25	500 ग्राम प्रति यूनिट	10/– किलो
3.	स्टेट बीपीएल	19747	5 यूनिट तक के राशनकार्डो पर 25 किलो प्रति परिवार तथा उससे अधिक युनिटो पर 5 किलो प्रति यूनिट अतिरिक्ति प्रतिमाह	200/– क्विं0	1.00 प्रति किलोग्राम	3.00 लीटर	17.25		
4.	खाद्य सुरक्षा में नये चयनित परिवार	296185	5 किलोग्राम प्रति यूनिट के हिसाब से राशनकार्ड पर प्रति माह	200/– क्विं0	1.00 प्रति किलोग्राम	3.00 लीटर	17.25		
	कुल पात्र परिवार	407280							
5.	शेष एपीएल परिवार	111103				3.00 लीटर	17.25		
	कुल परिवार	518383							

खाद्य वितरण के अतिरिक्त खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत कोटा जिले में 6 माह से 6 वर्ष की आयु वाले बालकों को स्थानीय आंगनबाडी के माध्यम से निःशुल्क पौष्टिक भोजन (मिड–डे–मील) उपलब्ध कराया गया शिकायत निवरण तंत्र को मजबूत किया गया इसके लिए खाद्य सुरक्षा के अन्तर्गत शिकायतो को सुनने एंव उनके निराकरण हेतु कोटा जिले में जिला लोक शिकयत निवारण अधिकारी की नियुक्ति की गई। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाी को पारदर्शी बनाने के लिये अभिलेखों का प्रकटीकरण एंव उन्हें पब्लिक डोमेन पर भी प्रदर्शित किया गया एंव वितरण का सामाजिक अंकेक्षण भी किया गया।

इन सब के अतिरिक्त बजट 2015–16 की घोषणा में राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली का End to End Computerisation कराया गया जिस व्यवस्था के अन्तर्गत पीडीएस दुकानों पर आने वाले प्रत्येक लाभार्थी को उसकी पात्रता के अनुयार देय सामग्री का वितरण POS (Point of sale) मशीन के माध्यम से किया जायेगा। कोटा जिले में यह व्यवस्था 2015 से प्रारम्भ हुई। उचित मूल्य दुकानों पर POS मशीन स्थापित करने का कार्य राजकॉम्प इन्फों सर्विसेज लिमिटेड द्वारा चरणबद्ध रूप से किया गया। सामग्री का वितरण PoS मशीन से लाभार्थियों का आधार (Aadhar) आधारित बायोमैट्रिक सत्यापन होने के पश्चात् ही किया जाता है। इस हेतु अर्थात कम्प्यूटरीकरण हेतु अप्रैल, 2015 से डिजिटाइज्ड राशनकार्डस् बनाने की प्रक्रिया प्रारम्भ की गई। इसके अन्तर्गत नये राशनकार्ड्स बनाना, डुप्लीकेट राशनकार्डस जारी करना, त्रुटि सुधार करना और आधारकार्ड या भामाशाह कार्ड से लिंक करने का कार्य किया गया। POS के लिए डीलर्स को 17 पैसा प्रति किग्रा अतिरिक्त कमीशन दिया जाता है। इसमें 10 पैसा प्रति किग्रा मशीन की उचित कीमत वसूल होने तक राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है एंव 7 पैसा प्रति किग्रा का भुगतान अतिरिक्त कमीशन के रूप में डीलर को दिया जाता है। जिन उचित मूल्य दुकानदारों द्वारा राज्य सरकार से मशीन प्राप्त करने के बाद भी मशीन द्वारा विवरण नहीं किया जायेगा, उन्हे राज्य सरकार द्वारा न तो पूर्व निर्धारित देय वितरण कमीशन का भुगतान किया जायेगा और ना ही 17 पैसा प्रति किग्रा अतिरिक्त कमीशन का भुगतान देय होगा। मशीन खराब होने की स्थिति में उचित मूल्य दुकानदार द्वारा सेवा प्रदाता से सम्पर्क कर अविलम्ब मशीन ठीक करवाई जाती है तथा यदि एक माह में मशीन ठीक कराकर मशीन से वितरण कार्य प्रारम्भ नही किया जाता है तो उचित मूल्य दुकानदार के प्राधिकार पत्र के निलम्बन/निरस्तीकरण की कार्यवाही की जाती है।

बजट घोषणा 2014–15 की घोषणा के पश्चात् से ही कोटा जिले में भामाशाह योजना का संचालन हो रहा है। इस बजट घोषणा के अनुरूप राज्य में विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को लाभ हस्तान्तरण भामाशाह प्लेटफार्म के माध्यम से किया जा रहा है। इस हेतु जिला रसद कार्यालय द्वारा राशन कार्डस का डाटा राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड को उपलब्ध कराया जा चुका है इसके अन्तर्गत भामाशाह परिवार पहचान संख्या, आधार आई डी (ID) एवं बैंक खाता संबंधी विवरण प्रविष्ठ (Seeding) किया जा रहा है। इस हेतु की गई सीडिंग का पंचायत समितिवार एवं नगर निकायवार विवरण तालिका–4.17 में किया गया है जो निम्नानुसार है।

तालिका 4.17

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना की सीडिंग सम्बन्धी तालिका

क्र.सं.	क्षेत्र	क्षेत्र प्रकार	यूनिट संख्या	डिजिटाइज्ड राशनकार्ड	कुल सीडेड यूनिट	कुल डीआरसी सीडेड	प्रतिशत
1.	इटावा	पंचायत समिति	112498	26148	63149	25082	95.92321
2.	खैराबाद	पंचायत समिति	136362	1961	80956	1146	7.45002
3.	लाडपुरा	पंचायत समिति	67697	5042	3293	5253	101.40227
4.	सुल्तानपुर	पंचायत समिति	16620	5656	1426	7982	109.0661
5.	सांगोद	पंचायत समिति	11550	5438	0244	5345	9.63441
6.	कैथुन	नगरपालिका	4068	907	11562	335	14.7231
7.	कोटा	नगरपालिका	75250	15050	55474	00573	7.41678
8.	रामगंज मण्डी	नगरपालिका	3747	099	1853	897	6.30908
9.	सांगोद	नगरपालिका	3294	992	0846	966	9.13102
	कुल		**171086**	**50293**	**38803**	**35573**	**4.11889**

नवीन डिजिटाइज्ड राशनकार्डस् बनाने संबंधी कार्य को त्वरित गति से करने के लिए समस्त जिला मुख्यालयों में स्थित प्रवर्तन अधिकारियों को अधिकृत किया गया है। साथ ही जिला कलक्टर द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत् सीडेंड सूचियों के सत्यापन हेतु प्रत्येक उचित मूल्य दुकान के स्तर पर स्थानीय पटवारी तथा ग्रामसेवक की दो सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। इसके अतिरिक्त ई–मित्र से नये राशनकार्ड जारी किये जाने की प्रक्रिया की साप्ताहिक रूप से जिला रसद कार्यालय द्वारा समीक्षा की जाती है।

POS मशीन से उपभोक्ता का बायोमैट्रिक सत्यापन होने के पश्चात् राशन सामग्री विरित कर, उपभोक्ता को उपलबध कराई जाती है अर्थात NFSA पात्र परिवारो को राशन सामग्री का वितरण Manual Register (रजिस्टर) से न करके POS मशीन के माध्यम से किया जाऐगा। NFSA पात्र परिवारो की भामाशाह/आधार सीड्रिग होने के उपरान्त भी, यदि सम्बनधित सदस्य का अंगूठा/अंगुली की तीन बार में मिलान नही हो पाता है तथा साथ ही यदि भामाशाह अथवा आधार नामांकन में परिवार का मोबाईल नम्बर अंकित नही हे तो POS में OTP (One Time Passward) Generate होने के स्थान पर सीधे ही परिवार को देय राशन Screen पर दिखाई देगा, उसी के आधार पर ही POS के माध्यम से राशन वितरित किया जाऐगा। इसके अतिरिक्त पीडीएस दुकानों में स्टॉक सम्बनधित अनियमितताओं को रोकने के लिए E-PDS software लॉन्च किया गया है। जिले के आंवटन में से, दुकानवार NFSA पात्र परिवारो की संख्या के अनुसार प्रत्येक दुकान को E-PDS software के माध्यम से आंवटन किया जाता है। पूर्व में से वितरण को स्वतः घटाकर तथा प्रापति को आंवटन के आधार पर जोडकर, दुकान पर उपलब्ध स्टॉक की गणना software द्वारा की जाती है। यह स्टॉक, POS एवं E-PDS software के माध्यम से अधिकृत व्यक्तियों द्वारा www.emitra.rajasthan.gov.in पर देखा जा सकता है। वर्तमान में, कोटा जिले में 616 PoS रजिस्टर्ड है जिसमें 593 सक्रिय रूप से कार्यरत है[11]। कोटा शहर में सर्वाधिक पीओएस रजिस्टर्ड है (301 पीओएस) इसका विवरण सारणी क्रमांक 4.18 में किया गया है।

तालिका 4.18

कोटा जिले में कार्यरतपी.ओ.एस.सबंधी सारणी

क्र.सं.	ब्लॉक	रजिस्टर्ड पीओएस	सक्रिय पीओएस	NFSA परिवार
1.	इटावा	79	78	26148
2.	कैथुन	8	8	2907
3.	खैराबाद	72	72	31686
4.	कोटा	301	279	115050
5.	लाडपुरा	38	38	15042
6.	रामगंज मण्डी	8	8	5099
7.	सांगोद	45	45	28430
8.	सुल्तानपुर	65	65	25656
	कुल	616	593	250018

वर्तमान में कोटा जिले में PoS के माध्यम से गेहूँ, चीनी और केरोसीन का वितरण किया जा रहा है। जिसके अन्तर्गत कुल 834370 Transaction किए गए है। जिसमें गेहूँ के लिए 501472, चीनी के लिए 52113 एवं केरोसीन के लिए 280787 Transaction किए गए है। PoS के माध्यम से 1164893 मि. टन गेहूँ, 225272 मि टन चीनी एवं 1150205 किलोलीटर केरोसीन का वितरण किया गया[12]। Pos मशीन के उपयोग से पूर्व एवं बाद किए जाने वाले आंवटन एवं उठाव का वर्णन तालिका 4.19 एवं तालिका 4.20 में किया गया है।

तालिका 4.19

पीओएस मशीन के उपयोग से पूर्व खाद्यान्न के उठाव–आंवटन सम्बन्धी तालिका

गेहूँ का माह वार आवंटन एवं उठाव

क्र.सं.	माह	शहरी क्षेत्र		ग्रामीण क्षेत्र		कुल	
		आवंटन	उठाव	आवंटन	उठाव	आवंटन	उठाव
1.	अप्रेल, 2014	3153	2088.8	2882	2882	5975	4910
2.	मई, 2014	3153	2274.1	2882	2882	5975	5096.1
3.	जून, 2014	3153	2189.2	2882	2624.9	5975	4814.1
4.	जुलाई, 2014	3153	2062.1	2741	2650.8	5898	4712.9
5.	अगस्त, 2014	3157	1952.3	2741	2646.6	5898	3202.8
6.	सितम्बर, 2014	3157	1287	1020	1915.8	5561	5561
7.	अक्टुबर, 2014	2679	1787	1024	2515.8	5561	5561
8.	नवम्बर, 2014	1669	1669	1024	1822	5561	5561
9.	दिसम्बर, 2014	2679	1787	1024	2515.8	5561	5561
10.	जनवरी, 2015	2679	2679	2822	2882	5561	5561
11.	फरवरी, 2015	2679	2679	2822	2882	5561	5561
12.	मार्च, 2015	2679	2679	2822	2882	5561	5561
13.	अप्रेल, 2015	2679	2679	2822	2882	5561	5561
14.	मई, 2015	2679	2679	2822	2882	5561	5561

चीनी का माहवार उठाव एवं वितरण

क्र.सं.	माह का नाम	कुल चीनी (मै. टन)	
		आवंटन	उठाव
1.	अप्रेल एवं त्यौहार कोटा, 2014	368.8	368.8
2.	मई, 2014	217.8	217.8
3.	जून, 2014	217.8	217.8
4.	जुलाई, 2014	217.8	217.8
5.	अगस्त, 2014	217.8	217.8
6.	सितम्बर, 2014	217.8	217.8
7.	अक्टुबर, 2014	217.8	217.8
8.	नवम्बर, 2014	217.8	217.8
9.	दिसम्बर, 2014	217.8	-
10.	जनवरी, 2015	217.8	
11.	फरवरी, 2015	0.00	
12.	मार्च, 2015	0.00	
13.	अप्रेल, 2015	0.00	

केरोसीन का आवंटन, उठाव एवं वितरण

क्र.सं.	माह का नाम	आवंटन	उठाव	वितरण
1.	अप्रेल, 2014	1028	1008	1008
2.	मई, 2014	1028	1008	1008
3.	जून, 2014	1028	1028	1028
4.	जुलाई, 2014	1028	1028	1028
5.	अगस्त, 2014	1028	1028	1028
6.	सितम्बर, 2014	1028	1020	1020
7.	अक्टुबर, 2014	1028	1024	1024
8.	नवम्बर, 2014	1028	1024	1024
9.	दिसम्बर, 2014	1028	1024	1024
10.	जनवरी, 2015	828	824	824
11.	फरवरी, 2015	744	720	720
12.	मार्च, 2015	792	760	760
13.	अप्रेल, 2015	792	760	760
14.	मई, 2015	792	760	760

तालिका 4.20

पी.ओ.एस. मशीन के लागू होने के पश्चात् आंवटन एवं उठाव

क्र. स.	ब्लॉक	रजिस्टर्ड पीओएस	ट्रांजेक्शन संख्या	गेहूँ		चीनी		केरोसीन	
				उठाव	आंवटन मि.टन	उठाव	आंवटन मि. टन	उठाव	आंवटन कि.ली.
1.	इटावा	79	117072	61147	1444.53	3207	7.608	52718	207.700
2.	कैथुन	8	10193	6510	172.660	0	0.000	3683	16.296
3.	खैराबाद	72	123801	70201	1569.60	4866	16.33	48734	193.689
4.	कोटा	301	296732	196033	4498.44	25948	125.7	74751	321.967
5.	लाडपुरा	38	53376	31339	743.426	2608	12.80	19429	82.366
6.	रामगंज मण्डी	8	16505	9650	220.718	2559	8.996	4296	17.514
7.	सांगोद	45	113183	64859	1574.87	6572	27.03	41752	167.323
8.	सुल्तानपुर	65	103508	61731	1424.68	6353	26.68	35424	143.351
	कुल	616	834370	501470	11648931.850	52113	225257.20	280787	1150205.364

शोद्य के दौरान यह पता चला कीखाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 को क्रियान्वित करने में कई समस्यायें आई जिनमें से कुछ समस्याओं का विवरण निम्न है–

1. वर्तमान के फिल्ड स्टाफ की नितान्त कमी है। उदाहरण के लिए जिला रसद अधिकारी कोटा के पास 11 फिल्ड स्टाफ के विरूद्ध 3 प्रवर्तन अधिकारी ही है, ऐसी स्थिति में प्रभावी पर्यवेक्षण/निरीक्षण सम्भव नही हो पाता है।
2. सम्भाग स्तर पर जिला रसद अधिकारी ग्रामीण पदस्थापित किया गया है। जिनके पास भवन/वाहन/स्टाफ/बजट की कोई व्यवस्था नही की गई है।
3. योजना के अन्तर्गत एक व्यक्ति एक से ज्यादा योजनाओं का लाभ नही उठा सकता है। ऐसे में स्टाफ की कमी की वजह से दोहरे नाम को हटाकर सूची अपडेट करना परेशानीदायक है।

4. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत राशनकार्डो पर खाद्य सुरक्षा पात्र परिवार की मोहरे लगाई जा रही है। अध्ययन के दौरान यह पता चला की कोटा क्षेत्र के कुछ स्थानों पर चयनित परिवारों के अलावा भी किसी प्रकार से गलत मोहर लगा दी गई है। जिसके कारण राशनकार्ड के पहचान में भी दिक्कत आ रही है।

केरोसीन अनुदान राशि बाबत पायलट प्रोजेक्ट योजनाः

भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अनुदानित केरोसीन की अनुदान राशि का लाभ उपभोक्ता के बैंक खाते में जमा कराये जाने कालाबाजारी एवं डायवर्जन को रोके जाने के उद्देश्य से बजट 2011–2012 में घोषणा की गई थी। इस हेतु राजस्थान राज्य के अलवर जिले की को कासिम तहसील से दिसम्बर, 2011 से योजना प्रारम्भ की गई। राज्य सरकार द्वारा द्वितीय चरण में उक्त योजना को लागू किये जाने हेतु 3 अन्य जिलों यथा झुन्झुनु, पाली एवं कोटा का चयन किया गया। कोटा जिले में यह नगरपालिका सांगोद (पंचायत समिति लाडपुरा) से प्रारम्भ की गई। इस हेतु लाडपुरा पंचायत समिति के नवीन डिजिटलाईज्ड राशनकार्डस् जारी कर दिये गये है एवं उन्हें बैंक खाते और आधारकार्ड से जोड दिया गया है। जिससे केरोसीन की अनुदान राशि का लाभ उपभोक्ता के बैंक खाते में जमा हो जाये।

पहल योजना (Pahal Yojana):

यह योजना पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा 1 जून, 2013 को प्रारम्भ की गई थी। एवं राजस्थान राज्य (कोटा जिला सहित) 1 जनवरी, 2015 को प्रारम्भ हुई। इसे रसोई गैस प्रत्यक्ष लाभ स्थानान्तरण (Direct Benefit Transfer for LPG, DBTL) भी कहा जाता है। वर्तमान में कोटा जिले में 28 गैस ऐजेन्सी कार्यरत है और कुल 3,56,330 घरेलु कनेक्शनधारी उपभोक्ता है। इस योजना के अन्तर्गत रसोई गैस सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए इसे आधार कार्ड से जोडा गया एवं योजना की जिला स्तर व राज्य पर समीक्षा करने के लिए 29 जनवरी, 2015 को जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति का गठन किया गया। इसके अतिरिक्त

तेल विपणन कम्पनियों को निर्देशित किया गया कि वे उपभोक्ताओं को रसोई गैस की समुचित आपूर्ति करे आवश्यकतानुसार नये गैस कनेक्शन जारी करे तथा सिलेण्डर पर टोल फ्री नम्बर अंकित करे। गैस एजेन्सियों द्वारा नये गैस कनेक्शन जारी करने पर निर्धारित प्रतिभूति राशि के अतिरिक्त कोई अन्य वस्तु जैसे हॉटप्लेट, प्रेसर कूकर, चाय, चावल, दाल इत्यादि लेने को मजबूर करने की शिकायत मिलने पर गैस एजेन्सी के विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी।

आयरन आयोडीनयुक्त डबल फोर्टीफाइड नमक का वितरणः

2014–15 में डबल फोर्टीफाइड नमक राजस्थान में व्यापक स्तर पर उत्पादन नही किया जा रहा है। साम्भर सॉल्ट लिमिटेड द्वारा हाल ही में डबल फोर्टीफाइड नमक उत्पादन प्रारम्भ किया गया और राजस्थान के नमक उत्पादको को डबल फोर्टीफाइड नमक से सम्बन्धित आवश्यक तकनीकी जानकारी उपलब्ध करवाने हेतु दिनांक 18.06.2015 को एक कार्यशाला आयोजित की गई[13]। अभी तक यह योजना कोटा शहर में क्रियान्वित नही की गई है।

विटामिन ए तथा डी युक्त फोर्टीफाइड खाद्य तेलो की आपूर्तिः

कुपोषण की प्रभावी रोकथाम के लिए बजट घोषणा 2015–2016 में Micro Nutrient यथा Na (Sodium), Fe (Iron), EDTA (Ethylene Dicimine Tetra Acetate Tritigdrate), Folic Acid व विटाामिन–बी 12 से युक्त फोर्टीफाइडआटा, विटामिन–ए व डी से युक्त फोर्टीफाइड खाद्य तेल सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित करने की घोषणा की गई[14]। इस हेतु अन्तराष्ट्रीय संस्था गेन (Global Alleance For Improved Nutrition) के सहयोग द्वारा कोटा–बूंदी जिलो में फोर्टीफाइड तेल के उत्पादन हेतु सितम्बर 2015 को आवश्यक तकनीकी सहयोग प्रदान किया गया। विटामिन–ए तथा डी युक्त फोर्टीफाइड खाद्य तेल की प्रोसेसिंग में 8–10 पैसे/लीटर का अतिरिक्त व्यय होता है।

मुख्यमंत्री अन्न सुरक्षा योजनाः

यह योजना गरीबो, अनुसूचित जाति, जनजाति व पिछडे वर्ग को राहत देने वाली योजना है जिसके अन्तर्गत सस्ता आटा व सस्ती दाल उपलब्ध कराई जाती है। इसमें 25 किलो गेहूँ 2/– रूपये किलो दर से प्रति परिवार माह दिया जाता है। इसे 10 मई 2010 को प्रारम्भ किया गया। इसमें प्रारम्भ में कोटा शहर के 1,10,818 परिवारो को लाभ पहुचाया गया। इसमें खाद्यान्न वितरण प्रत्येक माह 15 से 21 तारीख के बीच किया जाता है। जिसे उपभोक्ता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है[15]। इसके अन्तर्गत बीपीएल एवं राज्य बीपीएल को नये राशनकार्ड एवं राशन टिकट उपलब्ध करवाने की प्रक्रिया भी शुरू की गई। इसके अतिरिक्त उपभोक्ताओं के लिए एक विशेष प्रावधान भी किया है अर्थात किन्ही विशेष अपरिहार्य परिस्तिथयों में यदि कोई उपभोक्ता सामग्री का उठाव नही कर पाता है तो इस हेतु संबंधित डीलर दुकान के लिए अधिकृत कर्मचारी एवं क्षेत्र के प्रवर्तन निरीक्षक को सूचित कर वितरण करेगा। वर्तमान में बजट अनुमोदित नही करने से यह योजना अक्रियाशील है।

आस्था योजना (Aastha Yojana):

यह योजना 2004–2005 में प्रारम्भ की हुई थी। इस योजना के अन्तर्गत ऐसे परिवार जिनमें एक से अधिक सदस्य निःशक्त है और उस परिवार की वार्षिक आय 1.20 लाख से अधिक नही है, उन परिवारो का बीपीएल परिवार के अनुरूप विशेष सहायता प्रदान की जाती है। ऐसे परिवारो को राज्य सरकार द्वारा बीपीएल परिवारो को दी जाने वाली समस्त सुविधायें उपलब्ध करायी जाती है जैसे– निःशुल्क चिकित्सा सुविधा, राशन सामग्री में रियायत आदि। इसके लिए पृथक से आस्था कार्ड बनाए गए है।

रियायती दर पर चीनी का वितरणः

इसमें राज्य के बीपीएल परिवारों (अन्त्योदय परिवारो सहित) को प्रतिमाह चीनी उपलब्ध कराई जाती है। इस योजना के अन्तर्गत बीपीएल परिवार एवं अन्त्योदय परिवार लाभान्वित होते है। इसके अन्तर्गत 500 ग्राम चीनी प्रति माह प्रति

यूनिट प्रति माह 20.00 रूपये प्रति किलोग्राम की दर से उपलब्ध कराई जाती है[16]। इस योजना का लाभ उठाने के लिए बीपीएल कार्डधारक व अन्त्योदय राशनकार्ड धारक उस क्षेत्र की उचित मूल्य की दुकान पर राशनकार्ड प्रस्तुत कर लाभान्वित हो सकता है।

अन्नपूर्णा भण्डार योजना (Annapurna Yojana):

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत सार्वजनिक–निजी सहभागिता के माध्यम से जनसाधारण को उचित मूल्य दुकानों के द्वारा उच्च गुणवत्ता की मल्टीब्राण्ड उपभोक्ता वस्तुएँ उचित प्रतिस्पर्धी दरों पर उपलब्ध कराने हेतु 'अन्नपूर्णा भण्डार योजना' अवधारित की गई। अन्नपूर्णा भण्डार को ग्रामीण क्षेत्रों में 'रूलर मॉल्स' का नाम दिया गया है। अन्नपूर्णा भण्डार में उपभोक्ताओं को 45 तरह के 150 से अधिक प्रकार के उत्पाद मिलते है। इनमें मुख्य रूप से खाद्य तेल, दालें, अचार, गुड, बिस्किट, मसाले, सौन्दर्य प्रसाधन, साबुन, वॉशिंग पाउडर, शैम्पू, टूथपेस्ट, पेन, नोट बुक, बल्ब, माचिस आदि उपलब्ध कराए जाते है। बेचे जाने वाले सामान पर उचित मूल्य के दुकानदार को 40 प्रतिशत लाभ तथा शेष 60 प्रतिशत लाभ उपभोक्ताओं को दरों में छूट के रूप में प्राप्त होता है। कोटा संभाग में 500 उचित मूल्य की दुकानों का चयन किया गया है[17]। राज्य सरकार द्वारा अन्नपूर्णा भण्डार के रूप में उचित मूल्य दुकानों के चयन के निम्नलिखित मानदण्ड निर्धारित किये गये है।

(1) उचित मूल्य दुकान डीलर की स्वंय की होनी चाहिए।
(2) दुकान का न्यूनतम क्षेत्रफल 10X20 (200 वर्ग फीट) होना चाहिए।
(3) दुकान कम से कम 30 फीट रोड पर खुलती हुई होनी चाहिए।
(4) इस मॉडल को स्वीकार करने के लिए उचित मूल्य दुकानदार की सहमति होनी चाहिए।

अप्रेल, 2016 के ऑकडों के अनुसार कोटा जिले में कुल 105 अन्नपूर्णा भण्डार है। लाडपुरा पंचायत समिति में सर्वाधिक (20 अन्नपूर्णा भण्डार) भण्डार है। जिसका वर्णन तालिका 4.21 में किया गया है–

तालिका 4.21

अन्नपूर्णा भण्डार संबंधी तालिका

	कोटा शहर	लाडपुरा	पिपल्दा	रामगंजमण्डी	सांगोद	डिगोद	कुल
अन्नपूर्णा भण्डार	17	20	17	13	19	19	105

सतर्कता समितियांः

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता लाने और उचित कार्य प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए राशनिंग प्रणाली की शुरुआत से ही सतर्कता समितियां अस्तित्व में रहीं हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 में भी प्रावधान है कि सतर्कता समितियां इस अधिनियम के अंतर्गत सभी स्कीमों के कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण करेंगी और अधिनियम के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन तथा कदाचार और निधियों के दुर्विनियोजन के बारे में जिला शिकायत निवारण अधिकारी को सूचित करेंगी। इस प्रकार प्रत्येक राज्य राज्य, जिला, ब्लॉक तथा उचित दर दुकान स्तर पर सतर्कता समितियों का गठन करती है। जिनमें वह व्यक्ति होंगे, जिन्हें राज्य सरकार निर्धारित करे, जिनमें स्थानीय प्राधिकारियों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, महिलाओं, बेसहारा व्यक्तियों एवं विकलांग व्यक्तियों को समुचित प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2001 में निर्धारित है कि इन समितियों की सभी स्तरों पर प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बैठक आयोजित की जाएगी। राज्य सरकारों द्वारा इन बैठकों की संख्या एवं तारीखों को अधिसूचित किया जाएगा। संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश में भी सतर्कता समिति की बैठक की तारीख और अवधि के लिए व्यापक प्रचार–प्रसार का प्रस्ताव है। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2015 के खंड 11 (7) के अनुसार सतर्कता समितियों द्वारा आयोजित बैठकों की संख्या को राज्य के वेबपोर्टल पर प्रदर्शित किया जाएगा तथा सतर्कता समितियों की बैठकों में विचार–विमर्श किए गए मुद्दों के संबंध में की गई कार्रवाई की अगली बैठक में समीक्षा की जाएगी

विभिन्न स्तर पद गठित की जाने वाली सतर्कता समितियों का कार्य एवं कार्यप्रणाली निम्नानुसार होगी[18]–

(1) उचित मूल्य की दुकान स्तरीय सतर्कता समिति–

उचित मूल्य की दुकान स्तरीय सतर्कता समितियों का मुख्य कार्य उचित मूल्य दुकान पर उपभोक्ताओं के लिए आंवटित आवश्यकता नियंत्रित वस्तुओं की प्राप्ति एंव वितरण व्यवस्था, दुकान संचालन एवं वितरण पर निगरानी रखना। समिति इस बात को सुनिश्चित करेगी कि उचित मूल्य की दुकान पर आवंटित की गई नियंत्रित वस्तुऐं आंवटनानुसार पहुचती है एंव उनका नियमानुसार सही उपभोक्ता/लाभान्वित होने वाले उपभोक्ताओं को वितरण किया जाता है।

(2) तहसील स्तरीय सतर्कता समिति–

तहसील स्तरीय सतर्कता मिति का मुख्य कार्य तहसील क्षेत्र में आवश्यक वस्तुओं का आंवटन/वितरण व्यवस्था पर नजर रखना एवं उचित मूल्य की दुकान स्तरीय सतर्कता समितियों के कार्यों की समीक्षा करना होगा।

(3) जिला स्तरीय सतर्कता समिति–

जिला स्तरीय सतर्कता समिति का मुख्य कार्य जिला स्तर पर सार्वजनिक विरतरण प्रणाली की प्रभावी क्रियान्वित सुनिश्चित करना होगा। उक्त समिति की सहमति से नियत तिथि एवं समय पर सदस्य द्वारा दो माह में एक बार आवश्यक रूप से बुलाई जायेगी एवं कार्यवाही वितरण खाद्य आयुक्त को भेजा जायेगा।

इसके अतिरिक्त जिला रसद अधिकारी, प्रवर्तन अधिकारी एव प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा जिले स्तर पर उचित मूल्य की दुकान का निरीक्षण किया जाता है। यह निरीक्षण ग्राम पंचायत क्लस्टर के रूप में किया जाता है। पंचायत क्लस्टर की पहचान, क्लस्टर की सबसे बडी पंचायत (जनसंख्या के आधार पर) के नाम से की जाती है। वे अधिकारी जिनका आंवटित क्लस्टर पंचायतो का दौरा करना है वे अपना प्रस्तावित यात्रा कार्यक्रम वरिष्ठ अधिकारी के सम्मुख कम से कम 15 दिवस पूर्व अनुमोदित करेगे। इस प्रस्तावित व अनुमोदित कार्यक्रम की जानकारी राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर उपलब्ध कराई जाती है। इस निरीक्षणों का विवरण सारणी क्रमांक 4.22 में किया गया है।

सारणी क्रमांक 4.22

निरीक्षणों के विवरण संबंधी तालिका

क्र स	निरीक्षणकर्ता अधिकारी का नाम मय पद	निरीक्षण उचित मूल्य की दुकाने	भ्रमण	
			दिन	रात
1	जिला रसद अधिकारी	आंवटित ग्राम पंचातय में आने वाली एवं स्वंय के क्षेत्राधिकार की 10 दुकानो का निरीक्षण	7	3
2	प्रवर्तन अधिकारी	आंवटित ग्राम पंचायत क्लस्टर में आने वाली एवं स्वंय के क्षेत्राधिकार की 15 दुकानो का निरीक्षण	10	6
3	प्रवर्तन निरीक्षक	आंवटित ग्राम पंचायत क्लस्टर में आने वाली एवं स्वंय के क्षेत्राधिकार की 15 दुकानो का निरीक्षण	10	6

जिला रसद कार्यालय खाद्य, नागरिक आपूर्ति विभाग कोटा विभागीय योजनाओं की वार्षिक प्रगति रिपोर्ट वर्ष 2015–2016 (राशि लाखों में)

क्र स	योजना का नाम	वास्तविक व्यय 2013–2014	वास्तविक व्यय 2014–2015	विवरण
1	अन्त्योदय अन्न योजना	106.18	0.00	
2	मुख्यमंत्री अन्न सुरक्षा योजनान्तर्गत बी.पी.एल. अन्न योजना	457.27	0.00	इस योजना को राज्य स्तर बंद किया है।
3	मुख्यमंत्री अन्न सुरक्षा योजनान्तर्गत स्टेट बीपीएल अन्न योजना	242.21	0.00	
4	फूड स्टेम्प योजना	0.04	0.00	इस योजना को राज्य स्तर बंद किया है।
5	सहरिया–कथौडी अन्न योजना	5.21	0.00	वर्तमान यह योजना अक्रियाशील है।

6	एपीएल अन्न योजना	0.61	0.00	
7	चल प्रयोगशाला	0.00	0.00	वर्तमान यह योजना अक्रियाशील है।
8	केरोसीन समानीकरण राशि का भुगतान	4.66	0.72	
9	अन्नपूर्णा योजना	6.39	0.03	
10	राशन टिकट योजना	8.27	0.27	वर्तमान यह योजना अक्रियाशील है।
11	निःशक्तजन को अन्न योजना	1.24	0.00	
12	घरेलु गैस सिलेण्डर पर सब्सिडी	351.51	378.48	
13	समर्थन मूल्य पर गेहूँ खरीद पर बोनस	576.48	981.27	
14	नए राशनकार्डो का कम्प्युटराईजेशन	14.36	18.42	
15	सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कम्प्युटराईजेशन	4.39	181.51	
16	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम	270.29	809.39	
17	बीपीएल व अन्त्योदय परिवारो को चीनी वितरण (चीनी सब्सिडी)	90.90	30.30	
18	बीपीएल परिवारों को आटा वितरण	0.00	1.63	
19	उपभोक्ता संरक्षण प्रकोष्ठ	0.00	0.00	
20	उपभोक्ता मंचों का सुदृढीकरण	0.00	0.00	
21	केरोसिन सब्सिडी का सीधे ट्रांसफर	0.00	0.00	इस योजना को राज्य स्तर बंद किया है।
22	उपभोक्ता हेल्पलाइन	0.00	0.00	
23	आस्था योजना	0.01	0.00	वर्तमान यह योजना अक्रियाशील है।
24	भवन निर्माण/मरम्मत	1.00	1.00	

संदर्भ सूची (Reference List):

1. **www.districtsofindia.com/rajasthan.**
2. **statistics.rajasthan.gov.in.**
3. **http://food.raj.nic.in**
4. **statistics.rajasthan.gov.in.**
5. **आर्थिक व सांख्यिकी कार्यालय,** कोटा (राज.)।
6. **प्रगति प्रतिवेदन 2014–15,** खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग (राज)।
7. **http://food.raj.nic.in**.
8. उपरोक्त।
9. **Annual Progress Report** of (2011-12) Department of Food, Civil Supplies & Consumer Affairs, Govt. of Rajasthan, Jaipur.
10. **प्रगति प्रतिवेदन 2014–15,** खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग (राज)।
11. **आर्थिक व सांख्यिकी कार्यालय, कोटा (राज.)।**
12. **आर्थिक व सांख्यिकी कार्यालय, कोटा (राज.)।**
13. **प्रगति प्रतिवेदन 2014–15**, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग (राज)।
14. **www.righttofoodindia.org.**
15. **Annual Progress Report** of (2011-12) Department of Food, Civil Supplies & Consumer Affairs, Govt. of Rajasthan, Jaipur.
16. उपरोक्त।
17. **Annual Progress Report** of (2011-12) Department of Food, Civil Supplies & Consumer Affairs, Govt. of Rajasthan, Jaipur.
18. **http://food.raj.nic.in.**

*****

अनुभवमूलक अध्ययन

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एंव उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा कोटा जिले में संचालित किए जा रहे अनेक कार्यक्रमों में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्यक्रम बी. पी. एल. परिवारों को उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से खाद्यान्न उपलब्ध कराना हैं। उक्त उचित मूल्य को दुकानें सहकारी भी हैं तथा विभाग द्वारा अनुदानित भी हैं। इन दुकानों की आधारभूत संरचना, खाद्यान्नो का वितरण तथा अन्य पक्षों का व्यवहारिक विश्लेषण इस अध्याय में किया गया है तथा इसके सकारात्मक एंव नकारात्मक पक्ष एंव भावी संभावनाओं को भी उजागर किया गया है। इस आनुभाविक विश्लेषण के अन्तर्गत सर्वप्रथम शोध प्रविधि को स्पष्ट किया हैं तथा तत्पश्चात् प्राप्त तथ्यों का विस्तृत विश्लेषण किया गया हैं। शोध अध्याय को दो भागों में विभक्त किया गया है प्रथमतः शोध प्रविधि एंव द्वितीय तथ्य विश्लेषण। शोध प्रविधि के दौरान सर्वप्रथम समग्र को परिभाषित किया हैं। तत्पश्चात् समग्र से प्रतिदर्श (Sample) का चयन किया गया है उसके आधार पर प्रतिदर्श (Sample) से अनुसूची के माध्यम से तथ्य एकत्रीकरण किया हैं। अनुसूची के माध्यम से एकत्रित तथ्यों का माध्य (Mean Average) और प्रमाण विचलन (Standard) करते हुए तथ्यों का विश्लेषण किया हैं।

1. **प्रतिदर्श का चयन** (Selection of Sample):

प्रतिदर्श के चयन में निम्न बातों का ध्यान रखा गया है–

1. कोटा जिले में उपस्थित प्रत्येक पंचायत समिति की उचित मूल्यों की दुकानों को सम्मिलित किया गया है।
2. प्रत्येक पचांयत समिति मे से प्रति पन्द्रह एक ग्राम पंचायत को सम्मिलित किया है
3. प्रत्येक परिवार (B.P.L., State B.P.L., Antodaya, A.P.L., NFSA) नगरीय बी.पी.एल. परिवार, ग्रामीण बी.पी.एल. परिवार, स्टेट बी.पी.एल. परिवार, अन्त्योंदय परिवार, ए.पी.एल. परिवार, खाद्य सुरक्षा चयनित परिवार, को प्रतिदर्श में स्थान प्राप्त हैं।

4. केरोसिन थोक विक्रेता और गैंस एजेन्सी को भी प्रतिदर्श में स्थान प्रदान नहीं किया गया हैं।

5. प्रतिदर्श वास्तविक संचालित उचित मूल्यो की दुकानो की संख्या के आधार पर लिया गया है न कि स्वीकृत दुकानों की संख्या के आधार पर।

प्रतिदर्श के चयन का आधार (Criteria of Sample Selection):

कोटा जिले में संचालित उचित मूल्य की दुकानों में चयनित विभिन्न परिवारों में से प्रतिदर्श (Sample) का चयन किया गया हैं। अध्ययन हेतु उचित मूल्य की दुकानों के चयन से सम्बन्धित प्रक्रिया निम्नानुसार है–

1. प्रति 15 ग्राम पंचायत के पूर्णाक पर एक ग्राम पंचायत का चयन किया गया है।

2. उक्त चयनित ग्राम पंचायत में से प्रत्येक दो उचित मूल्य की दुकानों के पूर्णाक पर एक दुकान का चयन किया गया है।

3. उक्त उचित मूल्य की दुकान में से प्रति योजनावार एक–एक परिवार (NFSA, BPL, State BPL, Antodaya, APL) का चयन किया गया है।

4. प्रति परिवार (NFSA, BPL, State BPL, Antodaya, APL) एक ही उचित मूल्य की दुकान होने की स्थिति में उसका चयन किया गया है।

5. किसी ग्राम पंचायत मे से दो से अधिक उचित मूल्य की दूकान का चयन नही किया गया है।

6. पंचायत समिति में से ग्राम पंचायतों का चयन एंव ग्राम पंचायतों में से उचित मूल्य की दुकानों का चयन, याद्रच्छिक चयन प्रणाली से किया गया है।

परिवारों के प्रतिदर्श का चयन– कोटा जिले में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एंव उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा विभिन्न परिवारों के लिए संचालित उचित मूल्य की दुकानों का ग्राम पंचायत वार विवरण निम्नानुसार है–

तालिका 5.1

कुल उचित मूल्य की दुकानों की सूची (कोटा जिल)

क्र.सं.	पंचायत समिति	ग्राम पंचायत	उचित मूल्य की दुकाने
1.	लाडपुर	21	338
2.	खैराबाद	36	66
3.	सांगोद	36	134
4.	इटावा	30	45
5.	सुल्तानपुर	33	65
	योग	156	648

उक्त समग्र उचित मूल्य की दुकानो में से वर्तमान शोध हेतु प्रतिदर्श के रूप में चयनित की गई उचित मूल्य की दुकानों का ग्राम पंचायत वार एंव दुकानवार विवरण निम्नानुसार है–

तालिका 5.2

प्रतिदर्श हेतु चयनित उचित मूल्य की दुकानों का ग्राम पंचायत एवं दुकानवार विवरण

क्र. सं.	पंचायत समिति	कुल ग्राम	चयनित ग्राम पंचायत (15 प्रति ग्राम पंचायत)	चयनित उचित मूल्य की दुकान (2 प्रति ग्राम पंचायत)
1.	लाडपुर	21	1	2
2.	खैराबाद	36	2	4
3.	सांगोद	36	2	4
4.	इटावा	30	2	4
5.	सुल्तानपुर	33	2	4
	योग	156	09	18

प्रतिदर्शित उचित मूल्य की दुकानों में से व्यक्तियों का चयनः

प्रतिदर्श के चयन में हमने चयनित उचित मूल्य की दुकानों में से सभी योजनाओं (NFSA, BPL, State BPL, Antodaya, APL) के परिवारों का चयन किया है। सभी योजनाओं में से 1–1 परिवारों का चयन किया है कुल 648 उचित मूल्य की दुकानों में से 18 का चयन किया है। इन दुकानों में से प्रति योजनावार एक–एक परिवार अर्थात NFSA-18, BPL-18, State BPL-18, Anatodaya-18 एंव APL-18 परिवारों का चयन किया गया है जो कुल 90 परिवारों के प्रतिदर्श में शामिल है। प्रत्येक परिवार में से प्रतिदर्श हेतु मुखिया/वरिष्ठ महिला का चयन किया गया है। इस प्रकार कुल 90 व्यक्तियों को प्रतिदर्श में सम्मिलित किया गया है। उक्त चयनित उचित मूल्य की दुकानों में से परिवार के प्रतिदर्श का चयन विवरण निम्नानुसार है–

तालिका 5.3
कोटा जिले में पंचायत समिति एवं योजनावार परिवारों की सूची

क्र.सं.	पंचायत समिति	चयनित उचित मूल्य की दुकान	चयनित परिवार (प्रति दुकान एक परिवार)					
			NFSA	BPL	State BPL	Antodaya	APL	Total
1.	लाडपुर	2	2	2	2	2	2	10
2.	खैराबाद	4	4	4	4	4	4	20
3.	सांगोद	4	4	4	4	4	4	20
4.	इटावा	4	4	4	4	4	4	20
5.	सुल्तानपुर	4	4	4	4	4	4	20
	योग	18	18	18	18	18	18	90

तथ्यों का एकत्रीकरण (Data collection):

उपरोक्त वर्णित आधार पर चयनित परिवारों में से प्राथमिक तथ्यों के एकत्रीकरण करने हेतु एक अनुसूची का प्रयोग किया गया है। अनुसूची (परिशिष्ठ क्रंमाक–6) को 4 भागों में बाटॉ गया है। जो निम्नानुसार हैः–

खण्ड अ – सामान्य सूचनायें एवं राशन कार्ड सम्बनधित सूचना
खण्ड ब – आधारभूत संरचना एंव संसाधन
खण्ड स –प्रबन्धन
खण्ड द – योजनायें एंव अन्य सूचनायें

जिसमें विभिन्न प्रकार के सम्बन्धित प्रश्न है जिन्हे उचित मूल्य की दुकानों में जाकर डीलर/परिवारों से पूछकर भरा गया है। अनुसूची में खुले एंव मुक्त प्रश्न भी पूछे गये हैं। प्रत्येक खण्ड का विवरण निम्नानुसार है–

खण्ड अ–सामान्य सूचनाऐं एंव राशनकार्ड सम्बन्धी सूचनाऐं (General and Rationcard related Informations):

इस भाग में डीलर/परिवारों से सम्बन्धित विभिन्न जानकारी प्राप्त की है। इसमें नाम, लिंग, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, जाति, परिवारों का वर्गीकरण, आयु, राशनकार्ड आदि के बारे में सूचनाए दर्शायी गयी है।

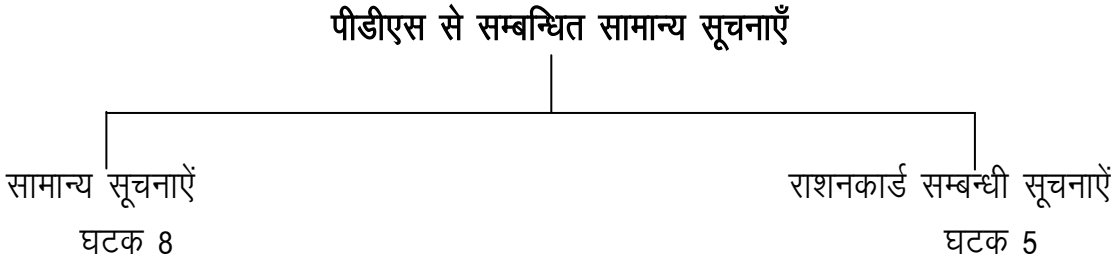

खण्ड ब–आधारभूत संरचना एंव संसाधन (Basic Infrastructure and Resources):

इस में आधारभूत संरचना की उपलब्धता एवं सन्तुष्टता से सम्बनधित प्रश्न है जो पॉच पॉइन्ट स्केल पर मूल्यांकित किए गये है। उपलब्धता के लिए (1) कभी नही, (2) बहुत कम, (3) कभी–कभी, (4) अधिकांश, (5) हमेशा एवं सन्तुष्टता के लिए (1) निम्नत्तम, (2) निम्न स्तरीय, (3) सामान्य, (4) श्रेष्ठ, (5) अतिश्रेष्ठ, स्तर पर रखे गये हैं।

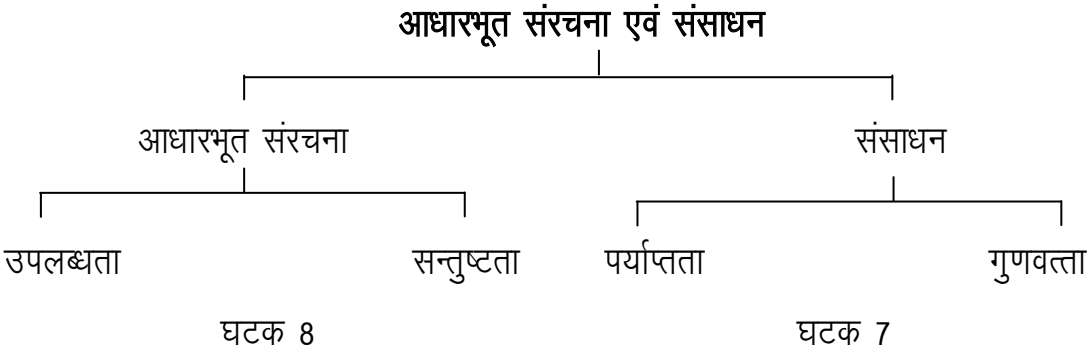

आधारभूत संरचना एंव संसाधन में उपलब्धता व सन्तुष्टता से सम्बनधित आठ प्रश्न रखे हैं जो बैठक व्यवस्था, स्टोर, सूचना बोर्ड, मानक माप आदि से सम्बनधित हैं। संसाधन शीर्षक में भी सम्बनधित सामग्री की पर्याप्तता एवं गुणवत्ता के लिए 5 पॉइन्ट स्केल पर सात प्रश्न पूछे गये हैं। इसमें गेहूँ, चीनी, केरोसिन, चावल, आटा, दाल एवं अन्य सामग्रियों से सम्बनधित प्रश्न रखे गये हैं।

खण्ड स–प्रबन्धन (Management):

प्रबन्धन में प्रश्नों को दस भागों में बॉटा गया है जिसमें उचित मूल्य की दुकानों की उपस्थिति, सचांलन, राशनकार्ड, स्टॉफ/डीलर का व्यवहार एवं दुकानों के निर्धारित समय पर खुलने के सम्बन्ध में 5 पॉइन्ट स्केल पर मत अंकन किया गया हैं।

उचित मूल्य की दुकान की स्थिति में उपस्थिति, दुकान के संचालन, दुकान के सूचना बोर्ड में प्रविष्टि, वेतनभोगी कर्मचारी, राशनकार्ड का संचालन आदि से सम्बन्धित प्रश्न पूछे गये। डीलर के व्यवहार को 5 भागों (1) निम्न, (2) अच्छा, (3) सामान्य, (4) श्रेष्ठ, (5) सर्वोत्तम बॉटा गया हैं।

स्टॉफ का व्यवहार/सहयोग के बारे में मत को 5 भागों में बॉटा गया है–(1) निम्न स्तरीय, (2) अच्छा/मध्यम, (3) बहुत अच्छा, (4) श्रेष्ठ, (5) उत्कर्ष/सर्वश्रेष्ठ। सामग्री के वितरण में मानक माप के प्रयोग को 5 भागों में (1) कभी नही, (2) बहुत कम, (3) कभी–कभी, (4) अधिकांश, (5) हमेशा में बॉटा गया हैं।

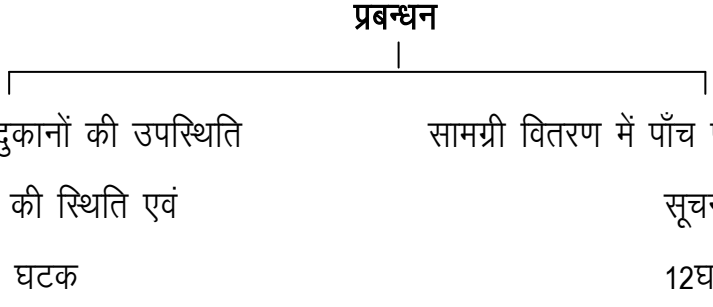

खण्ड द–योजनाए एवं अन्य सूचनायें (Programs and other Informations):

इसमें तीन भागों में प्रश्नों को बॉटा गया है जिसमें एक भाग में योजनाओं की जानकारी, प्रांसगिकता एवं लाभान्वित से सम्बन्धित चौदह प्रश्न रखे गए है जिसमें जानकारी में हाँ/नही तथा लाभान्वित हुए हैं या नही हैं। दूसरे भाग पाँच पॉइन्ट स्केल पर अपने मत का अंकन हैं जिसमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली खाद्य सुरक्षा पर प्रभाव का मूल्यांकन किया गया है। प्रभाव को (1) बुरा, (2) मध्यम, (3) अच्छा, (4) सन्तुष्ट, (5) अति सन्तुष्ट में बॉटा गया है। इसके अतिरिक्त इसमें मासिक खाद्यान्न वितरण के मूल्य एवं मात्रा का आंकलन और दुकान में अव्यवस्था से सम्बन्धित जानकारी भी ली है। अंत में तीसरे भाग में खुले प्रश्न पूछे गये जिसमें तीन प्रश्न रखे गये है

इस खण्ड में APL, BPL, State BPL, NFSA, अन्त्योदय परिवार के लिए चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं से सम्बन्धित प्रश्नों को रखा गया है जिसमें सम्बन्धित बंद व मुक्त प्रश्न रखे गये है।

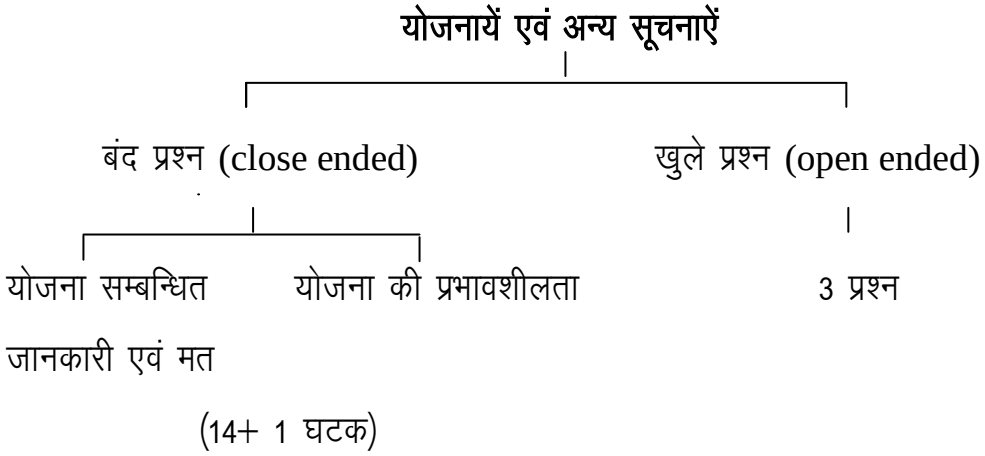

इस प्रकार उचित मूल्य की दुकानों से सही सूचनायें प्राप्त करने के उददे्श्य से हमने वित्तीय, प्रबन्धकीय संरचनात्मक एंव विभागीय सूचना के लिए परिवारों से सम्बन्धित प्रश्न पूछकर अनुसूची भरी। इसके बाद विश्लेषण के लिए सांख्यिकी तकनीक (Statistical Techniques) विधि (Methods) का प्रयोग किया है।

ऑकडो के विश्लेषण (Date Analysis) के लिए निम्न विधि का प्रयोग किया–

(1) माध्य (Mean)

सूत्र (Formula) $X = \frac{\sum fx}{N}$

X = समान्तर माध्य (Arithmetic Mean)

$\sum fx$ = पद मूल्यों और आवृतियों के गुणनफलों का योग

N = आवृतियों की संख्या

(2) प्रमाप विचलन (Standard Deviation)

सूत्र Formula S.D. = $\sqrt{\frac{\sum fx^2 - (\sum fx)^2}{N}}$

S.D. = प्रमाप विचलन

$\sum fx^2$ = कल्पित माध्य से विचलन के वर्गो का माध्य

$\sum fx$ = कल्पित माध्य से विचलन का योग

N = पदों की संख्या

इसके आधार पर हमने माध्य एवं प्रमाप विचलन निकाला है। इन विश्लेषण से प्राप्त माध्य का अर्थ (Interpretation) एवं प्राप्तांक परास (Score Range) को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है–

- 4.51–5.00 के बीच का माध्य अत्यधिक/अति श्रेष्ठ/हमेशा सर्वोत्तम स्थिति को दर्शाता है।
- 3.51–4.50 के बीच का माध्य अधिक/श्रेष्ठ/अधिकांश स्थिति को दर्शाता है।
- 2.51–3.50 के बीच का माध्य स्कोर पर्याप्त/सामान्य/सामान्यतः/औसत स्थिति को दर्शाता है।
- 1.51–2.50 के बीच का माध्य स्कोर अपर्याप्त/निम्न स्तरीय/कभी–कभी/निम्न स्थिति को दर्शाता है।

- 1.00–1.50 के बीच का माध्य बिल्कुल नही/निम्नत्तम/ कभी नही/निम्न स्थिति को दर्शाता है।

इस शोध में माध्य और प्रमाप विचलन की गणना करके उनका विश्लेषण किया है।

उचित मूल्य की दुकानों के परिवारो के सन्तोषप्रद, उपयोगी, गुणवत्ता, सामग्री की पर्याप्तता एवं सन्तुष्टता आदि की जानकारी विभिन्न परिवारों से जो मुखिया/महिला चुनी गयी उनसे प्राप्त की गई है। सन्तुष्टता, पर्याप्तता, गुणवत्ता, उपयोगिता, समस्या आदि का विश्लेषण पॉच पॉइन्ट स्केल पर किया गया है। इस पॉच पॉइन्ट स्केल में विभिन्न पॉइन्ट निम्नानुसार प्रतिक्रियाओं को दर्शाते है–

1. प्रतिक्रिया दाता द्वारा इसका चयन उसके निम्नत्तम/कभी–नही, असन्तुष्ट/निम्नत्तम गुणवत्ता या सन्तुष्टता या उपलब्धता को दर्शाता है।
2. प्रतिक्रिया दाता द्वारा इसका चयन उसके अपर्याप्त/निम्नस्तरीय/कभी–कभी निम्न गुणवत्ता या संन्तुष्टता या उपलब्धता को दर्शाता है।
3. प्रतिक्रिया दाता द्वारा इसका चयन उसके पर्याप्त/सामान्य, औसत गुणवत्ता या उपलब्धता या सन्तुष्टि को दर्शाता है।
4. प्रतिक्रिया दाता द्वारा इसका चयन उसकी श्रेष्ठ/अधिक/अधिकांशतः/गुणवत्ता या उपलब्धता इत्यादि को दर्शाता हैं।
5. प्रतिक्रिया दाता द्वारा इसका चयन उसकी अत्यधिक/अतिश्रेष्ठ/ हमेशा /अथवा सर्वोत्तम गुणवत्ता या उपलब्धता इत्यादि को दर्शाता हैं।

खण्ड अः सामन्य सूचानाएँ एंव राशनकार्ड सम्बन्धी जानकारीः

Part A: General Information and Ration Card Related Information

शोध हेतु चयनित परिवारों से उनके नाम, लिंग, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, आयु, शिक्षा के स्तर से सम्बनधित प्रश्न पूछे गए। इसके अतिरिक्त परिवार की श्रेणी से सम्बनधित प्रश्न भी पूछे गए चयनित व्यक्तियों संख्या और उनके राशनकार्ड की श्रेणी निम्नानुसार है जिसे निम्न तालिका द्वारा समझाया गया है–

तालिका 5.4

राशनकार्ड की श्रेणी से सम्बन्धित तालिका

N=90		
क्र.सं.	**राशन कार्ड की श्रेणी**	**संख्या**
1.	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम	10
2.	बी.पी.एल.	35
3.	राज्य बी.पी.एल	15
4.	ए.पी.एल	03
5.	अन्त्योदय	15
6.	अन्नपूर्णा	07
7.	पेंशनधारी	05
8.	अन्य	02
	योग	90

इसमें राशनकार्ड की श्रेणी से सम्बन्धित प्रश्न पूछे गए। इन प्रश्नों के विश्लेषण से यह पाया गया कि अधिकांशः परिवार बी.पी.एल. (X=35) के श्रेणी में आते है तत्पश्चात् राज्य बी.पी.एल. व अन्त्योदय (X=15) राशनकार्ड धारक अधिक है उसके पश्चात् क्रमशः राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम व अन्नपूर्णा परिवार आते है और अन्त में पेंशनधारी, ए.पी.एल. परिवार है। सामान्य सूचनाओं के पश्चात् खण्ड अ में राशनकार्ड सम्बन्धी प्रश्न पूछे गए। इसमें राशनकार्ड के उपभोग, राशनकार्ड की संख्या, राशनकार्ड का नाम, राशनकार्ड बनवाने में प्रयुक्त माध्यम एवं राशनकार्ड प्राप्ति में लगे समय से सम्बन्धित प्रश्न पूछे गए। राशनकार्ड बनवाने में प्रयोग किए माध्यम का निम्न तालिका द्वारा विश्लेषण किया गया।

तालिका 5.5

राशन कार्ड बनवाने में प्रयुक्त माध्यम की तालिका

N=90		
क्र.स.	**राशन कार्ड बनवाने में प्रयुक्त माध्यम**	**निष्कर्ष**
1	ऑनलाईन	10
2	ऑफलाईन (कार्यालय जाकर)	20
3	ई–मित्र	10
4	ऐजेन्ट (अतिरिक्त राशि देकर)	50

इस तालिका के विश्लेषण करने पर यह पाया गया कि अधिकांश राशनकार्ड का निर्माण एजेन्ट के द्वारा अतिरिक्त राशि देकर करवाया गया है इसके पश्चात् परिवारो के द्वारा ऑफलाइन मोड (कार्यालय जाकर) का चयन किया गया। तत्पश्चात् ऑनलाईन व ई–मित्र का प्रयोग किया गया।

तालिका 5.6

राशन कार्ड प्राप्ति में लगे समय की तालिका

N=90		
क्र.स.	**राशन कार्ड प्राप्ति में लगा समय**	**निष्कर्ष**
1	7 दिवस (निर्धारित) के भीतर	00
2	15 दिवस के भीतर	00
3	1 माह के भीतर	2
4	6 माह के भीतर	10
5	1 साल के भीतर	18
6	2 साल के भीतर	25
7	2 साल के पश्चात्	35

उक्त तालिका के विश्लेषण करने पर यह पाया गया कि अधिकांश परिवारो (X=35) परिवारो को राशनकार्ड 2 साल के पश्चात् प्राप्त हुआ। 25 परिवारो को राशनकार्ड 2 साल के भीतर प्राप्त हुआ। 18 परिवारो को राशनकार्ड 1 साल के अन्तराल में प्राप्त हुआ। 6 माह और 1 माह में क्रमशः 10 व 2 परिवारो को राशनकार्ड प्राप्त हुआ। निर्धारित समय व 15 दिवस के अन्दर किसी भी परिवारो को राशनकार्ड प्राप्त नही हुआ।

खण्ड ब–आधारभूत संरचना एंव संसाधन Part B: Basic Structure and Resources

आधारभूत संरचना एंव संसाधन से संबंन्धित निम्न व्यवस्थाओं को उपलब्धता एंव सन्तुष्टता के सम्बन्ध में विश्लेषण निम्न प्रकार से है–

तालिका 5.7

आधारभूत संरचना मे उपलब्धता की तालिका

क्र.सं.	मद	माध्य (A.M.)	प्रमाप विचलन (S.D.)	निष्कर्ष
1.	बैठक व्यवस्था	3.05	0.592461	औसतन उपलब्धता
2.	स्टोर	2.60	92366	औसतन उपलब्धता
3.	सूचना बोर्ड	3.05	0.592461	औसतन उपलब्धता
4.	पॉइन्ट ऑफ सेल (PoS)	2.30	0.559581	औसत से कम
5.	मानक माप	2.10	0.541229	औसत से कम
6.	कैल्कुलेटर	3.25	0.538891	औसतन उपलब्धता
7.	बिल बुक	3.05	0.5	औसतन उपलब्धता
8.	फिंगर प्रिन्ट रिडर	2.50	0.502519	औसत से कम
	माध्य	2.7375	0.539939	औसत से कम

(A) उचित मूल्य दुकानों की आधारभूत संरचनाः

इसमें उपलब्धता (Availability) और सन्तुष्टता (Satisfaction) से सम्बन्धित 8 प्रश्न अनुसूची में पूछे गये जिन्हे दो भागों में बाटाँ गया है। दोनो भागों में उपलब्धता एंव सन्तुष्टता से सम्बन्धित प्रश्नों का विश्लेषण यानि माध्य (Mean) और प्रमाप विचलन (S.D.) निकाला गया है। जिसे तालिका 5.7 और 5.8 में दर्शाया गया है। आधारभूत संरचना एंव प्रबंधन से सम्बन्धित अनुसूची को चुने हुए परिवारो में से 100 परिवारो के मुखिया/वरिष्ठ महिला से भराई गयी है। जिसमें उपलब्धता के संदर्भ में माध्य औसत 2.79375 है जो औसतन कम है। इसमें बैठक व्यवस्था सूचना बोर्ड और बिल बुक (X=3.05) है जो औसतन उपलब्ध है। स्टोर का माध्य औसत (X=2.60) है जो औसत उपलब्ध है। पॉइन्ट ऑफ सेल (PoS) मशीन का औसत माध्य (X=2.30) है जो औसत से कम उपलब्ध है। मानक माप का माध्य औसत (X=2.10) है जो औसत से कम उपलब्ध है। कैल्कुलेटर का माध्य औसत (X=3.25) है जो औसतन उपलब्ध है। फिंगर प्रिंट रीडर का माध्य औसत (X=2.50) है जो औसत से कम उपलब्ध है।

तालिका 5.8

आधारभूत संरचना मे सन्तुष्टता की तालिका

क्र.सं.	मद	माध्य (A.M.)	प्रमापविचलन (S.D.)	निष्कर्ष
1.	बैठक व्यवस्था	3.05	0.592461	औसतन सन्तुष्टता
2.	स्टोर	2.50	0.502519	औसत से कम
3.	सूचना बोर्ड	2.10	0.571229	औसत से कम
4.	पॉइन्ट ऑफ सेल (PoS)	2.50	0.502519	औसत से कम
5.	मानक माप	2.10	0.541229	औसत से कम
6.	कैल्कुलेटर	3.25	0.538891	औसतन सन्तुष्टता
7.	बिल बुक	3.05	0.5	औसतन सन्तुष्टता
8.	फिंगर प्रिन्ट रिडर	2.10	0.541229	औसत से कम
	माध्य	2.58125	0.5325096	औसत से कम

उपरोक्त सारणी संख्या 5.7 में माध्य (X=2.58) रहा है जो औसतन कम सन्तुष्टप्रद है। बैठक व्यवस्था और बिल बुक का माध्य (X=3.05) है जो औसतन सन्तुष्टप्रद है। स्टोर और PoS मशीन का माध्य (X=2.50) है जो औसत से कम सन्तुष्टप्रद है। सूचना बोर्ड, मानक माप और फिंगरप्रिंट रीडर का माध्य (X=2.10) है जो औसत से कम सन्तुष्टप्रद है। कैल्कुलेटर का माध्य (X=3.25) है जो औसत सन्तुष्टप्रद है।

(B) संसाधन (Resources)–

उचित मूल्य की दुकानों में निम्नलिखित सामग्री की पर्याप्तता एवं गुणवत्ता का विश्लेषण निम्न प्रकार से है–

तालिका 5.9

संसाधन की पर्याप्तता की तालिका

क्र.सं.	सामग्री	माध्य	प्रमाप विचलन (S.D.)	निष्कर्ष
1.	गेहूँ	1.10	0.3015111	औसत से बहुत कम
2.	चीनी	3.00	0.317821	औसत
3.	केरोसीन	1.10	0.301511	औसत से बहुत कम
4.	चावल	2.40	0.80403	औसत से कम
5.	आटा	1.80	0.752101	औसत से कम
6.	फोर्टीफाइड आटा	2.50	0.6742	औसत से बहुत कम
7.	दाल	2.50	0.6742	औसत से कम
औसत (Average)		**2.057142**	**0.576482**	**औसत से कम**

संसाधन से सम्बनधित उचित मूल्य की दुकान में सामग्री की पर्याप्तता के दृष्टिकोण से सम्बन्धित 7 घटको में प्रश्न पूछे गये जिन्हें सारणी 5.8 में दर्शाया गया है। पर्याप्तता के संदर्भ में माध्य (X=2.057142) रहा है जो औसत से कम है। गेहूँ का माध्य (X=1.10) जो औसत से बहुत कम है। चीनी का माध्य (X=3.00) जो औसतन पर्याप्त है। केरोसिन का माध्य (X=1.10) जो औसत से बहुत कम है। चावल का माध्य (X=2.40) जो औसतन अपर्याप्त है। आटा का माध्य (X=1.80) जो औसत से कम (अपर्याप्त) है। फोर्टीफाइड आटे का माध्य (X=2.50) जो औसतन अपर्याप्त है। दाल का माध्य (X=2.50) जो औसत से कम है।

उचित मूल्य की दुकानों में निम्नलिखित सामग्री की गुणवत्ता का विश्लेषण निम्न प्रकार है–

तालिका 5.10

संसाधन की गुणवत्ता की तालिका

क्र.सं.	सामग्री	माध्य	प्रमाप विचलन (S.D.)	निष्कर्ष
1.	गेहूँ	2.50	0.6742	कम सन्तुष्टिप्रद
2.	चीनी	2.10	0.834847	कम सन्तुष्टिप्रद
3.	केरोसीन	3.00	0.317821	औसतन उपयोगी
4.	चावल	2.40	0.80403	औसत से कम
5.	आटा	2.90	0.301511	औसत से कम
6.	फोर्टीफाइड आटा	2.90	0.301511	औसतन उपयोगी
7.	दाल	2.10	0.834837	कम सन्तुष्टिप्रद
औसत (Average)		**2.557142**	**0.58319514**	**कम सन्तुष्टिप्रद**

संसाधन से सम्बन्धित सामग्री की गुणवत्ता का माध्य एवं प्रमाप विचलन सारणी संख्या 5.9 में दर्शाया गया है। गुणवत्ता का माध्य (X=2.55) है जो औसत से भी कम उपयोगी है। गेहूँ का माध्य (X=2.50) है जो कम सन्तुष्टिप्रद है। चीनी का माध्य (X=2.10) है जो औसत से कम उपयोगी है। केरोसीन का माध्य (X=3.00) है जो औसतन उपयोगी है। चावल का माध्य (X=2.40) है जो औसत से कम उपयोगी है। फोर्टीफाइड आटा का माध्य (X=2.90) है जो औसतन उपयोगी है। दाल का माध्य (X=2.10) है जो कम सन्तुष्टिप्रद है।

खण्ड (स): प्रबन्धन (Management):

स्थानीय PDS आउटलेट की उपस्थिति के संदर्भ में विश्लेषण PDS दुकान का निर्माण जिले में कहाँ किया गया है इसके संदर्भ में तालिका 5.11 बनाई गई है जो निम्न प्रकार है–

तालिका 5.11

PDS आउटलेट की उपस्थिति के संदर्भ में तालिका

N= 90			
क्र.सं.	**PDS आउटलेट की उपस्थिति (निर्माण)**	**हाँ**	**नहीं**
1.	ग्राम पंचायत कार्यालय पर	10	80
2.	किराए के स्थान पर	45	45
3.	निजी भवन में	05	85
4.	जिला रसद कार्यालय द्वारा निर्मित भवन में	25	70
5.	अन्य	05	85

PDS आउटलेट की उपसथिति के संदर्भ में हाँ या नही का प्रतिशत विश्लेषण इस प्रकार है– 25 परिवारों का ये मानना है कि PDS आउटलेट जिला रसद कार्यालय द्वारा निर्मित भवन में संचालित होता है वही 10 परिवार दुकान को ग्राम पंचायत कार्यालय में संचालित मानते है। 50 प्रतिशत दुकान किराए की जगह पर चलती है। निजी घर और अन्य (टिन शेड, चलती–फिरती दुकान) का समान है (5 परिवार)।

स्थानीय PDS आउटलेट का संचालन कौन करता है इसका विश्लेषण तालिका 5.12 द्वारा किया गया है। जो निम्न प्रकार है–

तालिका 5.12

PDS आउटलेट के संचालन से सम्बन्धित तालिका

N= 90			
क्र.सं.	**PDS आउटलेट का संचालन**	**हाँ**	**नहीं**
1.	महिला समूह	10	80
2.	सहकारी समिति	25	65
3.	ग्राम पंचायत	05	85
4.	स्वयं सहायता समूह	05	85
5.	निजी डीलर	40	50
6.	अन्य	05	85

PDS आउटलेट के संचालन के संदर्भ में हाँ या नही का प्रतिशत विश्लेषण इस प्रकार है– 40 राशन की दुकाने निली डीलरो द्वारा चलाई जाती है। 25 पीडीएस आउटलेट का संचालन सहकारी समिति द्वारा किया जाता है। महिला समूह के द्वारा 10 उचित मूल्य

की दुकानों का संचालन किया जाता है। ग्राम पंचायत स्वंय सहायता समूह एवं दन्य का समान प्रतिशत है (5 परिवार)।

तालिका 5.13

प्रबन्धन के सन्दर्भ में विश्लेषण तालिका

N=90				
क्र स	**प्रश्न**	**हाँ**	**नही**	**पता नही**
1.	आउटलेट में वेतनभोगी प्रबंधक और कर्मचारी	05	25	60
2.	सूचना बोर्ड पर सूचनाँए अंकन के संदर्भ में–			
	(1)खुलने का दिन और समय	50	40	–
	(2)डीलर का सम्पर्क नम्बर	30	60	–
	(3)हेल्पलाईन शिकायत नम्बर	60	30	–
	(4)अनाज का स्टॉक	30	60	–
	(5)राशनकार्ड की खाद्य पात्रता	70	20	–
	(6)सामग्री का मूल्य और मात्रा	60	30	–

PDS आउटलेट के प्रबन्धन के सन्दर्भ में हाँ, नही, पता नही का प्रतिशत विश्लेषण इस प्रकार है– 60 परिवारो को यह ज्ञात नही है कि PDS आउटलेट में कार्यरत प्रबन्धक व कर्मचारी वेतनभोगी है या नही। इसके पश्चात् PDS आउटलेट के सूचना बेर्ड पर सूचनाएँ अंकन से सम्बन्धित प्रश्न पूछे गए जिनका विश्लेषण निम्न है– 70 परिवारो के अनुसार राशनकार्ड की खादय पात्रता को अंकित किया जाता है। 60 परिवारों के अनुसार हेल्पलाइन शिकायत नम्बर और सामग्री के मूल्य एवं मात्रा की सूचना प्रदान की जाती है। 50 परिवारो के अनुसार खुलने का दिन और समय अंकित होते है। 30 परिवारो के अनुसार स्टोर में उपस्थित अनाज के स्टॉक की सूचना दी जाती है। 30 परिवारो के पास डीलर का सम्पर्क नम्बर है।

तालिका 5.14

प्रबन्धन के संदर्भ में माध्य विश्लेषण तालिका

N=90				
क्र स	**व्यवस्था से सम्बन्धित प्रश्न**	**माध्य**	**प्रमाप विचलन**	**निष्कर्ष**
1.	PDS आउटलेट का निर्धारित समय पर खुलना	2.40	0.66667	कम सन्तुष्टप्रद
2.	PDS आउटलेट निर्धारित दिवस पर खुलती है	2.20	0.402015	कम सन्तुष्टप्रद
3.	डीलर का व्यवहार	2.30	0.643538	कम सन्तुष्टप्रद
4.	स्टॉक का व्यवहार एवं सहयोग	2.40	0.66607	कम सन्तुष्टप्रद
5.	मानक–माप का प्रयोग	2.30	0.643538	कम सन्तुष्टप्रद
6.	PDS आउटलेट में व्याप्त अव्यवस्था के संदर्भ में–			
	(1)गैर कानूनी आउटलेट–	3.05	0.592461	सन्तुष्टप्रद
	(2)रजिस्टर में गलत प्रविष्टि	2.10	0.301511	औसत से कम
	(3)रजिस्टर से प्रविष्टि गायब करना	2.40	0.66667	औसत से कम
	(4)प्रविष्टि का अतिव्यापन	2.30	0.643588	औसत से कम
	(5)झूठे राशनकार्ड	3.25	0.538891	सन्तुष्टप्रद
	(6)मानक माप गडबडी	2.10	0.301511	कम सन्तुष्टप्रद
	औसत (Average)	2.4363	0.551546	कम सन्तुष्टप्रद

प्रबन्धन से सम्बन्धित चयनित परिवारो से प्रश्न पूछे गये जिसका माध्य (X=2.436363) रहा जो औसतन कम सन्तुष्टिप्रद है। PDS आउटलेट के निर्धारित समय पर खुलने, स्टॉफ का व्यवहार एवं सहयोग और रजिस्टर से प्रविष्टियाँ गायब करने का माध्य (X=2.40) है जो कम सन्तुष्टप्रद है।

आउटलेट के निर्धारित दिवस पर खुलने का माध्य (X=2.20) है जो औसत से कम है। डीलर के व्यवहार, मानक माप का प्रयोग और प्रविष्टि के अतिव्यापन का माध्य (X=2.30) जो कम सन्तुष्टप्रद है। गैर कानूनी आउटलेट का माध्य (X=3.05) है जो

सन्तुष्टप्रद है। रजिस्टर में गलत प्रविष्टि और मानक माप में गडबडी का माध्य (X=2.10) है जो कम सन्तुष्टिप्रद है। झूठे राशनकार्ड का माध्य (X=3.25) है जो सन्तुष्टप्रद है।

खण्ड द–योजनाऐ एवं अन्य सूचनाऐ (Programes and Other Information):

शासकीय योजनाओं के संदर्भ में जानकारी का विश्लेषण हाँ या नही के आधार पर किया गया है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संदर्भ में 80 को जानकारी है 10 को नही है। अंत्योदय अन्न योजना की 40 को जानकारी है 50 को नही है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना की 80 को जानकारी है 10 को नही है। अन्नपूर्णा योजना की 40 को जानकारी है 50 को नही है मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम के सन्दर्भ में 60 को जानकारी है 30 को नही है। पहल योजना के बारे में 30 परिवारों मुखिया जानकारी रखते है 60 को जानकारी नही है। मुख्यमंत्री अन्न सुरक्षा योजना की 10 जानकारी है 80 को नही है। राशन टिकिट योजना की 5 को जानकारी है 85 को नही है। फूड स्टाम्प योजना की 5 को जानकारी है 85 को नही है। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान की 10 को जानकारी है 80 को नही है। गैर पी डी एस वस्तुओं का वितरण की 30 को जानकारी है 60 को नही है। अन्नपूर्णा भण्डार योजना की जानकारी 50 को है 40 को नही है। आस्था योजना की जानकारी 10 है 80 को नही है।

विभाग द्वारा चलायी जा रही योजना व नीतियों के संदर्भ में विश्लेषण निम्न प्रकार से है–

तालिका 5.15

शासकीय योजनाओं की जानकारी कं संदर्भ में तालिका

क्र.सं.	योजना का नाम	हाँ	नहीं
1.	सार्वजनिक वितरण प्रणाली	80	10
2.	अत्योदय अन्न योजना	40	50
3.	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम	80	10
4.	अन्नपूर्णा योजना	40	50
5.	माध्यान्ह भोजन कार्यक्रम	60	30
6.	पहल योजना	30	60
7.	मुख्यमंत्री अन्न सुरक्षा योजना	10	80
8.	राशन टिकिट योजना	05	85

9.	फूड स्टाम्प योजना	05	85
10.	शुद्ध के लिए युद्ध अभियान	10	80
11.	गैर पी.डी.एस. वस्तुओं का वितरण	30	60
12.	अन्नपूर्णा भण्डार योजना	50	40
13.	आस्था योजना	10	80

विभाग द्वारा चलायी जा रही योजना व नीतियों के संदर्भ में लाभान्वित हुए या नही का विश्लेषण इस प्रकार है–

तालिका 5.16

शासकीय योजनाओं के संदर्भ में लाभावित होने की तालिका

क्र.सं.	योजना का नाम	हाँ	नहीं
1.	सार्वजनिक वितरण प्रणाली	70	20
2.	अत्योदय अन्न योजना	05	85
3.	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम	50	40
4.	अन्नपूर्णा योजना	50	40
5.	माध्यान्ह भोजन कार्यक्रम	50	40
6.	पहल योजना	50	40
7.	मुख्यमंत्री अन्न सुरक्षा योजना	00	90
8.	राशन टिकिट योजना	00	90
9.	फूड स्टाम्प योजना	00	90
10.	शुद्ध के लिए युद्ध अभियान	00	90
11.	गैर पी.डी.एस. वस्तुओं का वितरण	00	90
12.	अन्नपूर्णा भण्डार योजना	10	80
13.	आस्था योजना	00	90

विभाग द्वारा चलायी जा रही योजना व नीतियों के संदर्भ में विश्लेषण निम्न प्रकार से है– सार्वजनिक वितरण प्रणाली से 70 परिवार लाभांवित हुये 20 नही हुये। अंत्योदय अन्न योजना से 5 परिवार लाभांवित हुये। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम से 50 परिवार लाभांवित हुये। पहल योजना, मुख्यमंत्री अन्न सुरक्षा योजना, राशन टिकिट योजना, फूड स्टाम्प योजना,

शुद्ध के लिए युद्ध अभियान, गैर पी. डी. एस. वस्तुओं का वितरण और आस्था योजना से कोई भी लाभांवित नही हुआ। अन्नपूर्णा भण्डार योजना से 10 परिवार लाभांवित हुये।

योजनाओं की प्रांसगिकता (आवश्यकता Relevance) के संदर्भ में विश्लेषण निम्नलिखित प्रकार से है–

तालिका 5.17

शासकीय योजनाओं के संदर्भ में प्रांसगिक होने की तालिका

क्र.सं.	योजना का नाम	X माध्य	S.D. प्रमाप विचलन	निष्कर्ष
1.	सार्वजनिक वितरण प्रणाली	4.5	0.6742	अधिक महत्वपूर्ण
2.	अत्योदय अन्न योजना	4.2	0.8761472	महत्वपूर्ण
3.	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम	4.5	0.6742	अधिक महत्वपूर्ण
4.	अन्नपूर्णा योजना	4.4	0.80403	महत्वपूर्ण
5.	माध्यान्ह भोजन कार्यक्रम	4.5	0.6742	अधिक महत्वपूर्ण
6.	पहल योजना	4.0	0.898933	महत्वपूर्ण
7.	मुख्यमंत्री अन्न सुरक्षा योजना	4.4	0.80403	महत्वपूर्ण
8.	राशन टिकिट योजना	4.2	0.8761472	महत्वपूर्ण
9.	फूड स्टाम्प योजना	4.0	0.898933	महत्वपूर्ण
10.	शुद्ध के लिए युद्ध अभियान	4.2	0.8761472	महत्वपूर्ण
11.	गैर पी.डी.एस. वस्तुओं का वितरण	3.6	0.80403	महत्वपूर्ण
12.	अन्नपूर्णा भण्डार योजना	4.4	0.80403	महत्वपूर्ण
13.	आस्था योजना	4.4	0.80403	महत्वपूर्ण
	औसत	4.2142	0.7716189	महत्वपूर्ण

योजनाओं की प्रांसगिकता के संदर्भ में विशेष विवरण तालिका 5.16 में दिखाया गया है। योजनाओं एवं नीतियों का माध्य (X=4.2142) है जो औसतन महत्वपूर्ण है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना, माध्यान्ह भोजन कार्यक्रम योजना का माध्य (X=4.5) जो अधिक महत्वपूर्ण है। अंत्योदय अन्न योजना, राशन टिकिट योजना, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान का माध्य (X=4.2) है जो औसतन महत्वपूर्ण है। अन्नपूर्णा योजना, मुख्यमंत्री अन्न सुरक्षा योजना, अन्नपूर्णा भण्डार योजना और आस्था योजना का माध्य (X=4.4) है जो औसतन महत्वपूर्ण है। पहल योजना और फूड स्टाम्प योजना का माध्य (X=4.0) है जो औसतन महत्वपूर्ण है। गैर पी. डी. एस. वस्तुओं का वितरण योजना माध्य (X=3.6) है जो प्रांसगिकता की दृष्टि से महत्वपूर्ण योजना है।

इसके अतिरिक्त डीलरों द्वारा परिवारों को मासिक रूप से वितरित खाद्य सामग्री की मात्रा व मूल्य से सम्बन्धित प्रश्न पूछे गए। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का खाद्य सुरक्षा पर प्रभाव से सम्बन्धित भी प्रश्न पूछे गये तो 70 परिवारो का मत था कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली का खाद्य सुरक्षा पर असन्तुष्टप्रद प्रभाव पडा।

****

सांराश एंव निष्कर्ष

प्रस्तावित शोध अध्ययन का उद्धेश्य खाघ, नागरिक आपूर्ति एंव उपभोक्ता मामले विभाग द्धारा राष्ट्रीय खाघ सुरक्षा परिवार, बी.पी.एल परिवार, ए.पी.एल. परिवार, अन्त्योदय परिवार, अन्नपूर्णा परिवार, एंव अन्य परिवारों के लिये चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं से इनके विकास की स्थिति को ज्ञात करना है। विभाग द्धारा चलायी जा रही विकास योजनाओं से इनके सामाजिक, आर्थिक स्तर में सुधार आया तथा ये सभी परिवार इन सभी योजनाओं से लाभान्वित हो रहे हैं एंव वर्तमान परिपेक्ष्य में ये योजनाऐं किस प्रकार प्रांसगिक हो सकती है इन सभी विषयों से सम्बन्धित प्रश्नों का निर्माण एंव परिकल्पनाओं की संरचना कर यह शोध कार्य किया गया है। अध्ययन के अन्तर्गत खाघ, नागरिक आपूर्ति एंव उपभोक्ता मामले विभाग द्धारा संचालित उचित मूल्यों की दुकानों की स्थिति के विभिन्न पक्षों को अनुसूची के माध्यम से उजागर किया है। उक्त अनुसूची के अन्तर्गत चार प्रमुख क्षेत्रों में जानकारी प्राप्त की गई है, जो निम्नानुसार है–

1. पी.डी.एस. एवं राशनकार्ड से सम्बन्धित सामान्य सूचनाऐं
2. आधारभूत संरचना एंव संसाधन
3. प्रंबधन
4. योजनाऐं एंव अन्य सूचनाऐं

1. **पी.डी.एस. एवं राशनकार्ड से सम्बन्धित सामान्य सूचनायें** (Genereal Information Related to PDS & Rationcard):

शोध के लिए कुल 648 उचित मूल्य की दुकानों में से 18 दुकानों का चयन किया गया। इन दुकानों में से प्रति योजनावार एक–एक परिवार (NFSA, State BPL, BPL, APL, Antodaya) का चयन किया गया जो कुल 90 परिवारों के

प्रतिदर्श में शामिल है। इन प्रत्येक परिवार में से प्रतिदर्श हेतु मुखिया/वरिष्ठ महिला का चयन किया गया है। अतः 90 व्यक्तियों के प्रतिदर्श से जानकारी एकत्रित की गई है। इसमें परिवार के बारे में सामान्य जानकारी जैसे– नाम, लिंग, जाति, आयु, परिवार का वर्गीकरण आदि एकत्रित की है। इसके अतिरिक्त राशन कार्ड सम्बन्धित सूचनाओं का भी वर्णन इसमें किया गया है।

- 40 प्रतिशत परिवार बी.पी.एल. की श्रेणी में आते है। ए.पी.एल और पेंशनधारी परिवारों के लिए न्यूनतम संख्या में राशनकार्ड जारी किए गए है।
- 50 प्रतिशत राशनकार्ड का निर्माण एजेन्ट के द्धारा अतिरिक्त राशि देकर करवाया गया है और राशनकार्ड निर्माण में 10 प्रतिशत परिवारों के द्वारा ऑनलाईन व ई–मित्र का प्रयोग किया गया है।
- किसी भी परिवार को निर्धारित अन्तराल या दिवस के भीतर राशनकार्ड प्राप्त नहीं हुआ है। शोघ के दौरान यह पाया गया है कि 40 प्रतिशत परिवारो को राशनकार्ड 2 साल के पश्चात् प्राप्त हुआ।
- तथ्यो को विश्लेषित करने से यह पता चला है कि राशनकार्ड जाली बने हुए है जिनके नाम एंव पता अस्तित्व में ही नहीं है। ऐसे राशनकार्डो का डीलरों द्धारा स्वंय के मुनाफे हेतु उपयोग किया जाता है।
- अध्ययन में यह पाया गया है कि जरूरतमंद लोगो (BPL, State BPL, Antodaya etc) को राशनकार्ड जारी नही किए गए है और गैर जरूरतमंदो (APL) के दो से अधिक राशनकार्ड बने हुए है।
- गरीबों को चिन्हित करने में त्रुटि होने से भी जरूरतमंदो को राशनकार्ड जारी नहीं हो पाते है।
- शोघ के दौरान यह पाया गया है कि राशनकार्ड को आधारकार्ड से जोड़ा जा रहा है। सरकार द्धारा नवीन डिजिटलाईज्ड़ राशनकार्ड का निर्माण किया जा रहा है। सरकारी आकडों के अनुसार यह कार्य 2016 तक समाप्त हो जाएगा।

सुझाव (Suggestions):

- राशनकार्ड निर्माण की प्रक्रिया को सम्पूर्ण रूप से ऑनलाईन कर देना चाहिए ताकि राशनकार्ड निर्माण में परिवारों को अतिरिक्त राशि प्रदान नहीं करनी पड़ी।
- लोगों को अशिक्षित होना भी राशनकार्ड निर्माण में ऑनलाईन माध्यम न उपयोग करने का कारण बनता है। अतः सरकार को रसद कार्यालय में एक टेक्नीशियन को नियुक्त करना चाहिए जो परिवार से निर्धारित राशि लेकर राशनकार्ड निर्माण में उनका सहयोग करे।
- राशनकार्ड अभियान–2012 के अन्तर्गत राज्य के 1.77 करोड उपभोक्ताओं को अलग–अलग रंग के विभिन्न श्रेणी यथा बीपीएल, स्टेट बीपीएल, अन्त्योदय, एपीएल एंव अन्नपूर्णा योजनाओं के नवीन डिजिटलाईज्ड़ राशनकार्ड उपलब्ध कराए जाने थे। फर्म द्वारा निर्धारित समयावधि में कार्य पूर्ण नहीं किये जाने अथवा राशनकार्ड उपलब्ध नहीं कराने के कारण अभी तक सम्पूर्ण डिजिटलाईजेशन का कार्य समाप्त नहीं हो पाया है। अतः सरकार द्वारा यह कार्य शीघ्रता से समाप्त हो जाना चाहिए ताकि जालि राशनकार्ड निर्माण को रोका जा सके।
- सरकार द्वारा राशनकार्ड निर्माण में सख्ती दिखानी चाहिए जिससे परिवारों को निर्धारित दिवस के भीतर राशनकार्ड प्राप्त हो सके।
- राशनकार्ड को आधारकार्ड से जोड़ने के कार्य को शीघ्रता से लागू करना चाहिए जिससे एक से अधिक राशनकार्ड रखने वालों को रोका जा सके।
- सरकार को गरीबों को चिन्हित करने के लिए एक नई पद्धति का निर्माण करना चाहिए जिससे समस्त गरीबों तक खाघ सामग्री का वितरण किया जा सके। इसके लिए सरकार को एक प्लेटफार्म का निर्माण करना चाहिए जिसमें गरीब स्वंय आकर अपने आधारकार्ड से लिक्ंड बैंक से सम्बन्धी प्रविष्टि, अपनी आय, आयु, सदस्यों की संख्या का अंकन करें। तत्पश्चात् सरकार द्वारा एक आयोग का गठन करवाकर इन सभी प्रविष्टियों की जाँच की जाए और उसके पश्चात् गरीबी रेखा से नीचे के परिवारो को अंकित किया जाए।

2. **आधारभूत संरचना एंव संसाधन** (Basic Structure and Resources):

अनुसची के द्वितीय भाग में पी.डी.एस. की आधारभूत संरचना एंव संसाधन से सम्बन्धित सूचनाऐं एकत्रित की गई। इस भाग को दो भागों में बाटागया है– आधारभूत संरचना एंव संसाधन। इसमें आधारभूत संरचना हेतु 7 इकाइयों एंव संसाधन हेतु 13 इकाइयों के गुणवत्ता, पर्याप्तता एंव सन्तुष्टता के पक्षबताए गए है–

(अ) **आधारभूत संरचना** (Basic Structure):

- उचित मूल्य की दुकानों पर आधारभूत संरचना में उपलब्धता का माध्य X=2.79 है जो औसत से कम है जिससे निर्धारित सामग्री की अपर्याप्तता निर्दिष्ट होती है।
- मानक माप का माध्य X=2.10 है जो औसत से कम उपलब्ध है, अर्थात दुकानों पर मानक माप उपलब्ध होते तो है परन्तु परिवारों को सामग्री का वितरण उन मानक माप के आधार पर नहीं किया जाता है और अगर मानक माप के आधार पर सामग्री का वितरण किया जाता है तो उस मानक माप का आकार परिवर्तित कर दिया जाता है जिससे सामग्री का कम से कम वितरण करना पड़े। इसके अतिरिक्त शोघ के दौरान यह पाया गया है कि दुकानों पर स्वतः निर्मित माप जैसे– पत्थर का भी उपयोग किया जाता है।
- फिंगर प्रिन्ट रीडर और पी.ओ.एस. मशीन का माध्य X=2.50 है अर्थात बहुत कम उपलब्ध है और जहाँ पर उपलब्ध है वहाँ वो सही से कार्यरत नही है जिससें व्यक्तियों की पहचान करने में असुविधा होती है।
- दुकानों पर बिल बुक उपलब्ध तो होती है परन्तु खाघ सामग्री वितरण में उन बिल बुक का प्रयोग नही किया गया है। खाघ सामग्री वितरण के पश्चात् उन बिल बुक में इच्छित रूप से प्रविष्टि (Entry) कर दी जाती है।
- उचित मूल्य की दुकानों पर सूचना बोर्ड लगे हुए होते है परन्तु या तो उन पर सूचनाएँ नहीं लिखी हुई होती है या अगर लिखी हुई होती है तो फिर वह सूचनाएँ आवश्यक नहीं होती है और अगर आवश्यक होती है तो उन पर महीनों से कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है।

- विभाग द्वारों उचित मूल्य की दुकानों के रंग–रोंगन, मरम्मत व अन्य कार्यो के लिए कोई बजट नहीं दिया जाता है। जिस वजह से दुकानों की हालात बदतर होती जा रही है।
- शोध के दौरान उचित मूल्य की दुकानों पर पेयजल व्यवस्था का अभाव पाया गया।

सुझाव (Suggestions):

- उपभोक्ताओं को वस्तुओं के मूल्यों के संबंध में सूचित किया जाना चाहिए और इस सूचना का उल्लेख समय–समयपर सूचना बोर्ड पर होना चाहिए इसके अतिरिक्त खाघ सामग्री से संबधित सूचना को उपभोक्ताओं तक पहुँचानेका प्रबंध किया जाना चाहिए। स्थानीय समाचार–पत्रो के माध्यम से और ग्राम पंचायतो, ब्लॉकों, तहसील आदि के कार्यालय में नोटिस लगाकर इसका प्रचार किया जाना चाहिए।
- प्रत्येक राशन की दुकान पर फिंगर प्रिन्ट रीडर होना चाहिए जिससे एक व्यक्ति द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक बार सामग्री का उपभोग ना किया जा सके।
- दुकानों की स्थिति में सुधार किया जाये। समय–समय पर विभाग द्वारा दुकानों का रंग–रोगन व मरम्मत कराई जाये जिससे दुकानें में रखे हुऐं सामान को खराब होने से बचाया जा सकें।
- वस्तुओं की आमद की तारीख और प्रत्येक दिन के स्टॉक की स्थिति एक महत्त्वपूर्ण सूचना है जो उचित दर दुकानों पर स्पष्ट रूप से दर्शायी जानी चाहिए।
- प्रत्येक उचित मूल्य की दुकान में राशन कार्ड रजिस्टार, स्टॉक रजिस्टार और बिक्री रजिस्टार होता है। रजिस्टार के प्रत्येक पृष्ठ का प्रतिलिपि पृष्ठ होना चाहिए ताकि उसमें प्रविष्टियाँ करते समय उसमें कार्बन लगाकर प्रतिलिपि पृष्ठ पर उसकी आसानी से और स्वमेव प्रति तैयार हो सके। इसके पश्चात् इस प्रति को ग्राम पंचायत को भेजा जाना चाहिए ताकि यह प्रतिलिपि ग्राम पंचायत के परिसर में किसी संबधित समूह द्वारा देखने के लिए उपलब्ध हो सके। यदि

कोई व्यक्ति इसकी जाँच करने के प्रयोजन के लिए उसकी प्रतियाँ लेना चाहता है तो वे मामूली शुल्क पर उपलब्ध की जानी चाहिए

राज्य सरकारों द्वारा इस विधि के लिए मार्ग निर्देश तैयार करने चाहिए जिसमें यह निर्धारित किया जाना चाहिए कि उचित दर दुकान के कागजात की प्रतियाँ, जिनकी किसी संबधित व्यक्ति द्वारा ग्राम पंचायतो से मांग की जाए, किस प्रकार तैयार (हाथ से, फॉटोकॉपी आदि द्वारा) की जानी चाहिए और किसके द्वारा तैयार की जानी चाहिए।

- उपभोक्ता को पर्याप्त सामग्री उपलब्ध करवाई जानी चाहिए जिससे उन्हें भुखमरी से बचाया जा सके।
- उचित मूल्य की दुकानों पर समय–समय पर मानक माप की जाँच होनी चाहिए और अगर किसी भी तरह की अनियमितताएँ पाई जाए तो उसके ऊपर कार्यवाही करने का भी प्रावधान होना चाहिए।

(ब) संसाधन (Resources):

- उचित मूल्य की दुकानों पर उपलब्ध सामग्री की पर्याप्तता का माध्य X=2.05 है जो औसत से बहुत कम है अर्थात् दुकानों द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सामग्री परिवारों के लिए पर्याप्त नहीं है।
- उचित मूल्य की दुकानों पर उपलब्ध सामग्री की गुणवत्ता का माध्य X=2.55 है जो कम सन्तुष्टप्रद है अर्थात परिवारों को मिलावट युक्त सामग्री वितरित की जाती है जिससे परिवार के स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है।
- तथ्यों के विश्लेषण करने पर यह पाया गया कि परिवारों के लिए केरोसिन का अभाव है इसका माध्य X=1.10 है। दुकानों पर आटा एंव फोर्टीफाइड आटा उपलब्ध ही नहीं कराया जाता है। इसके अतिरिक्त सभी दुकानों पर फोर्टीफाइड आटे का वितरण बंद कर दिया गया है।
- अध्ययन में यह पाया गया कि अधिकांशतः दुकानों पर दाल उपलब्ध नहीं करवाई जाती है और जिन दुकानों परदाल उपलब्ध होती है या तो वह गुणवत्ता के आधार पर निम्न है या फिर उनमें कीड़े पड़े हुए होते है इसके अतिरिक्त

उचित मूल्यों की दुकानों में परिवारों के लिए पर्याप्त मात्रा में गेंहू नहीं है जिस वजह से परिवारों को निर्धारित मात्रा में गेंहूँ वितरित नही किये जा रहे है।

- अध्ययन में यह ज्ञात हुआ कि दुकानों पर चावल की कमी है और जो चावल उपलब्ध कराये जाते है वो गुणवत्ता के आधार पर खराब है।
- अधिंकाशत राशन की दुकानों में स्टॉक में खाघ सामग्री नहीं होती है और अगर स्टॉक पाया जाता है तो उनका वितरण परिवारों को न करके डीलरों द्वारा बाजार में अधिक कीमतों पर बेचा जाता है।
- शोध द्वारा यह ज्ञात हुआ कि अधिंकाश उचित मूल्यों की दुकानों के लिए वितरण हेतु प्रदान की गई खाघ सामग्री को डीलर अपने घरेलू खर्चो में खर्च कर देते है जिससे उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ता है।

सुझाव (Suggestions):

- विभाग द्वारा उचित मूल्य की दुकानों को पर्याप्त मात्रा में खाघ सामग्री उपलब्ध कराई जानी चाहिए जिससे परिवारों को पर्याप्त मात्रा में खाद्य सामग्री वितरित की जा सके।
- विभाग द्वारा समय–समय पर कार्यो की समीक्षा की जानी चाहिए इसके अतिरिक्त आकस्मिक निरीक्षण भी किया जाना चाहिए।
- खाघ सामग्री की गुणवत्ता की समय–समय जाँच होनी चाहिए। मिलावट करने वाले के खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिए।
- त्यौहार के मौसम के दौरान गेंहू, चीनी जैसी खाघ सामग्री की हकदारी में वृद्धि हो जाती है अतः इन अतिरिक्त वस्तुओं की आपूर्ति भी समय–समय पर करनी चाहिए।
- खाघ सामग्री को वितरित ना करके अन्य उपयोग में लेने वाले डीलरों के खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिए एंव उनके लाइसेंस रदद् कर देने चाहिए।
- स्टॉक और वितरित की गई खाघ सामग्री की डिजिटलाईजेशन कर देना चाहिए जिससे खाघ सामग्री के वितरण में पारदर्शिता आए। जैसे ही उपभोक्ता द्वारा आधारकार्ड लिकंड राशन कार्ड का उपयोग किया जाए उसका विवरण

ऑनलाईन आ जाए और उसको वितरित की गई सामग्री स्वतः ही प्रविष्टि हो जाए।

3. प्रबन्धन (Management):

अनुसूची के तृतीय भाग में उचित मूल्य की दुकानों के प्रबन्धन से सम्बधित तथ्य एकत्रित किये गये। इसमें 10 ईकाईयों में उपस्थिति, संचालन, व्यवहार, सहयोाग आदि के पक्ष बताए गए है जो निम्नानुसार है–

- अध्ययन में यह पाया गया कि 5.5 प्रतिशत राशन की दुकानें डीलर्स द्वारा निर्मित भवन में चलाई जा रही है और 50 प्रतिशत राशन की दुकानों का संचालन किराये की दुकानों पर होता है।
- उचित दर की दुकानों का संचालन मुख्य रूप से निजी डीलर या सहकारी समिति द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त महिला समूह, ग्राम पंचायत और स्वयं सहायता समूह के द्वारा भी संचालन किया जाता है।
- शोघ के दौरान यह पाया गया है कि अधिंकाश उपभोक्ताओं को दुकान पर कार्यरत कर्मचारी की जानकारी नहीं है।
- अध्ययन में यह पाया गया है कि सूचना बोर्ड पर हेल्पलाइन नम्बर, खाघ पात्रता जैसी सूचनाऐं अंकित होती है परन्तु खुलने का दिन व समय, डीलर का संपर्क नम्बर, अनाज का स्टॉक आदि सूचनाओं का विवरण अंकित नहीं किया जाता है।
- तथ्यो के आकंलन से यह पता चला है कि पी.डी.एस. आउटलेट निर्धारित समय व निर्धारित दिवस पर नहीं खुलती है। इसका माध्य X=2.40 है।
- डीलर का व्यवहार उपभोक्ताओं के प्रति उचित मूल्य की दुकानों में ठीक नहीं है जिसका माध्य X=2.30 है जो कम सन्तुष्टिप्रद है।
- एक अधीक्षक 4-5 उचित मूल्य की दुकानों को संभालता है जिससे वह अपनी जिम्मेदारी व उत्तरदायित्व का ठीक से निर्वहन नहीं कर पाता है।
- स्टॉफ का व्यवहार व सहयोग, उपभोक्ताओं के प्रति अच्छा नहीं है इसका माध्य X=2.40 है जो कम सन्तुष्टिप्रद है।

- अध्ययन में यह देखा गया है कि राशन की दुकानों में डीलर ने अपनी दुकानों की व्यवस्था बहुत अच्छी कर रखी है व स्वंय ध्यान देते है। इसके विपरीत अन्य स्थानों पर हालात बदतर है व डीलर ध्यान नहीं देते हैं।
- डीलरों द्धारा मानक–माप का प्रयोग नहीं किया जाता है। जिससे उपभोक्ताओं कम मात्रा में खाघ सामग्री प्राप्त होती है।
- शोघ के दौरान यह पाया गया है कि है कि डीलरों द्धारा रजिस्टर में या तो गलत प्रविष्टि की जाती है या प्रविष्टि गायब कर दी जाती है या प्रविष्टियों का अतिव्यापन पाया जाता है।
- विभाग द्धारा पी.डी.एस. आउटलेट को वित्तीय सहायता उपलब्ध नहीं कराई जाती है।

सुझाव (Suggestions):

- पीडीएस दुकानों के संचालन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ानी चाहिए। महिलाओं को जागरूक करने कें लिए केम्प लगानें चाहिए एंव उनकों प्रशिक्षित करना चाहिए।
- कई PDS आउटलेट या तो खुलती नहीं है या निर्धारित समय व दिन पर खुलती नहीं है। अतः इसके लिए राज्य सरकार को कदम उठाने चाहिए। सभी दुकानों में बायोमैट्रिक का प्रयोजन करना चाहिए जिससे डीलर की उपस्थिति व अनुपस्थिति का पता शीघ्रता से लगाया जा सके।
- सूचना बोर्ड पर विभाग द्वारा निर्धारित सभी तरह की सूचनाओं का उल्लेख होना चाहिए। उचित मूल्य की दुकानों पर प्रदर्शित की जाने सूचना का विवरण परिशिष्ट क्रमाकं सात में किया गया है इसके अतिरिक्त प्रत्येक दुकान पर एक शिकायत पात्र लगाया जाना चाहिए।
- PDS आउटलेट की समस्त जानकारी (स्टॉक, राशनकार्ड धारक, आवक, वितरण) रजिस्टर में ना लिखकर ऑनलाईन कर देनी चाहिए जिससे खाघ वितरण में पारदर्शिता बढ़ाई जा सके।

- जिला रसद अधिकारी द्वारा समय–समय पर उचित मूल्य की दुकानों में जाकर उपभोक्ताओं की समस्याओं को सुनना चाहिए ताकि उसका निस्तारण किया जा सके।
- उपभोक्ता को समय पर पर्याप्त व गुणवत्ता वाली सामग्री उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
- विभाग द्वारा ध्यान दिया जाना चाहिए। समय–समय पर वित्तीय सहायता दी जानी चाहिए। विभाग द्वारा ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे भविष्य में होने वाली दुर्घटनाओं से बचा जा सके।
- PDS आउटलेट का संचालन ग्राम पंचायतो द्वारा होना चाहिए और इसके अतिरिक्त उचित मूल्य की दुकानों को चलाने में ग्राम सभा को भी शामिल किया जाना चाहिए। भारत सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में राज्यों को पहले ही आदेश दिया जा चुका है कि ग्राम सभांए वर्ष में चार बार अर्थात् 26 जनवरी, 1 मई, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर को आयोजित की जानी चाहिए। राज्य सरकारों द्वारा इन बैठकों का स्थान व समय (पहले से प्रचारित) भी निर्धारित करना चाहिए क्योंकि सूचना के अभाव से ग्राम पंचायतों के कई पदाधिकारी लोगो को अधिक संख्या में बैठक में आने से रोकने के लिए प्रायः इसका फायदा उठाते है। वे अंतिम क्षणों में स्थान और समय में परिवर्तन करके ग्राम सभा की बैठक में पारदर्शिता के उद्धेश्य की पूर्ति में बाधा डालते है। अतः बैठक की सूचना ऑनलाईन कर देनी चाहिऐं।
- प्रत्येक दुकान में सिक्योरिटी गार्ड का पद होना चाहिए जिससे लूट की स्थिति में या लडाई की स्थिति में सुरक्षा प्रदान की जा सके।

4. योजनाऐं एंव अन्य सूचनायें (Programes and Other Information):

अनुसूची के चतुर्थ भाग में योजनाऐं एंव अन्य सूचनाओं से सम्बधित तथ्य एकत्रित किये। इसें तीन भागों में बाटा गया है जिसमें प्रथम भाग में योजनाओं की जानकारी, प्रासगिकता एंव लाभांवित से सम्बधित चौदह ईकाईयों पर पक्ष रखे गये दूसरे भाग में पाच पॉइट स्केल पर पी.डी.एस. प्रणाली का मूल्यांकन किया गया और तीसरे भाग में खुले प्रश्न कें माध्यम से मत प्रस्तुत कियें गये।

- विभाग द्वारा विभिन्न वर्गों (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, सामान्य वर्ग, महिलाओं, विधवा एंव वृद्धजनों) के लिए चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी परिवारों को नहीं है।
- विभाग द्वारा चलायी जा रही सार्वजनिक वितरण प्रणाली, अंत्योदय अन्न योजना, राष्ट्रीय खाघ सुरक्षा योजना, अन्नपूर्णा योजना, मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम, पहल योजना, मुख्यमंत्री अन्न सुरक्षा योजना आदि अपने उद्धेश्य को काफी पूरा कर रही है। इन योजनाओं की प्रांसगिकता एंव आवश्यकता है।
- मुख्यमंत्री अन्न सुरक्षा योजना, राशन टिकिट योजना, फूड स्टाम्प योजना, शुद्ध के लिए शुद्ध अभियान, आस्था योजना व अन्य योजनाओं की जानकारी के अभाव में व्यक्तियों तक लाभ नहीं पहुँच पा रहा है।
- योजनाओं को लाभ उठाने के लिए विभिन्न वर्गों के लोगों को कानूनी–कायदे की बहुत पूर्तियाँ करनी पड़ती है इसलिए भी लोगों को लाभ नहीं पहुँच पा रहा है।

सुझाव (Suggestions):

- विभाग द्वारा योजनायें विभिन्न वर्गों अर्थात अनुसुचित जाति/जन जाति, महिला, कृषक, श्रमिक, मजदूर आदि के लिए चलाई जानी चाहिए।
- योजनाओं से लाभान्वित होने के लिये लोगों से ज्यादा खाना–पूर्ति नहीं करवायी जाये उससे लोग अटक जाते है और खाद्य सामग्री प्राप्त नही कर पाते है।
- योजनायें ऐसी चलाई जाये जिससे सभी वर्गों का सामाजिक, आर्थिंक, शैक्षणिक विकास हो सके एवं लोग सजग और जागरूक बन सके।
- योजनाओं व नीतियों की जानकारी देने के लिए विभाग द्वारा स्थानीय एंव ग्रामीण स्तर पर कैम्प शिविर लगाना चाहिए। समाचार पत्र, टेलीविजन आदि के माध्यम से प्रचार–प्रसार अधिक किया जाना चाहिए।

- विधवाओं व अन्य वर्गों के लिये रोजगार उपलब्ध कराने के लिए विभाग द्वारा अन्य योजनायें चलाई जानी चाहिए जिससे उनका सामाजिक, आर्थिक विकास हो सके।
- राशन की दुकानों पर खाघ सामग्री निर्धारित से कम मात्रा में और अधिक मूल्य में उपलब्ध कराई जाती है अतः इसके लिए पूर्ण निंयत्रण होना चाहिए। समय–समय पर दुकानों की जाँच करनी चाहिए।
- रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए।
- योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए विभाग को नियमों में लचीलापन लाना चाहिए।

अन्य निष्कर्ष एंव सुझाव (खुले व बंद प्रश्न):

प्रस्तुत अनुंसधान में यह पाया है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग व अन्य वर्गों के लिए खाघ, नागरिक आपूर्ति एंव उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनायें चलाई जा रही है तथा सरकार द्वारा लाखों–करोड़ो रूपयें व्यय किये जा रहे है परन्तु आशातीत सफलता प्राप्त नहीं हुई। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति या जनजाति में शिक्षा का अभाव, आर्थिक बदलाव, सुधार के प्रति उदासीनता, योजनाओं और नीतियों की जानकारी का अभाव और अधिकारियों के असहयोग के कारण सरकारी योजनाओं को पूर्ण सफलता नहीं मिल पा रही है। अनुसूची में पूछे में गये मुक्त प्रश्नों के माध्यम से प्रत्युत्तर दाताओं द्वारा निम्न समस्याऐं एंव समाधान बताए गए–

➢ सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit) को कियान्वित करने की आवश्यकताः

राष्ट्रीय खाघ सुरक्षा अधिनियम, 2013 में सामाजिक अंकेक्षण का प्रावधान किया गया है जिसके अन्तर्गत दो बातों का उल्लेख किया गया है– पहला, सामाजिक संपरीक्षा से ऐसी प्रकिया अभिप्रेत है जिसमें जनता किसी कार्यक्रम या स्कीम/योजना और कार्यान्वयन की सामूहिक रूप से निरीक्षण और मूल्यांकन करती है। और दूसरा, प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी या ऐसा कोई अन्य प्राधिकारी या निकाय, जिसे राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किया जाए, उचित दर की दुकानो, लक्षित

सार्वजनित वितरण प्रणाली और अन्य कल्याणकारी स्कीमों के कार्यकरण के सम्बन्ध में समय–समय पर सामाजिक संपरीक्षा करेगा या करवाएगा और ऐसी रीति में, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए, अपने निष्कर्ष प्रचारित करवाएगा और आवश्यक कार्यवाही करेगा। परन्तु अध्ययन में पाया गया कि कोटा जिले में अभी तक सामाजिक अंकेक्षण नहीं किया गया है। अतः विभाग को इसके लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए इसके अतिरिक्त इसमें अपने अधिकार क्षेत्र की मौजूदा सर्तकता समितियों के सदस्यों और टी.पी.डी.एस. समूहों के प्रतिनिधियों एंव पंचायत की महिला एंव अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्यों को शामिल किया जाना चाहिए। उन्हें उचित दर दुकानों के रिकार्डों का निरीक्षण करने का अधिकार दिया जाना चाहिए, इन निरीक्षणों की अवधि राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित की जानी चाहिए।

➢ उचित दर दुकान की कार्यप्रणाली पर नियंत्रण करने की आवश्यकताः

उचित दर दुकान में पाई जाने वाली अनियमितताओं को निंयत्रित करने के लिए ग्राम पंचायत समिति की रिपोर्ट ग्राम सभा की कार्यसूची की एक अनिवार्य मद होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त ग्राम सभाओं की बैठक में उचित दर दुकानों के मालिकों को भी आंमत्रित किया जाना चाहिए। उनकी वास्तविक उपस्थिति पर जोर दिया जाना चाहिए। यदि ग्राम सभा उचित दर की दुकान की कार्यप्रणाली को संतोषजनक नहीं पाती है तो इसकी एक रिपोर्ट राज्य सरकार द्वारा नियुक्त सरकारी प्राधिकारी के पास भेजी जानी चाहिए। तत्पश्चात् उस निर्धारित अधिकारी द्वारा जाँच करने पर आरोप उचित पाए जाते है तो दुकान का लाइसेंस समाप्त कर देना चाहिए।

➢ राशनकार्डों को जाँच करने की आवश्यकताः

ग्राम पंचायतों/ग्राम सभाओं पर राशन कार्डों की जाँच की भी जिम्मेदारी होनी चाहिए ताकि यह पता लगाया जा सके कि कार्ड वास्तविक है अथवा नहीं और उसमें यूनिटों की संख्या सही है अथवा नहीं। इसके अतिरिक्त राशनकार्ड

निर्माण की मौजूदा प्रक्रिया को सरल बनाए जाने की आवश्यकता है ताकि निर्धारित दिनों के भीतर राशन कार्ड के लिए आवेदक के दावे का सत्यापन किया जा सके।

➢ राशनकार्ड में सूचना प्रिंट करने की आवश्यकताः

उपभोक्ता की जरूरत की कुछ मूलभूत जानकारी राशनकार्ड के आखिरी पृष्ठ पर प्रिंट होनी चाहिए। इसमें अधिकारों और कर्त्तव्यों का उल्लेख होना चाहिए। इसके अलावा, राशन कार्ड में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं की प्रति यूनिट हकदारी, राशनकार्ड जारी करते समय उनके मूल्य और उचित दर दुकान के संबंध में शिकायत सुनने वाले प्राधिकारी के नाम और पते का उल्लेख होना चाहिए।

➢ उचित मूल्य की दुकान को डिजिटिलाईज्ड करने की आवश्यकताः

उचित दर दुकानों में अनियमितताओं को रोकने एंव पारदर्शिता और जवाबदेहीता को बढानें के लिए इसे डिजिटलाईज्ड़ करने की आवश्यकता है। इसके लिए एक स्वचालित उचित मूल्य की दुकान होनी चाहिए जिसमें दो मशीन हो, वेंडर मशीन और स्वचालित टेलर मशीन (ATM)। डिजिटल स्वचालित उचित मूल्य की दुकान में डीलर की कोई जरूरत नहीं है। इस दुकान में उपभोक्ता आएँगें और अपना राशन कार्ड स्वाइप करेंगें। फिर वह उपभोक्ता एटीएम मशीन की तरह उसमें अपना पासवर्ड दर्ज करेंगें। वह आवश्यकता के अनुसार अपना पासवर्ड कभी भी बदल सकते हैं। पासवर्ड दर्ज करते ही उपभोक्ता के खाते की जानकारी उस स्क्रीन पर प्रदर्शित होगी। उस जानकारी में राशनकार्ड धारक के बारे में विवरण होगा, कितना अनाज वह अपने खाते से निकाल सकते है आदि। इसके पश्चात् उपभोक्ता निर्धारित खाघ से आवश्यकतानुसार खाघ मा़त्रा अंकित करेगा और खाघ सामग्री का पैकेट प्राप्त हो जाएगा। सारा लेन–देन करने के बाद उसे वर्तमान खाते की स्थिति की एक रसीद मिलेगी और एक एसएमएस (SMS) भी प्राप्त होगा। यह सारी लेन–देन की जानकारी एक सर्वर में सुरक्षित रखी जाएगी तो अनाज की मात्रा जैसे ही मशीन में कम होगी, एक संदेश अपने आप निंयत्रण मुख्यालय को चला जाएगा जिससे वह मशीन को फिर से भर देगे।

हम दुकान की देख–रेख के लिए एक गार्ड को रख सकते है, जिससे उपभोक्ताओं को लेन–देन के बारे में जानकारी मिल सकती है। उपरोक्त लेन–देन की राशि, उपभोक्ताओं की खरीद के अनुसार, उनके बैंक खातों से लिया जाएगा।

इसके अतिरिक्त कइ समस्याऐं एंव समाधान बताए गए जो निम्न है–

- विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी का अभाव होने से जरूरतमंदो (BPL, State BPL, Antodaya, Annapurna) को लाभ नही मिल पा रहा हैं।
- विविध वैधानिक जानकारियों की क्लिष्ट शब्दावली आदि के कारण उपभोक्ता उनकी पूर्ति करने में स्वंय को अक्षम पाते है।
- शोघ के दौरान यह पाया गया है कि राशन की दुकानें क्षेत्र से बाहर होने की वजह से उपभोक्ता को शासकीय योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है।
- लोगों का अशिक्षित होना भी लाभों से वंचित होने का कारण है। डीलर उन्हें आंवटन सामग्री की सीमा बताते कुछ है और देते कुछ है।
- अध्ययन में पाया है कि जिला रसद अधिकारी का कई बार पद रिक्त ही होता है। उस स्थिति में जिला कलेक्ट्रर को अतिरिक्त भार दिया जाता है। जिस वजह से वह अपने कर्तव्यों का सम्पूर्ण रूप से निर्वाह नहीं कर पाते है। इसके अतिरिक्त स्टॉफ की कमी भी जिला रसद कार्यालय की परेशानी का कारण है।
- तथ्यों के विश्लेषण से ज्ञात हुआ है कि राशन की दुकानों में मिलावटी खाघ सामग्री उपलब्ध कराई जाती है इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा जो खाद्य सामग्री प्रदान की जाती है वो भी खाने योग्य नहीं होती है उसे सड़ने से बचाने के लिए कई हानिकारक केमिकल्स का उपयोग किया जाता है। जिससे उनका स्वास्थ्य स्तर ठीक नहीं पाया गया।
- अध्ययन में यह पाया गया है कि अलग–अलग उचित मूल्य की दुकानों पर खाघ सामग्री की कीमत अलग–अलग होती है अर्थात उपभोक्ता कों समान खाद्य सामग्री की डीलर्स के अनुसार अलग–अलग राशि अदा करनी पडती है।
- शोघ के दौरान यह पाया गया है कि राशन कार्ड में परिवारों से सम्बधित जानकारी के अंकन में त्रुटि पाई गई है।

- अध्ययन में यह पाया गया है कि जिला रसद कार्यालय में उपलब्ध सभी सूचनाऐं ऑनलाईन नहीं है। अतः सूचना एकत्रित करने में भी कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
- शोध के दौरान यह पाया गया है कि एक ही योजना दो या तीन विभागों द्वारा चलाई जा रही है, जिससें उनकें क्रियान्वयन में परेशानी होती है और उपभोक्त एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय तक चक्कर ही लगाता रहता है परन्तु उसे योजना का लाभ नहीं मिलता।
- राष्ट्रीय खाघ सुरक्षा अधिनियम, 2013 की धारा 29 में राज्य सरकारों द्वारा राज्य, जिला, ब्लॉक और उचित दर दुकानों स्तरों पर सर्तकता समितियाँ गठित करने का प्रावधान किया गया है इसका विवरण परिशिष्ट क्रमाक 8 में किया गया है। जिसके अनुसार राज्य सरकारों द्वारा स्थानीय प्राधिकरणों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला, निराश्रित अथवा विकलांग वर्गों से उचित प्रतिनिधित्व के साथ व्यक्तियों को चुनकर इन समितियों में शामिल किया जाएगा। अधिनियम की धारा 29 में इन समितियों द्वारा किए जाने वाले कार्य भी निर्धारित किए गए है अर्थात् लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली सहित राष्ट्रीय खाघ सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत सभी स्कीमों के कार्यान्वयन का नियमित पर्यवेक्षण, अधिनियम के प्रावधानों का किसी प्रकार से उल्लंघन तथा कदाचार अथवा निधियों के दुरूपयोग के संबंध में जिला शिकायत निपटान अधिकारी (डीजीआरओ) को लिखित रूप से सूचित करना आदि।

अध्ययन में यह पाया गया कि सतर्कता समितियों की शहरी व ग्रामीण, तहसील, जिला स्तर पर अध्यक्षता क्रमशः वार्ड पार्षद (शहरी) सरपंच (ग्रामीण), प्रधान एंव जिला कलक्टर करता है। इन्हें यह अतिरिक्त कार्य सौपा गया है जिस वजह से यह अपने कार्य का निर्वाह सम्पूर्ण रूप से नहीं कर पाते है।

- उपभोक्ताओं को उचित दर दुकानों के संबंध में सूचना प्राप्त नहीं हो पाती है।

सुझाव (Suggestions):

प्रस्तुत शोध अध्ययन से स्पष्ट होता है कि अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, सामान्य वर्ग, विधवा, वृद्धजनों आदि को विभाग द्वारा चलाई जा रही

विभिन्न योजनाओं की थोड़ी जानकारी के साथ–साथ सही दिशा–निर्देश व विकल्पों का अभाव भी है। इन योजनाओं का सकल संचालन हो सके एंव सभी वर्गों द्वारा लाभ उठाया जा सके इसके लिए निम्न सुझाव है–

- प्रस्तुत शोध में पाया है कि चयनित क्षेत्र में अनुसूचित जाति व जनजाति की संख्या सर्वाधिक है जो अशिक्षित है वहाँ शिक्षा का प्रचार–प्रसार किया जाये। इसके अलावा शिविरों, विभिन्न गोष्ठियों, बैठकों आदि का भी आयोजन कर जानकारी देनी चाहिए एंव पंचायतो, पंचायत समितियों, जिला परिषद् की भी मदद लेनी चाहिए।
- योजना का लाभ प्रदान करने के लिए विभाग के नियमों में लचीलापन लाना चाहिए और विभाग की समस्त सूचनाओं को जिलें स्तर पर डिजिटिलाईज्ड करना चाहिए।
- उचित मूल्य की दुकानों के निर्माण के समय यह ध्यान रखना चाहिए कि दुकानों का निर्माण निर्धारित क्षेत्र के भीतर ही करना चाहिए।
- विभाग द्वारा समय–समय पर खाघ पदार्थों में मिलावट का निरीक्षण करना चाहिए। इसके अतिरिक्त यह भी ध्यान रखना चाहिए। उपलब्ध खाद्यय् पदार्थों में किसी भी तरह के कोई केमिकल्स का उपयोग नहीं किया जाये।
- विभाग द्वारा चलायी जा रही योजनाओं का उद्धेश्य प्राप्त नहीं हो पा रहा है क्योंकि जो मापदंड सरकार द्वारा दिये है उन्हें पूरा करने में दिक्कत आती है जिससे वर्ग विशेष लाभ प्राप्त नहीं कर पाते। अतः इन मापदण्ड़ो का परिस्थितियों के अनुसार पुनःर्विचार करने की आवश्यकता है ताकि क्षेत्र की सामाजिक, आर्थिक एंव भौगोलिक परिस्थितियों में अधिक उपयोगी साबित हो सके।
- ग्रामीणों और संबंधित व्यक्तियों को उचित दर दुकानों के पते और प्रत्येक उचित दर दुकानों से सम्बद्ध कार्डों की संख्या जानने का अधिकार होना चाहिए। प्रत्येक उचित दर दुकानों को प्रत्येक कार्ड के संबंध में मूलभूत सूचना जैसे कार्डधारी के नाम, प्रत्येक कार्ड की इकाइयों की संख्या और कार्डधारी के आवास की पहचान आदि सूचना की जानकारी भी रखनी चाहिए।

- गरीबी रेखा से नीचे के लाभयोगियों की सूची भी उचित दर दुकानों पर या ग्राम पंचायत के कार्यालय में जनता की समीक्षा के लिए प्रदर्शित की जानी चाहिए।
- सतर्कता समितियों की अध्यक्षता के लिए अलग से पद निर्मित करना चाहिए और इस पद पर नियुक्ति के लिए विभाग द्धारा एक समिति का निर्माण करना चाहिए और उस समिति द्धारा साक्षात्कार द्धारा योग्य व्यक्ति की भर्ती करनी चाहिए जिससे अधिनियम और योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार भी अनियमितता न हो सके।
- राज्य में संचालित स्वंय सेवी संगठनों द्धारा अनुसूचित जाति, जनजाति एंव पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिये विभिन्न कार्य किये जा रहे है, जिन्हें विभाग द्धारा अनुदान भी दिया जाता है। अध्ययन के पश्चात् यह सामने आया कि उसका पूर्ण उपयोग नहीं किया जाता है। उपयोग के लिए आवश्यक कदम उठाने जाने चाहिए।

उपरोक्त समस्याओं एंव उभरकर आये सुझावों के आधार पर खाघ, नागरिक आपूर्ति एंव उपभोक्ता विभाग द्धारा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, विशेष पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग विधवाओं/परित्यवताओं, निःशक्तजन, छात्र–छात्राओं और वृद्धजनों के सामाजिक, आर्थिक तथा शैक्षणिक विकास हेतु जो कार्यक्रम संचालित तथा क्रियान्वित किए जा रहे हैं उन्हें अधिक दक्षता तथा कुशलतापूर्वक पूरा किया जा सकता है।

राज्य सरकार के प्रशासनिक सुधार एंव समन्वय विभाग ने अपने परिपत्र क्रमांक 40.18(2)प्र.स./अनु./1/95 द्धारा इस समस्या की ओर भी ध्यान आकर्षित किया गया कि "वरिष्ठ अधिकारियों के स्थानान्तरण पर कार्यभार संभालने वाले वरिष्ठ अधिकारियों को विभागीय कार्यकलापों, विभागीय योजनाओं की प्रगति एंव लम्बित प्रमुख समस्याओं की जानकारी अपने पूर्ववर्ती अधिकारियों से उपलब्ध नहीं है।" इस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यों की प्रगति, लम्बित समस्याओं तथा विभागीय कार्यों के दीर्घकालीन परिपेक्ष्य का उल्लेख किया जाए व एक प्रति मुख्य सचिव कार्यालय में भी प्रेषित की जाये।

जनसम्पर्क एंव लोगों को जानकारी व जागरूकता का अभाव–शोध अध्ययन के दौरान यह बात स्पष्ट रूप से सामने आयी कि खाघ, नागरिक आपूर्ति एंव उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा वर्तमान में जनसम्पर्क के नाम पर केवल वार्षिक प्रतिवेदन एंव कुछ पम्पलेट और विज्ञापन इत्यादि ही प्रकाशित हो रहे है जिनका उद्धेश्य सीमित जानकारी उपलब्ध कराना है जिससे लोगों में जागरूकता उत्पन्न नहीं हो पा रही है। जिले स्तर पर तो वह भी उपलब्ध नहीं हो पाते है।

विभाग की विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों की जानकारी का लोगों को अभाव है इसीलिए विभाग को इनका प्रचार–प्रसार करना चाहिए जिससे योजनाओं के प्रति लोगों की जागरूकता पैदा हो तथा अधिक से अधिक कार्यक्रमों का लाभ प्राप्त हो सके।

समाहारः

उपर्युक्त शोध से ज्ञात हुआ कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विधवा परित्यक्ता और वृद्ध–जनों के लिये चलाई जा रही योजनायें कैसी है? क्या इनका लाभ इन वर्गो तक पहुँच रहा है। शोध की पूर्णता के लिये क्षेत्रीय अध्ययन एंव द्वितीयक सामग्री से जो तथ्य सामने आये है, उनके आधार पर कहा जा सकता है कि इन योजनाओं से जनजातीय समुदाय के जीवन में परिवर्तन आया है। कुछ लोग आर्थिक, सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हुये थे लेकिन खाघ, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाने से इनका सामाजिक, आर्थिक स्तर ऊचाँ उठा है। इनके जीवन में सुधार आया है। राष्ट्रीय खाघ सुरक्षा अधिनियम, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, अन्त्योदय योजना इत्यादि का लाभ उठाकर खाघ सुरक्षा प्राप्त की गई। इसके अतिरिक्त इनके स्वास्थ्य स्तर में भी वृद्धि हुई है।

शोध में पाया है कि अनेक संवैधानिक प्रावधानों, आरक्षणों तथा विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जन–कल्याणकारी योजनाओं में करोड़ों रूपयें व्यय करने के बाद भी इन वर्गो का अपेक्षित विकास नहीं हो पाया है। शासन एंव विभाग का लक्ष्य मात्र समाज का आर्थिक विकास ही करना नहीं वरन् उनका जीवन स्तर ऊचाँ

उठाना भी है इसके लिए उनमें स्वंय चेतना जागृत होनी चाहिए। अतः उनकी दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना होगा।

इस प्रकार विभाग द्धारा और प्रशासन द्धारा इन वर्गों को जागरूक किया जाये इन्हें अपने समाज का विभिन्न अंग समझ कर इनके सामाजिक स्तर, शैक्षणिक स्तर एंव नैतिक विकास का प्रयत्न करना चाहिए तथा इन वर्गो के शोषण एंव सामाजिक कुरीतियों से मुक्त कराने में अपना सहयोग प्रदान किया जाना चाहिए।

****

संदर्भ ग्रंथ सूची
(Bibliography)

1. दत्त, रुद्र एवं सुन्दरम्, के.पी.एम., **भारतीय अर्थव्यवस्था** एस. चन्द्र एण्ड कम्पनी लि, नई दिल्ली, 2004.
2. राय, चन्द्र कुमार एस., **भारतीय सामाजिक समस्याऐं** अर्जुन पब्लिकेशन हाऊस, नई दिल्ली, 2000.
3. त्रिपाठी, विष्मभरनाथ, **समुदाय आधारित व्यवस्था और खाद्य सुरक्षा**, विकास संवाद, 2012.
4. पाण्डेय, जे.एन., **भारत का संविधान** इलाहाबाद सैंट्रल लॉ एजेंसी, इलाहाबाद, 2003.
5. वैश, एम.सी., **मौद्रिक अर्थव्यवस्था** रावत पब्लिकेशन, दिल्ली, 1995.
6. सिन्हा, पुष्पा एवं सिन्हा वी.सी., **भारतीय आर्थिक समस्याऐं एवं नीतियाँ**, लोक भारती प्रकाशन, ईलाहाबाद 2003.
7. भट्ट, एम.एस., **पॉवर्टी एण्ड फुड सिक्यूरिटी इन इण्डिया** लोकभारती प्रकाशन नई दिल्ली, 2005.
8. चौधरी, आर.एस.पी., **उपभोक्ता संरक्षण विधि**, विकास पब्लिशिंग हाऊस, नई दिल्ली, 2006.
9. मिश्र, एस.के. एवं पुरी, वी.के., **भारतीय अर्थव्यवस्था**, हिमालय पब्लिशिंग हाऊस, मुम्बई 2000.
10. मजूमदार, पी.के., **लॉ ऑफ कन्जूमर प्रोटेक्शन इन इण्डिया**, ऑरिएण्ट प्रकाशन कम्पनी, 2010.
11. सागर, अरूण, **उपभोक्ता समझे अपने अधिकार**, लोक भारती प्रकाशन, इलाहबाद, 2014.

12. स्वामीनाथन एम.एस., **साईंस एण्ड सस्ट्नेबल फुड सिक्यूरिटी** ईस्टर्न बुक कम्पनी, 2004.

13. आलम, अफरोज, **सूचना का अधिकार** जमाअत–ए–ईस्लामी हिन्द, नई दिल्ली, 2007.

14. जैन, अंकलक कुमार, **खाद्य सुरक्षा और मानक**, अंकलक पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2011.

15. सक्सेना, एस.सी., **हंगर अण्डर न्यूट्रीशियन एण्ड फूड सिक्यूरिटी इन इण्डिया**, अर्जुन पब्लिकेशन, नई दिल्ली 2003.

16. नवकीरन, एस, **ए स्टडी ऑन द इफेक्टिवनेस ऑन पी.डी.एस. इन तमिलनाडु**, योजना आयोग, नई दिल्ली, 2008.

17. देवी, महाश्वेता और त्रिपाठी, अरुण कुमार, **खाद्य संकट की चुनौती** वाणी प्रकाशन, दिल्ली, 2009.

18. चौहान, उमेश, **भारत में खाद्य सुरक्षा एवं कृषि**, विकास पब्लिकेशन हाऊस, नई दिल्ली, 2014.

19. मित्तल, आभा, **सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं ग्रामीण निर्धनता**, प्रगुन पब्लिकेशन, 2012.

20. ठाकुर, अनिल **कुमार, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन इण्डिया**, 2011.

21. मिश्रा,एस. के, **फूड प्रोब्लम, फूड पॉलिसी एण्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम**, 2010.

22. सिहं, रमेश **भारतीय अर्थव्यवस्था**, टीएमएच, नई दिल्ली, 2015.

23. मिश्र, एम.एम., **भारतीय कृषि, उद्योग–व्यापार एवं यातायात**, लोकभारती प्रकाशन, ईलाहाबाद, 2000.

24. सिन्हा, वी.सी. **सार्वजनिक अर्थशास्त्र**, लोकभारती प्रकाशन, ईलाहाबाद, 1990.

25. अग्रवाल, एम.एल., **भारतीय कृषि का अर्थतंत्र**, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर, 1993.

26. वैश, एम.सी. **आर्थिक विचारों का इतिहास**, एस.चन्द्र एण्ड कम्पनी लिमिटेड, नई दिल्ली, 2000.

27. वर्दत, प्रभा, **हरित क्रांति और कृषि व्यवस्था**, प्रगति पब्लिकेशन हाऊस, दिल्ली 1999.

28. शर्मा के.एल., **भारतीय सामाजिक संरचना एवं परिवर्तन,** रावत पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2006.

29. मिश्र, एस.के., **भारतीय अर्थव्यवस्था,** प्रगति पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 1990.

30. अग्रवाल, ए.एन., **भारतीय अर्थव्यवस्था,** विकास पब्लिशिंग हाऊस, मुम्बई, 2009.

31. गुप्ता एस.पी. **उपभोक्ता संरक्षण विधि,** रावत पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2008.

32. सिन्हा, पी.सी., **समष्टिगत आर्थिक सिद्धान्त**, लोकभारती प्रकाशन, ईलाहाबाद, 1980.

33. दत्त, परितोष चन्द्र, **उपभोक्ता व्यवहार**, गोवाहटी विश्वविद्यालय, 1993.

34. कपिला, उमा, **भारतीय अर्थव्यवस्था (परफॉरमेन्स एण्ड पॉलिसी)**, जैन बुक, नई दिल्ली, 2010.

35. सिंह, रमेश, **इण्डियन इकानॉमी**, सेज पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2004.

36. पटनेक, उतसा, **डवलपमेन्ट ऑफ केपिटेलिज्म इन एग्रीकल्चर**, नई दिल्ली, 1992.

37. सेज, एस.आर., **ग्रोथ एण्ड इनइक्वलिटी इन इण्डियन एग्रीकल्चर**, प्रगति पब्लिकेशन, दिल्ली, 1990.

38. नरेन, धर्मा, **ग्रोथ एण्ड इमबेलस इन इण्डियन एग्रीकल्चर**, एस.चन्द एण्ड कम्पनी लिमिटेड, दिल्ली, 2000.

39. राउ, सी.एच. हनुमर्था, **टेक्नोलॉजिकल चेन्ज एण्ड डिस्ट्रब्यूशन ऑफ गेन्स इन इण्डियन एग्रीकल्चर**, एशिया पब्लिकेशन हाउस, दिल्ली, 2007.

40. भारद्वाज, कृष्णा, **प्रोडक्शन कंडीशन इन इण्डियन एग्रीकल्चर : ए स्टडी बेस्ड ऑन फॉर्म मेनेजमेण्ट**, कन्सेप्ट पब्लिकेशन कम्पनी, नई दिल्ली, 2002.

41. बसेट, अब्डेल और असोनेह, आई.एम., **कन्जूमर बिहेवीयर**, सबलीम पब्लिकेशन, जयपुर, 2003.

42. बत्रा, सतीश के., एण्ड काजमी, एस.एच.एच., **कन्जूमर बिहेवीयर : टेक्स्ट एण्ड केसेज**, एक्सेल बुक्स, नई दिल्ली, 2004.

43. गुप्ता, सोना सेन, **कन्जूमर बिहेवीयर : डायनेमिक्स ऑफ ब्लिडिंग ब्राण्ड इक्विटी**, न्यू सेन्चूरि, नई दिल्ली, 2005.

44. सिंह, यू.के. **पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम**, मित्तल पब्लिकेशनस, नई दिल्ली, 2001.

45. त्यागी, डी. एस. **मेनेजिंग इण्डियास फुड इकानॉमी**, सेज पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2000.

46. मिश्रा, भसशल, **इकानॉमिक्स ऑफ पीडिएस इन फुड ग्रेन्स**, एशिया पब्लिकेशन हाउस, नई दिल्ली, 2005.

47. वेनुगोपाल, के.आर., **डेलिविरेन्स फ्रॉम हंगर : दी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन इण्डिया,** सेज पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2002.

48. दंतवाला एम.एल., **दी फुड प्राब्लर्स एण्ड ग्रीन रेवोलूशन इन इण्डियन इकनॉमी,** एस. चन्द एण्ड को. लिमिटेड, नई दिल्ली, 2005.

49. राधाकृष्णन आर एण्ड रवि, **फुड डिमाण्ड इन इण्डिया – इमर्जिंग ट्रेन्डंस एण्ड पर्सपेक्टिव स्टडिज इन इण्डियन इकोनॉम**, हिमालयॉज पब्लिकेशन हाउस, नई दिल्ली, 1996.

50. मिश्रा एस.के. एण्ड पुन.के. **फुड प्रोब्लम, फुड पॉलिसी एण्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम**, हिमालयाज पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, 2006.

51. सिवाना एन. **फुड सिक्यूरिटी एण्ड पंचायती राज**, कन्सेप्ट पब्लिशिंग कम्पनी, नई दिल्ली, 2007.

52. कृष्णाजी एन. एण्ड कृष्णन टी. एन., **पब्लिक सर्पोट फॉर फुड सिक्यूरिटी**, सेज पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2009.

53. नारायण एस. डिमाण्ड, **सप्लाई गेप एण्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्युशन ऑफ फुड ग्रेन्स इन इण्डिया**, एगलिकल पब्लिशिंग अकादमी, नई दिल्ली, 1996.

54. डोलकिया एण्ड खुराना, **पीडीएस इवोलूशन, इवेल्यूशन एण्ड प्रोस्पेक्टस**, ऑक्सफोर्ड एण्ड आईबीएच पब्लिक कम्पनी, नई दिल्ली, 1994.

55. बपना, बी.एम., **पीडीएस एण्ड फुड सिक्यूरिटी इन इण्डिया,** आईआईएम, अहमदाबाद, 1998.

56. रूद्र, दत्त, फुड **सिक्यूरिटी इन इण्डिया,** सीइएसएस सेमिनार, 2000.

57. सिन्धु, डी.एस. एण्ड सिंह, ए.जे., **टेक्नॉलोजिकल चेन्ज इन इण्डियन एग्रीकल्चर**, सेज पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2011.

58. राउ, सी.एच. हनुमर्था, **फार्म मेकेनिजेशन**, लोकभारती पब्लिकेशन, बॉम्बे, 2009.

59. शाह, सी.एच., **एग्रीकल्चर डवलपमेन्ट इन इण्डिया : पॉलिसी एण्ड प्रोब्लमस**, हिमालयज पब्लिकेशन हाउस, नई दिल्ली, 1998.

60. बिसबनगेर, हन्स पी, **हाउ इन्फरास्ट्रेचर एण्ड फिनांसिअल इंस्टीटूशन अफेक्ट एग्रीकल्चर आउटपुट एण्ड इन्वेस्मेन्ट इन इण्डिया,** जनरल ऑफ डवलपमेन्ट इकॉनामिक्स, 2003.

61. विलसन गी, **दी सोशियल इकॉनामिक्स ऑफ एग्रीकल्चर**, आक्सफोर्ड एण्ड आईकेएच पब्लिक कम्पनी, नई दिल्ली, 1993.

62. डेवेट के.के., एम. वर्मा जे.डी., एण्ड शर्मा एम.एल., **इण्डियन इकॉनामिक्स (ए डवलपमेन्ट ऑरिऐन्टेड स्टडी)**, एस.चन्द एण्ड कम्पनी लिमिटेड, नई दिल्ली, 1998.

Reports/Journals/ Magazines/ Newspaper:

1. Annual Report (2014-15) Department of Food, and Public Distribution, Govt. of India, New Delhi.
2. Annual Report (2014-15), Department of Consumer Affairs, Govt. of India, New Delhi.
3. Annual Progress Report of (2014-15) Department of Food, Civil Supplies & Consumer Affairs, Govt. of Rajasthan, Jaipur.
4. Economics Survey (2014-15), Govt. of India.
5. Report of High Level Committee on long term grain policy, Department of Food and Public Distribution, Govt. of India, 2002.
6. Economics & Political Weekly.
7. Indian Journal of Agricultural Economics.
8. Indian Journal of Public Administration.
9. New Age
10. Yojana
11. Kurukshetra
12. The Hindu
13. Patrika
14. Dainik Bhaskar

****